11 मई 1994

वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नौवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय सूची

दशम माला, खण्ड 31	नौवां सत्र, 1994 / 1915 - 1916 (शक)
अंक 36	बुधवार, 11 मई, 1994 / 21 वैशाख, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*** तारांकित प्रश्न संख्या :**	641, 642, 644, 645 और 647	1-26
अल्प सूचना पश्न संख्या 3		27-28
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*** तारांकित प्रश्न संख्या :**	643, 646 और 648 से 660	29-106
अतारांकित प्रश्न संख्या :	7109-7286 और 7286 क	106-293
सभा पटल पर रखे गए पत्र		301-305
राज्य सभा से संदेश		306
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		306
बत्तीसवां प्रतिवेदन - **प्रस्तुत**		
शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति		306
सातवां प्रतिवेदन - **प्रस्तुत**		
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति		307
छठा प्रतिवेदन - **सभा पटल पर रखा गया**		
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य		
(एक) न्यायालय की अवमानना से बचने के लिए भारत की आकस्मिक निधि में से धनराशि के आहरण के बारे में		307
	श्रीमती कृष्णा साही	
(दो) यमन और रवांडा से भारतीयों का निष्क्रमण		307
	श्री आर.एल.भाटिया	

(तीन) खाड़ी देशों में नियोजित भारतीयों की मृत्यु 314

श्री आर.एल. भाटिया

(चार) चीनी के मूल्यों के बारे में 359-361

श्री कल्पनाथ राय

(पांच) टिहरी बांध में दरारों के संबंध में उपग्रह से मिले संकेतों के बारे में 362-365

पी.वी. रंगय्या नायडू

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बारे में 310

श्री मनोरंजन भक्त

(दो) आन्ध्र प्रदेश में एक अल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में 311

श्री राम कृष्ण कोंताला

(तीन) वायनाड जिले में समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति देने की आवश्यकता के बारे में 311

श्री वी.एस.विजयराघवन

(चार) आन्ध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में मछवारों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता के बारे में 312

डा. विश्वनाथम कैनिथी

(पांच) अहमदाबाद शहर में पाइप लाइन द्वारा खाना पकाने की गैस की आपूर्ति शीघ्र करने की आवश्यकता के बारे में 312

श्री हरिन पाठक

(छः) उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर सुपर फास्ट गाड़ियों का 312

ठहराव उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में

डा. रमेश चन्द्र तोमर

(सात) बिहार में बरहादाना रेलवे लाइन पर चैनपुर, गझांदी और गुरप्पा रेलवे स्टेशनों 313

पर उपरि पुलों के निर्माण की आवश्यकता के बारे में

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता

(आठ) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर 313

स्थित देयूर गांव में ऐतिहासिक स्थल को बौद्ध केन्द्र के रूप में

विकसित करने की आवश्यकता के बारे में

श्री भीम सिंह पटेल

प्रतिलिप्याधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक 317-330

विचार करने के लिए प्रस्ताव

कुमारी शैलजा 317

श्री गिरधारी लाल भार्गव 318

डा. सुधीर राय 319

श्री जार्ज फर्नान्डीज 320

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 321

डा. एस.पी. यादव 322

कुमारी शैलजा 322

खंड 2 से 24 और 1 323-329

पारित करने के लिए प्रस्ताव

कुमारी शैलजा

राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा 331-358

को जारी रखने के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प - स्वीकृत 366-368

श्री एस.बी. चव्हाण 331

श्री सुशील चन्द्र वर्मा 332

श्री लाईता उम्ब्रे 334

डा. मुमताज अंसारी 336

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय 338

श्री उद्धव बर्मन 340

श्री याइमा सिंह युमनाम 341

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी 344

श्री पीटर जी. मरबनिआंग 346

श्री जार्ज फर्नान्डीज 346

प्रो. एम.कामसन 349

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती 354

श्री किरिप चालिहा 355

श्रीमती गीता मुखर्जी 366

श्री एस.बी. चव्हाण 366

प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री के.पी. सिंह देव 369

प्रो. रासा सिंह रावत 371

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर 374

लोक सभा

बुधवार, 11 मई 1994 / 21 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

स्वनियोजन हेतु ग्रामीण युवकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम

*** 641. +डा. मुमताज अंसारी :**

श्री एन.जे.राठवा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष स्वनियोजन हेतु ग्रामीण युवकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम) के अंतर्गत राज्यवार कितने युवकों को प्रशिक्षित किया गया ;

(ख) 1993-94 और 1994-95 के लिये क्या लक्ष्य रखा गया है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों कोक कितनी-कितनी धनराशि दी गई ; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में राज्यवार कितना धन नियत किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई एच. पटेल) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षित युवाओं की स्थिति और राज्यों को रिलीज की गई निधियां अनुबन्ध -1 में दर्शायी गई हैं। 1993-94 और 1994-95 के लिये निर्धारित लक्ष्य अनुबन्ध-2 में दर्शाए गए हैं।

ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) हेतु आठवीं योजना अवधि के लिये 250.00 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का आबंटन किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिये वार्षिक योजना आबंटन प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है। इसलिए, पूरी आठवीं योजना अवधि के लिये निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है। वर्ष के लिये ट्राइसेम के अंतर्गत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बीच निधियों का आबंटन और लक्ष्यों का निर्धारण समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों और लक्ष्यों के आंबटन के अनुपात में किया जाता है।

अनुबंध- 1

(लाख रुपए में)

क्रमांक	राज्य/संघ	1991-92		1992-93		1993-94	
		प्रशिक्षित युवा	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता	प्रशिक्षित युवा	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता	प्रशिक्षित युवा (फरवरी, 94 तक)	रिलीज की गई केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	18106	207.10	17340	175.90	10704	428.25
2.	अरुणाचल प्रदेश	221	22.00	487	6.00	631	17.45
3.	असम	9152	61.10	8026	56.38	4773	103.42
4.	बिहार	32598	514.40	32649	247.00	19586	409.93
5.	गोवा	2578	4.50	2552	19.30	275	7.22
6.	गुजरात	24192	204.00	11209	102.65	8856	157.24
7.	हरियाणा	4402	40.00	7067	44.00	4341	61.955
8.	हिमाचल प्रदेश	1973	15.00	1581	5.20	572	17.69
9.	जम्मू व कश्मीर	2053	12.50	835	3.60	129	11.75
10.	कर्नाटक	12956	232.70	13407	92.00	6218	287.50
11.	केरल	7362	84.90	7919	50.00	4789	104.62
12.	मध्य प्रदेश	28921	195.20	22156	152.22	29624	701.79
13.	महाराष्ट्र	17587	171.50	21418	176.00	13047	465.615

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	1438	5.80	218	1.20	336	5.00
15.	मेघालय	155	5.10	316	1.70	151	4.88
16.	मिजोरम	1713	7.00	1186	14.51	1183	14.65
17.	नागालैंड	738	7.30	247	2.70	567	11.60
18.	उड़ीसा	25194	141.60	15595	201.47	9446	323.67
19.	पंजाब	5003	41.00	4237	32.00	1235	50.74
20.	राजस्थान	9908	124.40	12549	46.50	6255	158.15
21.	सिक्किम	359	3.70	161	0.50	42	2.84
22.	तमिलनाडु	9233	318.60	18985	146.40	9880	287.13
23.	त्रिपुरा	1185	5.70	2502	4.00	1230	31.46
24.	उत्तर प्रदेश	70430	643.70	57645	396.40	39549	1043.56
25.	पश्चिम बंगाल	17828	247.80	15223	82.00	8729	191.89
26.	अण्डमान व निको.	338	11.50	361	2.60	152	3.615
27.	दमन व दीव	123	1.90	00	1.00	30	1.425
28.	दादर व नगर हवेली	43	1.00	74	0.60	25	1.52
29.	लक्षद्वीप	38	0.60	28	0.20	4	0.72
30.	पांडिचेरी	383	10.00	0	4.00	173	9.83
31.	दिल्ली	834	15.00	-	-	-	-
	कुल :	307044	3357.00	275993	2068.03	182532	5017.11

अनुबंध -2

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रशिक्षित किए जाने वाले युवा लक्ष्य 1993-94	1994-95
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	26908	24461
2.	अरुणाचल प्रदेश	2195	1829

1	2	3	4
3.	असम	8858	8050
4.	बिहार	40384	45516
5.	गोवा	454	416
6.	गुजरात	9877	8976
7.	हरियाणा	4373	2157
8.	हिमाचल प्रदेश	1273	707
9.	जम्मू व कश्मीर	1476	50000
10.	कर्नाटक	18067	16422
11.	केरल	6573	5974
12.	मध्य प्रदेश	44096	30998
13.	महाराष्ट्र	29332	26665
14.	मणिपुर	631	1319
15.	मेघालय	612	1401
16.	मिजोरम	919	592
17.	नागालैंड	11461	985
18.	उड़ीसा	21828	19847
19.	पंजाब	3187	1536
20.	राजस्थान	10166	12875
21.	सिक्किम	178	164
22.	तमिलनाडु	24324	22115
23.	त्रिपुरा	1978	1881
24.	उत्तर प्रदेश	65575	59611
25.	पश्चिम बंगाल	24115	21922
26.	अण्डमान व निकोबार	390	419
27.	दादर व नगर हवेली	150	88
28.	दमन व दीव	90	165
29.	लक्षद्वीप	30	41
30.	पांडिचेरी	500	179
		350000	322311

[अनुवाद]

डा. मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना के 'ट्राइसेम' के अन्तर्गत 10,14,000 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित किया गया था तथा सातवीं पाँच वर्षीय योजना के दौरान 9,97,000 युवकों को प्रशिक्षित किया गया था। इन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं में से क्रमशः 5,00,000 और 5,95,000 ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार प्राप्त हुआ था।

इस योजना के अन्तर्गत कम से कम 10,90,000 ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। मैं नहीं जानता हूँ कि उनमें से कितनों को पूर्ण रूपेण-स्व-रोजगार प्राप्त होगा। साथ ही बारम्बार यह भी कहा गया है कि सभी राज्यों को दी जा रही 78 प्रतिशत सहायता राशि उन कार्यकलापों के लिए है जो कि उनसे भिन्न है जिनके अन्तर्गत लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। यह 'ट्राइसेम' के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रशिक्षण का अपव्यय है, चाहे इस योजना में जो भी समय या धन खर्च हुआ हो।

मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहूँगा कि इन सभी अपव्यय को रोकने के लिए माननीय मंत्री जी द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और किस प्रकार इस योजना को त्रुटि रहित एवं प्रभावकारी बनाया जा सकता है ताकि इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवकों को पूर्ण रूपेण स्व-रोजगार प्राप्त हो और इस योजना पर इस प्रकार समय और धन की बरबादी न हो।

[हिन्दी]

श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल : अध्यक्ष महोदय, जो तालीम दी गयी है, उसमें 52 प्रतिशत लोग अलग अलग काम में लगे हुये हैं। और इनमें जो कमियां पायी गयी हैं, उन्हें दूर करने के लिये हम लोग नये कदम उठाये रहे हैं। उसमें एक तो यह है कि जो लोग कृषि विज्ञान केन्द्र, शिक्षण विश्वविद्यालयों या इंजीनियरिंग कालेजों में प्रशिक्षण लेते हैं, उनके स्टायपेंड में 500 रुपये तक वृद्धि कर दी गयी है। ऐसे जो लोग गांवों में प्रशिक्षण लेते हैं, उनको 100 से 150 तक रुपये दिया जाता था और जो बाहर से आते हैं, उनको 200 से 250 रुपये दिया जाता था उसमें वृद्धि कर दी है। ऐसा इसमें सुधार किया है और युवकों को मजबूत बनाने के लिए भी हमने ऐसे कदमों के साथ और भी कदम उठाए हैं जैसे राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया है और ट्राइसेम प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों के चयन में सुधार करना, प्रशिक्षण की अवधि की समीक्षा करना और उचित समय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना जैसे कई कदम हमने इस दिशा में उठाए हैं।

[अनुवाद]

डा. मुमताज अंसारी : मैंने एक भिन्न प्रश्न पूछा था इसे किस प्रकार अधिक प्रभावकारी बनाया जाए ताकि सभी प्रशिक्षित व्यक्तियों तथा युवकों को स्वरोजगार प्राप्त हो जाए। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि राज्य सरकारों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को क्या दिशा निर्देश दिये गये हैं। ताकि यह योजना और अधिक प्रभावकारी हो जाए तथा ऋण सम्बन्ध बनाने में कुछ कठिनाई है। साथ ही कुछ आधारभूत सुविधाओं की भी कमी है ; इसी कारण यह योजना प्रभावकारी साबित नहीं हो रही है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे प्रशिक्षण के साथ साथ ऋण उपलब्ध करायेंगे और क्या वह इस 'ट्राइसेम' योजना के अन्तर्गत सभी प्रशिक्षित ग्रामीण युवकों को प्रर्याप्त आधारभूत सुविधा प्रदान करेंगे।

[हिन्दी]

श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल : इसके साथ ही हम यह व्यवस्था आई आर डी पी में कर रहे हैं कि बैंकों से ऋण सहायता लेकर जो साधन चाहते हैं वह साधन उनकी वर्ग तालीम पूरी होने पर उन्हें दिया जाए ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। राज्यों को तो लिखा ही है लेकिन कई राज्यों में मैंने खुद ही देखा है कि यह सही ढंग से आगे बढ़े ऐसी व्यवस्था भी हमने वहां जाकर की है।

प्रो. प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो ऐनेक्सर 2 उत्तर के साथ जोड़ा है, इसके आंकड़ों को देखने से लगता है कि स्पष्टतः हर राज्य में लगभग 1993-94 के मुकाबले में 1994-95 में जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा उनकी संख्या में गिरावट आई है। कुछ ही प्रदेश हैं जिनमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। या तो आंकड़े गलत हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का 1993-94 में 1476 था और 1994-95 में 55,000 या 50,000 किया है। तो क्या इतनी वृद्धि हो रही है ? नागालैंण्ड का 11,461 था और अगले वर्ष में मात्र 985 हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आंकड़ों में अंतर क्यों हो रहा है ? चयन के मापदंड क्या हैं और कौन इनका चयन करता है ? दिल्ली के आंकड़े दिये ही नहीं गए हैं।

श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल : अध्यक्ष महोदय, जो चयन होता है वह जिला स्तर पर होता है लेकिन इसको सही ढंग से करने के लिए हमने नयी दिशा में सूचना दी है और चयन में भी जो लोग 18-35 वर्ष के हैं उनका चयन होता है और ऐसे लोग जो आदिवासी हरिजन हैं वे इसमें 50 प्रतिशत, महिलाएं 40 प्रतिशत और विकलांग 3 प्रतिशत हैं। दिल्ली के प्रशासन के साथ चर्चा करने के बाद दिल्ली के जो गांव थे उनमें इस कार्यक्रम को बंद किया है।

प्रो. प्रेम धूमल : आंकड़ों में इतना अंतर क्यों हैं ?

श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल : अंतर इसलिए है कि 1990-91 में पैसे की कमी थी इसलिए आंकड़े थोड़े कम हैं।

श्री मंजय लाल : अध्यक्ष महोदय, बिहार में बेरोजगार युवकों की भरमार है और हरिजन तथा आदिवासियों की संख्या भी अधिक है। फिर भी 1993-94 में 40,384 का टार्गेट था और केवल 19485 को ही ट्रैनिंग दी गई। इसके क्या कारण हैं ?

श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल : इसके लिए मैंने शुरू में बताया कि राज्य सरकारों को हमने लिखा भी है और खुद मैंने जाकर भी जायजा लिया है कि इसमें तेजी लाकर सही ढंग से शिक्षा दें।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसका चुनाव जिलाधिकारी करते हैं और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत करती है और एक पंचायत की आबादी 10 हजार तक होती है। उमें बेरोजगारी की संख्या दो ढाई हजार हुआ करती है जिसमें से मात्र तीन चार बेरोजगार नौजवानों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है। तो क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करवा कर वहां के बेरोजगार लोगों को इसका प्रशिक्षण दिया जा सके ?

श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल : हम इस दिशा में ही जा रहे हैं।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस योजना में 250 करोड़ रुपए आबंटन करने का प्रावधान सरकार ने किया है, लेकिन आबंटन के अभाव में खासकर बिहार में यह जो योजना है यह बिल्कुल बन्द है और इसकी कोई ट्रैनिंग नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में जो 250 करोड़ रुपए का आबंटन होगा उसमें से बिहार के लिए कितना होगा और उसमें से बिहार के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितना हिस्सा देंगे।

श्री उत्तम भाई हारजी भाई पटेल : जितनी जरूरत होगी, उतना हम जरूर देंगे।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रम

***642. श्री के. प्रधानी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकारी क्षेत्र के गम्भीर रूप से रूग्ण उन उपक्रमों को शीघ्र बन्द करने का सुझाव दिया है जो अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे उपक्रमों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन्हें किस प्रकार बन्द किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के 44 रूग्ण उपक्रम औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपे गए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल के निर्णय के आधार पर सरकार द्वारा प्रत्येक मामले पर अलग-अलग कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपे गए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य/सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम
	बिहार
1.	माइका ट्रेडिंग कारपो. लि.
2.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इण्डिया लि.
3.	भारी इंजीनियरी निगम लि.
	गुजरात
4.	नेटेका (गुजरात) लि.

हरियाणा

5. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

कर्नाटक

6. भारत गोल्ड माइन्स लि.

7. विग्नयन इण्डस्ट्रीज लि.

8. मण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि.

9. नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.

मध्य प्रदेश

10. नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.

महाराष्ट्र

11. रिचर्डसन एण्ड क्रूडास (1972) लि.

12. भारतीय राष्ट्रीय बाईसाईकिल निगम लि.

13. नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.

14. नेटेका (साउथ महाराष्ट) लि.

नागालैण्ड

15. नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कंपनी लि.

उड़ीसा

16. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स लि.

उत्तर प्रदेश

17. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.

18. भारत पम्पस एण्ड कंप्रेशर्स लि.

19. स्कूटर्स इण्डिया लि.

20. टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो. लि.

21. ब्रिटिश इण्डिया कारपो. लि.

22. कानपुर टेक्सटाईल्स लि.

23. एल्गिन मिल्स लि.

24. नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.

25. यूपी ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

26. ब्रुशवैयर लि.

पश्चिम बंगाल

27. बर्ह्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट लि.

28. बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

29. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

30. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.

31. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.

32. वेबर्ड इण्डिया लि.

33. भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लि.

34. इस्को उज्जैन पाइप एण्ड फाऊंड्री कंपनी लि.

35. भारतीय साईकिल निगम लि.

36. भारत आप्थेल्मिक निगम लि.

37. नेशनल जूट मैन्यू. कारपो. लि.

38. टायर कारपो. ऑफ इण्डिया लि.

39. नेशनल इन्सट्रूमेंट्स लि.

40. नेटेका (पश्चिम बंगाल) लि.

41. बंगाल इम्युनिटी लि.

दिल्ली

42. भारतीय उर्वरक निगम लि.

43. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो.

44. नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा) लि.

श्री के. प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि अनुबंध संलग्न है। परंतु मुझे कोई संलग्नक नहीं मिल रहा है। यदि वह मंत्री जी के पास हो तो मैं वह सूची लेना चाहूँगा। **(व्यवधान)**

मैं संतुष्ट हूं कि वह मिल गया है। मुझे यहां वह विवरण मिल गया है। परंतु मुझे यह पहले नहीं मिला था। इसीलिए मैंने इसके बारे में पूछा था।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री के. प्रधानी : उपक्रमों के रूग्ण होने के क्या कारण हैं ? एकक रूग्ण न हों, इसके लिए क्या कदम

उठाए गए हैं ? सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा हेतु गठित मंत्रियों के समूह को क्या-क्या कार्य सौंपे गए हैं ? उसका परिणाम क्या रहा ?

अध्यक्ष महोदय : एक अनुपूरक प्रश्न के बहुत से प्रश्न हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि सिक पब्लिक सैक्टर यूनिट्स के क्या कारण हैं और सरकार ने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है, एक प्रश्न तो इनका यही है। मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहती हूं कि आई.बी.आर.आई. की स्टडी के मुताबिक सिक यूनिट्स के तीन कारण हैं : - 1. मैनेजमेंट इनएफीशियेंसी, 2. मार्केट प्राब्लम, 3. प्रोजैक्ट् शार्टकमिंग्स। और फिर इसके साथ ही अन्य कारण हैं - इम्फ्रास्टक्चर की समस्या, लेबर डिस्प्यूट्स, ओल्ड एंड आउट डेटेड टैक्नौलौजी, एक्सैसिव मेन पावर, अंडर यूटिलाइनेशन, फार वांट आफ फॉडर तथा फायनेंश्यल प्राब्लम।

अध्यक्ष महोदय, कोई भी चीज एकसमान तो रहती नहीं हैं। अभी कुछ एक्सटरनल और इंटरनल फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ये कठिनाइयां ज्यादा आ रही हैं। वैसे तो ये कठिनाइयां बहुत साल से आ रही है, लेकिन अभी सिकनैस का यही कारण हैं और सरकार ने सिक यूनिट्स में सुधार के लिए कारगर कदम उठाए हैं।

सिक पी.एस.यू. के मामले बी.आई.एफ.आर. के समक्ष प्रस्तुत किये गये ताकि पुनर्वास और सुदृढ़ीकरण योजना बनायी जा सके। दूसरा बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में विशेषज्ञों के संचालक मंडल को रखा गया है। अपग्रेडेशन आफ टैक्नॉलाजी, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फाइनैंशल ऑन मैनेजरियल बेसिस टू रिडयूस ऑपरेशन कॉस्ट। अर्थ प्रबन्ध का पुनर्गठन करने की भी सरकार की योजना है। उत्पाद में विविधता लाना, ट्रेनिंग एंड रिडिप्लायमैंट ऑफ सरप्लस वर्कस एंड इम्प्रूव्ड मेनटेन्स एंड मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसिज। दूसरा प्रश्न ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में किया है। इसका गठन मात्र एक महीने पहले मार्च के अँतिम सप्ताह में हुआ है। इसकी अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है लेकिन शीघ्र ही होने की सम्भावना है। इस समिति में प्रशासकीय मंत्री होते हैं। अभी प्रशासकीय मंत्री होते हैं। अभी प्रशासकीय विभागों से सूचनायें प्राप्त की जा रही हैं। कौन-कौन सी सिक यूनिट्स हैं, इनके लिए प्रशासकीय विभाग कौन-कौन सी योजना बना रहा है और पी.एस.यू. के रिहैबिलटेशन के लिये, वाइडिंग-अप के लिये सरकार क्या स्टैंड लेगी, इसके बारे में विचार चल रहा है। जब सभी प्रशासकीय विभागों से सूचनायें प्राप्त हो जायेंगी तभी इस पर कोई कार्यवाही हो सकती है।

[अनुवाद]

श्री के. प्रधानी : अध्यक्ष महोदय बी.आई.एफ.आर. में सदस्यों को सौंपे गए कार्यभार की तुलना में उनकी संख्या बहुत कम है। बड़ी संख्या में लम्बित मामलों को निपटाने हेतु उन्होंने सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए कई बार अनुरोध किया है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि उनकी संख्या बढ़ाई गई है अथवा नहीं ?

दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की यह नीति है कि यदि कर्मकारों के प्रतिनिधित्व प्रबन्धन का दायित्व लें तो बीमार एककों को चालू रखने की अनुमति दी जा सकती है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, बी.आई.एफ.आर. में 9 सदस्य हो सकते हैं - एक अध्यक्ष और और 8 सदस्य। अभी सभी पद भरे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : संख्या बढ़ाने की बात है।

श्रीमती कृष्णा साही : वह मैं बता रही हूं। दो और सदस्यों की संख्या बढ़ाने की अनुशंसा की गई है। वह अभी वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है। बी.आई.एफ.आर. में केसिज डिले नहीं हो रहे हैं। बी.आई.एफ. आर. रूग्णता के सभी कारणों पर विचार करती है। वह सभी वित्तीय संस्थाओं, श्रमिक संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से वार्ता करने के बाद पैकेज प्रोग्राम तैयार करती है। इसमें समय लगना स्वाभाविक है। एसआईसीए संशोधन के बाद मात्र दो वर्ष पूर्व ही बी.आई.एफ.आर. को पब्लिक सैक्टर यूनिट्स के मामले रैफर किये गये। अभी तक बी.आई.एफ.आर. ने 11 मामलों में करीब-करीब काम कर लिया है। 10 वाइंडिंग - अप के लिये और एक रिवावल पैकेज एप्रोच किया है। फिर भी बी.आई.एफ.आर. के कार्य-कलापों में सुधार के लिये और उस मंतव्य देने के लिये गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। जुलाई 1993 में उसका प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सार्वजनिक उपक्रम की रुग्ण इकाइयां हैं, उनको स्वास्थ्य बनाने के लिये सरकार की कोई सम्यक योजना नहीं है। जो इन्होंने अनुलग्नक प्रश्न के उत्तर में दिया है, उसमें बिहार राज्य का नाम सबसे पहले है। एच.ई.सी. रांची का जिक्र है।

कैपीटल गुड्स बनाने के लिए इसको स्थापित किया गया था, इन इकाइयों को आज सरकार की तरफ से कोई आर्डर नहीं मिलता है तो इनके रुग्ण हो जाने का यह भी एक कारण हो सकता है। आपके माध्यम से और कई कारण मंत्री महोदय से गिनाये हैं लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अगर इन रूग्ण इकाइयों को स्वस्थ बनाना है तो सरकार अपने स्तर से क्या सहायता करना चाहती है ? कई जो रूग्ण इकाइयां हैं, उन्होंने अपना पैकेज सरकार के पास दिया था कि इसको बजटीय सहायता दी जाय तो क्या बजटीय सहायता इनको सरकार की तरफ से दी जा रही है या दिये जाने का विचार है ? उसके बारे में मंत्री जी कुछ खलासा करें तो इस पर रोशनी पड़ेगी।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, स्टेटवाइज लिस्ट सैण्ट्रल सिक पब्लिक सैक्टर एण्टरप्राइजेज की तो हमने दे दी है, जो सब को उपलब्ध हो गई है। एक-एक सिक यूनिट के लिए, उसमें क्या हो रहा है, कैसे उसमें कार्रवाई हो रही है, वह अलग बात है लेकिन बजटरी सपोर्ट की बात इन्होंने उठाई है तो मैं माननीय सदस्य को याद कराना चाहूंगी कि यह बात बहुत महत्व की है कि गत दो वर्षों में बजट पी एस यूज को सहायता में योजना और गैरयोजना दोनों के एस्टीमेट में बढ़ोतरी हुई है। 1992-93 में 5512 करोड़ और 1993-94 में 7003 करोड़ की राशि रखी गई है। सहायता में कमी नहीं हुई है। राष्ट्र में सीमित संसाधनों की दृष्टि से भी इसको देखने की जरूरत पड़ती है और सीमित साधनों के कारण यह सम्भव है कि अपेक्षाकृत सहयोग उपलब्ध नहीं हो पा रहा है लेकिन जो हमारी नीति है, उसके तहत गैरसरकारी क्षेत्र में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर

भी जिन पीएसयूज द्वारा महत्वपूर्ण और सृजनात्मक भूमिका निभाई जा रही है, उन पीएसयूज को हम सहयोग दे रहे हैं। सरका सभी पीएसयूज को पूर्ण आटोनोमी देना चाहती है। अभी सारे पीएसयूज को एमओयू साइन करने के लिए कहा जा रहा है, जो उनके विकास की दिशा में सभी आब्जैक्ट्स को ध्यान में रखकर एक काम होगा।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : अध्यक्ष महोदय, आज प्रधानी जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है, जिससे कि आज देश के लाखों मजदूर चिन्तित हैं और प्रभावित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण यही है, जैसा कि उत्तर देते हुए मंत्री जी ने बताया है कि पब्लिक सैक्टर के बहुत से उद्योगों में बहुत एफीसिएण्ट काम नहीं हो रहा है, इसके कारण से एक कमी है, यह एक कारण बताया गया। इसमें कोई शक नहीं है कि मैनेजमेंट की गलतियों के कारण से अधिकांश में, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सभी पब्लिक सैक्टर में वही कारण हैं लेकिन अधिकांश पब्लिक सैक्टर का जो मैनेजमेंट है, उनकी गलतियों के कारण से, अनुभवहीन व्यक्तियों को रखने के कारण से वह आजकल सिक यूनिट्स हो रही हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं . . .

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंन बता दिया।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं समझता हूं कि कुछ उदाहरण देना भी आवश्यक होगा . . .

अध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : उदाहरण के बिना तो यह सब गोलमाल हो जायेगा।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सेल लोहे का एक बहुत बड़ा कारखाना है, उसको रिफ्रैक्ट्री खरीदना पड़ता है, बिना रिफ्रैक्ट्री के तो लोहे का कारखाना चलेगा नहीं। जो पब्लिक सैक्टर में ही बैस्ट रिफ्रैक्ट्री प्लांट है, उसकी रिफैक्ट्री को न खरीदकर वह प्राइवेट से खरीदते हैं। आखिर आप ज्यादा जानते हैं, मैं ज्यादा अनुभव नहीं बताना चाहता हूं लेकिन प्राइवेट से क्यों खरीदते हैं, जबकि अच्छा सरकारी कारखाने में बन रहा है ? उसी तरह से एन एच सी एल प्लांट हैं, जो लोहे के कारखाने को चलाने के लिए सरकारी कम्पनी में बनाया जाता है, वह कम्पनी भी अच्छी है, उस कम्पनी में काम करने की क्षमता है लेकिन उनको आप काम नहीं देते . . .

अध्यक्ष महोदय : बहुत लम्बा होगा तो में अब डिसएलाउ कर दूंगा।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन उदाहरण देकर कहना चाहता हूं :

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ? मैं समझा नहीं।

|हिन्दी|

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मेरा क्वशचन यही है कि सेल एक बड़ी कंपनी है, आप जानते हैं कि सेल को आवश्यक रूप से रिफ्रैक्ट्री खरीदनी पड़ती हैं। क्या यह सही है कि निजी रिफ्रैक्ट्री जो घटिया किस्म की है, उसको खरीदते हैं। सरकार का अच्छा बड़ा रिफैक्ट्री प्लांट है, जो अच्छी क्वालिटी की बनाता है लेकिन उसका नहीं खरीदते हैं तो क्या कारण है ?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं सेल के बारे में नहीं बता सकती हूं, क्योंकि यह प्रश्न

प्रशासनिक विभाग से संबंधित है और उनसे वे प्रश्न कर सकते हैं। अभी प्रोफैशनल मैनेजमेंट की बात की जा रही थी, कम्पीटीन को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी क्षेत्र को भी प्रमोट करना हमारा उद्देश्य है।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी : महोदय, सरकार ने बी.आई.एफ.आर. को 44 मामले सौंपे थे। इनमें से चार मामले महाराष्ट्र के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन चार एककों, अर्थात् रिचर्डसन एंड कुड्डास (1972) लि., नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन लि., एन.टी.सी. (महाराष्ट्र उत्तर) लि. तथा एन.टी.सी. (दक्षिण महाराष्ट्र) के बारे में बी.आई.एफ.आर. ने क्या निर्णय किया है और यदि उन्होंने कोई निर्णय दिया है तो क्या सरकार ने इन एककों के बंद किए जाने अथवा चालू रखने हेतु श्रमिक संघों के साथ कोई समझौता किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर इसकी मालूमात नहीं है, तो लिखित रूप में दे दीजिएगा।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, डिटेल में तो अलग से सूचना चाहिए। लेकिन मैं इतना ही कह सकती हूं, महाराष्ट्र में चार मिल्स हैं। रिचर्डसन कुड्डास लि. अंडर एन्क्वायरी है। नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन लि. रजिस्टर्ड है और बाइडिंग-अप की सूचना रिकमेंडेड टू दि कन्सर्न्ड हाइकोर्ट दी गई है। एन.टी.सी. (महाराष्ट्र उत्तर) अन्डर एन्क्वायरी है और ए.टी.सी. (महाराष्ट्र, दक्षिण) यह भी रजिस्टर्ड है और अन्डर एन्क्वायरी है।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है कि क्या एकक के संघों के साथ कोई समझौता हुआ है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लिखित रूप में आपको बोल देंगे।

श्रीमती कृष्णा साही : आपको अलग से बता देंगे।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, बड़ी आशा से मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्नों को सामान्य से विशिष्टता की ओर न ले जाएं क्योंकि संभवतः मंत्री के पास उनके उत्तर न हों।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को प्रभावित करने वाली समस्याएं दो प्रकार की हैं। एक तो यह है कि कई क्षेत्रों में उन्हें केवल मजदूरी भुगतान हेतु धन दिया जाता है और कार्य पूंजी नहीं दी जाती जिससे वे कुछ नतीजे दिखा सकें। ऐसा टायर कार्पोरेशन आफ इंडिया में तथा अन्य कई जगह किया जा रहा है और मंत्री महोदया इससे अवगत भी हैं। यह इसका एक हिस्सा है। समस्या का दूसरा रूप यह है कि कतिपय सरकारी क्षेत्र उद्यमों को दूसरे सरकारी क्षेत्र उद्यमों या सरकार से आर्डर नहीं मिल रहे हैं। जैसा कि जेस्सोप के मामले में है। कलकत्ता में निजी क्षेत्र में भी बड़ी और सर्वशक्तिमान बिड़ला की फर्म, जो कि निजी

क्षेत्र में है, ने भी यह शिकायत की है कि कार्य के आर्डरों की कमी के कारण वे लगभग 1,500 कार्मिकों को हटा रहे हैं। कम्पनी का नाम टैक्समाकों है। 1 जून से वे और 3,000 कार्मिकों को हटाने जा रहे हैं। निजी क्षेत्र की बिड़ला फर्म सहित जेस्सोप और अन्य उत्पादन संगठनों में वैगनों के आर्डरों की यह स्थिति है।

मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे सभा को आश्वासन दे सकती हैं कि अपेक्षित कार्य आर्डर दे दिए जाएंगे तथा इससे संबंधित अन्य मंत्रालयों को भी इस बात के लिए राजी कर लिया जाएगा कि वे सरकारी क्षेत्र को अनुकूल उत्तर दें। मैं कार्यपूंजी के बारे में भी जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो हमारी सिक यूनिट्स हैं, उनका कारण आर्डर्स की कमी हैं, लेकिन यह पालिसी पर निर्भर करता है, जो समय-समय पर बदलती रहती है और सरकार इसके ऊपर . . .

अध्यक्ष महोदय : पालिसी बहुत समय पर नहीं बदलनी चाहिए।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है। सरकार की नीति है . . .

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या सरकारी क्षेत्रों के लिए कार्य के आर्डर कम करने का नीतिगत निर्णय हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि माननीय सदस्य सप्ताह में दो दिन तो मेरे कार्यालय में बैठकर डैलीगेशन के साथ हमेशा ही विचार-विर्मश करते हैं। सभी बातों पर विचार-विमर्श होता है। आप बताइए कि हुआ है या नहीं ? हुआ है और इनको जानकारी है, लेकिन मैं अभी बताना चाहती हूं कि प्राइवेट सैक्टर को भी बढ़ावा देना है। ओपन कम्पीटिन हैं, इसलिए अभी प्राइवेट और पी.एस.यूज. को कम्पीट कर आर्डर प्राप्त करना है।

[अनुवाद]

श्री डी.के नायकर : महोदय, पता लगाए गए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में एक कोलार की भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड भी है। इसमें लगभग 10,000 कार्मिक हैं। विशेषज्ञों की राय है कि खानों में सोने के भंडार हैं।

अध्यक्ष महोदय : संभवतः मंत्री महोदया के पास इस संबंध में जानकारी न हो।

श्री डी.के नायकर : विशेषज्ञों की राय में वहां पर सोने के भंडार अभी भी है, परन्तु कुप्रबन्ध के कारण इस उपक्रम ने बहुत नुकसान उठाया है। इसलिए, हमने राज्य सरकार की ओर से एक अभ्यावेदन दिया है। उसके बारे में मंत्री महोदया ने क्या कार्यवाही की है तथा यदि सरकार इसे बंद करती है तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी ?

श्रीमती कृष्णा साही : महोदय, इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, यह बताया गया है कि 10 पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स वाइंडिंग अप के लिये जा रही हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कारण से कितने एम्पलाइज बेरोजगार हो जाएंगे और उनको अल्टरनेटिव एम्पलायमेंट प्रोवाइड करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग वाईडिंग अप हो रही हैं आप उन 10 के नाम बता दें।

श्रीमती कृष्णा साही : हमने एक सूची दी है उसमें 44 पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग की सूची है . . . **(व्यवधान)** . . . जहां तक इन्होंने श्रमिकों की बात कही है तो दो वर्ष में 64,500 एन आर एस के अंतर्गत यू. आर.एस. उनको दिया गया है और उनके प्रशिक्षण के लिये पॉयलट प्रोजेक्ट्स चलाये जा रहे हैं जो बम्बई, इन्दौर और कानपुर में हैं और 15 आई.टी.आईज और 6 ए.टी.आईज. लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा उनको प्रशिक्षण देने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त किए जाने के बावजूद भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सार्वजनिक क्षेत्र को वे रियायतें तथा सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं जो वे निजी क्षेत्र को देते हैं क्योंकि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकार के मार्गनिर्देश नहीं हैं। क्या मंत्री महोदया कुछ बताएंगी कि इस संबंध में सरकार क्या करने जा रही है ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : महोदय, यह वित्त मंत्रालय से संबंधित है।

[अनुवाद]

श्री तरित बरण तोपदार : महोदय, यह उत्तर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि मंत्री महोदया इस संबंध में उत्तर प्राप्त करके उन्हें भेज देंगी। यह बहुत संगत प्रश्न है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, बहुत से मामलों में हमारा अनुभव यह है कि बी.आई.एफ.आर. द्वारा पुनरुद्धार पैकेज के अनुमोदन के बाद भी राष्ट्रीयकृत बैंक इसे क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यही प्रश्न उन्होंने भी पूछा था।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह समरूप प्रश्न नहीं है।

मुझे प्रधान मंत्री से एक उत्तर मिला है जिसके अनुसार यदि सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रम के पुनरुद्धार हेतु संघों और प्रबन्धन के बीच समझौता हो जाता है तो उसका बी.आई.एफ.आर. को भेजा जाना मात्र औपचारिकता

होगी। परंतु सभी मामलों में, जब सरकारी क्षेत्र के किसी रुग्ण उपक्रम का मामला बी.आई.एफ.आर. को भेजा जाता है, तो वित्तीय संस्थाएं तथा बैंक उसे कार्य पूंजी और साथ ही बैंक गारंटी भी देने से इनकार कर देते हैं। यह ए. बी.एम. का एक ज्वलन्त उदाहरण है जहां भारतीय स्टेट बैंक ने इस उपक्रम को, जो रूग्णता से उबर चुका था, बैंक गारंटी देने से इनकार कर दिया था। अतः मैं उद्योग राज्य मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार इस संबंध में उपयुक्त कदम उठाएगी ताकि बी.आई.एफ.आर. से अनुमोदित पैकेज को मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : महोदय, जब इनका प्रतिवेदन प्राप्त होगा तो सरकार अवश्य उस पर कार्यवाही करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि यदि प्रबंधन और कार्मिकों के बीच समझौता हो जाता है तो क्या सरकार की नीति उस एकक की सहायता करने की है। यदि उस एकक की सहायता नहीं की जाती तो आप क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : ये सारा मामला बी.आई.एफ.आर. के सामने प्रस्तुत है उसका जब प्रतिवेदन प्राप्त होगा तभी उस पर सरकार कार्यवाही करेगी। . . . **(व्यवधान)** . . . इसमें तीनों पक्ष के लोग बैठते हैं। सभी इस पर विचार-विमर्श करते हैं, वर्कर्स से भी बात की जाती है और डिपार्टमेंट से भी बात की जाती है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप प्रश्न समझ नहीं पाई हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : सभी पक्षों को सुनकर रिवाईव करने के लिए विचार किया जाता है और बैंक फाईनेशियल इन्स्टीट्युशन्स को भी अनुरोध किया गया है कि उस पर कार्यवाही करें। जिन मामलों में मदद की आवश्यकता होगी तो सरकार जरूर करेगी।

[अनुवाद]

श्री अंकुशराव टोपे : मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूँ कि क्या बी.आई.एफ.आर., जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की रूग्ण इकाइयों के संबंध में लागू होता है, सहकारी क्षेत्र की रूग्ण इकाइयों के संबंध में भी लागू किया जाएगा। सहकारी क्षेत्र की लम्बे अर्से से यह मांग है कि बी.आई.एफ.आर. को सहकारी क्षेत्र की रूग्ण इकाइयों, जैसे सहकारी चीनी मिल, कताई मिल आदि, पर भी लागू किया जाए।

क्या अब सरकार इसे सहकारी क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों पर भी लागू करने के बारे में विचार करेगी ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के बेसिक सवाल के पहले उत्तर पर क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। कंसलटेटिव मीटिंग में . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वहां जो हुआ है उसका यहां पर विचार नहीं करते हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मंत्री जी ने किसी दूसरे उत्तर में बताया है कि हमारे देश में कुल 49 कंपनियां ऐसी हैं जो रुग्ण हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने सवाल के उत्तर में बताया है कि 44 कंपनियां हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 44 सही है या 49 सही है ? दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में दस बताई हैं जबकि कहीं पर अपने बयान में उत्तर प्रदेश में आठ बताई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन सब दुविधाओं और उत्तर की विषमता का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि यह जो सरकारी रूग्ण हैं तो इनसे मिलने वाली बैंकों की धनराशि कहीं अन्यत्र खर्च की गई हैं और इनके प्रबन्ध में भारी गड़बड़ की गई है और प्रबंधकों के साथ कुछ राजनैतिक क्रियाकलाप बरते गए हैं और उनको संरक्षण प्रदान किया गया है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, ऐसे उत्तर में कोई विषमता नहीं है। पूर्व में पचास केस बीआईएफआर में रेफर थे। इनमें से चार की परफार्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो गई और दो मेनटेनेबल नहीं थे। अतः 44 को बीआईएफआर में रेफर किया गया। एक साल या दो साल बाद सुधार होता है उसको विदड्रा कर लिया जाता है। इन्होंने दूसरी जगह पर राशि खर्च करने के बारे में पूछा है। वह राशि जब आती है तो उसको सरकारी खाते में जमा किया जाता है और प्रायोरिटी के आधार पर उसका आबंटन होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदया सभी प्रश्नों का उत्तर देने हेतु काफी सक्षम हैं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय, रुग्ण इकाइयों को बी.आई.एफ.आर. को सौंपे जाने का निर्णय पूर्णतः तदर्थ आधार पर लिया गया लगता है। सरकारी क्षेत्र के काफी संख्या में ऐसे रुग्ण एकक हैं, जिनके बारे में बी.आई.एफ.आर. पैकेज पर पहुंचने हेतु सरकार को प्रोत्साहक बनने हेतु सहमत होना पड़ेगा। ऐसे कई मामलों में, ब्रेथ वेट की यार्गुस डिविजन एक ऐसा उदाहरण है, सरकार वायदा करने हेतु अनिच्छुक है। यही कारण है कि बी.आई.एफ.आर. के पैकेजों में विलम्ब हो रहा है। मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार रूग्ण उद्योगों के प्रोत्साहक के रूप में आगे आएगी ताकि बी.आई.एफ.आर. के पैकेजों में विलम्ब न हो ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, सरकार तो प्रमोटर और फैसिलेटर के रूप में काम करती है, यह हमारी नीति है। जैसा इन्होंने कहा तो एक-एक केस की अलग से सूचना दे दूंगी।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : प्रोत्साहक जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। वह धन उपलब्ध नहीं करा रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

***644. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री बापू हरि चौरे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) का विचार गैर-कृषि क्षेत्र में ग्रामीण श्रमिकों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इससे राज्य-वार कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) के वी आई सी का उद्देश्य देश भर में खादी और ग्रामीण उद्योगों का विकास करके रोजगार जुटाना है। वर्ष 1992-93 तक के वी आई सी 52.50 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिला सका था (14.45 लाख व्यक्तियों को खादी और 38.05 लाख को ग्रामीण उद्योगों में) सामान्य कार्यक्रमों के अलावा देश के चुने हुए 16 पिछड़े जिलों में विशेष रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण कामगारों को खेती से भिन्न कामों में अतिरिक्त रोजगार दिलाने का प्रस्ताव है। जिन जिलों में विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाया जा रहा है उनकी सूची अनुबंध में दी गई है।

(ग) विशेष रोजगार कार्यक्रम हेतु चुने गये प्रत्येक जिले में 10,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किये जायेंगे। अतः इस प्रकार इस कार्यक्रम द्वारा उपर्युक्त जिलों में 1,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किये जाने की संभावना है।

अनुबंध

के.वी.आई. के माध्यम से विशेष रोजगार कार्यक्रम के लिये चुने गये जिले

क्रमांक	राज्य	जिला
1.	असम	मारीगांव
2.	आंध्र प्रदेश	कुरनूल, आदिलबाद
3.	बिहार	सहरसा
4.	गुजरात	दंग

5.	हिमाचल प्रदेश	चम्बल
6.	केरल	अलेप्पी
7.	मध्य प्रदेश	सरगुजा
8.	महाराष्ट्र	चन्दरपुर
9.	उड़ीसा	कालाहांडी
10.	राजस्थान	दसुह
11.	तमिलनाडु	तिरूनेवेल्ली, रामनाथपुरम
12.	उत्तर प्रदेश	मऊ
13.	पश्चिम बंगाल	बिरबम
14.	कर्नाटक	कोलर

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में बताया है कि के वी आई सी का उद्देश्य देश भर में खादी और ग्रामीण उद्योगों का विकास करके रोजगार जुटाना है। वर्ष 1992-93 तक केवीआईसी 52.50 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिला सका था, जिसमें 14.45 लाख व्यक्तियों को खादी में और 38.05 लाख व्यक्तियों को ग्रामीण उद्योगों में रोजगार प्रदान किया गया है। सामान्य कार्यक्रमों के अलावा देश के चुने हुए 16 पिछड़े जिलों में विशेष रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण कामगारों को खेती से भिन्न कामों में अतिरिक्त रोजगार दिलाने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर के भाग "ग" में बताया गया है कि विशेष रोजगार कार्यक्रम हेतु चुने गए प्रत्येक जिले में 10000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किए जाएंगे। अत: इस प्रकार इस कार्यक्रम द्वारा उपर्युक्त जिलों में 1,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित किए जाने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है।

श्री मणिकराव होडल्या गावीत : मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि उत्तर के भाग "ख" में बताया गया है कि 52.50 लाख व्यक्तियों को इस योजना के तहत रोजगार प्रदान किया जाएगा और नीचे उत्तर के भाग "ग" में बताया गया है कि 1,60,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा और यह विसंगति क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : उत्तर में यह अंतर क्यों है, यह बता दीजिए इतना बड़ा अंतर क्यों है ?

[अनुवाद]

श्री एम. अरूणाचलम : हमने इस योजना के अन्तर्गत 16 जिले चुने हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम 50 और जिलों को लेंगे और इस तरह हम अतिरिक्त पाँच लाख लोगों के लिए रोजगार सुविधाएं जुटाएंगे।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावीत: मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि जो पिछड़े जिलों के बारे में बात की गई है तो महाराष्ट्र के ठाणे, धुले और नासिक जो कि आदिवासी और पहाड़ी जिलें हैं, क्या वहां पर के वी आई सी के तहत विशेष रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे, यदि हाँ तो कब तक कराए जाएंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको जानकारी है। वह महाराष्ट्र के कुछ जिलों का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री एम.अरुणाचलनम् : यह ज़िले के.वी.आई.सी. की सिफारिशों के आधार पर चुने गए हैं। यह सचिव, लघु उद्योग की अध्यक्षता में बनी एक समिति के द्वारा जांचे परखे गए हैं। आठवीं पांच वर्षीय योजना की शेष अवधि में हम पचास और ज़िलों को लेंगे। मैं नहीं जानता यह किया जा रहा है अथवा नहीं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे कार्यक्रमों के सम्बन्ध में, यूनिट लागत काफी सीमा तक बढ़ा दिए गए हैं। वास्तविक आवश्यकता इस बात की है कि प्रति यूनिट मूल्य में तीव्र बढ़ोतरी की अपेक्षा लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाए। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पहलू की ओर ध्यान देकर आवश्यक परिवर्तन करेगी, ताकि यह राज्य के.वी.आई.सी. को पुनरीक्षित निर्देश जारी करे कि वह ग्रामीण कारीगरों को अधिक संख्या में सहायता करें। विशेषकर लोहारों को जो कृषि के परिष्कृत औजार और बाँस की टोकरियां आदि बना सकते हैं। अब तो और बहुत सी संभावनाएं हैं।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार वित्तीय संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश जारी करेगी। आपने कहा है कि आप खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से सहायता प्रदान कर रहे हैं। बैंकों को भी और अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न की बात कीजिए। इस प्रकार वाक्यपटुता से कुछ नहीं होगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ऐसे स्पष्ट निर्देश जारी करेगी जिससे उनकी वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी हो सकें।

श्री एम. अरुणाचलम् : महोदय, इस पहलू पर विचार किया जा चुका है। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जा चुका है समिति जल्दी ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी। इस पहलू पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।

श्री के.सी. कुप्पुस्वामी : रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु सरकार खादी एवं ग्रामोद्योग को क्या नीति समर्थन प्रदान कर रही है ?

श्री एम. अरुणाचलम् : जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, खादी ग्रामोद्योग आयोग के बचाव एवं स्पष्ट नीति समर्थन प्रदान करने हेतु नीति समर्थन प्रदान कर रहा है। पहले सीमा-शुल्क रहित पालिएसटर धागे हेतु

आज्ञा दे दी गई है और जिन वस्तुओं पर आपात् कर में छूट दी जा रही है, उनमें वृद्धि कर दी गई है। हाथ से बने कागज उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्मित पोकी वस्तु को सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने की आज्ञा दे दी गई है। सरकार ने अपने भिन्न-भिन्न मंत्रालयों एवम् विभागों को अपनी आवश्यकता को पचास प्रतिशत हाथ से बने कागज से करने के निर्देश जारी किए हैं।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में देश के 16 जिलों को चुना है जिनमें दस दस हजार लोगों को विशेष ग्रामीण चुनाव रोजगार योजना के तहत रोजगार दिलाने की बात कही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी योजना में हरिजन-आदिवासी, पिछड़े वर्ग और जो गाँव में लैंडलैस लेबरर्स हैं उनका क्या प्रतिशत है ?

[अनुवाद]

श्री एम. अरूणाचलम् : जी हां, महोदय, आज तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग गतिविधियों के लाभार्थियों में तीस प्रतिशत हरिजन एवम् अनुसूचित जाति के लोग हैं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मंत्री जी ने जो लिस्ट दी है इसमें बिहार के सहरसा जिले का नाम रखा है। जो आदिवासी इलाके हैं और पिछड़े जिले हैं, जहां पर विकास नहीं हुआ और इसके चलते संघर्ष होता है, क्या उन ज़िलों को भी इसमें ले सकते हैं या नहीं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं।

श्री एम. अरूणाचलम् : सहरसा ज़िले को विशेष रोज़गार कार्यक्रम के अन्तर्गत चुना गया है। अनुसूचित जाति के लोगों को इसमें शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

महासागर विज्ञान संबंधी कार्यक्रम

*** 645 श्री जंगबीर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान महासागर विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में कौन-कौन से प्रमुख कार्यक्रम आरम्भ किए हैं ;

(ख) इन कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि और उनसे प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन कार्यक्रमों के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि नियत की गई है ?

[अनुवाद]

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) पिछले दो वर्ष में समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं : -

(1) अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान।

(2) बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम।

(3) तटीय क्षेत्रों सहित अनन्य आर्थिक क्षेत्र से सम्बद्ध कार्यक्रम।

(4) मौलिक अनुसंधान

(ख) उत्तर के भाग (क) में दर्शाए गए प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्व्यन पर पिछले दो वर्षों में लगभग 91 करोड़ रुपये की कुल राशि व्यय की गई। उपलब्ध परिणामों की कुछ विशिष्टिताएं नीचे दी जा रही हैं : -

(1) अंटार्कटिका के लिए 12वां अभियान पूरा होना और 13वें अभियान को रवाना करना,

(2) बहुधात्विक पिण्डिकाओं और उनके स्थानिक वितरण के संसाधन विभव का मूल्यांकन करना और पिण्डिकाओं से संबंधित खनन और धातुकर्मियों प्रौद्योगिकियों के विकास को जारी रखना।

(3) तटवर्ती मछुआरों में संभावित मत्स्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में सूचना का प्रकीर्णन, समुद्री प्रदूषण की लगातार मॉनिटरिंग, केरल में प्रायोगिक संयंत्र पर समुद्री तरंगों से बिजली के उत्पादन का प्रत्यक्षण, चार स्थानों पर पारम्परिक मत्स्यन जलयान और तट के बीच संचार प्रणालियां, विदोहन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, मत्स्य क्षेत्र संसाधन मूल्यांकन को जारी रखना।

(ग) इस विभाग को चालू वित्तीय वर्ष हेतु योजना आबंटन 46 करोड़ रुपये हैं।

[हिन्दी]

श्री जंगबीर सिंह : समुद्री विज्ञान का विषय बहुत व्यापक है। मंत्रीजी ने अपने जवाब में सिर्फ सी वेव्स के माध्यम से बिजली पैदा करने की बात कही है। जबकि दुनिया के दूसरे देशों में बहुत सी प्रणालियां और टेक्नीक्स विकसित हो चुकी हैं। ओसन थर्मल एनर्जिक कंवर्शन समुद्र से ऊपर सरफेस से और नीचे के सरफेस के तापमान के अंतर की वजह से बिजली पैदा होती है। टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी से ऊर्जा पैदा करने की क्या सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार ने सन ओसन के बारे में कोई योजना बनाई है ? तीसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने हाइड्रो टेक्नीक एनर्जी के बारे में भी कोई योजना बनाई है, यदि नहीं तो क्या बनाने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अपनी सीमित जानकारी के अनुसार मैं जबाव दूंगा। इस देश के आप पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री थे। आप इस विषय में बेहतर जानते होंगे। परंतु मैं कुछ मुद्दों के बारे में कहना चाहता हूं। प्रथमतः त्रिवेन्द्रम के पास समुद्री मार्ग पर हमारा एक प्रदर्शन संयंत्र है। दूसरे भारत के सिवा, सिर्फ तीन ऐसे देश हैं जिनके पास इस प्रकार के प्रदर्शन संयंत्र हैं और जहाँ इस प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित किया जाता है।

अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे देश हैं जापान, ब्रिटेन और नार्वे। तीसरे, किसी भी देश में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं किया गया है। और इसे आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं पाया गया है। इसका वाणिज्यक आधार पर भी उपयोग नहीं किया गया है। हम अभी प्रदर्शन के स्तर पर हैं। समुद्री विकास से संबंधित अधिकांश मामलों और कार्यक्रमों की तरह इस मामले में भी भविष्यवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। हम अभी अनुसंधान के स्तर पर हैं। हम उस दिन के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं जब हम वास्तव में इस प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाएँगे।

अध्यक्ष महोदय : वह जानना चाहते हैं कि क्या हम तापमान के अंतरों का उपयोग कर बिजली पैदा कर रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जैसा कि मैंने कहा है, यह विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। इन कार्यक्रमों को मुख्य रूप से गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग में देखा जाता है। वे ही इस कार्यक्रम का परिचालन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जंगबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अधूरी जानकारी दी है लेकिन मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न यह है कि जो अंटार्कटिका के 13वें अभियान की इसमें बात की गयी है, वह अभियान कब तक चला जाएगा और कया उसमें सभी वैज्ञानिक हमारे देश के होंगे और क्या सभी उपकरण और मशीनरी स्वदेशी होगी तथा वह कब तक रवाना किया जाएगा ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह अंटार्कटिका अभियान के विषय में कुछ जानना चाहते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम अंटार्कटिका के लिए 13 वां अभियान दल भेजने वाले हैं। सदस्य शायद जानना चाहेंगे कि हमें क्या सफलताएं प्राप्त हुई हैं। हमारा वहाँ एक स्थायी केंद्र है।

जहाँ तक पोत का सवाल है, हम इसे अधिक उपयोगी समझते हैं क्योंकि बर्फ तोड़ने वाले पोत का इस्तेमाल केवल चार महीनों के लिए होता है। अतः एक पोत को खरीदने के बजाय उसे किराये पर लेना अधिक लाभकारी है। मैं इस विषय में सभा को विश्वास में लेना चाहता हूं कि हम एक ऐसा बहुउद्देशीय पोत लेना चाहते हैं जो केवल अंटार्कटिका के अभियान के लिए ही नहीं, बल्कि समुद्र विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण भी कर सके। एक बहु-उद्देशीय पोत अधिक लाभकारी होगा। हम इस विषय में देख रहे हैं।

श्री विजय एन. पाटील : मैं समझता हूं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। मैं विशेष रूप से पोलीमैटलिक नोड्यूलस के विषय में जानना चाहता हूं। इन नोड्यूल्स को खोजने के विषय में क्या प्रगति हुई है। और क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि वर्तमान में समुद्र-तल से धातुओं की खोज आर्थिक रूप से कम खर्चीली होगी ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इसमें सभी देशों, जिसमें वे देश भी शामिल हैं जो हमारे समान विकसित हैं, का एकमत है। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि अमरीका, जिसने अन्य देशों की तुलना में काफी पहले इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया था, अब इन नोड्यूल्स की वाणिज्यिक खोज को आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं समझता है।

श्री वी. धनंजय कुमार : *मैं माननीय मंत्री महोदय से उनके द्वारा उल्लिखित तीसरे कार्यक्रम के विषय में* पूछना चाहता हूँ जो तटीय क्षेत्रों सहित अनन्य आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हैं। विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए इस मंत्रालय द्वारा कौन से आर्थिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ? इसका इसमें उल्लेख किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप आर्थिक क्षेत्र के उपयोग के लिए क्या करने जा रहे हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आर्थिक क्षेत्र के विषय में हम अन्वेषण और दोहन दोनों दिशाओं में कार्य कर रहे हैं। अन्वेषण में मुख्यतः सर्वेक्षण और मानचित्र के अनुसार योजना तैयार करना होता है और यह कार्य मुख्यतः गोआ स्थित समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा पश्चिमी तट पर किया जाता है। दोहन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, मद्रास में इंस्टीट्यूट आफ ओसन टैक्नालोजी नामक एक नए संस्थान की स्थापना की जा रही है।

जहाँ तक मछुआरों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम का संबंध है, हमारे पास अभी उनके लिए बहुत ही सीमित कार्यक्रम हैं।

श्री ए. चार्ल्स : एक विश्वस्त सूचना के अनुसार शताब्दियों पहले कई जहाज डूब गए थे और इस देश के समुद्री क्षेत्र में पड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे पास ऐसे जहाज को निकालने की कोई तकनीक है, और क्या इस संबंध में कोई प्रयास किया गया है क्योंकि उनके टुकड़ों का मूलय भी कई करोड़ रुपए होगा ? यह एक दूसरा क्षेत्र है जहाँ हम विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह मंत्रालय इस विषय को नहीं देखता है। यह विषय अन्य मंत्रालयों जैसे जल भूतल परिवहन, इस्पात आदि मंत्रालयों के द्वारा देखा जाता है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : अध्यक्ष महोदय, अंटार्कटिका पर रिसर्च हो रहा है तो मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि हमारे दो स्टेशन–मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री हैं, क्या वहां पर तीसरा स्टेशन के लिये विचार है ? यदि हां तो इस बारे में कोई काम हुआ है, अगर है तो उसकी प्रगति का ब्यौरा क्या है और स्थिति क्या है ? इसी संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि जब इतने सालों से वहां पर कार्य चल रहा है तो अभी तक हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं और उन उपलब्धियों का किस रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय, अंटार्कटिका के संबंध में जो ट्रीटी हुई थी, क्या वह खत्म होने वाली है और भारत सरकार उस ट्रीटी में किस प्रकार से पार्टिसिपेशन करने वाली है, इसके बारे में मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फैलीरो : भारत ने 1991 में एंटार्कटिका के पर्यावरण संरक्षण संबंधी, प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए थे, परंतु बाद में उसका अनुमोदन नहीं किया। भारत यह महसूस करता है कि जब तक बड़ी संख्या में देश इसमें योगदान नहीं करेंगे, इस बात का कोई खास असर नहीं होगा।

जहाँ तक समुद्र अभिसमय संबंधी कानून का संबंध है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव इस विषय में आम राय प्राप्त करने में लगे हुए हैं। अगर एक आम राय प्राप्त हो जाती है तो हम भी निश्चित रूप से इसका अनुमोदन करेंगे। परंतु मुख्य बात यह है कि प्रमुख और बड़ी संख्या में देशों का योगदान इसमें होना चाहिए। अन्यथा, इस संधि का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : वहां अब कितने केंद्र हैं ? पहले दो केंद्र थे – मैत्रेयी और गंगोत्री।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : ये केंद्र वहाँ स्थापित हैं। मेत्रेयी दक्षिण स्थायी केंद्र है और गंगोत्री आपूर्ति केंद्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि क्या आप वहां तीसरा केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हम इन दोनों पर कार्य कर रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के मूल्य

***647 श्री अजय मुखोपाध्याय :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के विनिवेश के बारे में उनके शेयरों के मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित मानदण्ड तैयार किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो मानदण्ड किस आधार पर निर्धारित किये गये तथा क्या इस प्रयोजनार्थ विशेषज्ञों के निकाय स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). बिक्री हेतु शेयरों के मूल्य का निर्धारण सचिवों के एक प्रमुख (कोर) समूह द्वारा किया जाता है। यह प्रमुख (कोर) समूह इस उद्देश्य हेतु व्यावसायिक व्यापारिक बैंकरों की सेवाओं का लाभ उठाता है।

श्री अजय मुखोपाध्याय : महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रश्न का उचित उत्तर नहीं दिया गया है। दिये गये उत्तर में यह बताया गया है कि सरकार इस संबंध में सही स्थिति को छिपाना चाहती है। इसमें आगे यह बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के मूल्य निर्धारित करने के लिये कोई निश्चित मानदण्ड तैयार नहीं किये गये हैं और अभी भी उपनिवेश जारी है। और इस संबंध में नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक की गम्भीर आलोचना के बावजूद यह जारी है। तथापि मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि वे सचिव जो इस तथाकथित सचिवों के प्रमुख दल के सदस्य हैं, के नाम क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। नियमानुसार, सचिव, सभा में अपना बचाव नहीं पेश कर सकते हैं। अतः उनके नाम नहीं दिये जा सकते हैं और केवल पदनाम ही दिये जा सकते हैं।

श्री अजय मुखोपाध्याय : परन्तु यह गोपनीय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न करिये।

श्री अजय मुखोपध्याय : खैर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने महत्त्वपूर्ण मामले अर्थात् सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के शेयर मूल्यों को निर्धारित करने के आधार के संबंध में संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया है कि कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज कमेटी बनी है। उसमें वित्त सचिव, सचिव ऐक्सपेण्डीचर तथा पब्लिक ऐण्टरप्राइजेज, चीफ इकोनोमिक ऐडवाइजर रहते हैं, और कैबिनेट के द्वारा मोडेलिटीज़ के अनुसार ही कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने शेयर्स का मूल्य निर्धारित किया है। आई डी बी आई और आई सी आई सी आई द्वारा शेयर्स के बताए गए न्यूनतम दर का औसत लिया गया है। जहां तक इन्होंने कहा कि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो प्रक्रिया का बिल्कुल पालन किया गया है। अलग-अलग मर्चेण्ट बैंक्स द्वारा सभी कंपनी के शेयर्स की एक न्यूनतम राशि बताई गई और इसका एक औसत लिया गया और इसकी तुलना पूर्व में किए गए डिसइनवेस्टमेंट की अधिकतम राशि से की गई। दोनों राशियों में जो अधिक थी उसे मेक्सिमम रिजर्व प्राइस माना गया। बिड्ज़ प्राप्त होने के बाद मिनिमम रिजर्व प्राइस तय किया गया। ऐसा कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के द्वारा कैबिनेट से निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार किया गया।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या आपने इस मामले में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को पढ़ा है ?

श्री अजय मुखोपध्याय : नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि पहले और दूसरे दौर में अपनिवेशीकरण के संबंध में विभिन्न अनियमिततायें और धांधलियां हुई जिसके परिणामस्वरूप 3442 करोड़ रुपये तक के शेयर मूल्यों से कम प्राप्ति हुई। इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, सी.ए.जी. द्वारा बताया गया है कि लॉस नोशनल था, जिसे स्थापित नहीं किया गया है। माननीय वित्त मंत्री ने भी इस संबंध में विस्तृत चर्चा इस बिन्दु पर लोक सभा में अगस्त, 1993 में की थी। पी.ए.सी. ने पूर्व में किये गये डिस-इंवैस्टमैंट की जांच करके अपना प्रतिवेदन दिया है जो सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ। आज एक अल्प सूचना प्रश्न प्राप्त हुआ है। और श्री बसुदेव आचार्य प्रश्न करेंगे।

अल्प सूचना प्रश्न

12.01 म.प.

बोकारो इस्पात संयंत्र

3. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में हाल ही में कुछ श्रमिकों की मृत्यु हो गयी थी तथा कई अन्य घायल हो गये थे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भविष्य में इस तरह की मृत्यु न होने देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) 3 व्यक्ति मारे गये थे तथा 36 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनमें से 27 व्यक्तियों को अगले ही दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी। बाद में शेष अन्य सभी व्यक्तियों को भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी।

(ग) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने पटना एवम् मद्रास उच्च न्यायालयों के सेवा निवृत मुख्य न्यायाधीश, न्याय मूर्ति बी.एन. सिंह से युक्त एक जांच समिति गठित की है। समिति के विचारार्थ विषयों में ऐसे हादसों की पुनरावृति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देना भी शामिल है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने अभी तक यह नहीं बताया है कि दुर्घटना कैसे और क्यों हुइं यद्यपि एक सेवा निवृत न्यायाधीश द्वारा जांच करवाने के आदेश दे दिये गये हैं। यह बोकारो इस्पात संयंत्र में सर्वाधिक गम्भीर दुर्घटना हुई है। गैस के रिसाव के बारे में एक श्रमिक द्वारा प्रबंधन को बताया गया था, यह गैस जोकि जहरीली कारबन डाइ आक्साइड थी, पिछले 4 दिनों से रिस रही थी। इसके बावजूद प्रबंध द्वारा उस पाइपलाइन की मरम्मत करवाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसमें से गैस का रिसाव हो रहा था। गैस 2 कि.मी. तक फैल गई और उसके परिणामस्वरूप इतनी गम्भीर दुर्घटना हुई। इस बोकारों इस्पात संयंत्र को 1600 करोड़ रुपये खर्च करके आधुनिक बनाया जा रहा है और धमन भट्टी भी आधुनिक बनाई जा रहा है। बोकारो में 32 कि. मी. लम्बी पाइप लाइन है। इन पाइपलाइनों की 20 वर्ष पहले जांच की गइं थी। और इन 20 वर्षों के दौरान . ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य , आपका क्या प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर शीघ्र आये।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह प्रश्न अल्प सूचना का है। परन्तु पूरक प्रश्न कुछ लम्बा है।

श्री बसुदेव आचार्य : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि क्या दुर्घटना होने से चार दिन पहले से गैस का रिसाव हो रहा था और क्या इसके बारे में प्रबंध को किसी कर्मचारी द्वारा बताया गया था; और यदि हाँ, तो प्रबंध द्वारा पाइपलाइन की मरम्मत करवाने के लिये कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा प्रश्न है। अब आप बैठ जायें।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, जहाँ तक मुझे पता है कि लगातार गैस के रिसाव जैसी कोई जानकारी अधिकारियों के पास नहीं थी। उस दिन 1505 बजे गरज़ के साथ तूफान आया था और बिजली भी चमकी थी, और इसके परिणामस्वरूप डी वी सी से ग्रिड पर कार्य पूरी तरह भंग हो गया था और डी वी सी की अर्थ लाइन हमारी केप्टिव लाइन पर गिर पड़ी थी, जिससे केप्टिव विद्युत आपूर्ति में व्यवधान पड़ा था, जिस पाइप में गैस जा रही थी, उसमें दबाव पड़ा। पाइपलाइन टूट गई और इसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्यवश तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 36 लोग जिसमें से अधिकांश कैन्टीन में थे, घायल हो गये।

यह वास्तव में एक गम्भीर मामला है, और ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिये। यह तथ्य है कि सभी इस्पात संयंत्रों में गैस पाइप लाइन हैं हमने एक जांच समिति नियुक्त की है और वह इसकी जांच कर रही है। जांच समिति का कार्यक्षेत्र केवल गलती का पता लगाना ही नहीं है, बल्कि सुधारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देना भी है।

जहाँ तक मुझे पता है प्रत्येक 6 महीने बाद सभी गैस पाइपलाइनों की परीक्षण जांच होती है। इस मामले में भी तत्काल कार्यवाही की गई थी। तथापि, जैसाकि माननीय सदस्य कहते हैं, हमने इसे काफी गम्भीरता से लिया है, केवल बोकारो में ही नहीं, सभी इस्पात संयंत्रों में यह देखने के लिये जांच कर रहे हैं कि ऐसी दुर्घटना पुनः न हो। ग्रिड और केप्टिव से आ रही लाइनों को एक दूसरे से अलग-अलग किया जाना चाहिये। ताकि दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर न गिरे। हम इस दुघटना को टाल सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, यह सरकारी रिपोर्ट कि आंधी और तूफान के दौरान बिजली चमकने के बाद धमन भट्टी की संपर्क वाली पाइपलाइन से टकराने से गैस का रिसाव हुआ, सही नहीं है। तथ्य यह है कि गैस पिछले चार दिनों से रिस रही थी। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा नियुक्त जांच समिति के कार्य की शर्तें क्या हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा नियुक्त और कब तक इस समिति से अपना प्रतिवेदन देने को कहा गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या इसकी जांच करने के लिये कोई आन्तरिक या विभागीय जांच का भी आदेश दिया गया है ?

श्री संतोष मोहन देव : केवल इसी मामले में नहीं बल्कि कुछ अन्य मामलों में भी विभागीय जांच भी चल रही है। समिमि के कार्य की शर्तें इस प्रकार है? : -

1. दुर्घटना के कारणों की जांच करना और उपकरण और परिसम्पत्तियों के नुकसान का अनुमान लगाना।
2. ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उपचारी उपायों के बारे में सिफारिश करना ; और
3. यदि कोई जिम्मेदारी हो, तो उसे निश्चित करना।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

***643. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन आबंटनों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने 1992-93 के दौरान आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया है ;

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य के मामले में इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार का विचार उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के आबंटन में वृद्धि करने का है, जिन्होंने उक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग किया है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को किए जाते हैं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के अंतर्गत वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के लिए परिव्ययों तथा वर्ष 1992-93 के लिए व्यय के ब्यौरे राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) और (घ) सारणी उन राज्यों को दर्शाती है, जहां संशोधित आबंटनों के आंकड़ों की तुलना में एम.एन.पी. निधियों के उपयोग में कमी आई हैं। इन निधियों का उपयोग करना प्रत्येक राज्य सरकार का अपना-अपना दायित्व है।

(ङ) से (छ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकांश आबंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं में किए जाते हैं। राज्य योजना के समग्र आकार के भीतर, राज्य सरकारें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक निधियां आबंटित कर सकती है, तथा इन पर योजना आयोग द्वारा अनुकूल विचार किया जाता है। वस्तुतः, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजना के अन्दर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है, योजना आयोग द्वारा निधियों का निर्धारण होता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का पूर्णतः उपयोग न होने की स्थिति में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की केंद्रीय योजना सहायता में अनुपातिक कटौती होती है।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत परिव्यय तथा व्यय

(रुपये लाख में)

राज्य/संघ राज्य	1992-93			1993-94
	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	व्यय	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	10445	10913.00	17526.70+	19724.86
अरूणाचल प्रदेश	5646.00	5781.00	5063.47+	6209.00
असम	15157.00	16586.00	16139.86+	17712.00
बिहार	42522.00	22509.00	22485.00+	44395.00
गोआ	1416	1506.92	1449.58+	1035.00
गुजरात	18976.00	16718.72	19023.35	24094.00
हरियाणा	9261.00	7137.00	7428.17	8214.00
हिमाचल प्रदेश	10121.00	11804.00	10782.79+	7234.00
जम्मू और कश्मीर	9760.00	7956.00	9451.89	9603.00
कर्नाटक	19558.00	20718.00	31727.04	44373.00
केरल	5403.00	5194.00	4615.48+	6251.00
मध्य प्रदेश	28651.00	21059.00	17375.27+	26790.00
महाराष्ट्र	24081.60	25184.00	24400.30+	22662.00
मणिपुर	3544.00	3042.00	2691.19	4010.00
मेघालय	4499.00	4499.00	4566.52	5556.00
मिजोरम	3573.00	3572.00	3753.38	2687.00
नागालैण्ड	2221.00	1125.00	1593.54	1550.00
उड़ीसा	11821.00	10429.00	11252.00	11190.00
पंजाब	7266.00	3480.00	3802.62	5814.00
राजस्थान	18143.00	17430.00	22035.39*	22855.00

1	2	3	4	5
सिक्किम	2350.00	1922.64	1922.64*	2175.00
तमिलनाडु	18609.00	18750.00	23068.05	22212.00
त्रिपुरा	4527.00	4053.00	3837.84+	5312.00
उत्तर प्रदेश	44325.00	33715.00	41754.00	50710.00
पश्चिम बंगाल	16085.00	10429.00	4956.00	11187.00
अंडमान और निकोबार	1177.34	1177.34	1094.26+	1247.31
चंडीगढ़	213.00	213.00	497.48+	268.50
दादरा और नागरहवेली	195.79	195.79	273.35	292.80
दिल्ली	7465.10	6862.00	6767.00*+	8193.00
दमन व दीव	207.27	207.27	198.50+	218.05
लक्ष्यद्वीप	175.42	175.42	245.79	168.65
पाण्डिचेरी	766.00	890.00	783.08	1079.00
अखिल भारत	348160.52	294734.10	322561.53	395022.47

*प्रत्याशित व्यय

*+ संशोधानाधीन है।

+ उपयोग संशोधित परिव्यय से कम है।

भवन निर्मिति केन्द्र योजना

* **646. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास और शहरी विकास निगम (हडको) के अन्तर्गत भवन निर्मित केन्द्र योजना के उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) यह योजना कब शुरू की गई थी और इसके आरम्भ होने से अब तक प्रत्येक वर्ष कितने भवन निर्मिति केन्द्र स्थापित किए गए और 31 मार्च, 1994 को राज्य-वार कितने केन्द्र वास्तव में कार्य कर रहे थे ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ये केन्द्र राज्यवार कितने लाभप्रद रहे ;

(घ) क्या यह योजना कुछ राज्यों, विशेष रूप से पश्चिमोत्तर राज्यों में वस्तुतः आरम्भ ही नहीं हो पाई ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं ;

(च) क्या आवास और शहरी विकास निगम का विचार कुछ और भवन निर्मिति केन्द्रों को मंजूरी देने का है ; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) ''राष्ट्रीय भवन निर्मित नेटवर्क'' की केन्द्रीय प्लान स्कीम की शुरूआत जन-साधारण स्तर पर आवास निर्माण कौशल के उन्नयन, सस्ती तथा स्थानीय रूप से सुलभ व अपशिष्ट निर्मित भवन सामग्री के निर्माण, प्रयोग और प्रचार-प्रसार हेतु एक विकेन्द्रीयकृत व्यवस्था कराने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी।

(ख) योजना अगस्त, 1988 में आरम्भ की गई थी। भवन निर्मिति केन्द्रों की स्थापना में प्रगति के वर्षवार तथा 31.03.94 की स्थिति के अनुसार सक्रिय भवन निर्मिति केन्द्रों की राज्य वार संख्या क्रमशः संलग्न विवरण I और II में है।

(ग) ये भवन निर्मिति केन्द्र मुनाफाखोर की बजाय वित्तीय रूप से आत्म-निर्भर होंगे, ऐसी आशा है।

(घ) और (ङ) राज्यों का कार्य निष्पादन एक समान नहीं है। राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली ने जहां अच्छा कार्य किया है, वहीं अनेक उत्तरी व पश्चिमी राज्यों तथा अन्य राज्य पीछे हैं। राज्यों के इस असमान कार्य निष्पादन का पता राज्य सरकारों, उनकी एजेंसियों और जिला प्रशासनों के उदासीन भागीदारी प्रयासों और उपयोग से लगता है।

(च) और (छ) चालू वित्त वर्ष में हडको द्वारा 60 भवन निर्मिति केन्द्र, स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। यद्यपि राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है किन्तु जो राज्य पीछे हैं उन राज्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

विवरण - I

भवन निर्मिति केन्द्रों की स्थापना की वर्ष-वार प्रगति 31.3.1994 को।

वर्ष	केन्द्रों की संख्या	प्रशासनिक तौर पर स्वीकृत केन्द्रों की संख्या	कार्यरत केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4
1988-89	92	40	7
1989-90	51	20	35
1990-91	47	38	14
1991-92	83	68	28
1992-93	60	77	26
1993-94	30	60	47
योग	363	303	157

विवरण II

कार्यरत भवन निर्मिति केन्द्रों की राज्यवार संख्या 31.3.94 को

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	कार्यरत केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	केरल	16
2.	आंध्र प्रदेश	18
3.	कर्नाटक	13
4.	तमिलनाडु	23
5.	उत्तर प्रदेश	5
6.	राजस्थान	34
7.	मध्य प्रदेश	7
8.	पश्चिम बंगाल	1
9.	सिक्किम	-
10.	बिहार	5
11.	उड़ीसा	2
12.	असम	2
13.	अरूणाचल प्रदेश	-
14.	मेघालय	-
15.	मणीपुर	-
16.	मिजोरम	-
17.	त्रिपुरा	-
18.	महाराष्ट्र	13
19.	गोवा	-
20.	गुजरात	4
21.	हरियाणा	-
22.	पंजाब	1
23.	जम्मू व कश्मीर	1

1	2	3
24.	हिमाचल प्रदेश	-
25.	पांडिचेरी	2
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
27.	लक्ष्यद्वीप	-
28.	दिल्ली	9
	योग :	157

[हिन्दी]

ग्रामीण उद्योग

*** 648. श्री राम टहल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए राज्यवार कितना धन आबंटित किया गया ;

(ख) क्या इन उद्योगों के विकास के लिए यह धन पर्याप्त था ;

(ग) यदि, नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) इस विभाग द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिए आबंटित निधियां नीचे संलग्न विवरण में दी गई हैं। इसके अलावा, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के पिछड़े जिलों में अवसंरचना विकास योजना के अधीन 20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता के लिए 145 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं जिसके अधीन शिक्षित बेरोजगार युवाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अति लघु उद्यमों की स्थापना भी की जायेगी।

इसके अलावा, हस्तशिल्प, हथकरघा व रेशम-कीट पालन विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए भी निधियां आबंटित की जाती हैं। उद्योग, सेवा और व्यवसाय (आई एस बी) अवयव के अधीन ग्रामीण उद्योगों के लिए निधियां आई आर डी पी योजना के अधीन उपलब्ध करायी जाती हैं।

(ख) से (घ) खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिए आबंटित निधियां योजना आयोग द्वारा अनुमोदित आबंटन पर निर्भर करती हैं। इन निधियों में संस्थागत वित्त और विभिन्न योजनाओं के अधीन राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियां भी शामिल हो जाती हैं।

विवरण

राज्य सरकारों और खादी ग्रामोद्योगों को ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1990-91	1991-92	1992-93 (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1487.88	1049.41	1276.58
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	2.37
3.	असम	87.04	118.50	102.22
4.	बिहार	932.13	630.59	753.27
5.	गोवा	30.49	37.37	49.09
6.	गुजरात	986.10	550.16	1051.28
7.	हरियाणा	568.10	537.37	524.7
8.	हिमाचल प्रदेश	538.61	444.04	257.75
9.	जम्मू और कश्मीर	146.95	319.84	212.53
10.	कर्नाटक	920.97	765.08	1001.06
11.	केरल	925.85	467.95	907.65
12.	मध्य प्रदेश	250.27	588.02	575.75
13.	महाराष्ट्र	1122.29	1371.90	1676.76
14.	मणिपुर	233.78	69.15	107.06
15.	मेघालय	54.11	36.48	34.78
16.	मिजोरम	144.42	156.06	84.32
17.	नागालैंड	54.12	215.89	158.59
18.	उड़ीसा	392.09	335.54	536.10
19.	पंजाब	622.93	548.91	563.57
20.	राजस्थान	850.64	1299.86	818.08
21.	सिक्किम	52.42	38.16	-

22.	तमिलनाडु	2227.34	2009.21	2333.24
23.	त्रिपुरा	9.28	33.73	1.33
24.	उत्तर प्रदेश	3809.22	2806.59	4158.21
25.	पश्चिम बंगाल	627.32	787.63	554.35
संघ शासित क्षेत्र				
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	23.94	2.96	6.89
27.	चंडीगढ़	11.82	9.57	15.83
28.	दादरा और नागर हवेली	-	-	-
29.	दिल्ली	197.59	138.05	73.95
30.	दमन और दीव	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	-	-
32.	पांडिचेरी	15.08	0.79	7.61
विविध				
33.	विभागीय	1393.99	2216.36	731.94
34.	अन्य योजनाएं	673.54	1018.01	894.08
	योग	19190.31	18603.18	19471.21

[अनुवाद]

जनसंख्या नियंत्रण

*** 649. श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 अक्तूबर, 1993 को दिल्ली में आयोजित जनसंख्या नियंत्रण संबंधी विश्व विज्ञान शिखर सम्मेलन की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) शिखर सम्मेलन की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस शिखर सम्मेलन में भारत का क्या योगदान रहा ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) दुनिया के 58 अकादमियों द्वारा हस्ताक्षरित जनसंख्या वक्तव्य के सार की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) शिखर-सम्मेलन की सिफारिशें भारत सरकार के अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) शिखर - सम्मेलन का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (इन्सा) द्वारा दुनियां के तीन अन्य विज्ञान अकादमियों के साथ मिलकर किया गया था। शिखर-सम्मेलन में पांच जाने माने भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्यवाही के दौरान अपना योगदान दिया। "इन्सा" का प्रतिनिधित्व करते हुए 14 प्रतिनिधियों एवं प्रेक्षकों ने अलग-अलग प्रस्तुतियों एवं अंतिम सत्र के दौरान विचार-विमर्श में हिस्सा लिया।

विवरण

विश्व की वैज्ञानिक अकादमियों का जनसंख्या शिखर सम्मेलन

24-27 अक्तूबर, 1993 नई दिल्ली, भारत

जनसंख्या वक्तव्य का सार 58 अकादमियों द्वारा हस्ताक्षरित

दुनिया भर की अकादमियां आह्वान करती हैं सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय निर्णयकर्ताओं का, खास तौर पर 1994 के संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या तथा विकास पर अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस में भाग लेने वालों से कि वे अब बुद्धिमतापूर्ण कदम उठायें तथा विश्व स्तर पर जनसंख्या एवं जीवनयापन योग्य विकास के लिए एक एकीकृत नीति अपनायें।

समस्या

दुनियां एक अभूतपूर्व जनसंख्या विस्तार की ओर बढ़ रही है। एक जीवन-अवधि के दौरान ही दुनियां की जनसंख्या बढ़कर दुगुनी से ज्यादा 5.5 विलियन हो गई, तथा अगली शताब्दी के मध्य तक कम से कम जन्म दर के सबसे अधिक आशावादी परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए भी दुनियां की आबादी 7.8 विलियन के शिखर को छू लेगी। पिछले दशक में विश्व जनसंख्या बढ़ोतरी की तुलना में ज़मीनी तथा समुद्री दोनों का खाद्य उत्पादन घटा है।

मानवीय जनसंख्या, आर्थिक विकास तथा प्राकृतिक वातावरण के बीच जटिल रिश्ता होता है। तथा उसे अच्छे तरीके से नहीं समझा जाता हैं। इतना ही नहीं, इस बात में भी कोई शक नहीं कि पर्यावरण प्रणाली पर खतरा जनसंख्या के आकार तथा स्रोतों के दोहन से जुड़ा हुआ है। बढ़ता हुआ ग्रीन हाऊस गैस-उत्सर्जन, ओजोन का छीनना तथा अम्ल-वर्षा, जैव-विभिन्नता का नष्ट होना, वन का नष्ट होना तथा ऊपरी भू-सतह का क्षरण, पानी, खाद्य तथा ईंधन की कमी यह दर्शाते हैं, कि किस प्रकार प्राकृतिक प्रणालियों को उनकी सीमाओं की छोर तक धकेला जा रहा है।

विकसित देश, जहां दुनियां की एक तिहाई से भी कम आबादी रहती है, मैं दुनियां के उत्पादन व खनिज एवं जीवाश्म - ईंधन-खपत का 85 प्रतिशत चुकता है। धनी तथा गरीब दोनों ही देश औद्योगिक गतिविधियों, गलत कृषि-व्यवहारों, जनसंख्या के जमाव तथा अपर्याप्त व पारिस्थितिकी के बारे में बिना सोचे-समझे गतिविधियों के कारण वातावरण की गति में अपना योगदान देते हैं। इसके बावजूद कम विकसित देशों तथा संक्रमण से गुजर रहे देशों के लिए विकास एक जायज आशा है।

समाधान

हमारा साझा लक्ष्य है, वर्तमान तथा भावी दोनों ही पीढ़ियों के लिए, जिन्दगी के स्तर को बेहतर बनाना। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि मूलभूत मानवीय अधिकारों को बरकरार रखते हुए तथा एक संरक्षित पर्यावरण में सद्भावपूर्ण तरीके से रहने की क्षमता के साथ सामाजिक, आर्थिक तथा वैयक्तिक विकास को बढ़ाया जाये। सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरण की समस्याओं से जूझने के लिए हमें अपने बच्चों की जिन्दगी की अवधि के दौरान की शून्य जनसंख्या बढ़ोत्तरी की रफ्तार हासिल करनी होगी।

इन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है यदि समय रहते, राजनीतिक इच्छाशक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सूझबूझ भरा इस्तेमाल तथा मानवीय इनजेन्युटी का प्रयोग किया जाये, लेकिन यदि सिर्फ अभी आवश्यक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उपयुक्त नीति निर्धारित की जाये, तभी यह संभव है।

इस कार्य को हम कैसे पूरा करें ?

आवश्यकता है : -

* स्त्री और पुरुषों को यौन, सामाजिक तथा आर्थिक ज़िन्दगी में समानता के अधिकार प्राप्त हों जिससे कि परिवार के आकार के बारे में वे व्यक्तिगत निर्णय ले सकें ;
* परिवार-नियोजन तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक सबों की सुविधाजनक पहुंच, तथा गर्भनिरोधकों के कई सुरक्षित एवं सस्ते किस्मों के विकल्प का उपलब्ध होना ;
* परिवार-नियोजन को स्वैच्छिक रूप से अपनाये जाने को बढ़ावा तथा असुरखित एवं खतरनाक व्यवहारों की समाप्ति ;
* स्वच्छ जल, सफाई, मोटे तौर पर मूलभूत स्वास्थ्य सेवायें तथा शिक्षा ;
* दीर्घावीय पर्यावरणीय उत्तरदायित्वों को मान्यता देने वाली सही सरकारी नीतियां ;
* एक नई आचार-संहिता जो अनावश्यक उपभोग को अस्वीकार करती हो, के तहत विकसित देशों में अधिक क्षमता वाले तथा पर्यावरण को अपेक्षाकृत कम नष्ट करने वाले व्यवहारों का अपनाया जाना ;
* पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारण, कर निर्धारण तथा उपभोग पर अंकुश की नीतियां आदि तैयार करना जिससे कि उपभोक्ता-व्यवहार में परिवर्तन आये ;
* विश्वस्तरीय तथा स्थानीय पारिस्थितिकी की समस्याओं से जूझने में उद्योगीकृत देशों द्वारा विकासशील देशों की सहायता ;
* ''वातावरण के लिए प्रौद्योगिकी'' की परिकल्पना का प्रोन्नयन ;
* सरकारों द्वारा कानूनों, आर्थिक योजना तथा प्राथमिकता निर्धारण में वातावरण के लक्ष्यों को शामिल करना, तथा वातावरण की विषम परिस्थितियों में सुधार करने वाले संगठनों, व्यक्तियों को बढ़ावा ;

* सभी देशों द्वारा सामूहिक प्रयास समस्याओं की बेहतर समझदारी, विकल्पों तथा समाधानों, खासतौर पर जिन्हें नीचे दर्शाया गया है, के विकास में प्राकृतिक तथा सामाजिक वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, स्वास्थ्य व्यवसायिकों को अपनी भूमिका अदा करती है।
* प्रजनन-व्यवहारों, परिवार का आकार तथा परिवार नियोजन को प्रभावित करने वाले तथ्यों में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, कार्मिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक भूमिका,
* मानवीय विकास में बाधा पहुंचाने वाले तथ्यों, खासतौर पर सामाजिक असमानता, जाति, वर्ग तथा लिंग पूर्वाग्रहों की समाप्ति में भूमिका।
* विश्व-स्तरीय तथा स्थानीय वातावरण के परिवर्तन, इसके कारणों (सामाजिक, औद्योगिक, जनसंख्यात्मक तथा राजनीतिक) तथा उन्मूलन के लिए नीतियों के निर्णय में भूमिका।
* विशेष तौर पर महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शिक्षा तथा मानव-स्रोत-विकास में सुधार।
* परिवार-नियोजन कार्यक्रमों, नये गर्भ-निरोधक विकल्पों तथा मूलभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में भूमिका;
* ऐसी अर्थव्यवस्थाओं की ओर संक्रमण जिसमें कम ऊर्जा तथा पदार्थों की खपत होती हो,
* प्राकृतिक विज्ञानों, इंजीनियरी, औषधि, सामाजिक विज्ञानों, प्रबंधन तथा अंतरविषयी अध्ययनों के लिए विकासशील देशों में स्वदेशी क्षमता का विकास;
* जीवन-यापन योग्य विकास के लिए प्रौद्योगिकी तथा कार्य-नीति का निर्माण ;
* विश्व की साझी धाती की रक्षा करने के लिए नेटवर्कों, समझौतों तथा सम्मेलनों का आयोजन;
* शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान में विश्वभर के वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान।

निम्नलिखित संगठनों द्वारा शिखर सम्मेलन का वक्तव्य समाकृत किया गया है।

अकादमी ऑफ साइंस आफ अल्बानिया

आस्ट्रेलियन एकेडमी आफ साइंस

आस्ट्रियन एकेडमी आफ साइंसिस

बंगलादेश एकेडमी आफ साइंसिस

एकेडमी आफ साइंसिस आफ बेलास्स

नेशनल एकेडमी आफ साइंसिस आफ बोलिवियां

ब्राजिलियन एकेडमी आफ साइंसिंस

बल्गारियन एकेडमी आफ साइंसिस

रायल सोसाइटी आफ कनाडा

कैरिबियन एकेडमी आफ साईंसिस

चाइनीज एकेडमी आफ साईंसिस

कोलम्बियन एकेडमी आफ एक्जेक्ट, फिजिकल एण्ड नेचुरल साइंसिस

क्रोआटियन एकेडमी आफ साइंस एण्ड आर्टस

क्यूबन एकेडमी आफ साईंसिस

एकेडमी आफ साईंसिस आफ दि चैक रिपब्लक

रायल डैनिश एकेडमी आफ साईंसिस एण्ड लैटर्स

एकेडमी आफ साईंटिफिक रिसर्च एण्ड टैक्नोलोजी इजिप्ट

एस्टोनियन एकेडमी आफ साइंसिस

फेडरेशन आफ एशियन साइंटिफिक एकेडमीज एण्ड सोसाइटिज

डेलिगेशन आफ दि फिनिश एकेडमीज आफ साइंस एण्ड लैटर्स

फ्रैंच एकेडमी आफ साईंसिस

कान्फ्रेस आफ दि जर्मन एकेडमीज आफ साईंसिस

धाना एकेडमी आफ आर्टस एण्ड साइंसिस

एकेडमी आफ एथेंस, ग्रीक

हंगरियन एकेडमी आफ साइंसिस

इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी

इजराइल एकेडमी आफ साईंसिस एण्ड ह्यूमैनिटिस

कजाकिस्तान नेशनल एकेडमी आफ साईंसिस

रायल साईंटिफिक सोसाइटी, जारडॅन

कीनिया नेशनल एकेडमी ऑफ साईंसिस

नेशनल एकेडमी आफ साईंसिस, रिपब्लिक आफ कोरिया

लात्वियन एकेडमी आफ साईंसिस

लिन्थुआनियन एकेडमी आफ साइंसिस

मेकेडोनियन एकेडमी आफ साइंसिस एण्ड आर्टस

मलेशियन साईंटिफिक एसोसिएशन

नेशनल एकेडमी आफ साईंसिस, मैक्सिको

एकेडमी आफ साइंसिस आफ मालदोवा

मंगोलियन एकेडमी आफ साइंसिस

एकेडमी आफ दि किंगडम आफ मोरक्को

रायल नेपाल एकेडमी आफ साइंस एण्ड टैक्नोलोजी

रायल नीदरलैण्डस एकेडमी आफ आर्टस एण्ड साइंसिस

नाइजिरियन एकेडमी आफ साइंसिस

नार्वेजियन एकेडमी आफ साइंस एण्ड लैटरस

पाकिस्तान एकेडमी आफ साइंसिस

नेशनल एकेडमी आफ साइंस एण्ड टैक्नोलोजी, फिलिपिन्स

रोमानियन एकेडमी आफ साइंसिस

रशियन एकेडमी आफ साइंसिस

स्लोवेनियन एकेडमी आफ साइंसिस एण्ड आर्टस

रायल स्विडिश एकेडमी आफ साइंसिस

कान्फ्रैस आफ दि स्विस साइंटिफिक एकेडमीज

थर्ड वर्ल्ड एकेडमी आफ साइंसिस

युगाण्डा नेशनल एकेडमी आफ साइंज एण्ड टैक्नोलोजी

यूक्रेनियन एकेडमी आफ साइंसिस

रायल सोसाइटी आफ लंदन

नेशनल एकेडमी आफ साइंसिस आफ दि यूनाइटिड स्टेटस आफ अमेरिका

नेशनल एकेडमी आफ फिजिक्स, मैथेमेटिक्स एण्ड नेचुरल साइंसिस आफ वैनेजुएला

योजना निवेश

***650. श्री फूल चन्द वर्मा :**

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों ने 1993-94 के दौरान योजना निवेश के अपने लक्ष्य प्राप्त नहीं किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) 1993-94 के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध में अन्य राज्यों की स्थिति क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग). वार्षिक योजना 1993-94 के लिए राज्यवार अनुमोदित परिव्यय और वार्षिक योजना 1993-94 के लिए अनुमोदित परिव्यय पर संशोधित परिव्यय में प्रतिशत भिन्नता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वार्षिक योजना - 1993-94 अनुमोदित/संशोधित परिव्यय - राज्य

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	वार्षिक योजना- 1993-94		
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	प्रतिशत भिन्नता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1851.00	1851.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	290.00	263.91	-9.00
3.	असम	1027.00	872.00	-15.09
4.	बिहार	2300.00	750.00	-67.39
5.	गोआ	170.00	144.50	-15.00
6.	गुजरात	2137.00	1900.00	-11.09
7.	हरियाणा	920.00	839.08	-8.80
8.	हिमाचल प्रदेश	560.00	562.82	0.50
9.	जम्मू व कश्मीर	880.00	684.00	-22.27
10.	कर्नाटक	3025.00	3025.00	0.00
11.	केरल	1000.00	1019.77	1.98
12.	मध्य प्रदेश	2400.00	2018.21	-15.91
13.	महाराष्ट्र	3804.00	3832.80	0.76
14.	मणिपुर	230.00	174.84	-23.98
15.	मेघालय	281.00	281.00	0.00
16.	मिजोरम	185.00	181.90	-1.68
17.	नागालैण्ड	203.50	168.41	-17.24

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	1450.00	1095.19	-24.47
19.	पंजाब	1250.00	1140.00	-8.80
20.	राजस्थान	1700.00	1704.76	0.28
21.	सिक्किम	120.00	100.12	-16.57
22.	तमिलनाडु	2101.00	2102.21	0.06
23.	त्रिपुरा	310.00	220.03	-29.02
24.	उत्तर प्रदेश	4050.00	2800.00	-30.86
25.	पश्चिम बंगाल	1550.00	1020.94	-34.13

विश्व बैंक का ऋण

* **651. श्री एम.वी.वी.एस.मूर्वि :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन के लिए ऋण देने का वायदा किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विश्व बैंक ने कितना ऋण देने का प्रस्ताव किया है ; और

(घ) किन-किन उपक्रमों को पुनः चालू किया जायेगा/पुनर्गठित किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं।

(ख) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उर्वरक संयंत्र

* **652. प्रो उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र का प्रत्येक उर्वरक संयंत्र इस समय कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग करता है;

(ख) इन संयंत्रों द्वारा कम क्षमता का उपयोग किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या वर्ष 1994-95 के दौरान इन संयंत्रों की क्षमता का उपयोग बढ़ाने के लिए इनके आधुनिकीकरण की किन्हीं योजनाओं को कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उर्वरक संयत्रों में क्षमता उपयोगिता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) उर्वरकों के उत्पादन में रत सार्वजनिक क्षेत्र की 8 प्रमुख उर्वरक कम्पनियों में से 1993-94 के दौरान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एच.एफ.सी.) के एककों में निम्न क्षमता उपयोगिता मुख्यतः डिजाइन/उपस्कर कमियों, बारम्बार उपस्कर खराबियों, दीर्घावधि पावर कटौतियों, संयंत्रों के पुरानेपन, नकदी की समस्याओं आदि के कारण हुई। मद्रास फर्टिलाइजर लि. (एम.एफ.एल.) में निम्न क्षमता उपयोगिता वर्ष के पुर्वाद में कच्चे पानी के प्रतिबन्धों के कारण थी। पारादीप फास्फेट लि. (पी.पी.एल.), पाइराइट्स फास्फेट एण्ड कैमिकल्स (पी.पी. सी.एल.) तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य फास्फेटिक उर्वरक उत्पादक एककों में निम्न क्षमता उपयोगिता अगस्त 1992 में अनियंत्रण के पश्चात् फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि के कारण कम उठान तथा आयातित डी ए पी के मूल्य की तुलना में उच्चतर उत्पादन लागत के कारण हुई।

(ग) और (घ) एच.एफ.सी. और एफ.सी.आई. को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा रूग्ण घोषित किया गया है। उनके एककों के आधुनिकीकरण/पुर्नरुद्धार के संबंध में कोई भी कार्रवाई बी आई एफ आर, जो कि न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लंबित पड़ी कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।

निम्न क्षमता उपयोगिता वाले अन्य एककों के सम्बन्ध में, 1994-95 के दौरान कार्यान्वयन के लिए निम्न लिखित आधुनिकीकरण / पुर्नरुद्धार योजनाएं शामिल की गयी हैं, उनके अनुमोदित परिव्यय प्रत्येक के समक्ष दर्शाये गये हैं : -

कम्पनी का नाम	1994-95 के लिए निर्धारित राशि (रुपये करोड़)	प्रयोजन
1. एम एफ एल	244.63	संयंत्रों का पुर्नरूद्धार
2. फैक्ट	105.49	अमोनिया प्रतिस्थापन परियोजना तथा अन्य आधुनिकीकरण परियोजनाएं

उपस्करों की सामान्य मरम्मत/प्रतिस्थापन तथा अन्य लघु पुर्नरूद्धार योजनाओं के लिए, वर्ष 1994-95 के दौरान निम्नलिखित राशियां निर्धारित की गयी हैं : -

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	राशि (रुपये करोड़)
1. एफ सी आई	17.50
2. एच एफ सी	15.55
3. पी पी सी एल	2.02
4. पी पी एल	5.00

विवरण

1993-94 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों में क्षमता उपयोगिता के ब्यौरे।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/एकक का नाम	प्रतिशत क्षमता उपयोगिता (1993-94)	
	नाईट्रोजन	फास्फेट
1	2	3
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. :		
नांगल-I	83.1	-
नांगल-II	106.3	-
भटिण्डा	100.1	-
पानीपत	101.1	-
विजयपुर	121.0	-
राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.		
ट्राम्बे	93.1	101.1
ट्राम्बे-IV	73.7	73.7
ट्राम्बे-V	74.5	-
थाल	90.4	-
फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि.		
उद्योग मण्डल	62.7	78.3
कोचीन-I	73.4	-
कोचीन-II	93.0	78.3

1	2	3
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	56.3	73.4
पारादीप फास्फेट लि.	53.3	53.5
पाइराइट्स, फास्फेट एण्ड कैमिकल्स लि.	-	49.0
फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.		
सिन्दरी	51.2	-
गोरखपुर	0.0	-
रामागुण्डम	38.9	-
तलचर	25.1	-
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि.		
नामरूप - I	0.0	-
नामरूप-II	2.2	-
नामरूप-III	47.5	-
दुर्गापुर	12.4	-
बरौनी	6.6	

जर्मनी द्वारा निवेश

***653. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**

श्रीमती वंसुधरा राजे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी की कुछ कंपनियों ने भारत में निवेश के लिए कोई शर्तें रखी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या निवेश बढ़ाने और परस्पर सुरक्षा के लिए भी कोई समझौता किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन

***654. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का व्यापक और गहन मूल्यांकन अध्ययन करता है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किए गए मूल्यांकन अध्ययनों और प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किए जाने वाले अध्ययन का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों (1991-92, 1992-93 तथा 1993-94) के दौरान आयोजित मूल्यांकन अध्ययनों तथा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के ब्यौरे ।

मूल्यांकन अध्ययन का नाम	वर्ष	
	आयोजित	प्रस्तुत
1. जवाहर रोजगार योजना - एक त्वरित अध्ययन	1991-92	1991-92
2. इन्दिरा आवास योजना - एक त्वरित अध्ययन	1992-93	1992-93
*3. बिहार में चरवाहा विद्यालय - एक प्रारंभिक टिप्पणी	1992-93	1992-93
*4. कर्नाटक में विश्व कार्यक्रम-एक प्रारंभिक टिप्पणी	1992-93	1992-93
*5. महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी स्कीम - एक प्रारंभिक टिप्पणी	1992-93	1993-94
6. तमिलनाडु में डब्ल्यू जी डी पी पर मूल्यांकन रिपोर्ट - एक संयुक्त अध्ययन	1992-93	1993-94
7. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम का अध्ययन	1992-93	प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
8. पारम्परिक मछुहारों के रहन-सहन की स्थितियों पर मछली बन्दरगाह परियोजनाओं का प्रभाव	1993-94	-वही-

9. डान्स, ड्रामा और थियेटर सँमवेत अभिनय - को वित्तीय सहायता स्कीम - एक त्वरित अध्ययन	1993-94	अप्रैल, 1994
10. महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम पर संयुक्त अध्ययन	1993-94	प्रारूप तैयार किया जा रहा है।
11. पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आर पी डी एस)	1994-94 के दौरान आयोजित किया जा रहा है।	-

* सरकारी प्रयोग के लिए

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान शुरू करने के लिए प्रस्तावित अध्ययन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में से ये क्षेत्र हैं : गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, महिला विकास, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक तथा प्रौढ़ शिक्षा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विकास तथा सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा का उन्मूलन। चालू वर्ष (1994-95) के दौरान पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर अध्ययन पहले ही शुरू किया जा चुका है।

[हिन्दी]

जीवन रक्षक औषधियां

*** 655. श्री राजेश कुमार :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन रक्षक औषधियों का बड़ी संख्या में आयात किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो औषधियों के आयात पर प्रतिवर्ष कुल कितना व्यय किया जाता है; और

(ग) इन औषधियों का देश में उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मन्त्री (श्री रामलखन सिंह यादव) : (क) से (ग). जहां तक जानकारी उपलब्ध है, वर्ष 1992-93 में 1250 करोड़ रुपये मूल्य की प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों का आयात किया गया था। इस अवधि में देश से 1400 करोड़ रुपये मूल्य की प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों का निर्यात किया गया था।

औषध नीति का एक मुख्य उद्देश्य औषधों के उत्पादन के लिए स्वदेशी क्षमता को सुदृढ़ बनाना है। भारतीय भेषज उद्योग ने पिछले तीन-चार दशकों में बहुत प्रगति की है और यह उद्योग देश में दवाइयों की लगभग सम्पूर्ण जरूरतें पूरी करता है।

[अनुवाद]

बाल विवाह

*** 656. डा. के.वी.आर. चौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्य-वार बाल विवाह के कितने मामले दर्ज किये गये ;

(ख) क्या कुछ राज्यों में बाल विवाह के मामलों में वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। वह राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 को वर्ष 1978 में यह उपबंधित करने की दृष्टि से संशोधित किया गया था कि इस अधिनियम के अधीन अपराध, अन्वेषण के प्रयोजन के लिए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 42 में निर्दिष्ट मामलों (नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी) से भिन्न सभी मामलों और मजिस्ट्रेट के वारन्ट के बिना या आदेश के बिना किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के प्रयोजन के लिए संज्ञेय होंगे। इस संबंध में इस समय कोई और उपाय अनुध्यात नहीं हैं। बाल विवाह प्रथा की समाज के कुछ वर्गों के बीच गहरी जड़ें व्याप्त हैं और मात्र विधान से ही इस प्रथा को रोकने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान से ही इस प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन किया जा सकता है।

कम लागत वाला स्वच्छता कार्यक्रम

***657. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम लागत वाला समेकित स्वच्छता कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान कम लागत वाले स्वच्छता कार्यक्रम के धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) योजना का लक्ष्य शुष्क शौचालयों अथवा खुले स्थानों पर शौच धुलाई में लगे व्यक्तियों को पूर्णतः मुक्त करना तथा स्थानीय दशाओं के अनुकूल समुचित दूरी पर दो गड्ढे वाले सस्ते प्रवाही फ्लैश शौचालयों का निर्माण परिवर्तन करना है। इससे मैला ढोने वालों की मुक्ति होगी और फिर उनका कल्याण मंत्रालय की सहायता से पुनर्वास किया जाएगा। योजना समग्र शहर आधार पर चलायी गयी है। ताकि प्रति वर्ष 500 शहरों को

शामिल किया जा सके। इसका कार्यान्वयन केन्द्र सरकार की सब्सिडी और हडको ऋण के उचित समजस्य से हडको द्वारा निम्नलिखित वित्त पद्धति से किया जा रहा है : -

	सब्सिडी	ऋण	लाभार्थी अंशदान
गरीबी वर्ग	45 प्रतिशत	50 प्रतिशत	5 प्रतिशत
निम्न आय वर्ग	25 प्रतिशत	60 प्रतिशत	15 प्रतिशत
मध्य आय वर्ग/उच्च आय वर्ग	शून्य	75 प्रतिशत	25 प्रशित

हडको 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण दे रहा है। ऋण की वसूली 7 वर्ष में की जाती है। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की मंजूरी के लिए शहरी विकास मंत्रालय में एक समन्वय समिति है। योजना के कार्यान्व्यन के लिए राज्यवार धनराशि आबंटित नहीं की जाती है। स्वीकृत की जाने वाली धनराशि परिवर्तित/निर्मित किये जाने वाले शौचालयों की संख्या के संदर्भ में स्थानीय निकायों से राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त वार्षिक प्रस्तावों पर निर्भर करती है।

(ग) केन्द्र सरकार को ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

***658. श्री एस.एम. लालजान बाशा**

डा. साक्षीजी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों को लघु/छोटे जल विद्युत संयंत्रों/परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराती हैं ;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितना धन आबंटित कियां गया ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थापित ऐसे संयंत्रों/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संयंत्रों/परियोजनाओं के लिए 1994-95 के दौरान कितना धन आबंटित किया जाएगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केन्द्रीय सरकार सामान्यतया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए ब्लॉक योजना सहायता उपलब्ध करा रही है। यह सहायता विशिष्ट सैक्टरों/परियोजनाओं/स्कीमों के लिए उपलब्ध नहीं कराई जाती जब तक कि राज्यों द्वारा सूचित किए गए अनुसार ''विशेष समस्याएं'' मानदंड के तहत वर्गीकृत और आबंटित न की जाएं। इसके अतिरिक्त, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) इलैक्ट्रीकल और मैकेनिकल उपस्करों पर स्थाई पूंजी लागत के 50 प्रतिशत तक और सिविल निर्माण कार्य को प्रदर्शन आधार पर कवर करने के लिए 3 मेगावाट तक की लघु/मिनि हाइडल परियोजनाएं, ग्रिड अथवा गैर-ग्रिड, स्थापित करने हेतु पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराता है।

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान लघु हाइड्रो विद्युत विकास के लिए गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को 100 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, 13 राज्यों में (ब्यौरे संलग्न विवरण I, I-क, और II) में दिए गए हैं। लघु हाइडल विद्युत परियोजनाओं के लिए 76 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है।

(घ) उपरोक्त कार्यक्रम के लिए 1994-95 के दौरान गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विवरण - I

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान परियोजना आरम्भ की गई 3 मेगावाट तक की लघु हाइड्रो स्कीम के ब्यौरे

(कि.वा.)

		1991-91	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1000	2000	1000
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	2100	-
3.	गुजरात	-	-	2000
4.	कर्नाटक	-	2000	-
5.	मध्य प्रदेश	670	-	-
6.	महाराष्ट्र	2000	-	-
7.	मिजोरम	515	465	-
8.	नागालैण्ड	418	-	-
9.	उड़ीसा	-		1150
10.	राजस्थान	-	650	1200
11.	सिक्किम	200	-	-
12.	तमिलनाडु	-	2750	-
13.	उत्तर प्रदेश	260	2100	-
	जोड़	5063*	12065*	5350*

* स्कीमवार ब्यौरे विवरण I (क) में दिये गये हैं।

विवरण- I (क)

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान आरम्भ की गई लघु हाइड्रो स्कीम के राज्यवार ब्यौरे

(क्षमता कि.वाट में)

1991-92

I.	**उत्तर प्रदेश**	
1.	खेत	100.00
2.	बिलकोट	50.00
3.	नैलुई	50.00
4.	कैंप्टी फाल	10.00
5.	डायर	50.00
		260.00
(II)	**सिक्किम**	
1.	लाचिनिंग	200.00
(III)	**नागालैण्ड**	
1.	किथावरी	200.00
2.	जूलंदी	218.00
		418.00
(IV)	**मिजोरम**	
1.	लाओ	15.00
2.	टुटकरी	500.00
		515.00
(V)	**महाराष्ट्र**	
1.	धोम	2000.00
(VI)	**मध्य प्रदेश**	
1.	मोंख	670.00
	II और III	

(VII) **आंध्र प्रदेश**

1.	चेटलीपेट्टा	1000.00

1992-93

उत्तर प्रदेश

1.	कचांटी	2000.00
2.	खोखटा	50.00
3.	चाघरिया	50.00
		2100.00

तमिलनाडु

1.	मारावकांडी	750.00
2.	पुनाची	2000.00
		2750.00

राजस्थान

1.	पुगल	650.00

मिजोरम

1.	तुईसुम्पुई	450.00
2.	तुईदाम	15.00
		465.00

कर्नाटक

1.	सिरवार	1000.00
2.	गनेकाक मिल्स	1000.00
		2000.00

अरुणाचल प्रदेश

1.	सिसिरी	500.00
2.	टिंगकोईंग	100.00
3.	सैस्सा	1500.00
		2100.00

आंध्र प्रदेश

1.	पालेयर	2000.00
		12015.00

1993-94

राजस्थान

1.	चारनवाला	1200.00

उड़ीसा

1.	किउदुपलना	500.00
2.	बिबाती	650.00

गुजरात

1.	पानाम	2000.00

आंध्र प्रदेश

1.	काकटिका कैनाल	1000.00
		5350.00

विवरण - II

1991-92 से 1993-94 के दौरान आरम्भ की गई लघु पन बिजली परियोजनाएं

(3 मेगााट से अधिक और 15 मेगावाट तक की क्षमता)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थापित क्षमता (मे.वाट)	इन वर्षों के दौरान प्राप्त क्षमता (मे.वाट) 1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5	6
1.	सूरतगढ़ (राजस्थान)	2×2	4	-	-
2.	मंगरोल (राजस्थान)	3×2	6	-	-
3.	वाराही (र्मानदाम)	2×4.5	-	9	-
4.	मल्लारपुर (कर्नाटक)	2×4.5	-	-	9

5.	सोन पश्चिम कैनाल (बिहार)	4×1.65	-	4.95	1.65
6.	ऊपरि रोमनीचू (सिक्किम)	4×2	-	4	4
7.	मायोंगचू (सिक्किम)	2×2	-	4	-
8.	टागो (अरुणाचल प्रदेश)	3×1.5	3	-	-
9.	मन्नियार (प्राइवेट) (केरल)	3×4	-	-	
		कुल	13	21.95	18.65

पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र

***659. डा. असीम बाला :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए क्या-क्या न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ;

(ख) क्या इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए कोई नई कार्य योजना आरम्भ की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) पूर्वी क्षेत्र में, जिसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जिसमें अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं, उपलब्ध औद्योगिक विकास में उपलब्ध सहायक आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :

अधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं	संदर्भ अवधि	क्षेत्र पूर्वी	उत्तर पूर्वी
1. सड़क की लम्बाई (000 कि.मी.)	1987-88	337.7	104.8
2. रेलमार्ग की लम्बाई (किमी)	1991-92	11133	2525
3. प्रमुख पोर्ट	1993-94	2	-

4. जंक्शनों सहित सीधी टेलीफोन एक्सचेंज लाईनें	1991-92	281135	81126
5. संस्थापित सृजन क्षमता (जन उपयोगिताएं मेगावाट)	1992-93	6607	859
6. अनुसूचित व्यावसायिक बैंक कार्यालयों की संख्या	मार्च 1993	11263	1873

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मूल आंकड़े : राज्य, सितम्बर, 1993 सी एम आई ई।

(ख) और (ग) पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमों का पालन किया जा रहा है। विकास केन्द्र स्कीम, 1988 के तहत विद्युत, जल, परिवहन, दूरसंचार, बैंकिंग आदि बुनियादी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं सहित विकास केन्द्रों का विकास किया जा रहा है ताकि वे उद्योगों को आकर्षित करने में समर्थ हो सकें। पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम्य क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कच्चे माल और तैयार सामान को निर्दिष्ट प्रमुख रेलवे स्टेशनों/बन्दरगाहों से औद्योगिक ईकाइयों के स्थान तक और दूसरी ओर से लाने और ले जाने के लिए व्यय की गई परिवहन लागतों के लिए 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी परिवहन सब्सिडी स्कीम के तहत उपलब्ध कराई जाती है। यह स्कीम पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चालू है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और कुछ अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में नई इकाइयां स्थापित करने के लिए 1993-94 के बजट में पांच वर्ष के लिए आयकर छूट उपलब्ध कराई गई थी। औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों/अंचलों में एकीकृत आधारभूत संरचनात्मक विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए भी सरकार ने एक स्कीम अनुमोदित की है। जिसमें भूमि/प्लाटों का विकास, सड़कों का निर्माण, नाले, जल की व्यवस्था, विद्युत वितरण नेटवर्क, अपगामी निरूपण और निपटना प्रणाली, दूरसंचार संचार सुविधाएं बैंक, डाकघर आदि शामिल हैं।

"इन्वेस्टमार्ट" 1994

*** 660. श्री चन्द्रेश पटेल :**

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में यूनिडो के सहयोग से "इन्वेस्टमार्ट" 1994 का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्मेलन में भाग लेने वालों का देशवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) इसमें किन-किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ङ) सम्मेलन के क्या परिणाम रहे ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी हां। भारत "इन्वेस्टमार्ट" 94 का आयोजन संयुक्त रूप से भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूनिडो) द्वारा भारत में प्रमुख औद्योगिक संघों तथा पूंजी निवेश संवर्धन कार्यालयों के विश्व-व्यापी नेटवर्क के सहयोग से किया गया था। भारत "इन्वेस्टमार्ट" यूनिडो द्वारा इस समय कार्यान्वित किये जा रहे एकीकृत निवेश कार्यक्रम का भाग है।

(ग) भारत इन्वेस्टमार्ट में निम्नलिखित विदेशियों ने भाग लिया : -

- संलग्न विवरण के अनुसार 33 देशों की 180 से अधिक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 165 विदेशी।
- चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज से 10 विदेशी।
- विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 प्रतिभागी।
- यूनिडो निवेश संवर्धन सेवा कार्यालयों तथा यूनिडो मुख्यालय सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 28 प्रतिभागी।
- भाग लेने वाले भारतीयों में 195 परियोजना प्रायोजक तथा 16 अन्य व्यक्ति शामिल थे, जिन्होंने निजी कम्पनियों और राज्य स्तर के औद्योगिक विकास तथा संवर्धन संगठनों का प्रतिनिधित्व किया।

(घ) और (ङ) इन्वेस्टमार्ट के दौरान विदेशी कम्पनियों तथा भारतीय परियोजना प्रायोजकों के बीच 70 आशय पत्रों पर हस्ताक्षर किये गये ताकि संयुक्त सहयोग प्रबंधों को गंभीरता से जारी रखा जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार इन आशय पत्रों के संबंध में सूचना को गुप्त रखा जाना चाहिए जब तक कि संबंधित पार्टियां संयुक्त उद्यम करारों को अन्तिम रूप न दे दें।

विवरण

इंडिया इन्वेस्टमार्ट में विदेशी भागीदारों के ब्यौरे

	देश भागीदार का नाम	पता	व्यवसाय चर्चा हेतु परियोजना
	आस्ट्रेलिया		
1.	मि. पेनिंगर वाल्टर	क्लफ रिर्सोसेस पैसीफिक लि. 5वीं मंजिल, वाकर स्ट्रीट नार्थ सिडनी एनएसडब्ल्यू 2060 टेली : 957-2644 फैक्स : 954-0459	धातुकर्मी परियोजनाएं

2.	मि.ए.के. द्विवेदी डाक्टर	साइंटिफिक टेक यूनिवर्सिटी क्वीनज़लैंड, औषधि विभाग टेली : 07-3655445 फैक्स : 07-36655462 नई दिल्ली में संपर्क : बी ई-5सी मुनिरका, नई दिल्ली	चिकित्सा
3.	जिम केनन निदेशक	केनन कंसल्टींग प्रा. लि. लेवल 24,333 कॉलिन्स स्ट्रीट मेलबॉर्न विक 3000 टेली : 613 1214 फक्स : 61 3 613 1255	व्यापार और पूंजी निवेश में परामर्श-आस्ट्रेलिया भारत-सिंगापुर, खाद्य प्रसंस्करण
4.	प्रफुल पटेल	कोलंबस एंड कुक, लेवल 5, 53 वाकर स्ट्रीट, नार्थ सिडनी आस्ट्रेलिया टेली : 02-957-2644 फैक्स : 02-954-0459	
	बेल्जियम		
5.	मि. मोहन आर. बाजीकर	एसोसिएशन मोमेन्टेनी आईसीसी टीटी 242, एवी.एफ. रूजवेल्ट, 1050 ब्रुसेल्स, बेल्यिजम टेली : 322-672-0090 फैक्स 322-672-6227	अंतर्राष्ट्रीय
6.	मि. निकोऊ कार्लीन	यूरीनट्रेड इंटरनेशनल 181 च.डे ला हल्पे, बीटीई 12, 1170 ब्रुसेल्स टेली : 32-2-660 19 10 फैक्स : 32-2 675 33 89 टेलैक्स : 26639 यूट्रा बी	इंड/002,इंड/192, इंड/201, इंड/212, इंड/213, इंड/214 इंड/215, इंड / 221, इंड/230, इंड/233 इंड/234

7.	मि. डी.एन माथुर, वरिष्ठ कार्यकारी	यूरीनट्रेड इंटरनेशनल 181 च.डे ला हल्पे बीटीई 12, 1170 ब्रुसेल्स टेली : 32-2-660 19 10 फैक्स : 32-2-675 33 89 टैलेक्स : 26639 यूट्रा बी	
8.	डा. एस.के. नायडु निदेशक	ईएमडीए बेल्जियम-लक्ज़मबर्ग 117 रूट डे स्टाबरलेट एल-9991 विसवेमपैक टेली : 352-979-436 फैक्स : 352-979-438	प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पूंजीनिवेश संवर्धन इंड/061, इंड/064, इंड/070 इंड/077, इंड/080 इंड/081, इंड/084 इंड/086, इंड/091 इंड/093, इंड/095, इंड/096, इंड/100, इंड/101, इंड/155 इंड/166, इंड/170 इंड/187, इंड/228, इंड/005
9.	मि. पी.के. शास्त्री परामर्शदाता	यूरीनट्रेड इंटरनेशनल 181 च.डे ला हल्पे, बीटीई 12 1170 ब्रुसेल्स टेली : 32-2-660 19 10 फैक्स : 32-2-675 33 89 टैलेक्स : 26639 यूट्रा बी	
कनाडा			
10.	मि. बॉब अरोड़ा	प्रसारा इंटरप्राइज़ेज लि. 1610 मिडलैंड एवी. स्कारबोर्ड, एन्ट एमआईपी 302 टेली : 416-732-9300	इंड/022

		फैक्स : 416-285-9000	
11.	मि. प्रजेश चानना	प्रसारा इंटरप्राइजेज लि. 1610 मिडलैंड एवी. स्कारबोर्ड, एन्ट एमआईपी 302 टेली : 416-732-9300 फैक्स : 416-285-9000	इंड/022
12.	मि. चन्द्र खुराना निदेशक	मेट केम कनाडा वर्शाली, यशवंत प्लेस चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 टेली : 91-11-600 048 फैक्स : 91-11-688 2467	खनन, इस्पात
13.	मि. ए.जी. मार्शल परियोजना प्रबंधक	मेट-केम कनाडा, इंक 425, बुलीबर्ड डे, मैसोनेव क्वेस्ट, सूट 401 मॉन्ट्रियल क्यूबेक, कनाडा एच 3 ए 3 जी 5 टेली : 1-514-288-5211 1-514-369-3169 फैक्स : 1-514-288-7937 टेलेक्स : 055-62093	धातुकर्म, रसायन तथा संबंद्ध

चीन

14.	मिस.झांग रूईंग	चाइना नेशनल केमिकल कंस्ट्रक्शन कार्पो. बिल्डिंग नं. 16, किक्यू हैपिंग्ली बीजिंग 100013 टेली : 00861-421-4043 फैक्स : 00861-421-5982	इंड/187, इंड/194 इंड/203, इंड/212 इंड/213, इंड/214 इंड/215, इंड/217, इंड/220 इंड/223, इंड/236, इंड/237, इंड/240

डेनमार्क

15.	कुमार मैनी क्षेत्रीय निदेशक	एम.डी. फूड्स-प्रोटीन डिवीजन स्कैण्डरबोर्गबेज 277 डीके-8260 वीबी जे. टेली : 458 628 7099 फैक्स : 458 628 3717 अथवा 458 628 4991	डेयरी सहकारिता सं. 3112 और डेयरी उत्पाद क्षेत्र के प्रमुख अन्य निवेशकर्ताओं से मिलना इंड/009, इंड/025 इंड/027, इंड/043
16.	मि. अमरनाथ रेड्डी परियोजना सलाहकार	डानिडा 206, रहेजा चैम्बर्स 12, म्यूजियम रोड बंगलौर टेली : 5597997 फैक्स : 5597989	खाद्य प्रसंस्करण

फ्रांस

17.	मि. अमलरिक फैब्रिक परियोजना प्रबंधक	ए.टी.आई.ई. जेडएल डे ला प्लेन बॉसे 81660 बॉट डू पॉट डे एल ऑर्न टेली : 33-636-18022 फैक्स : 33-639-86521	उद्योग (खाद्य, मांस, वनस्पति लकड़ी, चमड़ा) के लिये ड्रायर्स का उत्पादन इंड/006, इंड/018 इंड/048, इंड/050 इंड/057, इंड/056
18.	मि. ओडिन जोसेफ निदेशक	ग्रुप एसएसी 45 रूई डू पोरियर 40450 सेंट बैकेयर एन मौजेस टेली : (33) 41 49 57 57 फैक्स : (33) 41 55 27 71	चमड़ा

19.	मि. काम्स इमेनूयल निर्यात प्रबंधक	कामस एस.ए. बी.पी. 115 81304 ग्रौलहेट टेली : (33) 63 42 81 50 फैक्स : (33) 63 42 81 52	चमड़ा इंड/072, इंड/075, इंड/078 इंड/080
20.	मिस कैम्पेल हेलेन कॉमर्शियल अटैची	स्प्रिंटे एसए जेडआई लेस इलौन्स 07250 ले पान्जीन टेली : (33) 75 85 90 62 फैक्स : (33) 75 85 90 41	किट के रूप में इलेवेटर
21.	मि. कॉटेक्स बर्ट्रेन्ड कार्यकारी	काफरेपेक बीपी 70-29263 प्लोजैंक टेली : (33) 98 31 86 74 फैक्स : (33) 98 31 86 90	मत्स्य पालन, एक्वा कल्चर समुद्री खाद्य प्रसंस्करण तथा विपणन के क्षेत्र में परामर्श सेवाएं, इंड/011, इंड/105, इंड/034 और वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी अधिकारियों से संपर्क रखने की भी इच्छुक है।
22.	मि. हस्ट पीटर वित्तीय प्रबंधक	माटल एसए रूई डे ला पोस्ट 44840 लेस सोरमेरिस टेली : (33) 40 84 54 54 फैक्स : (33) 40 31 28 80	इंडस्ट्रियल रेंफ्रिजेरेशन
23.	मि. संदीप कुमार	एल ब्राका इंवेस्टमेंट लि. रेजीडेंस ला प्रेरी ''ले वर्ट बाइस'' 4 एली डू वर्ट बाइस 92410 विले डी एवरे टेली : 470-90136 फैक्स : 470-90136	

24.	डा. येव्ज लोजानो प्रधान	सिराड-फ्लहोर बीपी 5035-34032 मोंटपेलियर सीडेक्स टेली : (33) 67 41 76 47 फैक्स : (33) 67 61 55 81	कृषि अनुसंधान इंड/005,इंड/008 इंड/016, इंड/017 इंड/035, इंड/039 इंड/049, इंड/237
25.	मि. मादिनियर फांसकोर्यस निदेशक	एल्वीस इंडस्ट्रीज ले मेरेयोर, लेस 4 एम बीपी 17 केमिन डू पेटिट बॉयस-69131 इक्यूली सीडेक्स टेली : (33) 72 18 77 98 फैक्स : (33) 78 33 45 11	प्रौद्योगिकी अंतरण में सहायता इंड/005, इंड/006 इंड/010, इंड/014 इंड/017, इंड/020 इंड/027, इंड/029 इंड/049, इंड/053 इंड/189, इंड/220 इंड/224
26.	मि. जे.पी. मार्टेन कार्यकारी निदेशक	अरोमा प्रोसेस 247 एली ट्रावर्सेरे 06250 मॉगीन्स टेली : (33) 93 75 39 69 फैक्स : (33) 92 92 20 32	फ्लेवर एंड परफ्यूम्स इंडस्ट्री इंड/002, इंड/003, इंड/005 इंड/006, इंड/009, इंड/016 इंड/017, इंड/021, इंड/022 इंड/023, इंड/035, इंड/037 इंड/038, इंड/048, इंड/050 इंड/052, इंड/054 इंड/055
27.	मि. ए.जे.मवीनगुई प्रबंध निदेशक	औरोडेव नेगोक एंड मार्केटिंग इंटरनेशनल कंपोस्टेले एफएल 33600 पेसाक/फ्रांस टेली : 33-579-69076 फैक्स : 33-565-18098	सीवेज संयंत्र, ग्लास रीसाइकलिंग संयंत्र की स्थापना के लिए फ्रांसिस औद्योगिक संयंत्र की प्रति निधित्व इंड/005, इंड/006, इंड/055 इंड/058, इंड/066, इंड/078 इंड/082, इंड/097, इंड/151

28.	मि. बर्नार्ड मेयर व्यावसायिक प्रबंधक	मेयर एसए बीपी 40-जेडआई डे ला फोरेट 68990 हेन्नसब्रुन टेली : (33) 89 81 89 81 फैक्स : (33) 89 81 83 82	वस्त्र इंड/107, इंड/117, इंड/119 इंड/131, इंड/135, इंड/142
29.	मि. पृथ्वीपाल सिंह	गौथियर भारत में प्रतिनिधि टेली : 011-665-566 फैक्स : 011-644-8574	खाद्य प्रसंस्करण के लिए उपकरण
30.	मिस जैक्यूलिन रिच . प्रबंध निदेशक	मैसर्स जैक्यूलिन रिच 68 रूई जे.जे. रौसीईऊ 59620 आस नोय एगेल, आर आई टेली : फैक्स :	इंड/075, इंड/127
31.	डा. सिंह, सीजेके	अल बराका इंवेस्टमेंट लि. रेजिडेन्स ला प्रेरी "ले वर्ट बोइस" 4 अली टु वर्ट बोइस 92410 विलै डी "एव्रे," टेली : 470-90136 फैक्स : 470-90136	
32.	श्री सिन्हा, बी. अध्यक्ष	-यथोपरि-	
33.	श्री वल्ली, जीन-फ्रांकोइस चेयरमैन	यूरोफिल 1 रूई ड ला पेटाइट गगनेरी - 49360 यजरने टेली. (33) 41550107 फैक्स : (33) 31550001	हौजरी इंड/110, इंड/111, इंड/112, इंड/114, इंड/117, इंड/120, इंड/127, इंड/128, इंड/130, इंड/132, इंड/136, इंड/139, इंड/141, इंड/144, इंड/152

जर्मनी

34.	श्री बंकमपेर, जी. प्रबंध निदेशक	जी. बंकमपेर लेगिनस्टर 1660 22119 हैम्बर्ग टेली : 040-773-21398 फैक्स : 040-773-21398	बाइंग हाउस
35.	सुश्री बेरी, गीता सेक्टर मैनेजर लेदर	इंडो-जर्मन एक्सपोर्ट प्रोमोशन प्रोजक्ट-आईजीईपी 2, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली-110021 टेली : 301-4353 फैक्स : 301-5461	वाणिज्य मंत्रालय तथा बीएमजेड/बोन द्वारा प्रायोजित निर्यात संवर्धन परियोजना इंड/103, इंड/093, इंड/065
36.	श्री बोक, होर्सट लेदर कन्सलटेंट	-यथोपरि-	-यथोपरि- इंड/69, इंड/099, इंड/087
37.	सुश्री वेरा ब्रोक	ब्रोक लिमिटेड वसन्त बिहार डी 312 टेली : 688-1922 फैक्स : 688-1922	लेदर गारमेंट्स
38.	श्री डील, पिटर एच. अध्यक्ष	डील केमकन्सल्ट अफ डेर सेट्स 21 67269 ग्रन्सटड जर्मनी फोन : 49-6359-86918 फैक्स : 49-6359-86918	प्रौद्योगिकी अंतरण, व्यापार विकास तथा संयुक्त उद्यम बाजार अनुसंधान इंड/223, इंड, 219, इंड/206
39.	सुश्री एडझार्ड, प्रबंध निदेशक	इण्डो-जर्मन एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रोजेक्ट-आईजीईपी 2, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी नई दिल्ली 110 021 फोन : 301-4353 फैक्स : 301-5461	विनिर्माता वाणिज्य तथा बीएमजे/बॉन द्वारा प्रयोजित परियोजना इण्ड/609, इण्ड/099, इण्ड/087

40.	सुश्री हामान, लिओबा, क्रय प्रबन्धक	लिवा-बेकलीडंगस एजी लिलिएन्थालस्टर, 2-10 02771 सेवरीन गोयरीज फोन : 0049-385-57545 फैक्स : 0049-385-83827	आयात इण्ड/078
41.	श्री जॉन, कूर्ट ओ. प्रबंध निदेशक	कूर्ट ओ जॉन कूंटस्टाफ टेक्नीक डी-66981 मून्चव्हिलर फोन : 06395-9110 फैक्स : 06395-911-101	जूते के तलवे तथा हिस्सों के विनिर्माण इण्ड/096
42.	श्री कपाडिया, वाई.एस. निदेशक	लूर्गी इण्डीया कम्पनी प्रा. लिमिटेड, बी-टी/जी-8, मोहन कोआपरेटिव इण्डस्ट्रियल एस्टेट मथूरा रोड, नई दिल्ली - 110 044 फोन : 683-5811 फैक्स : 683-4706	प्रोसेस टेक्नोलॉजी डिजाइन इंजीनियरिंग कन्स्ट्राक्टिंग
43.	श्री केब्च्यूल, डिट्रिच को-आडीनेटर कन्सलटन्ट	इण्डो-जर्मन एक्सपोर्ट प्रोमोशन प्रोजेक्ट-आईजीइपी 2, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110 021 फोन : 301-4353 फैक्स : 301-5461	वाणिज्य तथा बीएमजेड/बॉन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित निर्यात संवर्धन परियोजना इण्ड/189, इण्ड/227
44.	सुश्री लिजेगॅग प्रोजेक्ट सहायक	डीइजी पोस्टफेक 450340 50878 कोलन	परामर्शदायी सेवा

45.	सुश्री लिजार्गोंग, जुलिया सलाहकार	इण्डो-जर्मन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सर्विस 2, न्याय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110 021 फोन : 301-4352 फैक्स : 301-6921	वित्त/इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन इण्ड/182
46.	श्री मोहन्ती, बाबूल, निदेशक	सुखराम ग्रुप 68, कूक्क्षासेरट्रास फोन : 081-876-2411 फैक्स : 081-878-2258 टेलेक्स : 092-6691 यूके में संपर्क पता 26 शीनगेट गार्डन्स लंडन एसडब्ल्यू 14, आर यू.के.	फार्मा रॉ मटेरीयल
47.	श्री नन्दी, टी.के. सिनियर मैनेजर	लूरजी इण्डिया कम्पनी प्रा. लि. बी-टी/जी-8, मोहन कोआपरेटिव इण्डस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड़, नई दिल्ली 110 044 फोन : 683-5811 फैक्स : 683-4706	प्रोसेस टेक्नोलॉजी डिजाइन इंजिनियरिंग, कॉन्स्ट्रक्टिंग
48.	श्री सत्यमूर्ति सी-एस सलाहकार	इण्डो-जर्मन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन सर्विस, 2 न्याय मार्ग चाणक्यपुरी नई दिल्ली 110 021 फोन : 301-4352 फैक्स : 301-6921	निवेश संवर्धन इण्ड/194

49.	श्री वोल्के, क्लॉस मार्केटिंग मैनेजर	लीवा-बेकलीडंग्स एजी लीलीएन्थालस्टर 2-10 02771 सेवरीन गोयरीजस् फोन : 0049-385-57545 फैक्स : 0049-385-83827	आयात इण्ड/102
50.	श्री झेहेन्दर, डब्ल्यू निदेशक	जीटीजेड पोस्टफेच 5180 डाग हमारस्कजोल्ड वेग 1-2 65726 इकबोर्न फोन : 06196-792-254/5 फैक्स : 06196-797-410	तकनीकी सहयोग के लिए जर्मन सरकार अभिकरण इण्ड/173
आइसलैंड			
	श्री चोपरा, अमन एजेंट	फेंगर एचएफ कन्स्ल्टंसी इंजी. दलशॉरन 13 220 हफनारफजार्डर आइसलैंड फोन : 354-1-655-090 फैक्स : 354-1-652-040 **दिल्ली का पता** 146, सुन्दर नगर, नई दिल्ली 110 003 फोन : 462-5912 फैक्स : 9111-644-4119	
इटली			
51.	श्री बडीओली फ्रांसिसको	मिडीयाकोप इन्टरनाझीओनेल वाया टोरिनो, 41 रोमा फोन : फैक्स :	कन्सॉरटीअम-फूड प्रोसेस इण्ड/006, इण्ड/009 इण्ड/016, इण्ड/207 इण्ड/054

52.	श्री बेन्डीनो नटाली	अन्सा वाया डेल्ला दातार्क 9 एच राम फोन : 677-41	न्यूज सेटेलाइट
53.	श्री बेर्टोग्ली ग्राजिएनो	मोरॅन्डो इम्पीअॅटन्टी कोरसो डॉन मिंजोली 182-14100 अस्ती फोन : 141-417-311 फॅक्स : 141 417-409	बिल्डिंग मटेरियल ब्रिक्स तथा रूफस टाइल्स
		कांगाला इंजिनियरिंग बाया इंन्रचा फरमी, 21 33058 सॅन गॉरजीआ डी नोगारो उडिन फोन : 0039-431-626-111 फैक्स : 0039-431-628-286	लिदर तथा फुटवेअर
54.	श्री कोली, आर. सेल्स मैनेजर	सॅन्डविक प्रोसेस सिस्टमस बाया बरेसिना, 204-20156 मिलॅनो, इटली फोन : 02-380-10600 फैक्स : 02-380-00227	दिहाइड्रेशन, फ्रिजींग ऑफ फ्रूट्स तथा विजिटेबल्स इण्ड/050/052/011/034
55.	श्री नारायणन राजसेखरन	पेनवाल्ट बेरटूझी 507, काकड़ चेम्बर्स 132, डा. अेनी बेसन्त रोड वरली-बम्बई, 400016 फोन : 493-2702 493-2267 फैक्स : 022-493-6255	खाद्य प्रसंस्करण

		टेलेक्स : 011-75091	
56.	श्री मेझेट्टी	एसव्हीइएक्स	प्रोमोशनल सर्विसेस
	सउरो	बाया मार्कोनी 6	
	कन्सलटेन्ट	40122 बोलोगना	
		फोन : 0039-51-262688	
		फैक्स : 0039-51-264028	
		कन्टोनीफिसिओ ग्रास्सी	रूई, कपड़ा, यूनिफार्म
		बाया व्ही. वेनेटो 82	इण्ड/117, इण्ड/110,
		21015 लोनंट पोझोलो	इण्ड/132, इण्ड/136,
		फोन : 331-301-633	इण्ड/141, इण्ड/144,
		फैक्स : 331-670-128	इण्ड/150
		डी कार्टीग्लानो आफ	लिटर सेक्टर
		बाया सॅन गुसेफ, 2	
		36050 कार्टीग्लीयॅनो	
		फोन : 424-592-526	
		फैक्स : 424-892-429	
		मोरन्डो इम्पीएन्टी	ब्रिक्स और रूफींग टाइल्स
		पेन्टा ग्रुप	मेडिकल सेक्टर
		बाया मोन्टे ग्राप्पा, 2/एफ	
		36016 थीने	इण्ड/177 इण्ड/187
		फोन : 445-381-515	
		फैक्स : 445-391-520	
		इण्डस्ट्रीया कन्सीरिया नोबल न्यू प्रोजेक्ट	
		बाया सॅन टोमान्सो 57	
		सी.पी. 182	
		56029 एस. क्रोस सूल ''अन्रो (पीआई)	
		फोन : 0571-366-406	
		फैक्स : 0571-366-409	

57	श्री मोहन अतुल रीज. मैनेजर	पेनवाल्ट बरटुझी (पी) लि. जे-19, साकेत नई दिल्ली, 110 024 फोन : 657-669 फैक्स : 657-669	खाद्य प्रसंस्करण
58.	श्री बर्टोली, मॅरिनो, तकनीकी प्रबंधक	ओमाव्ह एस.पी.ए. बाया स्टाका, 2 25050 रोडेन्गो सॅनो (वीएस) फोन : 030-611-261 फैक्स : 030-610-621 टैलेक्स : 301068 ओमाव्ह आई	अल्यूमिनियम एक्ट्रशन प्लॅन्ट इण्ड/154, इण्ड/175
59.	श्री बोरिओ, ग्यूलिओ	ए.बरटूझी एसपीए बाया यूरोपा, 11 20047 ब्रुघेरिओ (एम आई) फोन : 039-28921 फैक्स : 039-883-2905	खाद्य प्रसंस्करण इण्ड/003, इण्ड/004, इण्ड/008, इण्ड/009, इण्ड/012, इण्ड/016, इण्ड/018, इण्ड/023, इण्ड/028, इण्ड/035, इण्ड/038, इण्ड/039, इण्ड/041, इण्ड/048, इण्ड/050, इण्ड/051, इण्ड/052, इण्ड/054, इण्ड/055
		पेनवाल्ट-बर्टूझी प्राई.लि. 507 काकड चेम्बर्स 132 डा. ॲनी बेसन्त आर. वरली - 400018 बम्बई/भारत फोन : 022-693-2702 फैक्स : 022-493-6255	

60.	श्री बोनीनो,	बोनीनो कार्डिंग मशीन्स	इण्ड/119, इण्ड/127,
	गॅनफ्रान्सो	13060 सॅन्डीग्लानो	इण्ड/162,
		बाया ग्राम्स्की 2	
		बिल्ला, इटली	
		फोन : 015-893-383	
		फैक्स : 015-2544-3520	
61.	श्री सीनेल्ली,	सीनेल्ली	इण्ड/105, इण्ड/110,
	अॅन	बायालामारमारा, 54	इण्ड/120, इण्ड/126,
		फीरेन्झ	इण्ड/150
		फोन : 055-545-700	
62.	श्री दबे डी.	अॅलेट्टी	लिदर सेक्टर
		बाया टिपोलो, 14	इण्ड/072, इण्ड/076,
		21100 वर्सी (एमआई)	इण्ड/078, इण्ड/080,
		फोन : 332-334-664	
		फैक्स : 332-331-917	
		बोनीनो और अलेट्टी	कार्डिंग मशीन टेनेरी
		बाया लिओनार्डो डा विन्सी	
		3 13042 कॅव्हेग्लीआ व्हीसेन्झा	
		फोन : 0039-161-96414	
		फैक्स : 0039-161-96414	
		इंग दिनेशचन्द्र दवे	आयात-निर्यात एजेंट
		बाया लिओनार्डो डा	लिदर : इण्ड/096
		व्हिन्सी 3 13042	वस्त्र : इण्ड/119, इण्ड/127, इण्ड/142
		कॅव्हग्लीआ व्हीसेन्झा	फारमासिटयूकल्स : इण्ड/201, इण्ड/204
		फोन : 0161-96414	खाद्य प्रसंस्करण फ्रेश पास्ता, मेटालर्जी
		फैक्स : 0161-96414	

		ऑफीसिना मेक्कानिका मरलोट्टी ई.सी. बाया मोन्टोबेलो 74 27029 व्हिगेवॅनो – पीव्ही फोन : 0 381-42-171 फैक्स : 0381-344-130	सोल्स, हिल्स, इनसोल्स इण्ड/096
63.	श्री डे लिओ, मारसेलो	न्यूव्हो ओपीफिसिओ सर्ल. बाया डेल्ला पालोमबेला 37 00185 फोन : 39-6-688-08920 फैक्स : 39-6-689 3640	सिरेमिक, इण्ड/226, इण्ड/228
64.	श्री डी गीओआंव्हेनी, आईआरआई डेनीले		
65.	श्री गेनारो, एस.	क्युसिरिआ सर्ल. तवरनोला, 8 अँग बाया नापोली एफ 80025 कॅसेन्डीपीनो (एनए) फोन : 081-505-5086 फैक्स : 081-505-5243 इटालियन ट्रेड आयोग के जरिए समन्वय	इण्ड/258, इण्ड/259, इण्ड/101
66.	श्री गीनीस्सो, फ्रान्को	फ्रान्को गीन्यूस्सो, एस आर एल बाया टोर फ्लोरेन्झा 26 इटली फोन : 642-2028 नई दिल्ली 460-1824 डिफेन्स कालोनी फैक्स : 469-2558	फैशन डिजाइनर मटेरियल

67.	श्री ग्यूरा मिग्लीसिओ	आई आरआई	
68.	श्री हरजाई, मनील एजेंट	लॅम्पोमशीन इन्टरनेशनल एसआरएल बाया मरेमाना, 49-लोक ला स्टेला (व्हिनसी) एफ आई फोन : 0571-585-854 फैक्स : 0571-585-819	लिदर
69.	श्री लोगाटो	आई आर आई (इटली पुनर्निर्माण संस्थान) बाया वैनेटो 89 00187 रोमा टेली: 06-47271 फैक्स : 06-482-8946	
70.	श्री मल्होटा निवासी प्रतिनिधि	दुराटी सरल ए-60 लाजपत नगर-2 नई दिल्ली - 110 024 टेली : 011-633446 फैक्स : 011-644-0866	ज्योति आईसक्रीम मै.कं. आई डी एल कैमिकल लि.
71.	श्री मारीमेल्ली, बुखनो महाप्रबंधक	ओएमएवी एस.पी.ए. बाया प्रोगिनिसिएम सटाका, 2 25050 रोडेगो सैनो (बीएस) टेली 030-611 261 फैक्स : 030-610 621 टैलक्स : 301068 ओ एम ए वी।	एल्यूमिनियम प्रोसेसिंग आई एन डी/154, आई एन डी/175
72.	श्री मैरिनो, निकोला	विमट	इंजीनियरिंग

73.	श्री मैजेट्टी, साउरोअ	स्वैक्स-एमिलिया रोमागना फर्मों के अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए सेवा केन्द्र बाया मारकोनी, 6 40122 बोलोगना टेली. 051-267-788 फैक्स 051-264-028	खाद्य प्रसंस्करण आई एन डी/001, आईएनडी/003, आईएन डी/004 आईएनडी/008, आईएनडी/011 आईएनडी/012 आईएनडी/013, आईएनडी/015 आईएनडी/016 आईएनडी/020, आईएनडी/023 आईएनडी/024, आईएनडी/028, आईएनडी/029 आईएनडी/034, आईएनडी/035, आईएनडी/036 आईएनडी/038, आईएनडी/039, आईएनडी/041 आईएनडी/042, आईएनडी/043, आईएनडी/045 आईएनडी/046, आईएनडी/048, आईएनडी/049 आईएनडी/053, आईएनडी/054, आईएनडी/055 आईएनडी/057, कपड़ा आईएनडी/104, आईएनडी/107 आईएनडी/108, आईएनडी/111, आईएनडी/117 आईएनडी/118, आईएनडी/119, आईएनडी/135 आईएनडी/141,

		आईएनडी/146, मैव्यूलर्जी आईएनडी/155, आईएनडी/174
74. सुश्री ओझा, राधिका, व्यापार विश्लेषक	इटली व्यापार आयोग (आई.सी.ई.) 184-ए जोरबाग टेली. 461-1789 फैक्स : 461-9580 केबल : इनामेडी	भारत-इटली संयुक्त उद्यम सहयोग का समर्थन
75. श्री ओवी, एलैक्सैंडरो	आई आर आई	
76. सुश्री पोकीना, मारिया	टुराटि सरल वैल्ले रीगिना मारघेरिटा 42 300014 कावाजैरे (वीई) टेली : 0426-310731 फैक्स : 0426-310500	खाद्य प्रसंस्करण
77. प्रो. परोडी, रोमैनिंयो	आई आर आई	
78. श्री रामप्रकाश	टीई-एमए फुरूगोली एस पी ए बाया ओरेलिया, 3 54033 अवैंजा-केरारा (एमएस) टेली: 0585-857-346 फैक्स : 0585-50233	मारबल और ग्रेनांइट आई एन डी/228
79. सुश्री रंगीनी मारज़ियो	इटली व्यापार आयोग (आई.सी.ई.) 184-ए. जोर बाग नई दिल्ली - 110 003 टेली : 461-1789 फैक्स : 461-9580 केबल : इनासेडी	भारत इटली संयुक्त उद्यम सहयोग का समर्थन

80. सुश्री रीबोरा मैरीना	इयूरोसिस्टमस बाया जी पैसटरो, 8 जोना इंडस्ट्रीयल 42045 लुजारा (आर. ई.) टेली. 522-977-169 फैक्स : 522-977-819	होइंग और बोंइंग मशीनरी
	आईएमई बाया डिला विला 42016 ग्यूसटेला (आरई) टेलीः 0522-820-176 फैक्स : 0522-836-715	कृषि और बागवानी मशीनरी
	एमएएलजैड वाया चि ग्यूवरा जोना इंडस्ट्रीयल 42045 लुजारा (आईई) टेली : 522-976-439/689 फैक्स : 522-977-061	परामर्शदायी कंपनी नई परियोजना
	नेवीकोलर बाया मासो 27 42045 लुजारा, रिगीओ एमिलिया टेली : 0522-976-421 फैक्स : 0522-976-569	प्लास्टिक गुन्यूलेटस
	रोडैग बाया डिले वि, 78 42016 ग्यूलसटेला (आर ई) टेली : 522-820-176	उद्योग और कृषि के लिए मैटल स्ट्रक्चरल वर्क्स
	रोवैनी इम्पैंटी सरल	मीट प्रसंस्करण

		एस.एस. 62 डिला सिसा केएम 161 नं. 174 42045 लुजारा (आर आई) टेली : 522-976-697 फैक्स : 522-976-697	
		स्मैग एस.पी.ए. बाया, सर्कनवाला जियोन नोर्ड, 36 42016 ग्यूसटेला (आर ई.) टेली : 522-837-777 फैक्स : 522-838-401	किचिन फर्नीचर, डिशवाशर, वाशिंग मशीन ओवन आईएनडी/002, आईएनडी/159
		वीमैट बाया आर. मोराडीं 42016 ग्यूसेटला रीजिओ एमिलीया टेली : 0522-831-409 फैक्स : 0522-831-401	इंजीनियरिंग
		ज़िफिरो ए.डी. गैसपेरी, 5 42012 कैम्पागनोला एमिलिया टेली : 522-669-896 फैक्स : 522-669-896	हाई प्रेशर वाटर वाया क्लीनर्स वाशिंग सहायक सामान
81.	श्री सैलवाटरियो लकियो	सिनेल्ली वाया लैमरमोरा 54, फ्लोरेंस टेली : 055-574-913 फैक्स : 055-574-913	फैशन गारमेंटस

82.	सुश्री सैमनगिलो रूत	आर. सैमिनंगिलो बाया औरिलिया सकाला/ऐंट 2 रोमा 00165 टेली : 0039-639-37634 फैक्स : 0039-6638-1013	डिजाइन और तकनीकी समन्वय
83.	श्री सिकाराबोसियो प्रतिनिधि	जी.सायो पायलो बैंक 78 डालामल टावर बंबई - 21 टेली: 287-42-51 फैक्स : 204-2142 टीएलएक्स: 011-86619	बैंकिंग और वित्त
84.	श्री सकापापिल्ली	बी एंड बी इंजीनियरिंग विल्ला ई. मैरिला, 165 20099 सैसटो सैन गियोवैनी (एम आई) टेली : 2-262-23131 फैक्स : 2-262-23140	बुनियादी सुविधाएं सिविल और औद्योगिक इंजीनियरी
85.	श्री स्टुडियल	आईसी ई इटली व्यापार आयोग वाया लिंजद 21 00144 रोमा टेली : 06-5921	
86.	श्री तानी, चीफ आफ	आई आर आई	
87.	श्री टोनोनी मासिमो अध्यक्ष का सहायक	आई आर आई	

88.	श्री औरटिल्ला पालो	डी स्टुडियो टोरटिला बाया कोनर्कोडिया 12 42016 ग्यूसटेला (आर ई) टेली : 0522-838-841/835-094 फैक्स : 0522-838-841	नई परियोजना
		इयूरोसिस्टमस बाया जी, पास्टर, 8 जोना इंडस्ट्रीयल 42045 लुजारा (आर ई) टेली : 522-977-169 फैक्स : 522-977-819	हाविंग और मोविंग मशीनरी
		आई एम ई बाया डिल्ले विल्ले 42016 ग्यूसटेला (आर ई.) टेली : 0522-820-176 फैक्स : 0522-836-714	कृषि और बागवानी मशीनरी
		मालज़ बाया चि ग्यूवेरा ज़ोना इंडस्ट्रीयल 42045 लुजारा (आर ई) टेली : 522-976-439/686 फैक्स : 522-977-061	परामर्शदायी कंपनी नयी परियोजना
		नेवी कोलोर बाया मासो 27 रेगियो एमिलिया टेली : 0522-976-421 फैक्स : 0522-976-569	प्लास्टिक गरेन्यूलेटस

	रोडग	मैटल सट्रकचरल वर्क्सफार
	बाया डिले विले, 78	इंडस्ट्री एंड कृषि
	42016 ग्यूसटेला (आर ई)	
	टेली : 522-820-176	
	रोवेनी इम्पैंटी सरल	मीट प्रसंस्करण
	एस.एस. 62, डिले सिसा	
	केएम 161 लुजारा (आरई)	
	टेली : 522-976-697	
	फैक्स : 522-976-697	
	स्मैग एस.पी.ए.	किचिंन फर्नीचर
	याया सर्कनवाला जियोन	डिशवाशर, वाशिंग मशीन
	नोर्ड, 36	ओवन
	42016 ग्यूसटेला (आर ई)	आई एन डी/002, आई एन डी
	टेली : 0522-831-409	159
	फक्स : 522-838-384	
	वीमैट	इंजीनियरिंग
	बाया आर. मोरंडी	
	42016 ग्यूसटेला रीजिओ एमिलीयां	
	टेली : 0522-831-409	
	फैक्स : 0522-831-401	
	जीफिरो	हाई प्रेशर वाटर वाया
	ए.डी. गैसपेरी, 5	क्लीनिर्स, वाशिंग सहायक
	42012	कैम्पागनोला एमिलिया सामान
	टेली : 522-669-896	
	फैक्स : 522-669-896	
89. श्री जैनी बोनी	पवन मैपीमैपिएंटनी	खाद्य प्रसंस्करण, सनैक्स,
	बाया यूरोप, 27	पिलेटस, बेबी फूड, ब्रेकफास्टस सिरेलस
	गैलियारा वैनइटा	
	टेली : 49-942-3111	
	फैक्स : 49-596-9794	

जापान

90.	श्री चौधुर्ट दुलाल प्रबंधक	मित्सुटेक कं. लि. 4-27-25, हिहासी नाकानो नाकानो कु. टोक्यो टेली. 03-3362-8193 फैक्स : 03-3362-8225	व्यापार, संयंत्र परामर्शदाता
91.	श्री जुनेजा दीपक	मित्सुई एंड कं. लि. मेरिडियन कॉमर्शियल टावर दूसरी मंजिल, 8, विन्डसर प्लेस, नई दिल्ली-1 टेली : 371-5451-54 फैक्स : 371-0374 व 371-5369	मुख्यालय के लिए सम्पर्क कार्य
92.	श्री काशीधुम, एन अधिकारी	मित्सुबिशी कार्पो. विजया बिल्डिंग, 17 बाराखम्भा रोड़, नई दिल्ली टेली. 332-22-11 फैक्स : 332-06-34 टेलेक्स 63388	
93.	श्री मासुओका, टाडाशी, प्रबंध निदे.	मित्सुटेक शोजी कं. लि. 4-27-25 हिगाशी नाकनो नाकानो - कु. टेली. 03-3362-8211 फैक्स 03-3362-8225	सामान्य व्यापारिक कं. परिवहन परियोजनाएं दूरसंचार उपहार वस्तुएं बनाना बैठक की व्यवस्था 19-21.4.94 में की जाय
94.	श्री यामामोटो सुसुमू, प्रबंधक सरकार और विदेशी प्रभाग संबंध	सोनी कार्पोरेशन	उपभोक्ता इलैक्ट्रानिकी में खास रूचि, 21 और 22.4.94 में बैठक आयोजित की जाय

केन्या

95.	श्री बसवेल, जैक निदेशक	रोलमिल केन्या लि. पो.ओ. बाक्स 48662 नैरोबी टेली. 534 008-1-2-3 फैक्स : 254-022-534 005 टेलेक्स 24150रोलमिल के ई	इस्पात निर्माता और व्यापारी अपनी परियोजना : तरलीकृत पैट्रोलियम गैस (एल पी जी) और मिट्टी का तेल, यूएसडी 150 एमएन
96.	श्री दीपक, पंडित प्रबंध निदे.	टेक्नो इंटरप्राइजेज लि. पी.ओ. बाक्स, 44303, नैरोबी टेली. 225-947 फैक्स : 223-342 टेलेक्स : 25431	रसायन और सहायक उत्पाद
97.	श्री पटेल, जी.एन. अध्यक्ष	रोलमिल केल्या लि.	

लक्सेमबर्ग

98.	श्री नायडु, हरी के.	ईएमडीए बेलजियम-लक्सेमबर्ग 117 रूट स्तावेलोट एल-99991 विस्वामपैक, लक्सेमबर्ग टेल. 352-979-436 फैक्स 352-979-438	

नेपाल

99.	श्री अग्रवाल, प्रदीप	चौधरी ग्रुप, सीड काम्पलेक्स सुनिनीबा भवन, टेली: 521994, 525169 फैक्स : 523818	खाद्य प्रसंस्करण

100.	श्री गोलचा चन्द्रकुमार	गोलचा आर्गेनाइजेशन, पी.ओ. बाक्स 363, गोलचा गनाबहल, काठमांडु टेली. 977-1-221-101 फैक्स : 977-1-224-823 टेलेक्स 2231 बी एचडीईसी एनपी	गलवानाइज्ड स्टील शीट हौज स्टील पाइप, टीन के डिब्बे, जूट की वस्तुएं
101	श्री ज्योति, रूप प्रबंध निदेशक	ज्योति स्पिनिंग मिल्स (प्रा.) लि. पी.ओ. बाक्स 133, ज्योति भवन कान्तीपथ, काठमान्डु टेली. 977-1-227-517 फैक्स : 977-1-224-720 टेलेक्स : 2482 ज्योति एनपी	सूती पोलिएस्टर/ब्लै।ड धागों के निर्माता
102.	श्री सारदा, श्याम निदेशक	एवरेस्ट स्पिनिंग इंड. पी.ओ. बाक्स 116 बिराटनगर टेली. 977-1-24248 फैक्स : 977-21-26687	इस्पात, वस्त्र, तेल
103.	श्री शंगवाई, पुरूषोत्तम	हेटाउडा आयरन एंड स्टील (प्रा.) लि., पी.ओ. बाक्स 2544 त्रिपुरेश्वर, काठमांडु टेली : 977-1-226-508 फैक्स : 977-15229-124	एम.एस. स्टील छड़ें, घरेलू और औद्योगिक केवलें खाद्य तेल
104.	श्री शारदा, श्याम सुन्दर	हैटाउडा आयरन एंड स्टील (प्रा.) लि., पी.ओ. बाक्स 2544 त्रिपुरेशर, काठमांडु टेली: 977-1-226-508 फैक्स. 977-15229-124	यथोपरि

नीदरलैंड

105. श्री खुराना, सी.एम.	वीओएमएस आई	
निदेशक	वेन ओर्ड मेरीटाइम सर्विसेज, भारत	
	33 यसवन्त प्लेस, नई दिल्ली-110021	
	टेली. 688-5466/600-045	
	फैक्स: 9111-688-2467	
	टेलेक्स 031-72144 विन्ड इन	
106. श्री कुइपर्स, विलियम	विश्व मोइरहेम, जे 1/35 डीएफएफ	
तकनीकी सलाहकार	क्यूटक इन्कलेव फेस-2 पी.ओ. बाक्स गुडगांव	
	722-002 नारयना	
	टेली: 0124-351-901	
	फैक्स : 0124-351-163	
107. श्री शोमाकर्स,	यथोपरि	कट फ्लावर्स
परामर्शदाता		
108. श्री राय, आनन्द	स्केनवाटर लि.	जल सीवेज इंजी.
भावी निवेशक	13 टाउन प्लानिंग वे	और पर्यावरण
	इलुपेजो, लागोस	
109. श्री राय, बिजेन्द्र	स्केनवाटर लि.	जल सीवेज इंजी.
प्रबंध निदेशक	13 टाउन प्लानिंग वे	और पर्यावरण
	इलुपेजो, लागोस	

नार्वे

110. श्री मुरली, बी.	नोराड/रायल नार्वेजियन	विकास निगम के लिए
सलाहकार	द एम्बसी,	एजेंसी,
	शान्तीपथ, चाणक्यपुरी	भारत को विकास सहायता
	नई दिल्ली - 110021	का समन्वय
	टेली. 687-3532/3054	
	फैक्स : 91-11-687-3814	

फिलीपाइन

111. श्री कुइओचो, एडमुंडो डिव मार्के प्रब.	सान मिगुएल पैकेजिंग इंटल. चौथा फ्लोर, एसएमपीपी सेन्टर 109 कारलोस पालान्का स्ट. लेगास्पी विलेज, मकाती मेट्रो मनीला, फिलीपाइन टेली. 632-894-0230 से 32 फैक्स. 632-817-4434/865-774	
112. श्री सालाजार, रोजेलियो	सान मिगुएल पैकेजिंग इंटल	

पोलैंड

113. श्री डेम्बोस्की इलीगुसज वाणिज्यिक सलाहकार	पोलिमेक्स-सेपोक, पोलैंड दूतावास, 50-एम, शान्तिपथ चाणक्यपुरी, नई दिल्ली टेली : 608-403 फैक्स : 687-2033	
114. कुरूपा, फांसिजेक विकास प्रबंधक	केमिकल वर्क्स "पोलिस" पोलिस, उल कुजनिक्का एल टेली. : 48-91-173 510 फैक्स. 48-91-173-232 टेलेक्स 422 393 पीओ पीएल	अजैव रसायन और उर्वरक उत्पादन इंड/223
115. रिवाक्ज, ज्वीग्नीयू उप निदेशक	फाब्रिका माजिन आइ उर्जाडजेन प्रजेमिस्लु स्पेज जेगो "स्पोमास्ज" 64-510 व्रन्की उल. पाउस्टान्को वलक्प. 23 टेली. : 48-67-540 156 फैक्स. 48-67-540 422 अ टेलेक्स 047 395	खाद्य प्रसंस्करण हेतु मशीनों का उत्पादन इंड/001, इंड/002, इंड/010, इंड/013, इंड/020, इंड/024, इंड/035,इंड/044, इंड/046, इंड/051, इंड/054, इंड/039, इंड/056, इंड/041,

116. सोचा, हैनरिक, निदेशक	पोलिमेक्स-सेकोप लि. उल. कजकीगो 7/9 00-950 वारसा टेली. 048-623 75 53 फैक्स. 048-22 263 295 टेलेक्स 81 70 11	खाद्य प्रसंस्करण मशीनों का निर्यात इंड/002, इंड/009, इंड/022, इंड/024, इंड/031, इंड/044, इंड/047, इंड/050, इंड/051
117. वार्कजिन्सकी, रिसार्ड	युनिपैक लि. उल. रूजवेल्टा 116 62-200 ग्नीजनों टेली. 48-66-265 041 फैक्स. 48-66-265 018 टेलेक्स : 063 412 626	खाद्य उद्योग के लिए पैकिंग मशीनों और मिल्क सेपरेटर का निर्माण इंड/002, इंड/003, इंड/006, इंड/007, इंड/012, इंड/016, इंड/019, इंड/041, इंड/048, इंड/051, इंड/053, इंड/054, इंड/009, इंड/005

सिंगापुर

118. श्री जयराम सुपुत्र रंगासामी	केपीए ट्रेडिंग, 35 नौरिस रोड सिंगापुर 0820 टेली. : 293-8541, 280-5010	आम व्यापार
119. श्री सदासिवम वेरियाह निदेशक	मेवाह इंवेस्टमेंट प्रा. लि. 02-06, केंबानगन प्लाजा 18 जालान मस्जिद, सिंगापुर 1441 टेली. 841-032-77 फैक्स 744-3095	इंड/244, इंड/228 इंड/061
120 श्री सेठी, रतिका	कैपिटल ट्रस्ट लि., कैपिटल ट्रस्ट हाउस, 47, कम्युनिटी सेन्टर, फ्रैन्डस कालोनी, नई दिल्ली, भारत टेली. 682-0148/631-010 682-3743/682-0249 फैक्स. 9111-682-0146 से 149 टेलेक्स 031-75342 सीटी इन	

सऊदी अरब

121. श्री उमर रशीद	दल्लाह अल्वरका ग्रुप दल्लाह टावर, पेलस्तीन स्ट्रीट पी.ओ. बाक्स 6854 जेद्दा-21452	वित्त, चमड़ा और चमड़े की वस्तुएं

श्री लंका

122. गनलत, डी.एल.एच.	गनलथ ला कार्यालय एम/एफ. कोलम्बो मारिओथ होटल, 64 लोटस रोड कोलम्बो। टेली: 333 281 फैक्स. 428 371	वह निम्नलिखित कंपनियों की बातचीत में उनकी सहायता करेंगे।

स्वीडन

123. श्री करम हीरो एमजीएम सलाहकार	व्यापारिक मामले फ्रंटडिव 9 18365 टैबी टेली. 468-7569052 दिल्ली सम्पर्क : 42/6 ईस्ट पटेल नगर	चमड़ा
124. श्री मलहन टी एरिया मैनेजर दक्षिण एशिया	स्वीडिस ट्रेड कॉउसिंल बाक्स 5513 11485 स्टोहोम टेली. : 468783 8668 फैक्स : 468662 9093	व्यापार और निवेश संवर्धन

स्विटजर लैंड

125. डा. बोरला लुइगी वी.पी. कार्पो. डेव. एशिया-पेसिफिक	लोन्जा लि., सीएच-4002 बासेल टेली. 4161316 83 95 फैक्स, 41613168533	रसायन प्लास्टिक इंड/206, इंड/216 इंड/243, इंड/197, इंड/245

126. श्री दासगुप्ता ए.के.	घेरजी टेक्सटाइल आर्गेनाइजेशन गेस्नेराली 28 8021 जूरिक टेली. 4112110111 फैक्स : 4112112294	वस्त्र उद्योग परामर्शदाता
127. श्री गणेश जे.	साराभाई एम/सी लि., बूचर गुयर लि. के एजेंट सीएच-8166 नीदरवैनिगमन टेली. 00411-857 2343 फैक्स : 0411-8572440 दिल्ली में संपर्क 901, सैक्टर-4, आर.के.पुरम नई दिल्ली-22	खाद्य प्रसंस्करण
128. श्री होबेन्सा, मारकस	बीजर मैनेजमेंट एजी लीमग्रुबेनवेग, 6 4053, बासल, स्विटजरलैंड टेली. 061-332-0203 फैक्स 061-332-0204	प्रबंध
129. श्री सरावो, चरनबीर सिंह, कार्यकारी उपाध्यक्ष	नेस्ले इंडिया लि. डीएल एफ सेन्टर, संसद मार्ग नई दिल्ली-110 001 टेली. 332-7370/372-2741 फैक्स. 323-1438	प्रसंस्कृत खाद्य इंड/004, इंड/006, इंड/012, इंड/025 इंड/027, इंड/032 इंड/049
130. श्री तार्गोरिंक, डब्ल्यू डिवीजन मैनेजर ड्राइंग डिवीजन	बूचर-गयर लि., ड्राइंग डिवीजन सीएच-8166 नीदरवेनिगमन टेली. 00411 857 2343 फैक्स. 00411 857 2440	अंतिम उत्पाद और ड्राइंग उपकरण (खाद्य, फार्मा., केमि.) इंड/006, इंड/008, इंड/009, इंड/020, इंड/023, इंड/024, इंड/030, इंड/036, इंड/042, इंड/045,इंड/046, इंड/048, इंड/050, इंड/056, अपनी परियोजना : इन्सटांट ब्रेकफास्ट बीवरेजेज

थाइलैंड

131. श्री भुई, कैमी विपणन निदेशक	आल्फा सनराइज़ कं. लि., 582/9 सुखुमविट 63 बैंकाक 10110 टेली. 381-10-46 फैक्स. 381-85-85	परियोजना सलाहकार एवं निवेशक इंड/020, इंड/036, इंड/013,
132. श्री प्राचा, प्राचेरी प्रबंध निदेशक	सियाम्स सुपीरियर सिल्कस कं. लि. 568 सोई पानिच आनन्द सुखुमविट 73 रोड क्लोंगटॉन बैंकाक टेली. 2-393-4243/381-478 फैक्स. 2-381-1745	अनेक उत्पादों में कपड़ों का निर्माण और व्यापार
133. श्री उमेश सहदेव महानिदेशक	सी एम सुपिरीयर सिल्कस कंपनी लि., 560 सोई फानिक आनंद सुकुमवित 73 रोड क्लांगटन, बैंकांक फोन 2-393 - 4243/381-1745	वस्त्रों का विनिर्माण तथा विविध उत्पादों का व्यापार

कोरिया गणराज्य

134. श्री किम, जे पिल महानिदेशक	हायूंडाई हैवी इंडस्ट्रीज के.लि. (दक्षिण कोरिया) अशोक होटल, कमरा नं. 341-बी 50 बी, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली-110 021 टेली - 011-609, 679/609694 फैक्स : 011-688, 5439 टैलेक्स : 031-82070 एच डी एन डी इन	एल पी गैस परामर्शदायी सेवाएं

यूनाइटिड किंगडम

135. श्री कुशदिल, जॉन	प्रोब्ट इंटल लि. सेंट जॉर्जस लेन इंडैक्स हाउस, एसकॉट वेरिशायर यूके. एस. एल 57 ई यू टेली : 0344-234-0.4	एल पी गैस परामर्शदायी सेवाएं
136. श्री अकरम मोहम्मद	इंडिया डेवल्पमेंट ग्रुप लि. 68, डाउनलैंड्स रोड़, परले, सुरे, सी आर 84 जे एफ टेली : 081-688-3161	प्रौद्योगिकी अन्तरण
137. श्री चड्ढा ए एस प्रबन्ध निदेशक	जुपिटर (आई) लि. आस्कर होटल 193, टैटलो नेन नॉरवुड ग्रीन यू बी 24 एल पी टेली : 0753 - 830613 फैक्स : 0753-833744	स्वीट कन्फैक्शनरी, मॉल्ट स्प्रीट, डिस्पोडोबल नीडल्स, सिरिंजिज, बल्ड बैग्स इन्ड/032 इन्ड/022 इन्ड/177
138. श्री चोपड़ा, संजय प्रबन्ध निदेशक	जे इन्टरनेशनल 11-13 न्यू रोड लिनस्लेड एल यू 77 एल एस टेली : 0525-850-638 फैक्स : 0525-850-638	औषध एवं भेषज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
139. श्री दीवान, अरविंद वकील	जार्ज जियू निकोलास सॉलीसिटर्स 50 ग्रेशम स्ट्रीट लन्दन ई सी 2 वी 7 ए वाम टेली : 071-606-0366 फैक्स : 071-600-4860	बैंकिंग निवेश, निर्माण परियोजनाएं प्रौद्योगिकी अंतरण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
140. श्री उजोकिक, पी.	यूरो ट्रेड एवं निवेश 50 ग्रेशम स्ट्रीट लन्दन ई सी 2 वी 7 ए वाय टेली : 071-606-0366 फैक्स : 071-600-4860	व्यापार एवं निवेश

141. श्री खन्ना राज निदेशक	जे इन्टरनेशनल 11-13, न्यू रोड लिनस्लेड टेली : 0525-850638 फैक्स 0525-850638	औषध एवं भेषज
142. श्री राइधाधा, जे.	ऑगर इन्वेस्टमेंट्स पी एल सी गारनेट हाउस 4 पर्सी रोड़ फिन्चले लन्दन टेली : 081-445 6625 फैक्स : 081-445 0482	
143. श्री राय, हरदीप सिंह प्रबन्धक - निगम वित्त	कूपर्स एंड लायब्रांड 1 एमबैंकमेंट प्लेस नन्दन डब्लू सी 2 एन 6 एन एन टेली : 071-213 3058 फैक्स : 071-213 1330 टेलेक्स : 88 7470	अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार सलाहकार (कोई विशिष्ट परियोजना नहीं।)
144. श्री रामंक, रमेश कार्यकारी, भारत	कॉमनवैल्थ डैवल्पमेंट 11 गोल्फ लिंकस, नई दिल्ली 110 003 टेली : 469-1691/2 फैक्स : 469-1693	खाद्य प्रसंस्करण कपड़ा, धातुकर्म
145. श्री शर्मा, पॉल	हेमबायलॉजिकल्स 1 फेयर्स लेन हाई वायकम्बी बक्स, एच पी 123 ए एन टेली : 0494-5235453	बायटेक्नोलॉजी (रासायनिक तथा संबद्ध उद्योग, इन्ड/027 इन्ड/187
146. डा. ठुकराल एस. भागीदार	ठुकराल ब्रदर्स ट्रेडिंग 90 ग्रानविले स्ट्रीट, बिरमिंघम बी एल 2 एल जे टेली : 021-6430181 फैक्स : 021-643 3378	संयुक्त उद्यम विकास

147.	क्रिसकम लि. हाई स्ट्रीट, साउथग्रेट लन्दन एन 14 6 ई एस टेली : 081-882 8855 फैक्स : 081-882 8345 टेलेक्स : 892739 क्रिस्को जी	
यू एस ए		
148. बावा, एम एस एसोसिएट	फलाइंग क्लाउड सॉफटवेयर कं. 1527 सर्किल ड्राइव अन्नापोलिस एम डी 21401 टेली : (410) 757-21401 फैक्स : (310) 314-9592	एम-एस विंडो सॉफटवेयर विकास एवं वितरण
149. श्री भद्रा, सुधीर के. प्रतिनिधि	साउथ एशियन रिसर्च एसोसिएट्स ऑफ मेरीलैण्ड 900 ई. फेमेटी स्ट्रीट पी. ओ. बॉक्स 13165 बाल्टीमोर टेली : 410-563-0620 फैक्स : 410-563-0620	आर्थिक एवं वित्तीय अनुसंधान जन तथा सम्पर्क, भारत में इच्छुक अमरीकी फर्मों के एजेंट
150. श्री कृप रमेश उपाध्यक्ष	प्रिमीयर कम्प्यूटर सॉल्यूशन्स इंक. 292 वाटरलू कोर्ट सोमरसेट एन.जे. 08873 टेली : 988-627-0244 फैक्स : 988-489-5898	सॉफ्टवेयर, परामर्शदायी सेवाएं, व्यापार

151.	मंघीरमलानी, आर.सी. अध्यक्ष	मार्को पोलो लि. 230 पोहट्टन कोर्ट डैनिविले केलीफोर्निया 94526-5500 टेली : (510) 735-6536 फैक्स : (510) 735-7998 (510) 735-6434	इन्ड/003, इन्ड/008, इन्ड/012, इन्ड/035, इन्ड/039, इन्ड/041, इन्ड/054,
152.	श्री मेहता ओम	कॉन्टिनेंटल एजेंसी इंक. 36, शेरवुड प्लेस ग्रीनविच सीटी 06830 यू एस ए टेली : 203-661-0020 फैक्स : 203-661-1341	खाद्य चमड़ा रसायन/कपड़ा
153.	सुश्री मेहता वर्षा बिक्री एवं विपणन प्रबंधक	क्वांटेका इंडस्ट्री इंक. 30 टिप टाप वे बरकले हाईट्स एन.जे. 07922 फैक्स : 908-464-2894	खाद्य, मसालों, फल, अनाज का संरक्षण
154.	श्री मुकसी गोतम	इंडस ओवरसीज मोफ्फत एंड कं. यू.एस.ए. मरकोपट् प्टई. आस्ट्रेलिया 42, उदय पार्क नई दिल्ली - 110 049 टेली : 663-909 फैक्स : 011-6867064	निर्यात अभिकरण अभ्यावेदन
155.	डा. मुंजाल अनुन. के.	9442 फेयरग्रीन लेन/8 फिलाडेलफिया, पी ए 19114	

156. श्री प्रकाश	ओवरसी यूनाईटेड ग्रुप	विनिर्माण आयात, निर्यात
बासवानी	ड्यराटेक इंटर, इंक	सामान्य व्यापार
	53, क्रीसेंट रोड़ पोर्ट	आईएनडी/105, आईएनडी/115
	वाशिंगटन न्यूयार्क 11050	आईएनडी/120
	टेली : 516-944-5560	आईएनडी/125,
	फैक्स : 516-944-5562	आईएनडी/129,
		आईएनडी/140
		आईएनडी/212,आईएनडी/213
		आई एनडी/214
		आई एन डी/215, आईएनडी/202
157. श्री राजा	आर.जी. एन डेवलपर्स, इंक	इंजीनियरिंग,
जी. नोरी	135, कामनवैल्थ ऐव.	प्रौद्योगिकी अंतरण, निर्माण
	न्यू प्रोविन्डैस	
	एन जे. 07974	
	टेली. 908-665-6900	
	फैक्स : 908-665-6901	
158. श्री शाह,	जीएनआर इंक.	दूरसंचार, वस्त्र, रसायन
गिरीशकुमार	1707-69 वींस्ट्रीट	आईएनडी/246, आईएनडी/203,
उपाध्यक्ष	स्वीट 314	आईएनडी/109, आईएनडी/
	नार्थ बर्गर, न्यू जर्सी 07047	177, आईएनडी/187
	यू.एस.ए.	आईएनडी/195
	टेली : 210-861-9300	
	फैक्स : 210-271-0470	
159. श्री सियाल	सियाल एंड कंप (फाइनैंस)	चमड़ा, कृषि/खाद्य
भावजीत, भागीदार	83, ब्राडले ऐव,	
	व्हाइट प्लेनस	
	एन.वाई 10607	
	टेली : 642-2220	
	फैक्स : 643-3805	

160. श्री सिंह, मेघना	कौंटिनेटल एजेंसी इंक. 36 शेरवुड प्लेस ग्रीनविच सी टी 06830 यू.एस.ए. टेली : 203-661-0020 फैक्स : 203-66 -0041	खाद्य, चमड़ा रसायन/कपड़ा
161. श्री सीतल नानावती	इंटरनेशनल फूड प्रोसेसर्स 250 पार्क ऐव. 12 वां तल, एनवाई, एनवाई, 10177 टेली : (212) 661-51991 फैक्स : (211) 611-5511	संसाधित खाद्य
162. स्डीफैनसन चार्ल्स	इंटरनैशनल इक्यूटी पार्टनर्स बी-1, मार्बल आर्क 9, पृथ्वीराज रोड़ नई दिल्ली- 110011 टेली : 11-461-0760 फैक्स : 11-469-9381	आईएनडी/174, आईएनडी/180, आईएनडी/046 आईएनडी/024, आईएनडी/173
163. श्री टेलर थानोर	ताप्सी कार 1515, एन डयूपोंहाइवे न्यू कैसल डी ई 19720 टेली : 1-302-328-3500 फैक्स : 1-302-328-9094	टैक्सटाइल गारमेंटस तथा लैदर गुड्स
164. श्री टिक्कू मोती	कोंटिनेटल एजेंसी इंक. 36, शेरवुड प्लेस ग्रीनविच सीटी 06830 यू.एस.ए. टेली : 203-661-0020 फैक्स : 203-661-1341	खाद्य, चमड़ा, रसायन/कपड़ा
165. सुश्री वू सिंडी	इंटीग्रेटिड मैग्नेटिक टैक्नोलोजी कार 1455, कारपोरेट सेंटर पार्क वे	फुलोपी डिस्कस, सीडी, फलोपी ड्राइवस

	सांतारोजा, सी ए 95407 यू.एस.ए. टेली : (707) -546-4682 फैक्स : (707) 546-3978	
166. श्री चौधरी बिनोद सी. अध्यक्ष	फैडरेशन आफ नेपालिस चैम्बरस आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री पी.ओ. बाक्स, 269, टीएनटी बिल्डिंग तीनकुने कांडमांडु नेपाल टेली : 977-147-5052 नैक्स 977-147-4051 टैलक्स : 2786 एफएनसीसीआई एन पी	फलोर मिलिंग, बिस्कुट, इनस्टैंट, न्यूडल्स रेडिया/टी.वी., पी.वी.सी. ग्लास शीटर्स
167. श्री डेल ''एस्टुरबिल्लों लोटे कार्यकारी	फ्रांकों-इंडियन चैम्बरस आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री 4 एवे. डेनिएल लेस्यूअर 75007 पेरिस फ्रांस टेली : (33.1) 43068897 फैक्स : (33.1) 40650956	द्विपक्षीय संबंधें को प्रोत्साहन
168. श्री डुगर विजय कुमार कार्यकारी समिति सदस्य	फैडरेशन आफ नेपालिस चैम्बरस आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री पी.ओ. बा. टी एन टी बिल्डिंग तीनकुने कांडमांडु नेपाल टेली : 977-147-5052 फैक्स : 977-147-4051 टैलेक्स : 2786 एफएनसीसीआई एन पी	चावल भूसी, साल का तेल के निर्माता एवं निर्यातक

169. श्री जुबे, बेनोएट कार्यकारी	रिजनल चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ एक्वीटेंन 10, प्लेस डी ला बाउरसे 33078, बोंडिएक्स फ्रांस टेली - 33-561-19494 फैक्स-33-561-19495	रसायनिक उत्पाद
170. श्री खेतान, मोहन गापाल अवैतनिक उपाध्यक्ष	फैडरेशन आफ नेपालिस चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री पी.ओ.बा. 269, टीएनटी बिल्डिंग तीनकुने कांडमांडु नेपाल टेली-977-147-5052 फैक्स : 977-147-4051 टैलेक्स-2786 एफएनसीसीआई एनपी	मैग्नीसाइट, जिंक एंड लैड माइनस, ब्रोवरी एल पी जी, साबुन, इन्सैटट न्यूडलस
171. श्री मोरारका आत्मा राम कार्यकारी समिति सदस्य	फैडरेशन आफ नेपालिज़ चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री पी.ओ.बा. 269, टीएनटी बिल्डिंग तीनकुने, कांडमांडु, नेपाल टेली -977-147-5052 फैक्स -977-147-4051 टैलेक्स-2786 एफएनसीसीआई एन पी	इंड, एंड डैको, पेंटस, एच. बी. वायर, जी.आई. वायर
172. श्री शाह, नीर विक्रम कार्यकारी ममिति	फैडरेशन आफ नेपालिज चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री	टी.वी. ब्रोडकस्टिग्स. फिल्म लेबोरेटरी, इक्यूप्मेंट

सदस्य	पी.ओ.बा. 269, टीएनटी बिल्डिंग	
	तीनकुने, कांडमांडु, नेपाल	
	टेली.977-147-5052	
	फैक्स: 977-147-4051	
	टैलेक्स 2786 एफएनसीसीआई एन पी	
173. श्री शारदा,	फैडरेशन आफ नेपालिज	एम.एस.स्टी. बार्स
शिव रत्न,	चैम्बर्स आफ कामर्स एंड	हाउसिंह एंड इड. केबल्स,
कार्यकारी समिति	इंडस्ट्री	पाइप तथा टयूब
सदस्य	पी.ओ.बा. 269, टीएनटी बिल्डिंग	
	तीनकुने, कांडमांडु, नेपाल	
	टेली. 977-147-5052	
	फैक्स-977-147-4051	
	टैलैक्स 2786 एफएनसीमीआई एम पी	
174. श्री श्रेष्ठ	फैडरेशन आफ नेपालिज	बिस्कुट, फलोर मिलिंग
रविन्द्र	चैम्बर्स आफ कामर्स एंड	चीनी, सैलुयर, एअरलाइंस
कार्यकारी समिति	इंडस्ट्री पी.ओ.बा. 269	
सदस्य	टीएनटी बिल्डिंग,	
	तीनकुने, कांडमांडु नेपाल	
	टेली. 977-147-5052	
	फैक्स : 977-147-4051	
	टेलेक्स 2786 एफएनसीसीआई एनपी	
175. श्री थपलिया	फैडरेशन आफ नेपालिज	फर्नीचर, एल्यूमिनियम
रोहिणी	चैम्बर्स आफ कामर्स एंड	दरवाजे तथा खिड़कियां
कार्यकारी समिति	इंडस्ट्री, पी.ओ.बा. 269,	हार्ड वेयर तथा एजेंसी
सदस्य	टीएनटी बिल्डिंग, तीनकुने	कारोदार
	कांडमांडु, नेपाल,	
	टेली. 977-147-5052	
	फैक्स: 977-147-4051	
	टैलेक्स : 2786 एफएनसीसीआईएनपी	

बैंक/वित्तीय संस्थान का पंजीकरण

सहभागी का नाम	पता	विचारविमर्श के लिए परियोजना/ व्यापार की लाइन
176. मि. अल मानाये	कुवैत निवेश प्राधिकारी	इण्ड/006, इण्ड/007, इण्ड/009
इमाड वाई.ए.एस.	रीयल ईस्टेट एवं प्रत्यक्ष निवेश	इण्ड/035, इण्ड/039, इण्ड/046
निवेश प्रबन्धक	मन्त्रालय काम्पलेक्स	इण्ड/059, इण्ड/061, इण्ड/111
	पीओवी. 64	इण्ड/117, इण्ड/123, इण्ड/155
	सफाट 13001, कुवैत	इण्ड/163, इण्ड/163
177. मि. सिगलियानो,	मोन्टे डी पश्चि डी सिएना	
मरियो	वित्तीय संस्थान वाया डेल''	
	अब्बाडिया, 5 53100 सिएना	
	टेली : 39-577-294-493	
	फैक्स : 39-577-294-313	
178. मि. एडवार्डश	आबूधाबी इन्वेस्टमेंन्ट कम्पनी	
कोलीन	कार्निचे रोड	
	एसएच सुल्तान बिन खलीफा बिल्डिंग	
	आबूधाबी सं.अ. अमीरात	
	टेली-02-328200×279	
	फैक्स : 02-212903	
	टैलेक्स : 23824	
179. मि. शर्मा	द बैंक आफ टोक्यो, लि.	वित्त
विकान्त	जीवन बिहार	
सहायक प्रबन्धक	3, पार्लियामेंन्ट स्ट्रीट	
	नई दिल्ली - 110 001	
	टेली : 310-135-373-3976	
	फैक्स : 311-348	

180	मि. गुप्से, अनिल मुख्य प्रतिनिधि	जनरल बैंक (बेल्जियम) ऑफीस इन इंडिया मुख्य चैम्बर्स 6 कार्यालय संख्या 13 नरीमन प्वाइन्ट, बम्बई टेलीः 0091-2-शेयी-2-287 2510 फैक्स : 0091-22-204 53 44 टेलैक्स : 82048 जीबीबीवाई इन	बैंकिंग
	ए: पंजीकरण/22 अप्रैल 1994		
181.	मि. हजेरी, शायी अल	आवूधावी इन्वेस्टमेंट कम्पनी कोनिचे रोड एस एच सुल्तान बिन खलीफा बिल्डिंग आबूधाबी सं.अरब अमीरात टेली : 02-328200×279 फैक्स : 02-212903 टैलेक्स : 23824	
182.	मि. अय्यर, थ. भारत में मुख्य प्रतिनिधि	नारडयुटसंच लेंडसवैंक जार्ज प्लेटज 1 30159 हानोवर जर्मनी टेली : 49-511-361-4665 फैक्स : 49-511-361-4440 टेलेक्स : 921634-जीजैडएचडी	भारत में पुनः प्रस्तुत
183	मि. मियाता, माकोतो प्रतिनिधि	द एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक आफ जापान नई दिल्ली आफिस 8 वां तल होटल मेरीडियन कामर्सिअल टावर विंडसर प्लेस नई दिल्ली टेली : 91-11-371-4165 फैक्स : 91-11-371-4895	वित्तीय संवाएं निर्यात के लिए ऋण विदेश निवेश ऋण

184. मि. नेहरू, अशोक	स्वेदफंड इंटरनेशनल ए बी	
	बाक्स 3280	
	10365 स्टॉकहोम स्वीडन	
	टेली : 46-8-67766804	
	फैक्स : 46-8-203093	
	टेलेक्स : 14135 स्वेफंड बेसड इन	
	इंडिया	
185. मि. रावले अनिल	बैंक ऑफ इंडिया	बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाएं
	126, कोलमार रो बर्मिंघम	
	बी 3 3 एटी	
	टेली : 021-236-2216	
	फैक्स : 021 - 236-0004	
186. मि. स्कारावासिया	सन पाओलो डी टोरिनो	
	वित्तीय संस्थान	
	718 दालामल टावर	
	211 नरीमन प्वायन्ट बम्बई-400021	
	टेली : 204 - 2142	
	फैक्स : 287-4251	

ए : पंजीकरण/22 अप्रैल, 1994

अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का पंजीकरण

सहभागी का नाम	पता	विचारविमर्श के लिए परियोजना/व्यापार की लाइन
187. मि. विसचोसफ, जर्जन, निदेशक	एशिया एंड द पेसेफिक के लिए	
	इकोनोमिक एंड सोशल कमीशन	
	द यूनाइटेड नेशनल बिल्डिंग	
	राजादामेरन एवेन्यू बेंकाक, थाइलैंड	
	टेली : (662) 26 29 161-200	
	फैक्स : (662) 28 29 602	
	टेलैक्स : 82392 एस्केप थ	

188. मि. कोथेलनीकाव, वादिमर	एशिया एंड द पेसेफिक के लिए इकोनोमिक एंड सोशल कमीशन द यूनाइटेड नेशनल बिल्डिंग राजादामेरन एवेन्यू बैंकाक, थाइलैंड टेली : (662) 26 29 161-200 फैक्स : (442) 28 29 602 टेलैक्स : 82392 एस्केप थ
189. मि. सेठी, आनन्द के. परामर्शदाता	आईएफयू-विकासशील देशों के लिए औद्योगिक निधि 14-एफ, बसन्त लोक बसन्त विहार, नई दिल्ली-110 057 टेली : 11-670-346, 607-582 फैक्स : 11-687-5598 टेलेक्स : 31-82031 एमएमएस इन

ए : बैंक/वित्तीय संस्थान 22 अप्रैल 1994

यूनिडो आईपीएस सहभागीदारों का पंजीकरण

कार्यालय सहभागी का नाम	पता
कोलोगने	
190. मि. फेलर	अन्टर सचसेन हॉसेन 10-26-50667 कोलोगने टेली : 0221-120-451 फैक्स : 0221-120-456
पेरिस	
191. श्रीमती माइकेल तरानेह	118 रु डे वोगिरार्ड 75006 पेरिस टेली : (33.1) 44 39 34 34 फैक्स : (33.1) 45 48 72 55

टोक्यो

192. मि. हियाकुटेक	शिन ओयामा बिल्डिंग, डब्ल्यू-16 एफ 1-1-1, मिनामी-ओयामा/मिनाटो-कु टोक्यो 107 टेली : 00813-340 293 41 फैक्स : 00813-340 293 84

वारसा

193. सुश्री कोकोसिनस्का, डोरोटा निवेश संवर्धन विशेषज्ञ	अल निपोडलेगकोसकी 186 02-304 वारमा टेली : 259-186 फैक्स : 258-970 टेलेक्स : 817-916
194. सुश्री लिगेजिनस्का, दरिया करीना वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी	अल निपोडलेगकोसकी 186 02-304 वारसा टेली : 259-186 फैक्स : 258-970 टेलैक्स : 817-916

ए : बैंक/वित्तीय संस्थान 22 अप्रैल, 1994

वाशिंगटन

195. मि. मामड़ गेरेट हेड	सूट 800, 1050 17 वां स्ट्रीट, एन डब्ल्यू. वाशिंगटन डी सी 20036 टेली : 001202-659-51-65 फैक्स : 001202-659-76-74

जूरिच

196. मि. ग्रेविक	लोवेन्सट्रास्से। सीएच 8001 जूरिच टेली : (0501) 221-2320 फैक्स : (0501) 211-4180	बेली इंटरनेशनल लि. के लिए प्रतिनिधि

197. मि. मूर्ति	लोवेन्सट्रास्से।	बेली इंटरनेशनल लि.
	सीएच 8001 जूरिच	के लिए प्रतिनिधि
	टेली : (0501) 221-2320	
	फैक्स : (0501) 211-4180	

मिलान

198. मि. गियोवान्नेली	लार्गो डोमोडोसोला,।	
स्टेफानो	20145 मिलानो	
	टेली : 02-481-5522	
	फैक्स : 02-498-5925	

वियना

199. मि. रथ	यूनिडो	
	विंग	
	बग्रामरस्टर. 5	
	1400 वियाना	

ए : बैंक/वित्तीय संस्थान 22 अप्रैल 1994

दूतावास

200. मि. वाई. ओटगोनवेयर	मोंगोलिया दूतावास	
द्वितीय सचिव	34, गोल्फ लिंग	
	नई दिल्ली - 110 003	
	टेली : 463-1728	
	फैक्स : 643-3240	
201. मि. हालमेटोव यूरी	क्रिघयाज दूतावास	
प्रथम सचिव (ई सी)	वाणिज्यिक विभाग	
	वसन्त विहार 9/32 दिल्ली	
	क्रिघयाज रिपब्लिक	
202. मि. टोलेडो, जार्ज	स्पेन दूतावास	वाणिज्यिक
	ए-15/21 वसन्त विहार	परामर्शदाता
	नई दिल्ली	
	टेली : 687-51-96	
	फैक्स : 687-32-17	

ए : बैंक/वित्तीय संस्थान 22 अप्रैल, 1994

यूनिडो मुख्यालय सहभागीदारों का पंजीकरण

203. मि. एस डी भरिया वाई कम्पोस,	महानिदेशक
204. मि. के. वेंकटरामन, प्रबन्ध निदेशक	निवेश एवं प्रोद्योगिकी उन्नयन खंड
205. मि. एस जम्पेट्टी, निदेशक	निवेश सेवाएं
206. मि. सी एन्टोनियो,	निवेश संवर्धन कार्यक्रम
207. सुश्री जी. ह्जिसलर,	निवेश सेवाएं
208. मि. आर प्लोम्प	निवेश संवर्धन कार्यक्रम
209. सुश्री एल रेनाल्डा,	निवेश संवर्धन कार्यक्रम
210. मि. एस. सचदेवा	निधि संग्रहण खंड
211. मि. आर बुजेसिक,	महानिदेशक का कार्यालय
212. मि. जे एम बोनामी	यूनिडो कन्ट्री निदेशक, यूनिडो, नई दिल्ली
213. मि. एल मोशर	कार्यक्रम अधिकारी, यूनिडो, नई दिल्ली।
214. मि. जे. नेलिस	निवेश सहयोग विशेषज्ञ, श्रीलंका

ए : बैंक/वित्तीय संस्थान 22 अप्रैल, 1994

[हिन्दी]

सरकारी क्वार्टरों का आबंटन

7109. श्री रामपाल सिंह : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कुल कितने सरकारी क्वार्टर हैं और उनके आबंटन संबंधी नीति क्या है ;

(ख) इनमें से कितने क्वार्टर संसद सदस्यों और केन्द्रीय मंत्रियों के लिए आरक्षित हैं ;

(ग) उन सरकारी क्वार्टरों का ब्यौरा क्या है जो अभी तक भूतपूर्व मंत्रियों के कब्जे में हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इन क्वार्टरों को खाली कराने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): दिल्ली में साधारण पूल में विभिन्न श्रेणी के 63,813 क्वार्टर हैं। ये क्वार्टर सरकारी वास आबंटन (दिल्ली में साधारणपूल) नियमावली, 1963 के उपबन्धों के तहत आबंटित किये जाते हैं। टाईप I से IV तक का आबंटन सेवा अवधि पर आधारित है। और टाईप V से VIII में आबंटन, आबंटन वर्ष के लिये निर्धारित निणार्यक तारीख को अधिकारी द्वारा लिये जा रहे वेतन पर आधारित है।

(ख) सामान्यतः सांसदों को वास आबंटन सम्बन्धित आवास समितियों द्वारा सांसद पूल से किया जाता है। केन्द्र सरकार में उच्च पदस्थ सांसदों जैसे केन्द्रीय मंत्रियों, अध्यक्ष लोक सभा, सभापति/उप सभापति-राज्य सभा, उच्चतम न्यायालय के जजो अथवा राज्य सरकारों के मंत्रियों, राज्यपालों आदि को उपलब्ध होने पर साधारण पूल से वास आबंटित किया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्रियों को आबंटन हेतु 64 बंगले निर्धारित हैं।

(ग) निम्नलिखित बंगले पूर्व मंत्रियों के दखल में है : -

1. श्री वी.पी. झाठे, अध्यक्ष, आई सी सी आर - 2, के.एम.मार्ग
2. श्री एच.के.एल भगत, - 34, पृथ्वी राज रोड
3. श्री शरद पवार - 5, जनपथ।
4. स्व. श्री भाग्य गोवर्धन का परिवार - 19, डा. बी.डी. मार्ग
5. श्री के.सी. लेंका - 5, बी.आर. मेहता लेन।

(घ) और (ङ) इन बंगलों को खाली कराने के लिये सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत् बेदखली कार्यवाही की जा रही है। तथापि, बंगले रखने के लिये श्री वी.पी. साठे, श्री एच.के.एल. भगत और श्री शरद पवार के अनुरोध अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं।

[अनुवाद]

रसायन उर्वरक

7110. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न रसायन उर्वरकों का कितना उत्पादन हुआ, और

(ख) छोटे किसानों को रसायन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रणाली अपनाई गई है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक पोषकों (नाईट्रोजन तथा फास्फेट) का उत्पादन निम्न प्रकार रहा :

(000 मी टन)

1991-92		1992-93		1993-94	
"एन"	"पी"	"एन"	"पी"	"एन"	"पी"
7301.3	2562.2	7430.3	2306.2	7213.2	1815.7

(ख) नियंत्रित उर्वरकों की सामयिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए जाने वाली द्विवार्षिक

उर्वरक आपूर्ति योजनाएं लघु किसानों सहित सभी वर्गों के किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। राज्य सरकारों, उर्वरक उत्पादकों, पूल संचालन अभिकरणों तथा रेलवे के सहयोग से नियंत्रित उर्वरकों की उपलब्धि को आवधिक रूप से निगरानी रखी जाती है। सरकार अनियंत्रित उर्वरकों की उपलब्धि पर भी निगरानी रखती है।

वर्ष 1984-85 में 1.56 लाख उर्वरक बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़कर वर्ष 1992-93 में 2.48 लाख हो जाने से लघु किसानों की उर्वरकों तक पहुंच में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि 10 टन तक उर्वरकों का भण्डार रखने वाले डीलरों को उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के उपबन्धों के अधीन डीलरशिप पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा से छूट दी जाए।

लघु किसानों को उर्वरकों की उपलब्धि में सुधार लाने की दृष्टि से, सरकार ने राज्य सरकारों तथा उर्वरक उद्योग को सलाह दी है कि उर्वरक छोटी बोरियों में उपलब्ध करायी जाए, विशेष रूप से पहाड़ी और अगम्य स्थानों में। किसानों, विशेष रुप से लघु और सीमान्त्रीय किसानों, को क्षेत्रीय प्रदर्शनों से उर्वरकों के इष्टतम उपयोग में प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं।

अपशिष्ट पदार्थों की प्रबंधन संबंधी नीति

7111. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर आफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री ऑफ इण्डिया ने अपशिष्ट पदार्थों की प्रबंधन नीति बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा अपशिष्ट पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : (क) और (ख) जी हां, जोखिमपूर्ण अपशिष्ट (प्रबंध एवं संचालन) नियमावली, 1989 तथा जोखिमपूर्ण अपशिष्टों के प्रबंधन एवं संचालन सम्बंधी दिशानिर्देशों में जोखिमपूर्ण अपशिष्टों के राष्ट्रीय विनियमन हेतु प्रावधान है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सुझावों पर भी भली प्रकार विचार किया गया है और फरवरी, 1992 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए "प्रदूषण उपशमन नीति विवरण" में इनका ध्यान रखा गया है। अपशिष्टों के प्रबंध से संबंधित विभिन्न मामलों पर प्रोत्साहन देने और सलाह देने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपशिष्ट प्रबंध परिषद की स्थापना की गई है।

(ग) बंजर भूमि के विकास के लिए विशेषकर वनेतर क्षेत्रों में बंजर भूमि, जिनमें शुष्क/अर्द्ध-शुष्क में जोजोबा वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, दक्षिणी क्षेत्र में वनेतर बंजर भूमि पर काजू वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में चाय पौधारोपण को बढ़ावा देना शामिल है, के लिए नये प्रयास किये गये/किये जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

7112. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 1994 तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उपक्रमवार कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के अन्तर्गत अवकाश ग्रहण किया ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : 1989-90 से 1992-93 तक चार वर्षों की उपलब्ध सूचना के अनुसार 94, 168 कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति का विकल्प दिया है वित्तीय वर्ष अर्थात् 1-4-1993 से 31-3-1994 तक की सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

गंधार पेट्रो-कैमीकल (आई.पी.सी.एल)

7113. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **रसायन एवं उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन पैट्रो-कैमीकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) के गांधार पैट्रो-कैमीकल परिसर, जिसे 1993 में बंद कर दिया गया था, को पुनः चालू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है और इसका प्रथम चरण किस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) आई.पी.सी.एल. की गांधार पेट्रो-रसायन परियोजना के लिए निवेश की मंजूरी मार्च, 1992 में दी गई थी। आई.पी.सी.एल. ने बताया है कि परियोजना के कार्यान्वयन का काम अच्छी तरह चल रहा है और इसका साइट ग्रेडिंग, निर्माण के लिए बिजली, निर्माण के लिए पानी की व्यवस्था, गोदाम, स्थल कार्यालय, आदि का काम पूरा हो गया है। स्थाई तौर पर बिजली और अपरिष्कृत पानी की पूर्ति का कार्य प्रगति पर है। परियोजना के चरण-1 के लिए विस्तृत इंजीनियरी अग्रिम अवस्था मैं है। आई.पी.सी.एल. के अनुसार पहले चरण को मार्च, 1996 तक यांत्रिक तौर पर पूरा कर लिया जायेगा।

संयुक्त उद्यमों के लिए अर्थक्षम परियोजनाएं

7114. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेशकों को कई अर्थक्षम परियोजनाएं देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जल-मल परीक्षण सुविधाएं

7115. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से जल-मल परीक्षण सुविधाओं के स्तर बढ़ाने संबंधी कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना को कब से शुरू कर दिया जायेगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने 8 नई जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के अलावा जयपुर में एक राज्य स्तरीय प्रगोगशाला, 5 क्षेत्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं और 8 जिला स्तर की प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने का प्रस्ताव किया है।

(ग) जल गुणवत्ता जांच हेतु मार्गदर्शिकाओं में राज्य स्तरीय और क्षेत्रीय/जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को उन्नत बनाने के लिए सहायता हेतु प्रावधान नहीं हैं। आठ नई जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना का अनुमोदन कर दिया गया है। और इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार को 8.00 लाख रुपये की अनुदान राशि रिलीज कर दी गई है।

स्कूटर इंडिया लिमिटेड के लिए चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक

7116. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने 1989 में स्कूटर इंडिया लिमिटेड के लिए चेयरमैन/प्रबंध निदेशक पद के लिए उम्मीदवारों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की थी ;

(ख) क्या सरकार ने अभी तक इस कंपनी के लिए चेयरमैन/प्रबंध निदेशक की नियुक्ति नहीं की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस समय कंपनी का प्रबंध पूर्णकालिक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बिना ही किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूची नहीं है।

(ख) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड का एक अंशकालिक आधिकारिक अध्यक्ष है।

(ग) कंपनी का प्रबंध कार्य एक पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशक द्वारा किया जा रहा है जो कंपनी के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) चूंकि कंपनी में एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यपालक पहले से ही है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

आवासीय संपत्ति का वाणिज्यिक संपत्ति के रूप में प्रयोग

7117. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में आवासीय उद्देश्यों के लिए बने फ्लैटों/भूंखडों का वाणिज्यिक प्रयोग किये जाने के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवासीय फ्लैटों/भूंखडों को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि रिहायशी प्रयोजनों के लिए निर्धारित भूखण्डों, जिनका

वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है, का फरवरी 1991 में सर्वे किया गया था। इस बाबत दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का कोई व्यापक सर्वे नहीं किया गया है।

(ख) भूखण्डों के दुरुपयोग के लिये गत 3 वर्षों में चलाए गए अभियोजन इस प्रकार हैं : -

1991-92	19
1992-93	304
1993-94	481

जहां तक दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों का संबंध है, जब भी ऐसी घटना का पता लगता है दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के तहत उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

स्कूटर इण्डिया लिमिटेड का कारोबार

7118. श्री.वी.श्रीनिवास प्रसाद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94, 1992-93 और 1991-92 के दौरान स्कूटर इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ द्वारा किए गए कारोबार का उत्पाद-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण की ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इस कंपनी को विदेशी उद्यमियों/कंपनियों से उनकी वित्तीय सहायता को अन्य कार्यों पर लगाने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या निदेशक मंडल ने इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया है और उन पर समुचित कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं की है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) ब्यौरे इस प्रकार है :

(लाख रुपए में)

	1991-92	1992-93	1993-94
विजय सुपर लैम्ब्रेटा	165.95	99.28	51.35
सेंटो/सत्री एफ आर	33.92	51.26	38.89
पॉवर पैक्स (दुपहिया)	.79	.28	-
तिपहिया	1604.19	1401.17	2113.85
पॉवर पैक्स (तिपहिया)	.23	-	-
हिस्से पुर्जे	95.90	112.27	140.66
पंखे	514.51	556.56	348.75
	2415.49	2220.82	2693.50

(ख) गत तीन वर्षों (1991-92 से 1993-94) के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृति स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत हुए कर्मचारियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है : -

वर्ष	संख्या
1991-92	42
1992-93	92
1993-94	777
	911

(ग) से (ङ) कंपनी ने सूचित किया है कि उन्हें कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोई भी विशिष्ट प्रस्ताव विचार के लिए सरकार को संदर्भित नहीं किया गया है क्योंकि इनमें से कोई भी प्रस्ताव अभी बातचीत के अंतिम स्तर पर नहीं पहुंचा है।

केरल में खादी ग्रामोद्योग

7119. **श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में खादी ग्रामोद्योग को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) विभिन्न संस्थानों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग इन खादी संस्थानों को समय पर रियायत देने में असफल रहा है;

(ङ) यदि हां, तो 31 मार्च, 1994 तक इन रूग्ण एककों को कुल कितनी छूट की राशि देय थी ;

(च) छूट के भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं ; और

(छ) शीघ्र भुगतान करने और भविष्य में इस प्रकार का विलंब न होना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री अरूणाचलम): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केरल स्थित गांधी स्मारक निधि नामक संस्था समस्या मूल्क संस्था बन गयी है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) ने इस संस्थान को पुनः चालू करने के लिए 1991 में एक प्रशासक नियुक्त किया था और तब से संस्था का घाटा काफी कम हो गया है।

(घ) से (छ) हालांकि छूट का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने हेतु सभी तरह के प्रयास किये जाते हैं फिर भी बजट संबंधी अड़चनों के कारण भुगतान में कई बार विलम्ब हो जाता है। के वी आई सी ने बताया है कि अप्रैल, 1993 से दिसम्बर, 1993 के दौरान केरल की संस्थाओं को देय छूट की कुल रकम 112.92 लाख

रुपये थी। केवीआईसी ने अपने राज्य कार्यालय को अनुदेश दिये हैं कि वह सभी संस्थाओं के छूट संबंधी दावे हर तिमाही में प्राप्त कर लिया करे ताकि उनका भुगतान उपलब्ध निधि से अगली तिमाही में किया जा सके।

अन्वेषण और पंजीकरण महानिदेशक के पास लंबित आवेदन पत्र

7120. श्री जीवन शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्वेषण और पंजीकरण महानिदेशक तथा एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार आयोग के पास जांच पड़ताल और अंतिम रूप से निपटान के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित हैं ;

(ख) ये आवेदन पत्र कब से लंबित हैं ;

(ग) इनकी जांच-पड़ताल और अंतिम रूप से निपटान में विलंब के क्या कारण हैं ;

(घ) मामलों की जांच पड़ताल और निपटान में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). 1.5.1994 को जांच तथा अन्तिम रूप देने के लिए लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) के कार्यालय में प्रारम्भिक जांचों की प्रगति विभिन्न स्तरों पर है। इन जांचों को अन्तिम रूप दिए जाने के कार्य लम्बित हैं क्योंकि कुछ मामलों में अभी पूर्ण सूचना प्राप्त होनी है तथा कुछ अन्य मामलों में पक्षकारों से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिन्हें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को प्रस्तुत करने के लिए प्राथमिक जांचों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया जारी है।

विवरण

1 मई, 1994 को महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण एवं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास जांच के लिए लम्बित मामले

क्र.सं.	नाम	आदेश की तिथि
1	2	3
क.	**महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण के पास लम्बित मामले**	
1.	मेहरा सन्स तथा अन्य	12.3.93
2.	शिव शक्ति औषधालय तथा दिल्ली आयुर्वेदिक अस्पताल, नई दिल्ली	3.6.93
3.	मोदी अल्कली एण्ड कैमिकल लिमिटेड तथा अन्य	25.6.93
4.	ज्वैलर्स ऑफ दिल्ली, नई दिल्ली	8.9.93

1	2	3
5.	जबलपुर ट्रैक्टर्स, जबलपुर	5.10.93
6.	लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	12.10.93
7.	महावीर गैस सर्विस, जोधपुर	13.10.93
8.	अन्सल हाउसिंग एंड कन्स्ट्रक्शन लि., नई दिल्ली	13.10.93
9.	सन्त राम डुपर एंड एन. के डपर, नई दिल्ली	27.10.93
10.	मंगलम फल्मेस, अमरोहा	5.11.93
11.	एशियन अकैडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन, नोएडा	8.11.93
12.	मैक्सिको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	12.11.93
13.	इम्पैक्स इन्टरनेशनल, कलकत्ता	18.11.93
14.	मेगाबाइटे बिजनस एंड कम्युनिकेशन, बम्बई	23.11.93
15.	चावला बेकर्स, नई दिल्ली	6.12.93
16.	सिनटर प्लास्ट कॉन्टेनर्स, कलोल	6.12.93
17.	मिलिन्द गैस सर्विस	14.12.93
18.	टेब ट्रीटमेन्ट क्लिनिक, नई दिल्ली	22.12.93
19.	क्लासिक मोटर्स लिमिटेड, नई दिल्ली	29.12.93
20.	ट्रैको केबल कम्पनी, कोचीन	28.1.94
21.	फैडरेशन ऑफ को-ओपरेटिव स्टोर्स लि., नाडियाड	15.2.94
22.	चम्द्रा भगत कैमिकल्स, बम्बई	3.3.94
23.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, चण्डीगढ़ के मामले में एस आर	7.3.94
24.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, नई दिल्ली	12.4.94
25.	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड,	12.4.94
26.	कोलगेट पामोलीव लिमिटेड	12.4.94
27.	पोण्डस इंडिया लिमिटेड	12.4.94
28.	बैनेट कोलमैन एंड कम्पनी लिमिटेड	12.4.94
29.	दिबोनैयर पब्लिकेशन लिमिटेड	13.4.94

1	2	3
30.	दुकान संख्या 306. मस्जिद मोठ, नई दिल्ली	13.4.94
ख. एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास लम्बित मामले		
31.	मैं. समोधा गैस एजेन्सी, 64, प्रेम नगर, ग्वालियर	9.10.92
32.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद (उ.प्र.)	16.10.92
33.	मै. वैद्यनाथ आर्युवैदिक, झांसी (मध्य प्रदेश)	23.10.92
34.	भारतीय विद्या भवन का विद्याश्रम, जयपुर	13.11.92
35.	मै. टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लि., बम्बई तथा अन्य	23.11.92
36.	एल आई सी ऑफ इंडिया, बम्बई	2.12.92
37.	इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टैक्नोलोजी, राजनगर, गाजियाबाद	29.4.93
38.	बी पी एल लि., लाजपत नगर, नई दिल्ली	24.9.93
39.	ट्रक ऑपरेटर यूनियन एसोसिएशन, बद्दी, नालागढ़	7.5.93
40.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास पथ, गाजियाबाद	17.5.93
41.	केबल ऑपरेटर्स, ए-बी ब्लाक, सरोजनी नगर, नई दिल्ली	25.5.93
42.	संस्कृत विश्वविद्यालय, जगतपुरी, दिल्ली	16.6.93
43.	सिवेल पैकर्स, मद्रास	7.7.93
44.	सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	12.7.93
45.	विजय मुसेल ऑफ स्काई फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, बम्बई	17.8.93
46.	अन्नापूर्ण स्टूडियोज, हैदराबाद	17.8.93
47.	मै. अमर एंड संन्स, 44, पंजाबी मार्किट, नई दिल्ली	13.10.93
48.	मै. किरण गैस एजेन्सी, समस्तीपुर, बिहार	13.10.93
49.	मै. वाकोर्ड लिमिटेड, वर्ली, बम्बई	13.10.93
50.	काउंसिल फॉर चाइल्ड वैलफेयर एंड रिसर्च, विकास मार्ग, दिल्ली।	18.10.93
51.	मै. अवानी पैट्रोकैम प्रा. लि., बड़ौदा तथा अन्य	11.11.93

1	2	3
52.	संगम डेरी, ए.पी. एंड ए.पी. डेरी डवलपमैंट को-ऑपरेटिव फैडरेशन लिमिटेड, लालापेत, हैदराबाद	11.11.93
53.	एस.के. एग्रो इंटरप्राइजेज लि., नई दिल्ली	23.11.93
54.	एस.के. फिश फार्मस् प्रा. लि., नई दिल्ली	23.11.93
55.	मै. वी जे इंटरप्राइजेज, शास्त्री गार्डन, दिल्ली	23.11.93
56.	मै. वी एस टी मोटर्स लिमिटेड, मद्रास	6.12.93
57.	इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता	6.12.93
58.	इकोनॉमिक कर्मिशयल सर्विस, चांदनी चौक, दिल्ली	15.12.93
59.	मै. भारत गैस एजेन्सी, सिरसा, हरियाणा	21.1.94
60.	मै. आई टी सी लिमिटेड, कलकत्ता	27.1.94
61.	मै. आई टी सी लिमिटेड, कलकत्ता	7.2.94
62.	मै. यूनाइटेड फॉसफोरस लि., वापी, गुजरात	23.3.94
63.	मै. अन्सल प्रोपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लि., नई दिल्ली	23.3.94
64.	मै. मोर्या उद्योग लि., कलकत्ता	30.3.94
65.	मै. ग्रिन गोल्ड, चण्डीगढ़	31.3.94
66.	मै. बाका राम प्रकाश एंड संजय ज्वैलर्स, नई दिल्ली	13.4.94
67.	डा. वी पी शास्त्री, हितकारी औषधालय, नई दिल्ली	13.3.94
68.	मै. जी टी सी नेटवर्क, नई दिल्ली	13.4.94
69.	मै. सुभाष पैट्रोल पम्प, नई दिल्ली	13.4.94
70.	मै. एस सी शर्मा एंड कम्पनी, नई दिल्ली	13.4.94

[हिन्दी]

परमाणु विद्युत संयंत्रों से विद्युत

7121. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष देश में प्रत्येक परमाणु विद्युत संयंत्र द्वारा कुल कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया ;

(ख) क्या विद्युत का उत्पादन निरंतर कम होता जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ङ) कोटा परमाणु विद्युत संयंत्र के बार-बार बंद होने के क्या कारण हैं ; और

(च) कोटा स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र के प्रत्येक एकक की वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और इसके विस्तार के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) वाणिज्यिक रूप से काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों द्वारा पिछले तीन वित्तीय-वर्षों के दौरान उत्पादित और मिलियन किलोवाट घंटों में व्यक्त बिजली नीचे दी गई है :

मिलियन यूनिट

	1991-92	1992-93	1993-94
तारापुर 1 तथा 2	1711	1935	1823
राजस्थान 1 तथा 2	1186	1058	1260
मद्रास 1 तथा 2	2160	1978	1388
नरोरा 1 तथा 2 *	532	1680	335
ककरापार 1 @	-	-	621
कुल :	5589	6651	5427

* नरोरा परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट ने 1 फरवरी, 1991 से और दूसरे यूनिट ने 1 जुलाई, 1992 से वाणिज्यिक रूप से उत्पादन करना शुरू किया।

@ ककरापार परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट ने 6 मई, 1993 से वाणिज्यिक रूप से उत्पादन करना शुरू किया।

(ख) और (ग) वर्ष 1993-94 में कुल उत्पादन में कमी मुख्यत: नरोरा में आग लगने की घटना और उसके परिणामस्वरूप नाभिकीय बिजलीघरों के स्वदेशी टरबाइनों के एक के बाद एक किए गए सेवाकालीन निरीक्षणों के कारण हुई हैं।

(घ) परमाणु विद्युत संयंत्रों की विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए नई परियोजनाओं को धनराशि की उपलब्धता के समनुरूप हाथ में लिया जा रहा है। जिन विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा है उनके काम में तेजी लाई जा रही है ताकि वे विद्युत उत्पादन जल्दी शुरू कर सकें। काम कर रहे बिजलीघरों में उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहतर निवारक और प्रागुक्तिपरक अनुरक्षण पद्धतियाँ अपनाई जा रही हैं।

(ङ) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट का प्रचालन सामान्य तौर पर अच्छा रहा है और इसने 1.4.81 से लेकर 31.3.94 तक 60 प्रतिशत के आसपास जीवन-काल की औसत क्षमता उपयोग हासिल किया है। जहां तक राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट जोकि पहला दाबित भारी पानी रिएक्टर यूनिट है, का संबंध है, यह मुख्यतः कैलेंड्रिया के ऊपरी हिस्से के अगम्य स्थान में अत्यधिक दाब मोचन युक्ति से भारी पानी के हुए मामूली से रिसाव के कारण कम समय के लिए परिचालन हेतु उपलब्ध रहा।

(घ) कोटा के निकट स्थित राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दो यूनिटों की वर्तमान निर्धारित विद्युत उत्पादन क्षमता पहले तथा दूसरे यूनिट के मामले में क्रमशः 100 मेगावाट तथा 200 मेगावाट है। वर्तमान में दो अतिरिक्त यूनिट; जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 220 मेगावाट है, अर्थात् राजस्थान परमाणु बिजलीघर का तीसरा व चौथा यूनिट निर्माणाधीन हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1992-97) के दौरान इस परियोजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 1000 करोड़ रुपए है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए कार्य योजना

7122. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने हेतु कोई व्यापक कार्य योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सोलर फोओवाल्टिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने विद्युत संयंत्र अधिष्ठापित किये गये ; और

(घ) इससे कितने गांवों को लाभ पहुंचेगा ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी हां,। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने एक नई कार्यनीति और कार्रवाई योजना तैयार की है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों को संशोधित करके 600 मेवा. से 2000 मेवा. रखा गया है। नई कार्यनीति और कार्रवाई योजना के अनुसार विद्युत उत्पादन का निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी से पूर्ण वाणिज्यिकरण प्राप्त करने के लिए बाजार अभिविन्यास दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर, जिला अलीगढ़ और सराय सैदी, जिला मऊ में प्रत्येक 100 किवा. क्षमता के दो सौर प्रकाशवोल्टीय (एस.पी.वी.) विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये विद्युत संयंत्र सड़क रोशनी, घरेलू रोशनी और पड़ोसी गांवों को सिंचाई की पम्पिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे और विद्युत के एक भाग से स्थानीय ग्रिडों को पोषित किया जाएगा। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में कुल 143 किवा.0 क्षमता के 31 छोटे ग्राम स्तर के एस.पी.वी. विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं।

[अनुवाद]

सर्वाधिक शेयरधारक

7123. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने वर्तमान कम्पनियों के 500 सर्वाधिक शेयरधारकों न कि सभी शेयरधारकों की सूची मंगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके पीछे क्या तर्क हैं ; और

(ग) धारित शेयरों और उनके मौद्रिक मूल्य के संबंध में ''सर्वाधिक शेयरधारकों'' का निहितार्थ क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). विभाग एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसके तहत जिन कम्पनियों के 500 से अधिक सदस्य/ऋणपत्र धारक हैं वे केवल चोटी के 500 सदस्यों/ऋणपत्र धारकों का ही ब्यौरा दें ताकि ऐसी कम्पनियों को कम्पनी रजिस्ट्रार के पास दायर की गई वार्षिक विवरणी में सभी शेयरधारकों/ऋणपत्र धारकों के विस्तृत ब्यौरे देने की आवश्यकता न हो।

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान

7124. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और महासागर विकास विभाग राज्य सरकार के सहयोग से गोवा के समुद्र में एक महासागरीय जीवशाला (ओसियेनेरियम) स्थापित कर रहें हैं, और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसकी प्रस्तावित अनुमानित लागत कितनी है तथा इस परियोजना संबंधी व्यय में राज्य और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा कितना-कितना होगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां, श्रीमान्। गोवा सरकार के सहयोग से महासागर विकास विभाग, गोवा के समुद्र में एक महासागरीय जीवशाला (ओसियेनेरियम) स्थापित करने की संभावना पर छानबीन कर रहा है। अभी इस अवस्था में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान को इस में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड से व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया है और इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद ही इस परियोजनों की अनुमानित लागत का ब्यौरा ज्ञात होगा।

गुजरात में चलती-फिरती प्रयोगशालाएं

7125. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जल की गुणवत्ता की जांच के लिए कितनी स्थाई और चलती-फिरती प्रयोगशालाएं हैं ;

(ख) क्या इस राज्य में इस प्रकार की और प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) गुजरात में जल की गुणवत्ता निगरानी के लिए 16 स्थायी प्रयोगशालाएं (3 के अभी कार्य शुरू करना है) तथा एक चलती-फिरती (मोबाइल) प्रयोगशाला है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गृह निर्माण परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को विदेशी सहायता

7126. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मनी के के.एफ.डब्लू. और जापान के ओ.ई.सी.एफ. द्वारा दी गई वित्तीय सहायता में से मध्य प्रदेश सरकार को कितनी राशि दी गई है ;

(ख) मध्य प्रदेश इस सहायता का उपयोग किस तरह कर रहा है ; और

(ग) इस सहायता से कितने मकान कहां-कहां बने ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) से (ग). जर्मनी के के.एफ.डब्ल्यु. और जापान के ओ.ई.सी.एफ. द्वारा हडको से तय हुई वित्तीय सहायता में से मध्य प्रदेश सरकार को अब तक कोई राशि नहीं दी गई है। हौसंगाबाद और रतलाम के दो निर्मित केन्द्रों में से प्रत्येक के लिए के.एफ.डब्लु अनुदान से 10.50 लाख रुपये तय हैं, जिसके लिए के.एफ.डब्लू के अनुमोदन हेतु प्रौद्यो-आर्थिक वित्तीय सूचना भेजी जानी है। उस के बाद ही मध्य प्रदेश के इन दो निर्मित केन्द्रों को के.एफ.डब्लु सहायता प्राप्त होगी।

[अनुवाद]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

7127. श्री पृथ्वी राज डी. चव्हाण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1993 से मार्च, 1994 के दौरान कितनी शुद्ध राशि के प्रत्यक्ष निवेश के विदेशी प्रस्ताव राज्य-वार स्वीकृत किये गये ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान आधारभूत क्षेत्र, उपभोक्ता वस्तुओं और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश वास्तव में कितना किया गया ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) अप्रैल, 1993 से मार्च, 1994 के दौरान अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों की निवल राशि का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि अप्रैल, 1993 से मार्च 1994 की अवधि के दौरान विदेशी निवेश के वास्तविक अन्तर्वाह की राशि 1925.89 करोड़ रुपये थी और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक अन्तर्वाह के उद्योगवार वितरण का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

विवरण

अप्रैल, 1993 से मार्च 1994 की अवधि में अनुमोदित किये गये

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामलों की राज्यवार रिपोर्ट

राज्य	अप्रैल, 1993 संख्या	मार्च 1994 निवेश (रुपये करोड़ में)
1	2	3
महाराष्ट्र	109	1513.87
दिल्ली	89	955.80
अन्य	61	944.71
उड़ीसा	11	779.59
मध्य प्रदेश	17	582.87
तमिलनाडु	18	558.78
कर्नाटक	43	355.94
आंध्र प्रदेश	43	348.99
गुजरात	30	303.39
हरियाणा	38	133.74
राजस्थान	24	75.77
उत्तर प्रदेश	16	63.79
पं. बंगाल	21	48.30
गोआ	10	36.59
केरल	1	21.89
चंडीगढ़	3	20.02
दादरा और नगर हवेली	2	7.43

1	2	3
पंजाब	7	7.21
हिमाचल प्रदेश	3	2.62
पांडिचेरी	4	2.18
दमन व दीव	2	1.42
बिहार	2	1.37
अंदमान और निकोबार	1	0.90
असम	2	0.27
	626	6767.43

सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन

7128. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन ने विभिन्न राज्यों में कुछ नई योजनाओं की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर राज्यवार कितनी धनराशि लगेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन ने चार योजनाओं की घोषणा की है, जिनके विवरण इस प्रकार हैं : -

स्थान	आवसीय एकक	कुल योजना लागत (करोड़ रुपये)
1. नेरूल, न्यू बम्बई	384	18.13
2. पूनामल्ली हाई रोड़, मद्रास	524	18.00
3. वी.आई.पी.रोड कलकत्ता	676	27.10
4. सेक्टर-51, नोएडा	632	29.00

ये सभी योजनाएं स्व-वित्त पोषण पर आधारित है।

ब्लेडों का निर्माण

7129. श्री मृत्युंजय नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में अच्छी किस्म के ब्लेडों के निर्माण के लिए कतिपय विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर किए गए ऐसे सहयोग संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारत में मांग की तुलना में रेजर-ब्लेडों का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होता है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकार ने मैसर्स हरबंस लाल मल्होत्रा एंड सन्स लिमिटेड, कलकत्ता को मैसर्स जिलेट इन्टरनेशनल, यू.के. के साथ 49 प्रतिशत विदेशी इक्विटी भागेदारी के विदेशी सहयोग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेजर ब्लेडों का उत्पादन निम्न प्रकार था :

1990-91	3423 मिलियन नग
1991-92	3467 मिलियन नग
1992-93	3093 मिलियन नग

केरल में औद्योगिक विकास केन्द्र

7130. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कन्नानोर और अलेप्पी में प्रस्तावित औद्योगिक विकास केन्द्रों पर कार्य शुरू हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक विकास केन्द्रों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(घ) उक्त धनराशि का अब तक किस तरह प्रयोग किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) विकास केन्द्र योजना - 1988 के अधीन केरल में एल्लेपी पत्तनमथित्ता में एक विकास केन्द्र तथा कन्नूर-कोजिकोड-मल्लापुरम में एक अन्य विकास केन्द्र को मंजूरी दी गई है। इन केन्द्रों के लिए प्रति केन्द्र 50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जाना है।

परीक्षाओं के लिए बिना प्रश्न पत्र प्रणाली

7131. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सूचना (इनफार्मेटिक्स) केन्द्र ने एक कम्प्यूटर आधारित बिना प्रश्न पत्र परीक्षा प्रणाली विकसित की है ;

(ख) क्या तब से इसकी विश्वसनीयता और कार्यकरण देखने के लिए इसकी जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त प्रणाली के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं आयोजित करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रणाली की विशेष बातों के विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ङ). राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) द्वारा विकसित कम्प्यूटर आधारित बिना प्रश्न पत्र परीक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता की जांच करने के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग ने सरकार के अधीन कुछ पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की थी। इसका क्षेत्र सीमित था जिसमें लगभग 6000 उम्मीदवार (जो वास्तव में परीक्षा में बैठे) बैठे थे। उम्मीदवारों की केवल एक ही प्रश्न पत्र में परीक्षा ली गई थी तथा इस पद्धति द्वारा 18 केन्द्रों में सितम्बर, 1993 को लगभग 3 सप्ताह की अवधि में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा की इस पद्धति द्वारा प्राप्त अनुभव का इस समय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

न्यायपालिका अकादमी

7132. श्री पी. कुमारसामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यायपालिका के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु न्यायपालिका अकादमी गठित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कपंनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार द्वारा किए गए विनिश्चय के आधार पर, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम सं. 21) के अधीन दिल्ली के सोसाइटी रजिस्ट्रार के पास तारीख 17 अगस्त, 1993 को रजिस्ट्रीकृत किया गया है। अकादमी उक्त तारीख से अस्तित्व में आ गई है और उसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है।

बिना बारी के आवासों का आबंटन

7133. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **शहरी विकास** मंत्री 5 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7723 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ के प्रशासक ने मई, 1993 से विभिन्न श्रेणियों के आवासों का बिना बारी के आबंटन किया है ;

(ख) यदि हां, तो आबंटियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों में प्राथमिकता के आधार पर कितने आवासों का आबंटन किया गया है ; और

(घ) इस समय प्रत्येक श्रेणी की प्रतीक्षा सूची में पहले व्यक्ति की वरीयता का वर्ष क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अधिगृहीत भूमि का संशोधित दर पर मुआवजा

7134. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक मामलों में उन किसानों को जिनकी कृषि भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) द्वारा अधिगृहित की गयी थी, उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 1991 तथा 1992 और 1993 के दौरान दिये गये निर्णय (निर्णयों) के अनुसार संशोधित दर पर मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों का ब्यौरा क्या है और संशोधित दर पर मुआवजे का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) संशोधित दर से मुआवजा कब तक दिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी में बदलना

7135. डा. सुधीर राय :

श्री मुही राम सैकिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित समूह ''क'' और ''ख'' के पदों की सामान्य श्रेणी पदों में परिवर्तित किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सुसंगत प्रावधानों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को सीधी भर्ती के मामले में सामान्य श्रेणी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

डी.डी.ए. द्वारा भूमि आबंटन के कथित मामले

7136. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत बारह महीनों के दौरान डी.डी.ए. अधिकारियों द्वारा प्रापर्टी डीलरों के साथ मिलीभगत करके छद्म व्यक्तियों को भूमि का आबंटन करने के कुछ मामले केन्द्रीय सरकार की जानकारी में आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ;

(घ) क्या आबंटन के ऐसे सभी मामलों की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) और (ख) डी.डी.ए. ने बताया है कि गत बारह महीनों के दौरान डी.डी.ए. के कर्मचारियों द्वारा प्रापर्टी डीलर के साथ मिली भगत से डा. मुखर्जी नगर नई दिल्ली में प्लाट सं. 1161 किसी छद्म व्यक्ति को आबंटित किए जाने का एक मामला नोटिस में आया है।

(ग) चार कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है। एक आपराधिक मामला भी पुलिस में दर्ज कराया गया है।

(घ) से (च) उपाध्यक्ष, डी.डी.ए. ने मुखर्जी नगर क्षेत्र में किये गये आबंटनों की गहराई से जांच करने का आदेश दिया है। तथापि, अन्य क्षेत्रों में आबंटन के सभी मामलों की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है चूंकि विगत तीन दशकों से भी अधिक समय के दौरान भूमि के हजारों आबंटन किये गये हैं और ऐसा करना न तो व्यवहार्य है और न ही सम्भव है।

[हिन्दी]

प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड

7137. डा. मुमताज अंसारी :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री भीम सिंह पटेल :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के सिंदरी मुख्यालय को बंद करने का है जैसा कि 4 मार्च, 1994 के हिन्दी दैनिक ''राष्ट्रीय सहारा'' में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार ने इसमें कार्यरत कर्मचारियों को समुचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाएं

7138. श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री अरविंद त्रिवेदी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवीनतम जनगणना के अनुसार देश में ग्रामीण लोगों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है ;

(ख) देश में ग्रामीण विकास योजनाओं पर राज्य-वार राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है ; और

(ग) ग्रामीण विकास पर व्यय में वृद्धि करने के लिए सरकार राज्य-वार क्या कदम उठा रही है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण - I में दिए गए हैं।

(ग) ग्रामीण विकास स्कीमों अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) संवर्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी)।

सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी) के लिए वर्ष 1993-94 हेतु कुल आबंटन में गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा पांडिचेरी के अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गत वर्ष के दौरान कुल आंबटन की तुलना में पर्याप्त वृद्धि की गई है। राज्यवार आबंटन संलग्न विवरण - II में दिए गए हैं।

विवरण - I

ग्रामीण जनसंख्या (1991 जनगणना) तथा वर्ष 1991-92 के लिए ग्रामीण विकास स्कीमों पर व्यय किए गए निवल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता

		I	II	III	
क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण जनसंख्या (लाख)	प्रमुख ग्रामीण विकास कार्य (91-92) पर वास्तविक व्यय करोड़ रू.	निवल राज्य घरेलू उत्पाद (91-92) करोड़ रु.	कालम 4 व 5 का
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	486.2	329.62	36101.8	0.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.5	14.91	484.0	3.08
3.	असम	199.3	113.31	9562.1	1.18
4.	बिहार	750.2	506.50	25454.9	1.99
5.	गोआ	6.9	10.54	1032.3	1.02
6.	गुज़रात	270.6	193.31	26533.3	0.73
7.	हरियाणा	124.1	77.72	14437.1	0.54
8.	हिमाचल प्रदेश	47.2	55.31	2797.9	1.98
9.	जम्मू व कश्मीर	58.8	67.32	3167.0	2.13
10.	कर्नाटक	310.2	299.44	25435.1	0.82
11.	केरल	214.2	136.90	13542.7	1.01
12.	मध्य प्रदेश	508.4	478.81	27354.9	1.75
13.	महाराष्ट्र	483.9	371.32	62097.7	0.60
14.	मणिपुर	13.3	15.73	760.5	2.07
15.	मेघालय	14.4	18.79	797.6	2.36
16.	मिजोरम	3.7	10.82	*	-
17.	नागालैण्ड	10.0	17.54	674.3	2.60
18.	उड़ीसा	274.2	219.03	12913.2	1.70
19.	पंजाब	142.9	45.13	19620.8	0.23
20.	राजस्थान	335.4	309.11	19501.5	1.59

1	2	3	4	5	6
21.	सिक्किम	3.7	12.16	223.8	5.43
22.	तमिलनाडु	347.8	341.67	28868.2	1.18
23.	त्रिपुरा	23.3	15.90	*	-
24.	उत्तर प्रदेश	1115.0	750.18	56380.6	1.33
25.	पश्चिम बंगाल	493.7	290.86	35827.1	0.81

I. आंकड़े पूर्णांकों में

II. प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, सूख प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम।

III. 30.11.93 की स्थिति के अनुसार चालू कीमतों पर

* आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

विवरण - II

वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए आबंटित राज्यवार निधियां (केन्द्र + राज्य)

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षेत्र	1992-93	1993-94
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	35342.28	55808.34
2.	अरूणाचल प्रदेश	2050.51	2923.51
3.	असम	12652.76	18578.35
4.	बिहार	68706.30	101330.15
5.	गोआ	962.93	949.46
6.	गुजरात	19636.93	26354.80
7.	हरियाणा	6895.06	9294.94
8.	हिमाचल प्रदेश	6338.69	4620.01
9.	जम्मू व कश्मीर	7089.13	10418.24

1	2	3	4
10.	कर्नाटक	25582.71	40556.83
11.	केरल	14210.36	15807.24
12.	मध्य प्रदेश	45723.50	74313.24
13.	महाराष्ट्र	45776.64	66607.53
14.	मणिपुर	1769.75	2566.36
15.	मेघालय	2439.58	2545.68
16.	मिजोरम	1027.43	1751.75
17.	नागालैण्ड	1651.76	2690.46
18.	उड़ीसा	24293.90	45753.91
19.	पंजाब	5612.54	5100.30
20.	राजस्थान	31944.01	45414.08
21.	सिक्किम	1037.98	1096.76
22.	तमिलनाडु	33221.48	46404.43
23.	त्रिपुरा	1939.83	2637.40
24.	उत्तर प्रदेश	88274.76	108864.21
25.	पश्चिम बंगाल	35836.34	47479.20
26.	अ.व. नि.द्वीप	333.70	623.70
27.	दादर व न.हवेली	148.02	183.89
28.	दमन व दीव	137.83	214.83
29.	लक्षद्वीप	155.58	188.55
30.	पांडिचेरी	353.38	306.47
	जोड़	521597.09	741425.62

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर आबंटन में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस), ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) तथा मरूस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी),

बागवानी भूमि का अतिक्रमण

7139. श्रीमती सरोज दुबे :

श्री मंजय लाल :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागवानी विभाग ने दिल्ली में हरियाली के लिए जोनवार कुल कितनी भूमि का प्रावधान किया है ;

(ख) जोनवार कुल कितनी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है ;

(ग) 1993 के अंत तक कुल कितनी भूमि वापस प्राप्त की गयी है ;

(घ) शेष भूमि को वापस लेने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ;

(ङ) क्या बड़े स्तर के ऐसे अतिक्रमण के परिणामस्वरूप दिल्ली के मास्टर प्लान में कोई परिवर्तन करने पर विचार किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मास्टर प्लान हरित के तहत् 11608.21 एकड़ क्षेत्रफल आता है। जोन-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं : -

पूर्वी जोन	-	1348.47 एकड़
उत्तरी जोन	-	1897.81 एकड़
दक्षिणी जोन	-	5293.63 एकड़
पश्चिमी जोन	-	2314.07 एकड़
रोहिणी जोन	-	754.23 एकड़
कुल क्षेत्रफल	-	11608.21 एकड़

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि 161.72 एकड़ हरित क्षेत्र अवैध कब्जे में हैं जोन-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं : -

पूर्वी जोन	-	10.08 एकड़
उत्तरी जोन	-	21.52 एकड़
दक्षिणी जोन	-	109.67 एकड़
पश्चिमी जोन	-	18.05 एकड़
रोहिणी जोन	-	2.40 एकड़
कुल	-	161.72 एकड़

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि वर्ष 1993 के दौरान विभिन्न स्थानों पर बागवानी के लिए

नियत 12.74 एकड़ भूमि मुक्त कराई जा चुकी है।

(घ) अतिक्रमण को हटाना एक सतत् प्रक्रिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विभिन्न अतिक्रमणो का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और गिराने की कार्रवाई करके डी.डी.ए. भूमि (हरित) को मुक्त कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) चूंकि, हरित क्षेत्र में अतिक्रमण बड़े पैमाने पर नहीं है, अतः ऐसे अतिक्रमणों के परिणामस्वरूप मास्टर प्लान में किसी बड़े परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मारूति वाहनों के मूल्य

7140. श्री रवि राय :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री पी.सी. थामस :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए 1993-94 के बजट में शुल्क में भारी कटौती किये जाने के बावजूद मारुति जीप वैन और कारों के मूल्य में हाल ही में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी वृद्धि की गई है ; और

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) मारूति उद्योग लिमिटेड के अनुसार, वर्ष 1993-94 के बजट में उत्पाद शुल्क में दी गई छूट का लाभ ग्राहकों को पूरी तरह से दे दिया गया था। चालू वित्त वर्ष के दौरान मारुति वाहनों के मूल्य में हुए परिवर्तन इस प्रकार हैं : -

उत्पाद शुल्क सहित फैक्ट्री से निकलते हुए समय मूल्य (रुपये)

मॉडल	6.4.94 से पहले	6.4.94 से
मारुति 800 स्टेण्डर्ड	1,49,990	1,56,296
ओमनी (एफ.आर.)	1,39,469	1,45,775
जिप्सी (एस.टी.)	2,33,591	2,41,998
मारुति 1000 ए.सी.	3,32,530	कोई परिवर्तन नहीं
जेन	2,80,650	कोई परिवर्तन नहीं

(ग) कम्पनी द्वारा मूल्यों में बढ़ोतरियां लागत, बाजार और अन्य व्यावसायिक कारणों पर विचार करने के बाद की जाती हैं।

मारूति उद्योग लिमिटेड

7141. श्री तेज नारायण सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सभी प्रकार की बजट संबंधी सहायता समाप्त करने को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार सुजुकी मोटर कंपनी में अपने शेयर लगाने के लिए मारूति उद्योग लिमिटेड से अपने शेयरों को वापस लेने का है ;

(ख) क्या सरकार ने मारुति उद्योग लिमिटेड को जापान से अपेक्षित 150 करोड़ रुपये प्राप्त करने की अनुमति दे दी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) मारुति उद्योग लिमिटेड की उद्योग का विस्तार करने, धन की अतिरिक्त आवश्यकता और उसमें सरकार के अंशदान के संबंध में क्या योजना है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मारुति उद्योग लिमिटेड उत्पादन क्षमता को प्रति वर्ष 1,30,000 से बढ़ाकर 2,00,000 वाहन करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 695 करोड़ रुपए है। मारुति उद्योग लिमिटेड के अनुसार, इस परियोजना को इस समय मारूति उद्योग लिमिटेड के पास उपलब्ध संसाधनों से वित्त पोषित किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए सरकार द्वारा अब तक इक्विटी अथवा ऋण के रूप में कोई विशिष्ट योगदान नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

मारुति वाहनों का उत्पादन

7142. श्री महेश कनोडिया :

श्री बलराज पासी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मारुति वाहनों का उत्पादन बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है ;

(घ) वर्ष 1993-94 के दौरान आज तक कुल कितने वाहनों का उत्पादन हुआ ; और

(ङ) 1994-95 के दौरान वाहनों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) मारुति उद्योग लिमिटेड (एमयूएल) उत्पादन क्षमता को प्रति वर्ष 1,30,000 से बढ़ाकर 2,00,000 वाहन करने के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियेजना की अनुमानित लागत 695 करोड़ रुपये है। इस क्षमता से वास्तविक उत्पादन लगभग 2,30,000 वाहन हो सकेगा।

(ग) वर्ष 1993-94 में मारुति उद्योग लि. ने 1,58,109 वाहनों का उत्पादन किया।

(घ) मारुतिं उद्योग लिमिटेड को 1994-95 में 1,81,000 वाहनों के उत्पादन की आशा है।

सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा सुविधाएं

7143. श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नौसेना के अस्पताल ''अश्विनी'' का आधुनिकीकरण करने संबंधी कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) सशस्त्र बलों के अस्पतालों के आधुनिकीकरण की स्कीमें चरणबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही हैं। इन स्कीमों का लक्ष्य इन अस्पतालों में अधिक संख्या में चिकित्सा उपस्कर उपलब्ध कराना है।

(ग) जी, हां।

(घ) आई.एन.एच.एस. ''अश्विनी'' की आधुनिकीकरण योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं : -

(1) एक नए बहुमंजिले एकीकृत हॉस्पिटल परिसर का निर्माण जिसमें 825 की स्वीकृत संख्या में बिस्तर होंगे तथा वह सुसज्जित कमान हास्पिटल की तरह का होगा।

(2) अस्पताल से फायदा उठाने वालों की बढ़ती हुई संख्या तथा परिसरीय सशस्त्र बल अस्पतालों की मेडिकल कवरेज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसंरचना का सृजन करना।

(3) कार्डियोथोरेकिक, न्यूरोसर्जरी, मैलिगनेंट डिसीजिज, गैस्ट्रो-इंटेरोलोजी, इंडोक्रिनोलोजी, रिकन्स्ट्रक्टिव तथा बन्सर्सर्जरी के क्षेत्रों में अति विशिष्ट सुविधाएं तथा एक इमेजिंग सेंटर स्थापित करना।

मतदाता सूची

7144. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संशोधित मतदाता सूची से अनेक बंगलादेशी घुपैठियों के नाम हटा दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

पीने के प्रयोजनार्थ समुद्री जल की आपूति।

7145. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र के समीप स्थित नगरों में समुद्री जल को पीने के प्रयोजनार्थ पाइप लाइनों के जरिये सप्लाई करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन नगरों में यह योजना सबसे पहले शुरू की जाएगी और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में समन्वित ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना

7146. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने समन्वित ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण परियोजना को विश्व बैंक की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ;

(ग) प्रस्तावित योजना में कितने गांवों को शामिल किए जाने का विचार है ;

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्रायली बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह

7147. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्रायली बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह ने वित्त पोषण और सह-संवर्द्धन हेतु कतिपय संयुक्त उद्यम वाली परियोजनाओं का पता लगाने के लिए अधिकारियों का एक दल भारत भेजा था ;

(ख) क्या ऐसी कतिपय परियोजनाओं का अभी तक पता लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) भारत में व्यापार संभावनाओं का पता लगाने के लिए इजरायल से अनेक व्यापारिक शिष्टमंडल आये हैं। संभवत: यह उस शिष्टमंडल से संबंधित है जिसमें इजरायल की लगभग 40 कंपनियों के प्रतिनिधि थे जिन्होंने 22 जनवरी, 1994 से भारत का 3 सप्ताह के लिए दौरा किया था। उक्त शिष्टमंडल ने जिसे इजरायल निर्यात संस्थान (आई.ई.आई.) द्वारा प्रयोजित किया गया था, बम्बई तथा नई दिल्ली दिल्ली स्थित अनेक भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें की। यहां कृषि, सिंचाई, जल प्रबंधन, दूरसंचार, बिजली, इलैक्ट्रोनिक्स, धातु तथा मशीनरी इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनायें हैं।

[हिन्दी]

ब्रिटेन से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

7148. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रोनिक्स और विज्ञान के कुछ विशेष क्षेत्रों सहित वैज्ञानिक महत्व के कई क्षेत्रों में ब्रिटेन से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण हेतु पहले करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) सरकार ब्रिटेन के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रूचि वाले क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत बनाने की इच्छुक है जो कि अंतरक्रिया के उचित तरीकों से किया जायेगा जिसमें दोनों देशों के इच्छुक संस्थानों में संयुक्त कार्यक्रमों को दिया जाने वाला समर्थन भी शामिल हैं।

[अनुवाद]

मेघालय में यूरेनियम के भंडार

7149. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय में यूरेनियम के विशाल भंडार हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और अब तक इसकी कितनी मात्रा निकाली गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से इससे मिलने वाली रायल्टी के मुद्दे पर कोई समझौता किया है ;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) मेघालय के पश्चिमी खासी पहाड़ी जिले के डोमियासियात नामक स्थान पर 9.22 मिलियन मीटरी टन अयस्क में विद्यमान 9500 मीटरी टन यूरेनियम ऑक्साइड यू 3 ओ 8 के भंडार वाले एक ऐसे यूरेनियम निक्षेप का पता लगाया गया है जिसमें 0.014 प्रतिशत औसत ग्रेड वाला यू 3 ओ 8 (यूरेनियम ऑक्साइड) है।

(ख) यूरेनियम के भंडारों का अनुमान लगाने के बाद, अयस्कों को संसाधित करने के लिए प्रयोगशाला में किए गए अध्ययनों के आधार पर तैयार किए गए प्रक्रम चित्र को मानकीकृत करने के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित किया गया है। इस निक्षेप का वाणिज्यिक दृष्टि से उपयोग करने के लिए तैयार की गई संभाव्यता रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। लगभग एक टन यू3 ओ 8 (यूरेनियम ऑक्साइड) से युक्त अयस्क का उत्खनन प्रायोगिक संयंत्र में उसे संसाधित करने के लिए किया गया।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार को यह सूचित किया गया है कि भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, 0.05 प्रतिशत यू. 3 ओ. 8 (यूरेनियम ऑक्साइड) वाले अयस्क के लिए 2.52 रुपए प्रतिटन की दर से रॉयल्टी देय है। यू 3 ओ 8 (यूरेनियम ऑक्साइड) की मात्रा 0.05 प्रतिशत से अधिक होने पर, रॉयल्टी में वृद्धि 0.01% यू 3 ओ 8 वाले अयस्क की प्रति टन मात्रा के लिए 0.50 रुपए प्रति यूनिट की दर से की जाएगी।

|हिन्दी|

संयुक्त राज्य अमेरिका से उन्नत प्रौद्योगिकी

7150. श्री राजेश कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में उन्नत प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और अन्य देशों से उन्नत प्रौद्योगिकी के आयात हेतु निर्धारित दिशा निर्देश क्या हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या एहितयाती उपाय किए गए हैं कि विदेशी प्रौद्योगिकी के नाम पर अप्रयुक्त प्रौद्योगिकी का आयात न किया जाए ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठते।

|अनुवाद|

उर्वरक एकक

7151. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के उर्वरक एककों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वर्तमान उर्वरक एकक देश में विभिन्न उर्वरकों की मांग को पूरा करने में समर्थ है ; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में नये उर्वरक एककों की स्थापना करने के लिये स्थान-वार क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सार्वजनिक सहकारी और निजी क्षेत्र में (राज्यवार) मुख्य उर्वरक उत्पादक संयंत्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) तीन मुख्य उर्वरक पोषकों अर्थात् नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश में से नाइट्रोजन की लगभग 85 प्रतिशत मांग और फास्फेट की 70 प्रतिशत मांग स्वदेशी उत्पादन से पूरी की जाती है। शेष मांग आयातों से पूरी की जाती है। पोटाशा की पूरी अपेक्षाओं को आयातों से पूरा किया जाता है क्योंकि देश में पोटाश के ज्ञात दोहन योग्य भण्डार नहीं हैं।

मांग और उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन के बीच के अंतर को कम करने के लिए दो नए अमोनिया/यूरिया संयंत्र, बबराला (उत्तर प्रदेश) और शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में निजी क्षेत्र में हैं, इस समय कार्यान्वयनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त एन एफ एल और इफको ने क्रमशः विजयपुर (मध्यप्रदेश) और आंवला (उत्तर प्रदेश) में स्थित गैस पर आधारित अपने संयंत्रों की क्षमता दुगुनी करने के लिए परियोजनाएं आरम्भ की हैं।

विवरण

देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में राज्यवार मुख्य उर्वरक संयंत्र

क्रमांक	कम्पनी का नाम	राज्य का नाम	क्षेत्र	उत्पाद	1.4.94 को पोषक के रूप में 000 मी. टन स्थापित क्षमता नाइट्रोजन (एन) फास्फेट (पी)
1	2	3	4	5	6
1.	दि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडियां लि., रामागुण्डम	आन्ध्र प्रदेश	सार्वजनिक	यूरिया	228.0 (एन)
2.	कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि., विशाखापत्तनम	-वही-	निजी	कम्पलैक्स	84.0 (एन) 104.0 (पी)
3.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि., काकीनाडा	-वही-	-वही-	डीएपी	54.0 (एन) 138.0 (पी)
4.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि., काकीनाडा	-वही-	-वही-	यूरिया	228.0 (एन)
5.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि., उद्योग मण्डल	केरल	सार्वजनिक	अमोनियम सल्फेट 20:20	98.0 (एन) 30.0 (पी)
6.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि., कोचीन-I	-वही-	-वही-	यूरिया	152.0 (एन)
7.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि., कोचीन -II	-वही-	-वही-	डीएपी 20:20	96.0 (एन) 114.0 (पी)
8.	मंगलोर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., मंगलोर	कर्नाटक	निजी	यूरिया, डीएपी	181.0 (एन) 63.0 (पी)

1	2	3	4	5	6
9.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि., मद्रास	तमिलनाड	सार्वजनिक	यूरिया और कम्पलैक्स	176.0 (एन) 112.0 (पी)
10.	नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि., नेवेली	-वही-	-वही-	यूरिया	70.0 (एन)
11.	साउदर्न पेट्रो-कैमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि., तुतीकरेरिन	-वही-	निजी	यूरिया, डी एपी	312.0 (एन) 191.0 (पी)
12.	ईआईडी पैरी (इंडिया) लि., इन्नोर	-वही-	-वही-	कम्पलैक्स 16 : 20	15.0 (एन) 19.0 (पी)
13.	तुतीकोरिन अल्कली कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., तुतीकोरिन	-वही-	-वही-	अमोनियम सल्फेट	16.0 (एन)
14.	जुआरी एग्रो-कैमिकल्स लि. गोवा	गोवा	निजी	यूरिया, डीएपी, कम्पलैक्स	198.0 (एन) 111.0 (पी)
15.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., विजयपुर	मध्य प्रदेश	सार्वजनिक	यूरिया	334.0 (एन)
16.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., ट्राम्बे	महाराष्ट्र	-वही-	यूरिया, 15 : 15 : 15	99.0 (एन) 45.0 (पी)
17.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., ट्राम्बे - II	-वही-	-वही-	कम्पलैक्स 20.7-20.7	75.0 (एन) 75.0 (पी)
18.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., ट्राम्बे-I	-वही-	-वही-	यूरिया	152.0 (एन)

1	2	3	4	5	6
19.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. थाल	महाराष्ट्र	सार्वजनिक	यूरिया	683.0 (एन)
20.	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकैमिकलस कार्पोरेशन लि. तलोजा	-वही-	निजी	एन पी के कम्पलैक्स	53.0 (एन) 53.0 (पी)
21.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि., कलोल	गुजरात	सहकारी	यूरिया	182.0 (एन)
22.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि., काण्डला	-वही-	-वही-	डीएपी कम्पलैक्स	120.0 (एन) 309.0 (पी)
23.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि., हजीरा	-वही-	-वही-	यूरिया	668.0 (एन)
24.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि., बड़ोदरा	-वही-	निजी	डीएपी अमोनियम सल्फेट यूरिया	236.0 (एन) 50.0 (पी)
25.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कम्पनी लि., सिक्का	-वही-	-वही-	डीएपी	59.0 (एन) 150.0 (पी)
26.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं.लि., भरूच	-वही-	-वही-	यूरिया, एनपीके और सीएएन	340.0 (एन) 33.0 (पी)
27.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स कैमिकल्स, कोटा	राजस्थान	निजी	यूरिया	152.0 (एन)
28.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि., गडेपन	-वही-	-वही-	यूरिया	342.0 (एन)
29.	फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया लि., सिन्दरी	बिहार	सार्वजनिक	यूरिया, अमोनिया सल्फेट	219.0 (एन)

1	2	3	4	5	6
30.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि., बरौनी	बिहार	सार्वजनिक	यूरिया	152.0 (एन)
31.	पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि., अमझोर	-वही-	-वही-	एसएसपी	42.0 (पी)
32.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि., तालचर	उड़ीसा	-वही-	यूरिया	228.0 (एन)
33.	पारादीप फास्फेट्स लि., पारादीप	-वही-	-वही-	डीएपी	130.0 (एन) 331.0 (पी)
34.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि., दुर्गापुर	पं. बंगाल	-वही-	यूरिया	152.0 (एन)
35.	हिन्दुस्तान लीवर लि., हल्दिया	-वही-	निजी	डीएपी	29.0 (एन) 71.0 (पी)
36.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., भटिण्डा	पंजाब	सार्वजनिक	यूरिया	235.0 (एन)
37.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. नांगल-I	-वही-	-वही-	सीएएन	80.0 (एन)
38.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. नांगल-II	-वही-	-वही-	यूरिया	152.0 (एन)
39.	पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि., नांगल	-वही-	निजी	अमोनियम क्लोराइड	16.0 (एन)
40.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि., गोरखपुर	उत्तर प्रदेश	सार्वजनिक	यूरिया	131.0 (एन)
41.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि., फूलपुर	उत्तर प्रदेश	सहकारी	यूरिया	228.0 (एन)

1	2	3	4	5	6
42.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि., आंवला	उत्तर प्रदेश	सहकारी	यूरिया	334.0 (एन)
43.	चांद छाप फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि., कानपुर	-वही-	निजी	यूरिया	310.0 (एन)
44.	इण्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन लि. जगदीशपुर	-वही-	-वही-	यूरिया	334.0 (एन)
45.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि., पानीपत	हरियाणा	सार्वजनिक	यूरिया	235.0 (एन)
46.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि. नामरूप-I	आसाम	-वही-	अमोनियम सल्फेट	21.0 (एन)
47.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि., नामरूप-II	-वही-	-वही-	यूरिया	152.0 (एन)
48.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि., नामरूप-III	-वही-	-वही-	यूरिया	177.0 (एन)

कृषि में पूंजी निवेश

7152. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि में पूंजी निवेश की दर में हाल ही में गिरावट आयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस गिरावट की प्रवृत्ति के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने सिंचाई, ग्रामीण संचार तथा कृषि से संबंधित अन्य आधारभूत सुविधाओं में सार्वजनिक पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). 1980-81 की कीमतों पर कृषि में सकल निवेश 1980-81 के 4636 करोड़ रुपये से घटकर 1986-87 में 4015 करोड़ रुपये हो गया और बाद में 1992-93 में यह बढ़कर 4567 करोड़ रुपये हो गया।

(ग) इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण छठी तथा सातवीं योजना अवधियों के दौरान कृषि में सार्वजनिक क्षेत्रक निवेश की गति का मंद होना है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, सिंचाई तथा सम्बद्ध सेक्टरों के हिस्से में कुल निवेश के 18.65 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। आठवीं योजना में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम, ग्रामीण सड़कों तथा ऐसे अन्य आधारभूत संरचनाओं पर बल दिया गया है। पंचायत दूरभाष का प्रावधान ग्रामीण दूर संचार नेटवर्क के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।

किसानों की प्रति व्यक्ति आय

7153. श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी आबादी तथा गांवों में रह रहे किसानों के बीच प्रति व्यक्ति आय का अनुपात क्या है ;

(ख) क्या किसानों की प्रति व्यक्ति आय शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जापान जैसे कुछ देशों में किसानों तथा शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की प्रति व्यक्ति आय का अनुपात 140:100 है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने किसानों की प्रति व्यक्ति आय को शहरी आबादी के प्रति व्यक्ति आय के स्तर तक उठाने के लिए क्या प्रयास किये हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). किसानों की प्रति व्यक्ति आय के अनुमान अलग से उपलब्ध नहीं है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों, जिनमें गांवों में रहने वाले किसान भी शामिल हैं. के निवल घरेलू उत्पाद के अनुमान जनगणना वर्ष 1970-71 तथा 1980-81 के लिए ही चालू कीमतों पर तैयार किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के औसत अनुपात की तुलना में वर्ष 1970-71 तथा 1980-81 के लिए क्रमशः 2.43 तथा 2.32 होता है। इस प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की औसत प्रति व्यक्ति आय शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय से कम है।

(ग) जापान के लिए इस प्रकार की सही जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) 8वीं योजना के दौरान कृषि की संवृद्धि तथा पशु-पालन, रेशम उत्पाद, मत्स्य उद्योग, बागवानी, कृषि-वानिकी इत्यादि जैसे अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों में कृषि के विविधीकरण से किसानों के लाभ तथा आय के अधिक सर्जन में सहायता मिलेगी। 8वीं योजना के दौरान शुष्क भूमि खेजी तथा जलसंभर आधार पर वर्षासिंचित क्षेत्रों के उपचार पर विशेष ध्यान देने से उन्नत उत्पादकता के माध्यम से किसानों के लिए अधिक आय सर्जन में सहायता मिलेगी। 7वीं योजना में 11.23 प्रतिशत के कुल निवेश में 8वीं योजना में पूर्वानुमानित 18.65 प्रतिशत के कुल निवेश से सिंचाई सहित कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रक के हिस्से में वृद्धि के माध्यम से कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रकों के पक्ष में निवेश में महत्वपूर्ण परिवर्तन भी उत्पादकता के स्तर तथा किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा।

गैस क्रैकर एकक

7154. श्री उद्धव बर्मन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में गैस क्रैकर एकक लगाने संबंधी प्रस्ताव के कार्यान्वयन में विलम्ब किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). असम गैस क्रैकर परियोजना को असम राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम परियोजना के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार इसे एक उपयुक्त संयुक्त सेक्टर पार्टनर से सम्बद्ध करने का प्रयास कर रही है तथा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निधियों की व्यवस्था (रियायती वित्त सहित) भी कर रही है।

छावनी क्षेत्र

7155. श्री कालका दास : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 और 1994 के दौरान अब तक लखनऊ, कानपुर, और दिल्ली स्थित छावनियों में कोठियों और परिसरों के अतिक्रमण किए जाने के संबंध में प्राप्त रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में इन छावनी प्राधिकारियों द्वारा छावनी अधिनियम, 1924 के अन्तर्गत दायर किए मुकदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या छावनी के प्राधिकारियों ने अतिक्रमण करने वालों और बिल्डरों के विरुद्ध अब तक कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) छावनियों में जो बंगले हैं वे या तो रक्षा स्वामित्व के हैं या निजी स्वामित्व वाले हैं। रक्षा स्वामित्व वाले बंगलों की प्रबन्ध व्यवस्था सैन्य प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। प्राइवेट बंगलों की भूमि रक्षा मंत्रालय की है। किन्तु उस पर बने भवन आदि निजी लोगों के हैं जो उस भूमि पर केवल सीमित अधिकार ही रखते हैं।

2. ओल्ड ग्रान्ट शर्तों पर कब्जा धारकों द्वारा 1993 और 1994 के दौरान सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की कोई सूचना नहीं है।

3. लखनऊ,कानपुर और दिल्ली में सैन्य प्राधिकारियों की प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत आने वाले कुछ बंगलों में वर्ष 1992 से पूर्व अतिक्रमण के कुछ मामलों की सूचना मिली है। इन अतिक्रमणों में से वर्ष 1950 के समय के हैं। सेना प्राधिकारियों ने सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन इन अतिक्रमणों को हटाने सम्बन्धी कार्रवाई की है तथापि, 1993 और 1994 के दौरान इन छावनियों में नए अतिक्रमणों की कोई सूचना नहीं है।

कैन्टीन स्टोर्स विभाग का कार्यनिष्पादन

7156. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कैन्टीन स्टोर्स विभाग के द्वारा किये गये कुल विक्रय और लाभ और हानि का पृथक पृथक ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कैन्टीन स्टोर्स विभाग के कार्यकरण की समीक्षा करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कैन्टीन स्टोर्स विभाग द्वारा 1990-91 से 1992-93 तक के वर्षों में की गई कुल बिक्री और अर्जित लाभ निम्न तालिका में दिए गए हैं। कैंटीन स्टोर्स विभाग को इन वर्षों में कोई हानि नहीं हुई है।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बिक्री कारोबार	शुद्ध लाभ
1990-91	824.46	40.50
1991-92	1028.68	28.76
1992-93	1172.08	50.98

(गैर लेखापरीक्षित)

(ख) और (ग) सरकार कैन्टीन स्टोर्स विभाग की कार्य प्रणाली की नियमित रूप से समय-समय पर पुनरीक्षा करती रहती है तथा उत्पादकता, बिक्री की स्थिति, कार्यकुशलता और ग्राहकों के प्रति उत्तरदायिता की भावना का विकास करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं।

चमड़ा उत्पादन एकक

7157. प्रो. एम. कामसन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने चमड़ा उत्पादन एकक हैं ;

(ख) चमड़ा उद्योग को कौन-कौन सी विदेशी एजेंसिया सहायता दे रही हैं ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार विदेशी सहायता से कुछ राज्यों में ऐसे उद्योगों की स्थापना करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सी एल आर आई, मद्रास - 1990 द्वारा ''भारतीय चर्मशोधन उद्योग में क्षमता उपयोग और इसके आधुनिकीकरण की संभावना'' के संबंध में पूरे देश में किए गए सर्वेक्षण के आधार पर देश में चर्मशोधन एककों की संख्या 1083 है (इसमें अत्यन्त छोटे और कुटीर एकक शामिल नहीं हैं)।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोगों की व्यवस्था की गई है और इन्हें कार्यान्वित किया गया है : –

क्रम.सं.	भारतीय संस्था का नाम	विदेशी एजेन्सी का नाम	विषय
1	2	3	4
1.	फुटवियर डिजाइन एंड डवलपमेंट इन्स्टीच्यूट नोएडा (उ.प्र.)	1. मेलबोर्न कालिज आफ टेक्सटाइल्स, आस्ट्रेलिया.	फुटवियर प्रौद्यौगिकी
		2. बेली इन्टरनेशनल स्वीटजरलैंड	अंतर्राष्ट्रीय मानक परीक्षण केन्द्र की स्थापना
		3. एच वीकाम, वियाना	फुटवियर में कंप्यूटर एडिड डिंजाइन
		4. कपड़ा संस्थान, यू.के.	फुटवियर प्रौद्योगिकी
2.	केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास	1. आपटीयर, हंगरी	भारतीयों के लिए मानक पॉव आकार विकसित करने के लिए पॉव की माप
		2. सतरा, यू.के.	अंतर्राष्ट्रीय मानक परीक्षण केन्द्र
		3. ब्रिटिश लेदर फेडरेशन यू.के.	हारनेस लेदर प्रोसेसिंग का सुधार
		4. ए एफ पी आई सी, फ्रांस	फुटवियर, चमड़े की वस्तुओं के निर्माण में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को उन्नत बनाना।

1	2	3	4
3.	चमड़ा निर्यात परिषद, मद्रास	मेकेन्जी एंड कंपनी यू.एस.ए.	यू.एस.ए. में विपणन और भारतीय चमड़ा उत्पादों की साख बनाना।
4.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का प्रोटोटाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास	ब्रुग्गी, इटली	यूनिट सोल बनाने के लिए मशीनों के प्रोटोटाइप का विकास।
5.	केन्द्रीय फुटवियर और प्रशिक्षण केन्द्र, मद्रास और आगरा।	कपड़ा संस्थान, यू.के.	फुटवियर प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को उन्नत बनाना

[हिन्दी]

सहकारी समूह आवास समितियां

7158. श्री नवल किशोर राय : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : डी.डी.ए. द्वारा 1983 में सहकारी समूह आवास समितियों हेतु भूमि का मूल्य कितना आंका गया है और 1992 में इस मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन): वर्ष 1983 के दौरान सहकारी आवास समितियों को भूमि के आबंटन की दर इस प्रकार थी : -

	क्षेत्र	दर प्रति वर्ग मीटर
1.	दिल्ली का दक्षिण और मध्य क्षेत्र	160 रुपये
2.	उत्तर पश्चिमी क्षेत्र	135 रुपये
3.	पूर्वी दिल्ली, बोडेला और रोहिणी	110 रुपये

वर्ष 1992-93 में सहकारी आवास समितियों को द्वारका फेज-1 में 1650.65 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि आबंटित की गयी थी। इस दर की उच्च न्यायालय द्वारा जांच की गयी और इसे तर्क संगत पाया गया।

|अनुवाद|

सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन

7159. श्री तारा सिंह :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) ने नई दिल्ली में हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनका ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) सरकारी उपक्रमों के स्थाई सम्मेलन (स्कोप) ने 14-16 अप्रैल, 1994 के दौरान ''विश्वीकरण सामरिक महत्व के गठबन्धन तथा प्रबन्धकीय सांझेदारी'' पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। स्कोप ने यह सूचना दी है कि संगोष्ठी में किसी विशेष प्रकार की अनुशंसाएं नहीं की गई हैं।

|हिन्दी|

सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास

7160. श्री बीर सिंह महतो : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों के आबंटन के मामलों को निपटाने के लिए कोई समिति गठित की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने सरकारी क्वार्टर आबंटित किए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन): (क) और (ख). सरकारी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों के आबंटन के मामलों को निपटाने के लिए इस मंत्रालय के अधीन कोई समिति गठित नहीं की गई है। तथापि, कैंसर, विषम हृदय रोग, टी.बी. आदि रोगों से ग्रस्त सरकारी कर्मचारियों को विशिष्ट चिकित्सा आधार पर सरकारी वास के आबंटन के लिए सरकारी कर्मचारियों से मिले मामलों की जांच करने और निर्णायक सिफारिशें करने के लिए एक विशेष वाससमिति विद्यमान है। इस समिति ने 04.11.93 को हुई अपनी पिछली बैठक में 20 केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मामलों में उन स्थानों, जहां सम्पदा निदेशालय के तहत् केन्द्र सरकार के क्वार्टर उपलब्ध हैं, पर चिकित्सा आधार पर सरकारी वास के बिना बारी आधार पर आबंटन की इस प्रकार सिफारिशें की है : -

राज्य	स्वीकृतियों की संख्या
बम्बई (महाराष्ट्र)	3
मद्रास (तमिलनाडु)	1
शिमला (हिमाचल प्रदेश)	1
चण्डीगढ़ (संघ राज्य-क्षेत्र)	1
दिल्ली	14

[अनुवाद]

भारत-कुवैत संयुक्त उद्यम

7161. श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कुवैत पूंजीनिवेश के प्रयोजनार्थ संयुक्त उद्यम के कुछ क्षेत्रों का चयन करने पर सहमत हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई समझौता भी हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) अभी हाल में ही श्री अब्दुल मोहसिन युसुफ हनीफ की अध्यक्षता में 15 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय तकनीकी मल्टी-डिसीप्लीनरी आर्थिक शिष्ट-मंडल ने 11 से 16 अप्रैल, 1994 के दौरान भारत का दौरा किया तथा सरकारी एवं उद्योग दोनों स्तरों पर निवेश संबंधी विचार-विमर्श किया। कुवैत ने शिष्टमंडल का दौरा अन्वेषणात्मक स्वरूप का था तथा दोनों ही पक्षों को अभी संयुक्त उद्यत तथा निवेश के क्षेत्रों का पता लगाना है। तथापि, दोनों देशों ने एक संयुकत आयोग की स्थापना करने हेतु फरवरी, 1992 में एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए।

[हिन्दी]

पायराइट्स फॉस्फेट्स एंड कैमीकल्स लिमिटेड

7162. श्री छेदी पासवान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की पायराइट्स फास्फेट्स एंड कैमीकल्स लिमिटेड द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि के कारण कितने परिवार विस्थापित हुए हैं ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ; और

(ग) सरकार का विचार शेष विस्थापित परिवारों को कब तक रोजगार देने का है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) पाइराइट्स फासफेट्स एण्ड कैमिकल्स लि. (पी पी सी एल) ने (बिहार) में अपने अमझौर एकक के उर्वरक प्रभाग को स्थापित करने के लिए 77 परिवारों से भूमि अधिगृहीत की थी।

(ख) और (ग) उपरोक्त 77 परिवारों में से 33 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया। इसके अतिरिक्त, इन परिवारों में से 17 व्यक्तियों को खनन प्रशिक्षुओं के रूप में लिया गया है ताकि अन्ततः उन्हें नियमित सेवा में शामिल किया जाये बशर्ते कि वे पी पी सी एल में रोजगार की शर्तों को पूर्ण करें। पी पी सी एल में फालतू जनशक्ति और भूमि से बेदखल हुए व्यक्तियों द्वारा शारीरिक परिश्रम करने में अनिच्छा प्रकट करने को ध्यान में रखते हुए शेष प्रभावित परिवारों को रोजगार देने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रबंध समिति

7163. **डा. महादीपक सिंह शाक्य : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रबंध समिति द्वारा धन का कथित दुरुपयोग किये जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या इस संबंध में सिफारिशें करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इसकी सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित कर दिया है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सरकार को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और इसके अध्यक्ष के कार्यों के विरुद्ध शिकायतें मिली हैं। प्राप्त शिकायतों में से कुछ प्रमुख शिकायतों का संबंध निम्नलिखित से हैं : - (1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) द्वारा डी जी सी एस एंड डी को मिल के बने हुए बैरक कम्बलों की आपूर्ति (2) सम्भवतः रिपोर्ट आदि प्राप्त किए बिना के वी आई सी द्वारा मेरठ क्षेत्र में ऋण देना। (3) सरकार के प्रतिबन्ध आदेशों का उल्लंघन करते हुए के वी आई सी में अधिकारियों की नियुक्ति। (4) के वी आई सी में प्रशासनिक खर्चों की अधिकता।

सदन में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर कुछ शिकायतों के बारे में उद्योग मंत्रालय के एक अपर सचिव द्वारा जांच की गई हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है। सरकार ने आयोग को कुछ निर्देश भी दिए हैं जो निम्नलिखित हैं : -

(1) विशेष रोजगार हेतु चुने हुए क्षेत्रों को छोड़कर पोलीवस्त्र सहित खादी बनाने के लिए के वी आई सी को किसी भी नयी संस्था का पंजीकरण नहीं करना चाहिए।

(2) ग्रामोद्योग के लिए किसी भी नयी संस्था को के वी आई सी द्वारा सीधे सहायता नहीं दी जानी चाहिए। इस प्रकार के सभी मामलों में उनका वित्तीयन राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।

(3) पिछले तीन वर्षों के दौरान जो संस्था पंजीकृत की गयी हैं उनके कार्यकरण की समीक्षा के वी आई सी द्वारा तुरन्त की जानी चाहिए और सरकार को एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।

(4) आयोग को कोई सम्पत्ति तब तक नहीं खरीदनी चाहिए जब तक केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित बजट में इसके लिए धन का आबंटन अलग से न कर दिया गया हो।

(5) नये आयोग के गठन तक वर्तमान आयोग द्वारा किसी भी सोसायटी/संस्था को धन की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र को दी गई प्रति व्यक्ति वार्षिक सहायता

7164. श्री अन्ना जोशी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र को दी जा रही प्रति व्यक्ति वार्षिक सहायता सभी राज्यों से कम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है ;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख). राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय आबंटन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार किया जाता है, जो आर्थिक पिछड़ेपन को अत्यधिक महत्व देता है। वितरण के लिए उपलब्ध 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता (10 विशेष श्रेणी राज्यों के हिस्से को छोड़कर) जनसंख्या के आधार पर 15 गैर-विशेष श्रेणी राज्यों को आबंटित की जाती है, इसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। 25 प्रतिशत आय मानदण्ड-विचलन पद्धति पर 20 प्रतिशत तथा दूरी पद्धति पर 5 प्रतिशत के आधार पर सहायता आबंटित की जाती है। इस प्रकार, आय मानदण्ड पर आधारित 80 प्रतिशत हिस्सा ''विचलन पद्धति'' के आधार पर आबंटित किया जाता है। चूंकि यह पद्धति राष्ट्रीय औसत से प्रतिव्यक्ति (तुलना में) कम आय वाले गैर-विशेष श्रेणी राज्यों पर लागू है, महाराष्ट्र इस पद्धति के तहत आबंटन से अलग है। यद्यपि ''दूरी पद्धति'' सभी गैर-विशेष श्रेणी राज्यों पर लागू है, यह आय मानदण्ड पर आधारित हिस्से के 20 प्रतिशत तक सीमित है और इस प्रकार इस पद्धति के तहत सहायता का परिमाण अपेक्षाकृत कम बैठता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

7165. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 से मार्च, 1994 तक दिल्ली में घरों के गैर-कानूनी निर्माण संबंधी कितने मामले प्रकाश में आए ; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस अवधि के दौरान मकानों के अवैध निर्माण तथा मौजूदा भवनों में परिवर्द्धनों/परिवर्तनों की संख्या क्रमशः 23712, 976 तथा 342 है।

अनधिकृत निर्माण का पता लगने पर सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा सम्बद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है। इन संगठनों द्वारा की गई कार्रवाई इस प्रकार है :

दिल्ली नगर निगम

दर्ज किए गए अनधिकृत निर्माण	23712 मामले
जिनमें गिराने की कार्रवाई की गई	745 मामले
जिनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई	1047 मामले
सील की गई सम्पत्तियां	1165 मामले
जिनके लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से बिजली का कनेक्शन काटने का अनुरोध किया गया	401 मामले

नई दिल्ली नगर पालिका :

पता लगाए गए अनधिकृत निर्माण	976 मामले
गिराए गए अनधिकृत निर्माण	145 मामले
विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामले	100 मामले

दिल्ली छावनी बोर्ड :

दिल्ली छावनी बोर्ड ने बताया है कि अनधिकृत निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध छावनी अधिनियम, 1924 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है, जिसमें मुकदमा चलाना भी शामिल है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है तथापि, अवैध निर्माण/अतिक्रमण एक निरंतर चलने वाली समस्या है तथा इसे हटाना भी एक सतत प्रक्रिया है।

1990-91 से 1993-94 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रक्रिया में हटाए गए अनधिकृत निर्माणों तथा मुक्त कराई गई भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है : -

वर्ष	हटाए गए अनधिकृत निर्माणों की संख्या	मुक्त कराई भूमि
1990-91	6304	286 एकड़
1991-92	4763	261 एकड़
1992-93	4058	284 एकड़
1993-94	4513	859 एकड़

इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1990 से मार्च, 1994 तक की अवधि के दौरान अवैध निर्माण के ऐसे 2500 मामलों का पता लगाया है जिनमें भवन-निर्माण प्लानों का उल्लंघन किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 780 मामलों में अवैध सील करने तथा गिराने के आदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के दुर्गापुर एकक की क्षमता

7166. श्री बसुदेव आचार्य :

श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के दुर्गापुर एकक की क्षमता को नियन्त्रण से मुक्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संयंत्र में यूरिया का उत्पादन आरंभ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) के दुर्गापुर एकक की क्षमता को कम किये जाने के लिए सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। वर्तमान में दुर्गापुर एकक मरम्मत कार्य और कुछ अनिवार्य निरीक्षण के लिए बन्द पड़ा है। इन कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् एकक यूरिया के उत्पादन को पुनः आरम्भ करेगा।

समुद्री संसाधनों का दोहन करना

7167. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में समुद्री संसाधनों का दोहन करने हेतु निगरानी और सहायता करने के लिए अन्तरिक्ष में एक उपग्रह छोड़ने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) अन्तरिक्ष विभाग ने महासागर विकास विभाग के साथ संयुक्त रूप में महासागरीय और समुद्री संसाधनों के उपयोगों के संबंध में अनेक परियोजनाएं आयोजित की हैं। इन परियोजनाओं ने समुद्र विज्ञानीय उपयोगों के लिए उपग्रह सुदूर संवेदन की संभाव्यता को प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही, अन्तरिक्ष विभाग और महासागर विकास विभाग द्वारा गठित संयुक्त अध्ययन दल ने महासागरीय और समुद्री संसाधनों की निगरानी के लिए एक समुद्री उपग्रह कार्यक्रम की संभाव्यता और परिभाषा पर विचार किया है।

[हिन्दी]

सीमेंट का उत्पादन

7168. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान के दौरान भारतीय सीमेंट निगम के नया गांव, मध्य प्रदेश स्थित एकक में कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इस एकक की उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ग) उत्पादन में कमी के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. की नयागांव इकाई में स्थित सीमेंट संयंत्र में वर्ष 1993-94 और 1994-95 (अप्रैल, 1994) के दौरान क्रमशः 3.32 लाख मी. टन और 0.33 लाख मी. टन समींट का उत्पादन हुआ था। नयागांव संयंत्र की क्लिंकरीकरण इकाई और दिल्ली स्थित इसकी ग्राईडिंग ईकाई में 1993-94 में 3.54 लाख मी.टन और 1994-95 (अप्रैल, 1994) में 0.14 लाख मी.टन सीमेंट का उत्पादन हुआ।

(ख) नयागांव सीमेंट संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 4 लाख मी.टन सीमेंट की है और नयागांव क्लिंकरीकरण इकाई की, इसकी ग्राईडिग इकाइयों में से दिल्ली स्थित इकाई सहित उत्पादन क्षमता 5 लाख मी. टन सीमेंट की है।

(ग) विद्युत और वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण इन इकाइयों का उत्पादन प्रभावित हुआ है।

[अनुवाद]

गुजरात के लिये नयी औद्योगिक योजनाएं

7169. श्री रतिलाल वर्मा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य के लिये किन नयी औद्योगिक योजनाओं को शामिल किया गया है ;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इन योजनाओं को पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गुजरात राज्य सरकार के अनुसार गुजरात के लिए चालू योजना में कोई नई औद्योगिक स्कीम शामिल नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनिमय, 1976

7170. श्री रमेश चेन्नितला :

श्री चित्त बसु :

क्या **शहरी विकास** मंत्री 18 अगस्त, 1993 के तारांकित प्रश्न संख्या 302 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम में संशोधन करने के बारे में अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

7171. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए कुल कितना परिव्यय रखा गया और इसका राज्य-वार विवरण क्या है और कितने प्रखण्डों में यह कार्यक्रम चलाया गया ; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विद्युत उत्पादन, विद्युतकृत किये जाने वाले ग्रामों की अतिरिक्त संख्या तथा इसके अन्तर्गत लाई जाने वाली अतिरिक्त जनसंख्या के रूप में निर्धारित लक्ष्यों सहित समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए कुल कितना प्रस्तावित परिव्यय रखा गया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र के एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी) के तहत सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5.91 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 6.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। इस राशि का राज्य स्तर पर और चुनिंदा ब्लाकों में आई.आर.ई.पी. कक्षों की स्थापना के

साथ-साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान तथा विकास गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान सहायता के रूप में उपयोग किया गया था। सातवीं योजना (1989-90) के अंत तक देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल किए गए ब्लाकों की संख्या 205 थी। (ब्लाकों का राज्यवार विभाजन संलग्न विवरण में दिया गया है)। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के आयोजन और कार्यान्वयन के लिए क्षमताओं के विकास हेतु आठवीं योजना संबंधी दस्तावेज में 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था निर्दिष्ट की गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई.आर.ई.पी. योजना के लिए 85 करोड़ रुपये के आयोजना परिव्यय का आबंटन किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्य योजनाओं का एक भाग है और इसे केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई.आर.ई.पी. योजना के तहत अलग से नहीं लिया गया है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई.आर.ई.पी. योजनाओं के तहत शामिल किए गए आई.आर.ई.पी. ब्लाकों का राज्य-वार विभाजन

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्लाकों की संख्या	केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई.आर.ई.पी. योजना के तहत जारी की गई राशियों का ब्यौरा (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8	8.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	4	8.13
3.	असम	10	5.40
4.	बिहार	7	16.86
5.	गोवा	4	5.56
6.	गुजरात	12	39.23
7.	हरियाणा	12	21.70
8.	हिमाचल प्रदेश	13	38.65
9.	जम्मू व कश्मीर	5	6.27
10.	कर्नाटक	8	30.74
11.	केरल	4	11.96

1	2	3	4
12.	मध्य प्रदेश	7	20.92
13.	महाराष्ट्र	11	35.68
14.	मणिपुर	2	1.29
15.	मेघालय	6	7.21
16.	मिजोरम	3	9.95
17.	नागालैंड	2	1.79
18.	उड़ीसा	7	17.27
19.	पंजाब	6	19.34
20.	राजस्थान	6	11.61
21.	सिक्किम	2	6.11
22.	तमिलनाडु	8	21.73
23.	त्रिपुरा	5	3.66
24.	उत्तर प्रदेश	33	89.56
25.	पश्चिम बंगाल	5	5.51
	कुल राज्य	190	444.81
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3	10.53
27.	चंडीगढ़	0	00.00
28.	दादर एवं नगर हवेली	1	1.42
29.	दमन दीव	1	0.00
30.	दिल्ली	5	11.97
31.	लक्षद्वीप	1	0.00
32.	पांडिचेरी	4	6.30
	जोड़ संघ राज्य क्षेत्र	15	30.23
	जोड़ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	205	475.04
	जारी की गई विविध राशियां		101.95
	प्रशिक्षण केन्द्र		9.32

1	2	3	4
	प्रशिक्षण पाठ्यक्रम		1.32
	कार्यशाला/विशेष परियोजना		17.03
	कम्प्यूटर		
	राज्य टी.बी.यू.		0.00
	कुल जोड़		604.67

[हिन्दी]

राजनीतिक दलों पर किराये की बकाया राशि

7172. श्री लाल बाबू राय : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजनीतिक दलों पर सरकारी भवनों के उपयोग हेतु किराये की बड़ी राशि बकाया है ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1993 तक दल-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसकी वसूली हेतु क्या क़दम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र

7173. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों के बदले ज़िलों को आधार मानकर औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े कुछ जिलों की पहचान की है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे ज़िलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सरकार ने इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या विशेष योजनाएं बनाई हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ख) केन्द्र सरकार द्वारा पता लगाये गये औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र केवल जिलों के आधार पर हैं। ऐसे जिलों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश में जो जिले औद्योगिक रूप से पिछड़े माने गये हैं, वे इस प्रकार हैं - अल्मोड़ा,

आजमगढ़, बदायूँ, बहराइच, बलिया, बांदा, बाराबांकी, बस्ती, बुलन्दशहर, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, उन्नाव, उत्तरकाशी, कानपुर देहात, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, शाहजहाँपुर, सीतापुर और सुल्तानपुर।

(ङ) सरकार ने देश में कम उद्योगीकृत क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए 1988 में एक विकास केन्द्र योजना की घोषणा की थी। उक्त योजना के तहत विकास केन्द्रों को पानी, बिजली, दूरसंचार, बैंकिंग आदि बुनियादी सुविधाएं मुहैया की जाएंगी ताकि उद्योगों को इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित किया जा सके। उक्त योजना के तहत उत्तर प्रदेश को 8 विकास केन्द्र आबंटित किए गए हैं।

विवरण

देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूची

आन्ध्र प्रदेश - (14)	अनन्तपुर, चित्तूर, कुड्डापाह, करीमनगर, खम्माम, कुरनूल, महबूब नगर, मेडक, नालागोडा, नेलौर, निजामाबाद, अंगोले, श्रीकाकुलम और वारंगल।
बिहार (18)	भागलपुर, चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पलामाऊ, पूर्णिया, सहरसा, संथाल, परगना, सारन, नालंदा, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, बेगूसराय, मुंगेर, चगरिया और माधोपुर।
गुजरात - (11)	अमरेली, बनासकंठा, भावनगर, भड़ौच, जूनागढ़, कच्छ, मेहसाना, पंचमहल, सावरकंठा, सुरेन्द्रनगर और डांग।
हरियाणा - (4)	भिवानी, हिसार, जींद और महेन्द्रगढ़।
केरल - (7)	अलेप्पी, कन्नानोर, मालापुरम, त्रिचूर, त्रिवेन्द्रम, वाईनाड और इदुक्की।
कर्नाटक - (11)	बेलगाम, बीदार, बिजापुर, धारवाड़, गुलबर्ग, हसन, मैसूर, नाथ कानार, रायचूर, साउथ कानारा और टुमकूर।
मध्य प्रदेश - (36)	बालाघाट, बस्तर, बैतूल, विलासपुर, भिंड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, देवास, गुना, होशंगाबाद, झबुआ, खारगौन, मांडला, मंदसौर, मुरेना, नरसिम्हापुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, राजेन्द्रगांव, राजगढ़, रामसेन, रतलाम, रेवा, सागर, शेवनी, साजापुर, शिवपुरी, सिद्धी, शुरगुजा, टिकमगढ़, विदिशा, और नया सेहोर जिला।
महाराष्ट्र - (14)	औरंगाबाद, भंडारा, भीर, बुल्धाना, चंद्रपुर, कोलाबा, धुतिया, जलगांव, नान्देड़, ओसमानाबाद, परभनी, रत्नागिरी, यवतनाम तथा गढ़चिरोली।

उड़ीसा - (8)	बालासोर, वोलनगीर, ढेकनाल, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुर, मयूरगंज, तथा फुलबनी।
पंजाब - (5)	भटिन्डा, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर तथा संगरूर।
राजस्थान - (16)	अलवर, बनासवाड़ा, भीलवाड़ा, बारमेर, चुरू, डूगरपुर, जैसलमेर, जालौर, झुनझुनु, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, सीकर, सिरोही, टोंक तथा उदयपुर।
तमिलनाडु - (16)	धर्मपुरी, कन्याकुमारी, मदुरै, नाथ आरकोट, रामनाथपुरम, साउथ आरकोट, तंजावूर, तिरुचिरापल्ली तथा जिला पुडाकोट्टाई।
उत्तर प्रदेश - (41)	अल्मोड़ा, आजमगढ़, बदायूँ, बहराइच, बलिया बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलन्दशहर, चमोली, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, झांसी, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, उन्नाव, उत्तरकाशी, कानपुर देहात, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल, शाहजहांपुर, सीतापुर और सुल्तानपुर।
पश्चिम बंगाल - (13)	बांकुरा, वीरभूम, वर्द्धमान, कूचबिहार, दारजिलिंग, हुगली, जलपाईगुड़ी, मालवा, मिदनापुर, मुर्शीदाबाद, नाडिया, पुरुलिया, तथा पश्चिम दिनाजपुर।
असम -	-सम्पूर्ण राज्य
हिमाचल प्रदेश -	-वही-
जम्मू और कश्मीर -	-वही-
मणिपुर -	-वही-
मेघालय -	-वही-
नागालैंड -	-वही-
सिक्किम -	-वही-
त्रिपुरा -	-वही-
अरूणाचल प्रदेश -	-वही-
गोवा -	- सम्पूर्ण राज्य
मिजोरम -	-वही-
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह -	- संपूर्ण संघ शासित क्षेत्र

दादरा और नगर हवेली	-वही-
दमन और दीव -	-वही-
पांडिचेरी -	-वही-
लक्षद्वीप -	-वही-

[अनुवाद]

विधि संबंधी कार्य दल

7174. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें करने हेतु विधि मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए कार्यदल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यदल ने क्या प्रमुख सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार का इन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की 4 दिसम्बर, 1993 को नई दिल्ली में हुई बैठक में कार्यकारी समूह की सिफारिशों पर विचार किया गया था। उपर्युक्त बैठक में अंगीकृत संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बद्ध लोगों को उसमें दी गई सिफारिशें कार्यान्वित किए जाने के लिए समुचित कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु भेज दी गई हैं।

विवरण

कार्यकारी समूहों द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें

(क) कार्यकारी समूह ।

- बकाया लंबित मामलों से दक्षतापूर्वक निपटने के लिए सम्बद्ध राज्य की संविधानिक कृत्यकारियों और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की आवधिक समीक्षा ;
- न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरने के लिए कम से कम छह से नौ मास पहले कार्रवाई प्रारम्भ करना और एक ऐसी विनिर्दिष्ट समय-सीमा विहित करना जिसके भीतर प्रस्तावों पर विभिन्न प्रक्रमों पर कार्यवाही की जाए ताकि पद के रिक्त होते ही उस पर न्यायाधीशों की नियुक्ति को सुनिश्चित किया जा सके ;
- प्रत्येक उच्च न्यायालय में 50 प्रतिशत तक की रिक्तियां अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों में से भरी जाएं ;

- न्यायाधीशों की नियुक्ति में और अधिक सावधानी बरती जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनधिक्षेपनीय सत्यनिष्ठा वाले सक्षम व्यक्ति ही उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नियुक्त हों ;
- आपवादिक दशाओं को छोड़कर, सेवारत न्यायाधीशों की नियुक्ति, जांच आयोग के रूप में न की जाए ;
- इस नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाए कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक तिहाई न्यायाधीश अन्य राज्य से हों ;
- समस्याओं का विवादों के रूप में न्यायालयों या अधिकरणों में पहुंचने से पूर्व समाधान करने के लिए, प्रभावी शिकायत सेलों की स्थापना करना ;
- लोक अदालतों के आन्दोलन को सुदृढ़ करना और हिमाचल प्रदेश की भांति सुलह न्यायालयों की स्थापना करना ;

(ख) कार्यकारी समूह -II

- जिला न्यायालयों/नगर जिला न्यायालयों की धन सबंधी प्रथम अपीलीय अधिकारिता बढ़ाना ;
- अपील ग्रहण करने के लिए आरंभ से ही उन्हें सूचीबद्ध करना ताकि तुच्छ अपीलों को समाप्त किया जा सके।
- अपील के ज्ञापन के साथ डिक्री के स्थान पर निर्णय की प्रमाणित प्रति लगाने की अपेक्षा करना ;
- उच्च न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री को पुष्ट किए जाने संबंधी उपबंधों को हटाया जाना।
- द्वितीय अपीलों का समाप्त किया जाना ;
- लेटर्स पेटेण्ट अपील और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध खंड न्यायपीठ में अपील करने को समाप्त करना ;
- उच्च न्यायालय द्वारा मामलों की जटिलताओं और महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों का, जिनकी एकल न्यायाधीश या खंड न्यायपीठ द्वारा सुनवाई की जाए, प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करते हुए नियमों/आदेशों का बनाया जाना ;
- उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता को समाप्त किया जाना ;
- दांडिक न्यायालयों के लिए पर्याप्त कर्मचारिवृंद, निधियां और अन्य प्रसुविधाओं का उपबंध ;
- मजिस्ट्रेट की न्यायालय को, विधि द्वारा, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में विनिर्दिष्ट अपराधों को संक्षेपतः विचारण करने के लिए, सशक्त बनाना ;
- एक समिति की स्थापना करना, जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ राज्य के महाधिवक्ता और राज्य के विधि सचिव हों तो तुच्छ मामलें संस्थित किए जाने के प्रश्न पर कार्यवाही करेंगे और समुचित उपचारात्मक उपाय सुझाएंगे ;

भारतीय दंड संहिता की धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 294, धारा 338, धारा 452 और धारा 506 और अन्य धाराओं के अधीन अपराधों को, जिनका उपर्युक्त समिति सुझाव दें, प्रशमनीय बनाया जाना चाहिए;

- पूर्वोक्त समितियां, ऐसे उपायों और साधनों का पता लगाएंगी, जिनके द्वारा अपराध से पीड़ित व्यक्तियों की अभियुक्त व्यक्ति के खर्च पर सम्यकतः प्रतिपूवर्ति की जाए ;
- पूर्वोक्त समितियां यह मामलों के उन प्रवर्गों, पर भी विचार करेंगी जिन्हें इसलिए वापस लिया जा सकेगा कि वे किसी विनिर्दिष्ट वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 379 और धारा 420 के अधीन मामलों में संपत्ति के मूल्य की सीमाओं को 250/- रुपये से बढ़ाकर 2500/- रुपये किया जाना।
- निर्वाचन याचिकाओं पर विचारण करने की उच्च न्यायालय की अधिकारिता को बनाए रखना।

ग. कार्यकारी समूह - III

- भारतीय विधिज्ञ परिषद को, विभिन्न राज्यों की विधिज्ञ परिषदों के परामर्श से, विधिज्ञ परिषद के कुछ सदस्यों के पास कार्य के अत्यधिक संकेन्द्रण की समस्या के संबंध में स्वयं ही विचार करना चाहिए। न्यायालयों को यह आभास देने से भी बचना चाहिए कि किसी मामले का परिणाम किसी ज्येष्ठ वकील के उपसंजात होने पर ही निर्भर करता है।
- मुख्य न्यायमूर्तियों का सम्मेलन यह विचार करे कि ऐसी परिपाटी तैयार की जाए जिससे आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर स्थगन प्रदान करने को हतोत्साहित किया जा सके और स्थगन प्रदान करने के लिए कारणों के अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा के प्रश्न पर विचार किया जा सके।
- मौखिक बहस प्रस्तुंत किए जाने के लिए, काउंसेल के परामर्श से, समय--सीमाएं विहित की जानी चाहिएं। पक्षकारों को मौखिक बहस आरंभ किए जाने से पहले उस निर्णयज विधि सहित जिस पर निर्भर होना है, बहस का एक संक्षिप्त टिप्पण प्रस्तुत करना चाहिए ;
- मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में साधारण नियम के रूप में लंबे और विस्तृत निर्णयों को लिखने की आवश्यकता पर विचार किए जाने का अनुरोध किया जाना चाहिए।
- आरक्षित निर्णय युक्तियुक्त समय के भीतर दिए जाएं ;
- सभी न्यायालयों को पुराने मामलों की सूचियां तैयार करने और उनके शीघ्र निपटारे की व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए।
- मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में इस बात पर विचार किया जा सकता है कि जिन मामलों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है उनकी पूर्विकता के संबंध में मानदंड तैयार किए जाएं।
- न्यायालयों को फोटोकापी मशीनों, वर्ड प्रोससरों और इलैक्ट्रानिक टाइपराईटरों जैसे आधुनिक उपस्करों से सुसज्जित करना।

- दांडिक मामलों में मुद्रित पेपर पुस्तिका/अभिलेखों के स्थान पर संवैधानिक नियमों या इस बाबत अन्य उपबंधों के समुचित उपान्तरण द्वारा टंकित या चक्रमुद्रित पेपर पुस्तिकाओं का रखा जाना ;
- सभी न्यायालयों में मामलों को समूहबद्ध और वर्गीकृत किया जाना ताकि कई मामलों का एक साथ निपटारा किया जा सके।
- वकीलों की हड़ताल के अन्तर्निहित कारणों पर कार्यवाही करने और न्यायालयों के अविवेकपूर्ण रूप से बंद होने को रोकने के संबंध में उचित मार्गदर्शक सिद्धांत बनाने के लिए समुचित स्तर पर न्यायाधीशों और वकीलों को मिलाकर एक समिति का गठन किया जाए।

गरीबी मिटाना

7175. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में आयोजित विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में ''शताब्दी के अंत तक गरीबी मिटाने'' के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये बनायी गयी कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भारत ने न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में आयोजित सामाजिक विकास के लिए विश्व शिखर सम्मेलन की तैयारी समिति के प्रथम स्वायत सत्र में बल दिया कि विश्व को शताब्दी के अन्त तक गरीबी उन्मूलन को लक्ष्य बनाना चाहिए।

(ख). इस लक्ष्य की ओर विश्व समुदाय की वचनबद्धता से तीसरे विश्व में व्यापार लाभों, संसाधनों और प्रौद्योगिकयों के लिए रास्ता खुलेगा जिससे शताब्दी के अन्त तक गरीबों का उन्मूलन करने के लिए विकासशील देशों के हाथ मजबूत होंगे। भारत गरीबी की समस्या पर प्रहार करने के लिए तीन स्तरीय कार्यनीति सहित अपने स्वंय के प्रयास कर रहा है ; (i) आर्थिक विकास में तेजी, (ii) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति के उन्नयन के माध्यम से मानव तथा सामाजिक विकास और (iii) रोजगार सृजन, गरीबों के लिए आय-पूरक और परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार। आठवीं योजना परिव्यय ग्रामीण विकास के लिए 35997.00 करोड़ रुपये तथा नेहरू रोजगार योजना के लिए 227 करोड़ रुपये हैं।

गुजरात में चमड़ा एकक

7176. श्री हरिन पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय चमड़े की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कितनी इकाइयां हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उसका वार्षिक उत्पादन कितना था, और

(ग) राज्य में चमड़ा उद्योग के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 31.3.1993 की स्थिति के अनुसार गुजरात में चमड़े का सामान बनाने वाली 301 पंजीकृत इकाइयां हैं।

(ख) चूंकि चमड़े के सामान का अधिक किस्म के उत्पादों के रूप में निर्माण किया जाता है, इसलिए प्रत्येक मद के उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जा सकते।

(ग) राज्य में चमड़ा कार्यकलाप को प्रोत्साहन देने के लिए गुजरात राज्य सरकार ने वर्ष 1990 में चमड़ा विकास निगम बनाया है। इसने सहकारिता क्षेत्र के अधीन खाल उतारने का बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण केन्द्र बनाने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। चमड़ा कमाने तथा उतारने की 344 पंजीकृत सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 155 सहकारी समितियों को विभिन्न प्रकार की सहायता दी गई है। 25 सहकारी समितियां प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ चमड़ा कमाने के काम में लगी हुई हैं। राज्य सरकार इडार में एक सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना करने की कार्यवाही कर रही है। प्रशिक्षित जनशक्ति की अपेक्षा को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 20 प्रशिक्षणार्थियों को केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, मद्रास के माध्यम से चमड़ा पर्यवेक्षकों के पाठ्यक्रम के लिए भेजा जाता है। राज्य सरकार राज्य में एक चमड़ा परिसर की स्थापन करने पर भी विचार कर रही है।

अन्तरिक्ष संबंधी समझौते

7177. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने विभिन्न देशों के साथ विशेषकर अन्तरिक्ष के संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह समझौते किन-किन देशों के साथ किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों में भारत ने अन्तरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उपयोग के शान्तिपूर्ण उपयोगों के क्षेत्र में फ्रेंच राष्ट्रीय अन्तरिक्ष एजेंसी (1993), सुदूर संवेदन के लिए सीरियाई सामान्य संगठन (1993), और यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी (1993) के साथ करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

कश्मीर में मारे गये रक्षाकर्मी

7178. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कश्मीर घाटी में उग्रवादियों द्वारा अब तक मारे गये रक्षा कर्मियों की कुल संख्या, कितनी है ;

(ख) इन रक्षाकर्मियों के निकटतम संबंधियों को कितना मुआवजा दिया गया है ; और

(ग) ऐसे रक्षाकर्मियों के परिवारों को दिये गये अन्य प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कश्मीर घाटी में 3.5.1994 तक उग्रवादियों द्वारा मारे गए कुल रक्षा कर्मियों की संख्या इस प्रकार है : -

	अफसर	जूनियर कमीशन अफसर	अन्य रैंक
सेना	27	31	314
वायुसेना	1	-	4
नौसेना	-	-	-
रक्षा सुरक्षा कोर		-	9

(ख) और (ग) जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए सेना कार्मिकों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता तथा अन्य लाभों/प्रोत्साहनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अफसर तथा अफसर रैंक से नीचे के कार्मिकों के लिए, पेंशन पाने वालों की मृत्यु हो जाने या पेंशन के लिए अयोग्य घोषित किए जाने तक, अंतिम बार ली गई गणनीय परिलब्धि के बराबर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन तथा रैंक के आधार पर विशेष दरों पर परिवार उपदान और सेवा की अवधि के आधार पर मृत्यु उपदान भी प्राप्त करने के पात्र होंगे।

2. **सेना सामूहिक बीमा लाभ**

सेना सामूहिक बीमा योजना से परिवार निम्नलिखित दर पर मृत्यु होने पर मिलने वाले लाभ प्राप्त करने के भी हकदार होंगे : -

अफसर	-	01.12.93 तक 3,50,000.00 रुपये तथा उसके बाद 3,85,000.00 रुपये
जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर/ अन्य रैंक	-	30.11.93 तक 1,50,000.00 रुपये तथा उसके बाद 1,65,000.00 रुपये

3. **अन्य लाभ**

निम्नलिखित अनुपात में वित्तीय सहायता भी लागू होती है : -

(क) **सेना अफसर हितकारी निधि** - अधिकारी का निकट संबंधी अधिकतम 20,000 रुपये का वित्तीय अनुदान प्राप्त करने का पात्र होगा।

(ख) **आर्मी वाइव्ज वेल्फेयर एसोसिएशन फंड** - अफसर 5,000 रुपये

जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर - 4,000 रुपये

अन्य रैंक 3,000 रुपये

(ग) **निशक्त सेना कार्मिक, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और उनके बच्चो की निधि**	अफसर - 2,000 रुपये जूनियर - 1,5000 रुपये कमीशन प्राप्त अफसर अन्य रैंक - 1,000 रुपये

इसके अतिरिक्त, रक्षा सेवाएं अफसर भविष्य निधि/सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि तथा छुट्टियों का नकदीकरण, यथा स्वीकार्य रूप में प्राप्त करने के पात्र होंगे।

4. **रोजगार सहायता**

संक्रियाओं में मारे गए या गंभीर रूप से घायल सेना कार्मिकों के अधिकतम दो आश्रित, रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय/रोजगार कार्यालयों द्वारा भरे जाने वाले समूह ''ग'' तथा ''घ'' पदों में रोजगार पाने में प्राथमिकता 2-ए पाने के पात्र हैं।

5. **शैक्षिक सुविधाएं**

सैनिक कार्रवाई में मारे गए या निशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के वे बच्चे जो शिक्षा विभाग के अधीन शैक्षिक विभाग के अधीन शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, निम्नलिखित शैक्षिक रियायतें पाने के पात्र होंगे : -

(क) संबंधित शैक्षिक संस्था द्वारा लगाए जाने वाले शिक्षा-शुल्क तथा अन्य शुल्कों से पूरी छूट।

(ख) बोर्डिंग स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रावास के पूरे शुल्क का भुगतान करने हेतु अनुदान।

(ग) पुस्तकों तथा लेखन-सामग्री के पूरे मूल्य का भुगतान।

(घ) जहां अनिवार्य हो, वहां वर्दी के पूरे मूल्य का भुगतान।

6. **गृह निर्माण/उसकी मरम्मत के लिए अनुदान**

केन्द्र सरकार युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को उन्हें गृह निर्माण/मरम्मत के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान राशि के 50 प्रतिशत की पूर्ति करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है।

7. **युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान।**

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों की पुत्री के विवाह के लिए 1,000 रुपये का अनुदान देता है।

8. **रेल-यात्रा रियायत**

युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को रेल किराए में 75 प्रतिशत की छूट से द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा प्राप्त है।

9. **पुनर्वास**

प्रेट्रोलियम उत्पाद, सब्जी और दूध की बिक्री के लिए एजेंसियों का आबंटन।

असम में गरीबी उन्मूलन योजना

7179. श्री प्रबीन डेका : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम सरकार ने कोई गरीबी उन्मूलन योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ मांगी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं। असम सरकार ने गरीबी उन्मूलन हेतु कोई नई स्कीम प्रस्तुत नहीं की है। तथापि, आई आर डी पी, जे आर वाई, ई ए एस तथा एन आर वाई जैसे चालू गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम राज्य में क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दस्तकारों को किट

7180. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण दस्तकारों को उच्च स्तरीय उपकरण किट प्रदान करने और स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा छोटे-छोटे आर्डर देने की बजाए इन औजार किटों की खरीद को केन्द्रीकृत करने को कहा है। इससे खरीद दरों में प्रतियोगिता आयेगी एवं आपूर्ति किये गये औजार किटों की इच्छित गुणवत्ता सुनिश्चित करना आसान हो सकेगा।

स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत युवाओं के लिए प्रशिक्षण में सुधार लाने के उद्देश्य से युवाओं को आई. टी.आई. पोलिटेक्निक एवं अन्य मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण देने पर अब अधिक बल दिया जाता है। वजीफे की दरें भी पुनरीक्षित कर बढ़ा दी गयी हैं।

(ख) परिष्कृत औजार किटों की सप्लाई की योजना 1992-93 से ही संचालन में है। इस योजना के अन्तर्गत खर्च की गयी निधियां 1992-93 में 16.85 करोड़ एवं 1993-94 में 23.40 करोड़ रही हैं।

[अनुवाद]

भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड

7181. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड को कुछ कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इसके प्रमुख कारण क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को बिजली पैदा करने के लिए न्यूक्लियर पावर को काम में लाने की प्रौद्योगिकी के कारण किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। कारपोरेशन को जिस प्रमुख कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वह है इस समय चल रही और योजनागत योजनाओं के लिए धन का अपर्याप्त होना। धन संबंधी बाधाएं अनेक कारणों से पैदा हुई हैं जैसे कि कम धनराशि से परिचालन शुरू करने के परिणामस्वरूप निवेश की जा सकने वाली अधिशेष धनराशि का अपर्याप्त मात्रा में प्राप्त होना, बाह्य सहायता उपलब्ध न होना, ऊँची ब्याज दरों पर अधिक धनराशि का उधार लिया जाना, विद्युत बोर्डों से बकाया राशि प्राप्त न होना आदि।

(ग) धन की कुल मिलाकर उपलब्धता के भीतर ही सरकार से अतिरिक्त धन प्राप्त करने, मौजूदा बिजलीघरों का प्रचालन संबंधी बेहतर कार्यनिष्पादन प्राप्त करने और राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि वसूल करने के लिए सक्रिय कार्रवाई करने तथा कुछ योजनागत स्कीमों की स्थापना संबंधित राज्य सरकारों के साथ संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाओं के रूप में करने की संभावनाओं का भी पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

''मैगसैट'' योजना

7182. श्री ब्रह्मानंद मण्डल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ''मैगसैट'' योजना की अब तक की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या हैं और इसके अंतर्गत कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत लोगों को प्रशिक्षण देने के काम में, बिहार में मुंगेर और बक्सर जिलों की कौन-कौन सी संस्थाएं लगी हुई हैं, और

(ग) बिहार में प्रशिक्षण देने वाली ये संस्थाएं कहां-कहां स्थित हैं और राज्य में ऐसी और अधिक संस्थाएँ खोलने के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) बिहार में मैगसैट स्कीम के तहत मार्च, 1993 तक विभिन्न व्यवसायों में 5400 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया तथा 3550 रोजगार पैदा किये गए।

(ख) मुंगेर जिले में मैगसैट कार्यक्रम के संचालन के लिए ''प्रगति मुंगेर'' नामक संस्थान को लगाया गया।

(ग) विद्यमान संस्थानों की सुविधाओं का प्रयोग प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। बिहार में मैगसैट कार्यक्रमों को जिन संस्थानों ने संचालित किया वे इस प्रकार हैं : -

1. रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी, जमशेदपुर।
2. उद्यमवृत्ति विकास संस्थान, पटना।
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृति विकास परियोजना (स्टेड), कमिश्नर कार्यालय, भागलपुर से संलग्न।
4. सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट, रांची।
5. एक्सेवियर इंस्टीट्यूट आफ सोशल सर्विस, रांची।
6. मग्ध जेम पार्क, जहानाबाद।
7. ग्राम निर्माण मंडल, नवादा।
8. प्रगति मुंगेर, मुंगेर।
9. गुरु नानक महिला शिल्प कला केन्द्र, पटना।
10. संथाल परगना, विकास एवं सेवा संस्थान, देवघर।

अन्य संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाना धन की उपलब्धता तथा संस्थान की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है।

नागपुर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान का बन्द होना

7183. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान को नागपुर स्थित क्षेत्रीय केन्द्र से स्थानांतरित करने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में किस स्थिति में है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस संस्थान को इस राज्य में ही बने रहने देने का अनुरोध किया है और इस प्रयोजनार्थ भूमि देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) सीएफटीआरआई के क्षेत्रीय केन्द्र को नागपुर से स्थानान्तरित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह प्रस्ताव इस क्षेत्रीय केन्द्र को नागपुर में ही किसी अन्य स्थान पर स्थापित किए जाने का है जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार, पंजाब राव कृषि विश्वविद्यालय, नागपुर में पहले ही स्थान दे चुकी है। महाराष्ट सरकार द्वारा इस केन्द्र को चलाने के लिए आवश्यक व्यय का 50 प्रतिशत खर्च देने की सहमति प्राप्त होने पर ही इसकी पुनर्स्थापना की जाएगी।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों के लिए भूमि आबंटन

7184. श्री शिवचरण वर्मा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल पंप स्थलों के लिए भूमि आबंटन संबंधी कितने आवेदन दिल्ली विकास प्राधिकरण के सामने लम्बित थे ;

(ख) पेट्रोल पंप-स्थल के लिए भूमि आबंटन कार्य को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या शाहदरा फ्लाई-ओवर से आई.बी.पी. मार्ग के निकट भूमि आबंटन में दिल्ली प्राधिकरण द्वारा नियमों की उपेक्षा की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) अड़तीस

(ख) आवेदकों से पेट्रोल पम्पों के लिए स्थल आबंटन हेतु दरख्वास्त मिलने पर ही विचार किया जाता है। तथापि, स्थल आबंटन भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है और दिल्ली विकास प्राधिकरण में इस प्रयोजनार्थ गठित जांच समिति के अनुमोदन पर किया जाता है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उल्लिखित मामले में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

7185. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के गोवा स्थित कार्यालयों में अनुसूचित जातियों के लिए समूह-वार आरक्षित रिक्त पदों को भर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सभी रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) इस संबंध में कितना समय लग जायेगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (घ) आरक्षित रिक्तियों के संबंध में राज्य वार सूचना एकत्रित नहीं की जाती है, इसलिए उपलब्ध नहीं है। पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से एक विशेष भर्ती अभियान जुलाई, 1993 से मार्च, 1994 के दौरान चलाया गया था।

कृषि भूमि पर रिहायशी भवन

7186. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कृषि भूमि को रिहायशी उपयोग में लायी जाने वाली भूमि में परिवर्तित किये बिना इस भूमि पर कुल कितने क्षेत्र में रिहायशी भवन बनाये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत ऐसे सभी मामलों को अपने अधिकार में ले लिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम की धारा 81 और 86-क के अंतर्गत कितने मामले कार्यवाही हेतु खंड विकास कार्यालयों को सौंपे गये हैं ;

(ङ) क्या पंचायत विभाग को राजस्व विभाग, दिल्ली के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

7187. श्री जंगबीर सिंह : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारियों तथा कमजोर वर्गों के लिए कुल कितने क्वार्टर निर्मित किये गये हैं ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितने क्वार्टरों का निर्माण किया जायेगा ;

(ग) इसमें से कितने क्वार्टर आबंटित किये गये हैं ;

(घ) क्या उक्त कार्य में विलंब हो रहा है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के थुंगन) : (क) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 1993-94 के दौरान सामान्य पूल के विभिन्न श्रेणियों के 2575 रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण किया गया।

अप्रैल 1993 से फरवरी, 1994 की अवधि में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत् पूरे देश में गरीब वर्गों को 92,479 मकान मुहैया कराए गए।

(ख) चालू वर्ष अर्थात् वर्ष 1994-95 के दौरान निर्मित किए जाने वाले सामान्य पूल के आवास का लक्ष्य 1,000 मकान है।

वर्ष 1994-95 के लिए गरीब वर्गों हेतु अनुमानित लक्ष्य 1,03,000 हैं।

(ग) अखिल भारतीय स्तर पर सरकारी कर्मचारियों और कमजोर वर्गों को वास्तविक रूप से आबंटित मकानों की संख्या संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) और (ङ) सरकार के पास ऐसे आबंटन करने के बारे में हुए विलम्ब सम्बन्धी सूचना नहीं है।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) विशेषरूप से गुजरात राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में शहरी विकास परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए कोई योजना नहीं है। तथापि, छोटे तथा मझौले शहरों के सघन विकास की एक केन्द्र प्रवर्तित योजना गुजरात सहित अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में वर्ष 1979-80 से चल रही है। आई.डी.एस. एम.टी. योजना का प्रमुख लक्ष्य 1991 की जनगणना के अनुसार 3 लाख तक आबादी वाले शहरों में विकास तथा रोजगार सृजन करने वाले कार्यकलापों की सहायता के लिए अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराना है। 31 मार्च, 1994 तक गुजरात राज्य के 36 शहरों को आई.डी.एस. एम.टी. योजना में शामिल किया गया था और उनमें जनजातीय और गैर जनजातीय क्षेत्रों में स्थित होने की ओर ध्यान दिये बिना 1160 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

(ख) दिसम्बर, 1993 तक किया गया व्यय राज्य सरकार के लेखों के अनुसार 1738 लाख रुपये बताया गया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दहेज संबंधी मौतों के मामले

7190. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इसकी लखनऊ खण्डपीठ में दहेज के लिए परेशान किए जाने तथा दहेज संबंधी मौतों के कितने मामले लंबित हैं;

(ख) यह मामले कब से लंबित हैं ;

(ग) इन मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन मामलों को कब तक निपटाया जाएगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) इलाहाबद उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उसकी लखनऊ न्यायपीठ में दहेज के लिए उत्पीड़न और दहेज के कारण हुई मृत्यु के लंबित मामलों की संख्या निम्नलिखित है : -

वर्ष	लंबित मामलों की संख्या	वर्ष	लंबित मामलों की संख्या
1985	33	1990	53
1986	26	1991	86
1987	35	1992	116
1988	54	1993	103
1989	56	1994	41
		योग	603

[हिन्दी]

राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

7188. प्रो. रासा सिंह रावतः क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय काम कर रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें से प्रत्येक उपक्रम के कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इनमें से प्रत्येक उपक्रम को कितना लाभ और घाटा हुआ ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 31-3-1993 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के ऐसे 6 उद्यम हैं जिनका पंजीकृत कार्यालय राजस्थान में स्थित है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के इन 6 उद्यमों के सम्बन्ध में कर्मचारियों की संख्या और निवल लाभ/हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है : -

क्र.सं.		कर्मचारियों की संख्या	निवल लाभ/हानि 1992-93	1991-92	1990-91
1		2	3	4	5
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	941	(-)11	42	(-)10
2.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	14309	6286	9336	8405
3.	इंस्ट्रमेंटेशन लिमिटेड	4427	(-)553	(-)1791	(-)622
4.	राजस्थान ड्रग्स एंड फर्मास्यूटिक्लस लि.	163	(-)19	(-) 13	(-)26
5.	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स खंड इन्स्ट्रमेंट्स लिमिटेड	213	23	16	39
6.	साम्भर साल्ट्स लिमिटेड	1047	8	41	71

गुजरात में शहरी विकास परियोजनाएं

7189. श्री एन.जे. राठवा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित/कार्यान्वित की जा रही शहरी विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है/की जा रही है ?

(ग) और (घ) इन मामलों को निपटाने में विलम्ब विभिन्न जटिल बातों के कारण है जिनमें बड़ी संख्या में अर्थात् लगभग 7.5 लाख लंबित मामलों का होना, ऐसे मामलों को निपटाने के लिए किसी विशेष न्यायपीठ का न होना और वकीलों द्वारा हड़ताल के कारण समय का नष्ट हो जाना, आदि सम्मिलित हैं। पूर्ववर्ती बातों को ध्यान में रखते हुए वह समय सीमा बताना संभव नहीं है जब तक ये मामले निपटा दिए जाएंगे।

[अनुवाद]

निर्माण क्षमता

7191. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निर्माण उद्योग की क्षमता में सुधार लाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से प्राप्त तकनीकी और वित्तीय सहायता से इस कार्यक्रम को शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के थुंगन) : (क) जी, हाँ।

(ख) ऐसे किसी कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फुटपाथों पर रहने वालों के लिए रैन बसेरे

7192. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फुटपाथों पर रहने वाले लोगों के लिए रैन बसेरे उपलब्ध कराने के संबंध में हुडको के चलाए गए कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ; और

(ख) राज्यवार किन-किन शहरों में यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के थुंगन) : (क) शहरों में पटरी वासियों को रैन बसेरे मुहैया कराने के लिए हुडको के माध्यम से वर्ष 1988-89 से चालू योजना एक केन्द्रीय योजना है जिसका लक्ष्य शहरों के बेघर लोगों को आवास सुलभ कराना है। संचालन में व्याप्त व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रख कर, इस योजना को वर्ष 1992 में संशोधित किया गया और उसका नाम बदलकर, ''शहरी क्षेत्रों में पटरीवासियों के लिए आश्रय और सफाई सुविधा योजना'' रखा गया। इस योजना के निम्नलिखित घटक हैं : -

(I) सामुदायिक रैन बसेरों और सामुदायिक शौचालयों और स्नानघरों का निर्माण

(II) बेघर लोगों के लिए सशुल्क साझा शौचालयों का निर्माण।

इस योजना के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं का निर्माण, निष्पादन तथा संचालन नगरपालिका द्वारा या राज्य सरकारों/नगर निगमों द्वारा नियत एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकारों अथवा उनकी एजेन्सियों द्वारा अनुसंशित या निर्धारित स्वैच्छिक संगठनों सहित प्राइवेट एजेंसियों को भी योजनाओं के कार्यान्वयन से जोड़ा

जा सकता है। योजना हेतु मूल्यांकन, धन व्यवस्था और निरीक्षण हुडको की जिम्मेदारी है। शहरी स्थानीय निकाय/नामित राज्य एजेंसियों और राज्य सरकारों द्वारा अनुसंशित तथा तैनात एजेंसियों को हडको के माध्यम से नियत सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। जरूरत होने पर हडको से निर्धारित दर पर ऋण भी उपलब्ध होगा।

सामुदायिक रैन बसेरों के निर्माण की लागत प्रति व्यक्ति 5000/- रुपये तक सीमित होगी। केन्द्र सरकार हडको के माध्यम से प्रति व्यक्ति 1000/- रुपये की दर पर सब्सीडि देती है तथा शेष राशि या तो स्थानीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों अथवा बजट से जुटाई जाती है या फिर हडको से सामाजिक अवस्थापना योजनाओं के लिए लागू शर्तों पर ऋण के रूप में जुटाई जा सकती है। सब्सिडी को हडको या अन्य स्रोतों से जुटाई गई धनराशि में जोड़ दिया जाएगा।

''सशुल्क उपयोग'' शौचालयों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सब्सिडी प्रति ईकाई 350/- रुपये से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि निष्पादन एजेंसियां पर्याप्त पानी और अनुरक्षण प्रबन्धों वाले सफाई शौचालयों के निर्माण हेतु शेष धनराशि जुटाने का वचन अनुरक्षण प्रबन्धों वाले सफाई शौचालयों के निर्माण हेतु शेष धनराशि जुटाने का वचन दें। हडको से मौजूदा मानदण्डों के अनुसार ऋण सहायता भी दी जा सकती है।

(ख) हडको द्वारा 31.3.1994 तक स्वीकृत रैन बसेरों / सशुल्क उपयोग शौचालयों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

पटरीवासियों के लिए आश्रय और सफाई सुविधा योजना की स्वीकृति और धन जारी करने की संचयी स्थिति।

रुपये लाखों में 31.3.94 तक

राज्य					संचयी			संचयी स्वीकृति		
		स्वीकृति						जारी राशि		
	स्कीम	परि योजना लागत	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	सीट	शौचालय	स्नानघर	मूत्रालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	2	311.17	213.58	20.16	20.66	20.16	2016	0	0	0
असम	1	5.03	3.99	1.04	0.20	0.00	104	0	0	0
चण्डीगढ़	1	16.43	0.00	2.00	0.00	2.00	200	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	3	31.91	10.00	2.50	0.00	2.00	250	0	0	0
महाराष्ट्र	11	409.02	0.00	201.96	0.03	8.63	1725	1746	48	203
उड़ीसा	2	25.20	13.12	3.28	1.57	2.28	328	0	0	0
राजस्थान	14	88.08	27.84	14.06	9.69	2.28	1406	0	0	0
तमिलनाडु	3	56.15	20.02	4.04	6.34	1.50	404	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तर प्रदेश	6	260.80	174.44	42.74	34.07	8.22	4274	0	0	0
मध्य प्रदेश	2	641.25	137.17	136.01	0.00	26.00	5201	600	0	0
बिहार	5	490.72	19.16	29.79	3.15	3.10	2979	0	0	0
	50	2035.76	719.32	457.48	75.48	74.17	18887	2346	48	203

|अनुवाद|

नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड

7193. श्री एस.बी.सिदनाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के विस्तार और उन्नयन की योजना को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना कारोबार किया और कितना लाभ अर्जित किया ;

(घ) क्या नेशल फर्टिलाइजर लिमिटेड का विचार एक '"आर्गोन'' गैस संयंत्र लगाने का है ; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) 987.26 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल) के विजयपुर संयंत्र के विस्तार के लिए मंजूरी प्रदान की गयी है। परियोजना प्रति वर्ष 7.26 लाख टन यूरिया की अतिरिक्त क्षमता के सृजन की परिकल्पना करती है और इसके 1996 के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एन एफ एल की कुल बिक्री और लाभ के ब्यौरे निम्न प्रकार है : -

वर्ष	कुल बिक्री	(रुपये करोड़ में) कर पश्चात लाभ
1991-92	1130	83.61
1992-93	1214	111.47
1993-94	1309	370.00 (अनंतिम) *

(* पूर्व वर्षों सहित निरन्तर जारी प्रक्रिया संयंत्रों के लिए मूल्यह्रास दरों में संशोधन के कारणों का लाभ उठाने के बाद)

(घ) और (ङ) एन एफ एल ने अपने एककों में से एक में आर्गेन गैस रिकवरी संयंत्र लगाने के लिए योजना बनायी है जिसका कम्पनी द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन आरम्भ कर दिया है।

चालकरहित लक्ष्य-भेदी विमान

7194. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेश में विकसित किये गये चालकरहित विमान (पी.टी.ए.) 'लक्ष्य'' ने प्रयोक्ता मूल्यांकन

परीक्षण उड़ानों को हाल ही में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अब उसके उत्पादन-चरण में प्रवेश करने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो उसके विशेष विवरण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालकरहित विमान (पी.टी.ए.) की प्रणाली तथा उप-प्रणालियों के उत्पादन तथा विनिर्माण में शामिल की जाने वाली सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों की इलैक्ट्रानिक एवं अभियांत्रिकी कंपनीं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या पी.टी.ए. में निर्यात की प्रबल संभावना निहित है और इसके द्वारा काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की आशा है ; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) देश में विकसित पायलट रहित लक्ष्य भेदी वायुयान ''लक्ष्य'' के चार प्रयोक्ता मूल्यांकन उड़ान परीक्षण 11 से 17 अप्रैल 1994 के दौरान अंतरिम परीक्षण रेंज, बालासोर में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। प्रयोक्ता मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर इन वायुयानों का उत्पादन करने के बारे में शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की संभावना है।

(ख) प्रयोक्ता परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य कार्य निष्पादन प्रदर्शन पुनः उपयोगिता, वायुसेना और सेना द्वारा शस्त्र परियुक्ति मिस-डिस्टेंस स्कोरिंग और लैंड रिकवरी प्रदर्शन था। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस वायुयान का कार्यनिष्पादन संतोषजनक रहा।

पायलट रहित लक्ष्य भेदी वायुयान की आरम्भिक मात्रा के लिए सेनाओं से लगभग वर्ष 1994 के मध्य में एक पक्का आर्डर प्राप्त होने की आशा है और उसके बाद सीमित रूप में श्रृंखलाबद्ध उत्पादन शुरू किया जाएगा। आर्डर दिए जाने के 24 माह बाद इस वायुयान की सुपुर्दगी शुरू कर दी जाएगी। तकनालॉजी अंतरित किए जाने का चरण पूरा हो जाने के बाद ही बड़ी मात्रा में उत्पादन कार्य शुरू होने की आशा है।

पायलट रहित लक्ष्यभेदी वायुयान ''लक्ष्य'' उच्च सब-सॉनिक टार्गेट है जिसकी प्रचालन ऊंचाई रेंज 300 मीटर से लेकर 9 कि.मी. तक है। इस वायुयान को एक छोटा टरबोजेट इंजन पावर देता है। इसका प्रक्षेपण जमीन अथवा पोत के डेक से किया जा सकता है। इसे समुद्र अथवा भूमि के ऊपर पैराशूट नियंत्रण द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है। और इसे 10 बार तक पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है।

(ग) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को ''लक्ष्य'' के लिए मुख्य उत्पादन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। सेनाओं द्वारा पक्के आर्डर दिए जाने के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र के निर्माताओं में से उपयुक्त उप प्रणाली निर्माताओं का पता लगाया जाएगा।

(घ) जी हां।

(ङ) ''लक्ष्य'' अत्यधिक लागत-प्रभावी एरियल टार्गेट है और यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध इसी श्रेणी के पायलट-रहित-वायुयानों के मुकाबले का है। इसके निर्यात के संबंध में कुछ पूछताछ की गई है जो उत्साहवर्धक है।

केरल में सोलर फोटोवोल्टेइक तंत्र

7195. प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष में केरल में सोलर फोटोवोल्टेइक तंत्र लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) सरकार केरल राज्य को शामिल करते हुए देशव्यापी सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत सड़क रोशनी, घरेलू रोशनी, सौर लालटेन, दूरदर्शन, विद्युत पैक, जल पम्पिंग प्रणालियों और विद्युत संयंत्रों आदि के लिए सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों का मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्ताव किया गया है। इन प्रणालियों को प्रस्तावों की तकनीकी व्यवहार्यता और राशियों की उपलब्धता के आधार पर राज्य एजेंसी को स्वीकृत किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए ट्रांसपोंडर

7196. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय नागरिक अथवा भारतीय कम्पनी ने दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए "इंटर-स्पुतनिक" से ट्रांसपोडर लीज पर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सूचना और विदेशी मुद्रा की दृष्टि से इस सौदे को स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय पार्टियों, समझौते की तिथि और समझौते के अंतर्गत देय वार्षिक किराये का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) इस संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

छावनियों का रख-रखाव

7197. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा छावनियों के रख-रखाव हेतु उपलब्ध संसाधनों और वांछित संसाधनों के संबंध में गहन अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य कौन-कौन थे और इसके विचारार्थ विषय क्या थे ;

(ग) क्या इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है ;

(घ) यदि हां, तो दल द्वारा की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) रक्षा सम्पदा महानिदेशक ने 17.5.1993 को एक पांच सदस्यीय विशेषज्ञ दल का गठन किया था जिसके अध्यक्ष निदेशक रक्षा सम्पदा मध्य कमान, लखनऊ थे तथा निदेशक, रक्षा सम्पदा राष्ट्रीय प्रबन्ध लेखा संस्थान सदस्य सचिव और सिकन्दराबाद छावनी, दिल्ली छावनी और कानपुर छावनी के छावनी कार्यपालक अफसर उसके सदस्य थे।

2. इस दल का मुख्य कार्य छावनी बोर्डों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु किए जाने वाले विशिष्ट उपायों और प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जाने वाली विकास परियोजनाओं, इनके लिए धन जुटाने की व्यवस्था करने और इसे पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के बारे में सिफारिश करना था। विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट 3.12.1993 को प्रस्तुत की।

3. इस दल की सिफारिशों में स्थापना व्यय में कटौती करने और कर तथा कर-इतर दोनों प्रकार के राजस्व में वृद्धि करने पर विशेष रूप से बल दिया गया है। मितव्ययिता उपायों के रूप में, इस दल ने सफाई कर्मचारियों के लिए स्टाफ मानक तैयार करके उन्हें अपनाकर, बिल बनाने, वसूली की प्रक्रिया को कारगर बनाने, प्राप्तियों के प्रलेखन करने, कुछ चुनिंदा, नगर-पालिका सेवाओं आदि के निजीकरण के माध्यम से सफाई स्थापना-व्यय में कटौती करने की सिफारिश की है। राजस्व, उपायों के रूप में, इस दल ने छावनी बोर्डों के करों को बढ़ाकर नगर पालिकाओं के करों के बराबर करने, मूल्यांकन सूची तैयार करने में छावनी कार्यपालक अधिकारी को सहायता पहुँचाने के लिए प्राधिकृत मूल्यांकन अधिकारी की नियुक्ति करने, सम्पत्ति कर-की स्लैब प्रणाली समाप्त करने तथा उसकी जगह समेकित सम्पत्ति कर प्रणाली लागू करने, राजस्व के करेतर स्रोतों की आवधिक समीक्षा/पुनरीक्षण करने आदि का सुझाव दिया है। इस दल की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ शुष्क सार्वजनिक शौचालयों को समयबद्ध आधार पर स्वक्षालन शौचालयों में परिवर्तित करने, बड़ी छावनियों आदि में जल-मल निकास योजनाओं का विस्तार करने आदि जैसी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय करने की सिफारिश की गई है।

4. अन्ततः इस दल ने छावनियों के संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए तीन स्तरीय सहायता अनुदान प्रणाली तथा रक्षा सम्पदा महानिदेशालय को अलग से बजट आबंटित कराने की सिफारिश की है। इसके अलावा इस दल ने छावनियों के बीच पारस्परिक वित्त व्यवस्था की सिफारिश की है।

5. सरकार इस दल द्वारा सुझाए गए विभिन्न उपायों की व्यवहार्यता की जाँच कर रही है ताकि इसकी प्रत्येक सिफारिश पर समुचित निर्णय लिया जा सके।

उच्च न्यायालयों की खण्डपीठ

7198. श्री पी. कुमारासामी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों की खण्डपीठों की स्थापना हेतु इस समय कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) क्या सरकार उच्च न्यायालयों की खण्डपीठों की स्थापना के लिये समान नीति तैयार कर रही है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उच्च न्यायालय-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) भारत सरकार की विद्यमान नीति यह है कि उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित किए जाने के प्रश्न पर, जसवंत सिंह आयोग द्वारा सिफारिश किए गए व्यापक सिद्धांतों और मानदंड को ध्यान में रखकर, संबंधित राज्य सरकारों से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से किसी प्रस्ताव के प्राप्त होने के पश्चात ही विचार किया जाए। इस समय, उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित किए जाने के संबंध में, सभी प्रकार के पूर्ण, कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की बैठक

7199. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1994 के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की नई दिल्ली में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में भाग लेने वाले लोगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों, विशेषरूप से विभिन्न प्रयोजनों हेतु गठित किए जाने वाले दलों/समितियों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी हां।

(ख). भाग लेने वालों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने बताया है कि बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये थे : -

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर परिवहन से सम्बन्धित सभी मामलों की निगरानी व समन्वय हेतु "समेकित परिवहन आयोजन दल" नामक एक अंतः सरकार व मंत्रालीय स्तर की समिति गठित करना।

(ii) आठवीं योजना निवेश कार्यक्रम की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये विभिन्न विकल्पों पर विचार करने तथा बोर्ड के अनुमोदन हेतु सबसे अच्छे विकल्प की अनुशंसा करने हेतु सचिव शहरी विकास मंत्रालय को वित्त मंत्रालय व योजना आयोग व सदस्य राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का अधिकार देना।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा इससे आगे सम सुविधा सम्पन्न क्षेत्रों के विकास से जुड़े आर्थिक क्रियाकलापों के दिल्ली से विकेन्द्रीयकरण के समयबद्ध कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देख-रेख हेतु मुख्य सचिव, दिल्ली की अध्यक्षता में एक अंतः राज्य समन्वय निकाय की स्थापना करना।

(iv) एक अलग केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिये, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी ट्रांस-दिल्ली के कालेज सम्बद्ध हो सके। अवधारणा आयोजना के सभी पहलूओं की जांच करने हेतु शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधियों और हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के शिक्षा सचिवों को शामिल करते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित करना।

विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की स्थगित 23.04.94 को हुई सत्रहवीं बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची।

क्र.सं.	नाम व पदनाम	क्र.सं.	नाम व पदनाम
1.	श्रीमती शीला कौल, शहरी विकास मंत्री	7.	डा. जे.पी. सिंह सचिव शहरी विकास मंत्रालय
2.	श्री दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, भोपाल	8.	श्री सिसिल नरोन्हा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
3.	श्री पी.के. थुंगन राज्य मंत्री, शहरी विकास।	9.	श्री एम.पी. गुप्ता, अपर सचिव, व्यय विभाग
4.	श्री मदन लाल खुराना, मुख्यमंत्री, नई दिल्ली	10.	श्री जे.सी. गम्भीर, आयुक्त, आयोजना, दिल्ली विकास प्राधिकरण।
5.	श्री रामाशंकर कौशिक, नगर विकास प्रभारी, मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार	11.	श्री आई.जे. ममतानी, भूतल परिवहन मंत्रालय
6.	श्री मंगलराम, नगर विकास उपमंत्री, राजस्थान	12.	श्री के.के. भटनागर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, हडको।

13. श्री पी.अब्राहम, विशेष सचिव, पॉवर

14. श्री योगेश चन्द्रा, विशेष सचिव, योजना आयोग

15. श्री एस.एस. सोहनी, आयुक्त (1), जल संसाधन मंत्रालय

16. श्री के.पी. सिंह, सलाहकार, एम.टी.पी., रेलवे बोर्ड।

17. श्री राजकुमार, सदस्य इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड।

18. श्री बी.एस. मेशराम, मुख्य नियोजक, टी,सी.पी.ओ.

19. श्री के.एस. शर्मा राज्य मंत्री, शहरी विकास प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार।

20. श्री पी.पी.चौहान, मुख्यमंत्री, नई दिल्ली

21. श्री रमेश यादव, सचिव, आवास विभाग, उत्तर प्रदेश।

22. श्री एच.एस. माथुर मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।

23. श्री प्रदीप कुमार, आयुक्त एवं सचिव, टी.सी.पी. एवं अर्बन स्टेट, हरियाणा

24. श्री बी.चटर्जी, डी.टी.सी.पी., हरियाणा।

25. श्री के.आर. लखनपाल, सचिव, स्थानीय शासन, टी.सी.पी. पंजाब।

26. श्री जे.एस. सागर, सचिव, एल बी., दिल्ली सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण।

27. श्री के.के. लाल, मुख्य नगर नियोजक, पंजाब।

28. श्री ए.एन. जंग, संयुक्त सचिव (एस). एम.ओ.पी.

29. श्री आर.एस. भूटानी, निदेशक, टी.एंड सी.0पी., मध्य प्रदेश, भोप

राजस्थान में लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग का कम्प्यूटरीकरण

7200. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग में कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) ग्रामीण पेयजल सप्लाई के लिये केंद्रीय सहायता हेतु परियोजना मार्गदर्शिकाओं में जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग के कम्प्यूटरीकरण के लिए सहायता दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

गुरुजल

7201. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारासिंह :

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :

डा. खुशीराम डुंगरोमल जेसवाणी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुरुजल की सप्लाई के लिए दक्षिण कोरिया के साथ कोई समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की क्या शर्तें हैं ;

(ग) क्या विगत में इस प्रकार के समझौते अन्य देशों के साथ भी किए गये थे ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां।

(ख) 100 मीटरी टन भारी पानी की बिक्री के संबंध में परमाणु ऊर्जा विभाग और कोरिया इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के बीच 8.4.1994 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह भारी पानी उन्हें सन् 1998 में सप्लाई किया जाएगा जिसका कुल मूल्य 22.75 मिलियन अमरीकी डालर होगा । इस भारी पानी की सप्लाई अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के सुरक्षोपायों के अधीन की जाएगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

शहरी क्षेत्र के विकास हेतु अमरीकी अनुदान

7202. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के ऋण बाजारों को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करने के लिए अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (यू.एस.ए.आई.डी.) ने भारतीय शहरी विकास वित्त एजेंसियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इससे मूलभूत सुविधाएँ, जैसे सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता आदि उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग) जी, हाँ। एफ.आई.आर.ई. परियोजना का उद्देश्य भारतीय ऋण और इक्विटी बाजारों के विकास में भारत सरकार को मदद देने तथा मध्य आय वर्ग से नीचे के परिवारों के लाभ हेतु वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य शहरी बुनियादी सुविधा परियोजनाओं हेतु आसान वित्त व्यवस्था करने का है। वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य इन्फ्रास्ट्रचर की पूंजी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र के वित्त को प्रोत्साहित करने के लिए अर्बन इन्फ्रास्ट्रचर प्रोजेक्ट वास्ते भारतीय वित्तीय संस्थानों को मुहैया कराने के लिए 125 मिलियन डालर का आवास गारंटी कोष देना प्रस्तावित है। सम्बन्धित एजेसियों द्वारा अभी तक ठोस प्रस्तावों और क्रियान्वयन की व्यापक रूप रेखाओं को तैयार नहीं किया गया है।

कम्पनियों में छोटे निवेशकर्ता

7203. श्री राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने कम्पनी अधिनियम, 1956 और कम्पनी (जमा राशि की स्वीकृति) नियम, 1975 के अन्तर्गत छोटे निवेशकर्ताओं की वैधानिक संरक्षण का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) आयोग के अन्य सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ). विधि आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुझाव दिये हैं : -

(i) जिन जमाकर्ताओं की वैयक्तिक जमाराशि 11,000 रुपये से अधिक नहीं है उन्हें अल्प जमाकर्ता के रूप में वर्गीकृत तथा परिभाषित किया जाए ;

(ii) अल्प जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करने वाली कम्पनी के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वह जमाराशि तथा उस पर ब्याज की वापसी में चूक को कम्पनी विधि बोर्ड को सूचित करे ;

(iii) कोई कम्पनी अल्प जमाकर्ताओं से तब तक और जमा राशि स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि जमाकर्ताओं की परिपक्व हुई जमाराशि तथा उस पर देय ब्याज की अदायगी नहीं कर दी जाती है।

(iv) जमाराशि की वापसी में चूक करने वाली कम्पनी के लिए यह अनिवार्य हो कि वह भविष्य में जनता से जमाओं को आमंत्रित करने वाले सभी विज्ञापनों में चूक के तथ्य को सूचित करे।

(v) कम्पनी के लिए विज्ञापनों में इस तथ्य (जहाँ लागू हो) का उल्लेख करना अनिवार्य हो कि कुछ जमाकर्ताओं ने गत समय में प्रोदभूत ब्याज का अधित्यजन कर दिया था ;

(vi) किसी कम्पनी के लिये यह अनिवार्य किया जाय कि बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त निधि का किसी अन्य कार्य में उपयोग करने से पूर्व उसका उपयोग अल्प जमाकर्ताओं की जमाओं की वापसी के लिए किया जाय ;

(vii) किसी कम्पनी द्वारा जमाराशि से सम्बन्धित उपबन्धों के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध माना जायेगा तथा उसके निदेशकों को कम से कम 15 दिन के कारावास की सजा दी जा सकती है।

धारा 58 क के संबद्ध उपबन्धों या उसके अन्तर्गत्त बनाये गये नियमों का उल्लंघन किए जाने पर उक्त धारा में पहले से ही अनिवार्य कारावास का प्रावधान है जिसे बढ़ाकर 5 वर्ष तक किया जा सकता है। राज्य सभा में 14.5.1993 को प्रस्तुत किए गए कम्पनी विधेयक, 1993 में यह प्रावधान है कि जो कम्पनी किसी जमाराशि या उस पर देय ब्याज को वापस करने में असफल रही है, उसे और जमाओं को एकत्र करने और अन्तर्निगम ऋण या निवेश करने से तब तक प्रतिषिद किया जाएगा जब तक कि चूक को ठीक नहीं कर लिया जाता। इसमें विज्ञापनों के जरिए जमाओं को एकत्र करने का इरादा रखने वाली कम्पनियों के मामले में अनिवार्य साख निर्धारण करने की भी व्यवस्था है।

समन्वित परती भूमि विकास परियोजना

7204. डा. के. वी. आर. चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समन्वित परती भूमि विकास परियोजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में कुल कितने हैक्टेयर भूमि को हरित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है ;

(घ) क्या वन संसाधनों की सुरक्षा और वृद्धि के लिए इस परियोजना को लोगों का समर्थन मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री कर्नल राव राम सिंह): (क) और (ख) जी हाँ, सरकार ने समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना के लिए केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1989-90 से आरम्भ की है। योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य नीचे दिये गये हैं।

(1) तात्कालिक उद्देश्य :

(i) लकड़ी और काष्ठेतर वन उत्पाद विशेषकर ईंधन लकड़ी और चारे की उपलब्धता को बढ़ाना।

(ii) समाज के जरूरतमत वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा भूमिहीन ग्रामीण मजदूर वर्ग के लिए रोजगार सृजन ।

(iii) ग्राम स्तरीय कार्य योजनाओं को तैयार करने और बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए माइक्रो-प्लान प्रणाली का प्रदर्शन।

(iv) विभिन्न श्रेणियों की समस्या ग्रस्त भूमि में प्रामाणिक प्रौद्योगिकियों का विस्तार और प्रसार।

(v) मध्यवर्ती और तैयार वनोत्पादों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के विभिन्न कार्यतंत्रों के माध्यम से बंजर भूमि विकास कार्यक्रम में सभी स्तरों पर जन-भागीदारी को सुनिश्चित करना।

(2) दीर्घकालीन उद्देश्य :

(i) भूमि के अवक्रमण की रोकथाम

(ii) जन साधारण के कल्याण हेतु पर्यावरणात्मक संरक्षण और उसकी निरंतरता हेतु व्यापक उद्देश्यों को पूरा करना।

(ग) विभिन्न केन्द्र/राज्य क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत बंजर भूमि सहित विभिन्न श्रेणियों की भूमि पर वनस्पति उगाने के लिए वनीकरण/वृक्षारोपण क्रियाकलाप किए जा रहे हैं और 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अन्तर्गत इनकी निगरानी की जा रही है। पिछले 3 वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए क्षेत्र के आंकड़े इस प्रकार हैं : -

पौधों की संख्या लाखों में

वर्ष	पौध वितरण (निजी भूमि पर पौध रोपण हेतु)	(क्षेत्र हैक्टेयर में) उपलब्धि क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1991-92	1,775.91	56,590.00
1992-93	1,102.63	47,453.00
1993-94	1,143.55	37,737.00
		(दिसम्बर, 1993 तक)

(घ) व (ङ) प्रजातियों के चयन और परियोजना के प्रबंध में भागीदारी सहित योजना स्तर से लोगों के परामर्श की प्रक्रिया वनेतर बंजर भूमि के बचाव में सहायता करेगी। जागरूकता बढ़ाने और ईंधन की लकड़ी की बचत के साधनों की पूर्ति के माध्यम से जन-भागीदारी को और आगे बढ़ावा दिया जाता है।

वन भूमि के मामले में उल्लिखित विषयों के अतिरिक्त लोगों को शामिल करने और वनोपज का वितरण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परिपत्र संख्या 6-21/89 -एफ.पी. दिनांक 1, जून, 1990 के आधार पर किया जाता है।

भेल

7205. श्री क. प्रधानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का इलेक्ट्रानिक डिवीजन की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एक इलेक्ट्रानिक डिवीज़न बंगलौर में पहले से ही विद्यमान है। तथापि, यह बंगलौर के निकट कायोनिक्स सिटी में इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिवीजन के नाम से एक अतिरिक्त इकाई की स्थापना कर रहा है।

(ख) इस परियोजना की लागत लगभग 14 करोड़ रुपये होगी। भूमि पहले ही ले ली गई है और निर्माण कार्य जारी है। निर्माण की प्रस्तावित मदें सिमुलेटर्स, दूर संचार प्रणाली आदि है।

रोजगार सृजन कार्यक्रम

7206. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न रोजगार सृजन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कार्यक्रम के लिए राज्यवार क्या लक्ष्य रखे गये तथा इनमें क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई ; और

(ग) इन कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे प्रमुख रोजगार सृजन कार्यक्रम हैं : (1) जवाहर रोजगार योजना और (2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य गरीबों के प्रत्यक्ष और निरंतर लाभ के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले लोगों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार सृजन के साथ-साथ टिकाऊ स्वरूप की परिसंपतियों का सृजन करना है। लक्षित समूह में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग शामिल होते हैं और अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना के अंतर्गत रोजगार के 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसी प्रकार, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य आय सृजित करने वाली परिसपंतियां प्राप्त करने के लिए सबसिडी और आवधिक ऋण की मार्फत सहायता देकर, ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित समूह में वे छोटे तथा

सीमान्त किसान, कृषि मजदूर और ग्रामीण कारीगर शामिल हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8,500 रुपये की सीमान्त रेखा से कम है। कार्यक्रम अनुसूचित जाति/जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों और महिलाओं जैसे समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त हुई उपलब्धियां संलग्न विवरण I और II में दर्शायी गयी हैं।

(ग) इन कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु, इन कार्यक्रमों की (1) आवधिक रिपोर्टों/विवरणियों, (2) क्षेत्र अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दौरों और (3) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भाग ली गयी कार्यशालाओं/सेमिनारों की मार्फत नियमित निगरानी की जाती है।

विवरण - I

(लाख श्रम दिन)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		1991-92		1992-93		1993-94	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1		2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	698.88	680.41	659.76	677.93	1025.61	574.23
2.	अरूणाचल प्रदेश	12.47	6.57	10.01	6.52	10.01	4.12
3.	असम	100.94	124.02	119.72	109.72	228.90	278.24
4.	बिहार	893.77	847.68	937.94	1036.16	1467.71	1321.01
5.	गोआ	10.96	9.56	8.36	8.12	10.12	7.55
6.	गुजरात	244.25	254.13	236.73	235.03	211.40	210.55
7.	हरियाणा	37.67	37.49	33.71	32.63	46.33	33.29
8.	हिमाचल प्रदेश	30.47	34.16	29.77	26.16	33.73	34.45
9.	जम्मू व कश्मीर	95.88	60.37	62.87	43.01	72.75	12.92
10.	कर्नाटक	418.36	401.64	441.08	418.29	718.01	588.64
11.	केरल	138.98	177.08	138.63	134.54	113.47	120.43
12.	मध्य प्रदेश	812.43	945.39	643.77	709.66	766.00	769.25
13.	महाराष्ट्र	654.72	771.64	838.77	823.53	1378.27	666.99
14.	मणिपुर	3.87	5.11	9.84	5.23	14.84	6.68
15.	मेघालय	23.97	12.02	11.61	8.90	16.89	8.09

1		2	3	4	5	6	7
16.	मिजोरम	3.71	5.95	4.37	4.78	5.24	3.88
17.	नागालैंड	21.71	27.92	20.74	15.47	14.74	7.60
18.	उड़ीसा	300.09	348.86	306.52	326.39	557.70	478.97
19.	पंजाब	29.42	19.76	24.67	31.78	29.93	38.57
20.	राजस्थान	242.64	387.63	340.62	339.09	426.66	334.35
21.	सिक्किम	8.58	13.62	6.66	13.42	8.19	10.14
22.	तमिलनाडु .	521.03	831.73	671.94	767.86	853.62	710.11
23.	त्रिपुरा	19.02	20.71	18.10	13.94	22.04	23.41
24.	उत्तर प्रदेश	1472.69	1562.14	1389.00	1496.29	1779.57	1739.18
25.	पश्चिम बंगाल	544.08	491.99	557.24	525.55	563.81	380.56
26.	अंद निको. द्वीप समूह	2.68	2.18	4.47	1.71	3.27	1.32
27.	दादर व नगर हवेली	3.51	3.94	3.55	2.70	2.73	1.49
28.	दमन व दीव	1.45	0.88	1.63	0.12	1.63	0.59
29.	लक्षद्वीप	2.64	2.23	2.55	2.68	2.62	1.97
30.	पांडिचेरी	3.37	5.20	3.32	3.81	5.16	3.92
	योग	7354.35	8092.01	7537.95	7821.02	10390.95	8372.53

विवरण - II

		1991-92		1992-93		1993-94	
क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	165680	222848	138079	179038	204024	202436
2.	अरूणाचल प्रदेश	15022	10888	12419	13642	16630	7314
3.	असम	45249	46416	37711	40204	67158	45169
4.	बिहार	331578	336972	276337	264252	390585	335908

2	3	4	5	6	7	8	
5.	गोआ	3129	2989	2608	2456	3446	2847
6.	गुजरात	68227	72326	56861	61842	74909	79578
7.	हरियाणा	16326	24756	13606	23349	17989	34026
8.	हिमाचल प्रदेश	5845	11819	4871	6956	5863	9244
9.	जम्मू व कश्मीर	8163	13581	6803	7331	11193	4906
10.	कर्नाटक	103701	108841	86425	103856	136981	123809
11.	केरल	56335	57562	46950	50517	49836	53698
12.	मध्य प्रदेश	219698	294810	183097	184083	258521	240478
13.	महाराष्ट्र	177472	197967	147906	177651	222394	160123
14.	मणिपुर	1310	4908	1092	3158	4848	5073
15.	मेघालय	3930	2874	3275	3011	4655	2105
16.	मिजोरम	6259	2811	5216	3474	6971	2673
17.	नागालैंड	6572	5442	5477	3996	7273	3988
18.	उड़ीसा	108539	111712	90457	93226	165479	84832
19.	पंजाब	13806	27453	11507	25248	12792	33736
20.	राजस्थान	105818	131986	88189	101366	107400	98936
21.	सिक्किम	1251	1610	1043	1142	1352	1218
22.	तमिलनाडु	148749	161603	123969	144987	184436	214888
23.	त्रिपुरा	4635	16343	3863	11414	15000	4727
24.	उत्तर प्रदेश	443427	462259	369554	387961	416354	445403
25.	पश्चिम बंगाल	185332	201476	154457	171695	182836	76925
26.	अंद. व निको. द्वीप समूह	1564	1502	1304	895	1726	492
27.	चंडीगढ़	0	0	-	-	-	-
28.	दादर व नगर हवेली	312	313	261	300	372	281
29.	दिल्ली	1564	550	-	-	-	-
30.	दमन व द्वीव	625	482	522	524	690	562

31.	लक्षद्वीप	150	124	133	156	159	66
32.	पांडिचेरी	1251	1343	1043	1043	1407	1294
	अखिल भारत :	2251519	2536566	1875135	2068773	2573279	2276680

हल्दिया उर्वरक परियोजना

7207. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हल्दिया उर्वरक परियोजना की स्थापना संबंधी यांत्रिकी त्रुटियों को दूर करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तंत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) बारम्बार उपस्कर खराबियों के कारण हल्दिया उर्वरक परियोजना को आरंभ नहीं किया जा सका। अन्ततः, अक्तूबर, 1986 से परियोजना के आरंभण कार्यकलाप स्थगित कर दिए गए। उसके पश्चात् सरकार द्वारा हल्दिया परियोजना के पुनर्वास के लिए विभिन्न विकल्पों की जांच की गयी परन्तु उनमें से किसी को भी आर्थिक तथा तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। इस बीच हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.) को इसकी हल्दिया परियोजना सहित, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा नवम्बर, 1992 में रूग्ण घोषित किया गया है। हल्दिया परियोजना के भविष्य पर कोई भी निर्णय बी आई एफ आर, जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष पड़ी कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

7208. श्री राम टहल चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड में हानि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कितनी हानि उठाई गई तथा कितना लाभ अर्जित किया गया ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को वर्ष 1992-93 में 127.25 करोड़ रुपये की तथा 1993-94 में 84.74 करोड़ रुपये (अनंतिम) की हानि हुई है।

(ख) हानि को रोकने के लिए सरकार ने अपनी बजटीय सीमाओं के भीतर, कंपनी को वित्तीय सहायता

देने, उसकी बेशी जनशक्ति के युक्तिकरण के लिए निधियां जारी करने तथा नकद उधार सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए प्रति-गारंटी देने जैसे विभिन्न उपाय किए हैं। इसके अलावा, सरकार ने कंपनी को अपनी उपरि लागतों में कमी लाने, उत्पादकता में सुधार करने तथा लाभप्रदता में सुधार हेतु आर्डरों को समय पर कार्यान्वित करने के संबंध में प्रशासनिक उपाय करने के भी निदेश दिए हैं।

[अनुवाद]

इन्दिरा आवास योजना

7209. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश की इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु गृह निर्माण हेतु कितनी राशि का आबंटन किया गया ; और

(ख) इस योजना के अंतर्गत राज्य में अब तक कितने घरों का निर्माण किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) इन्दिरा आवास योजना 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना की एक उप-योजना के रूप में शुरू की गई थी और यह जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत भी जारी है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों और मुक्त बंधुआ मजदूरों को निशुल्क मकान दिये जाते हैं। तथापि, 1993-94 से इन्दिरा आवास योजना के लाभ गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के गरीब लोगों के लिए भी इस शर्त के आधार पर दिये जाने लगे हैं कि गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के लाभ के लिए इन्दिरा आवास योजना के आबंटन का 40 प्रतिशत से अधिक खर्च न किया जाए। वर्ष 1994-95 के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को 2747.17 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता आबंटित की गई है।

(ख) मध्य प्रदेश में योजना के आरम्भ होने से लेकर अब तक इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 191329 मकान बनाए गए हैं।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

7210. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का गैर सरकारीकरण किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के प्रशिक्षण और उत्थान में इसकी गतिविधियों का विस्तार एवं विविधीकरण करने हेतु कोई योजना चलाई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को कितनी धनराशि प्रदान की गई ; और

(ङ) इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने विभिन्न आद्यरूप विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में सामान्य सुविधा सेवाओं के अधीन विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है तथा गुणवत्ता उन्नयन के लिए लघु औद्योगिक एककों को सहायता उपलब्ध कराता है। वर्ष 1993-94 के ब्यौरे इस प्रकार हैं : -

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या 1993-94	लघु औद्योगिक एककों की संख्या जिन्हें सेवा उपलब्ध करायी गयी 1993-94
1	2	3	4
1.	पीडीटीसी ओखला	951	1807
2.	पीडीटीसी राजकोट	853	3427
3.	पीडीटीसी हावड़ा	427	1414
4.	पीडीटीसी मद्रास	360	472
5.	पीडीटीसी हैदराबाद	102	-
6.	उप केन्द्र काशीपुर	208	28
7.	उप केन्द्र अलीगढ़	235	226
8.	उप केन्द्र डिंडीगुल	201	560
9.	उप केन्द्र खम्माम	100	-
10.	उप केन्द्र गुवाहाटी	90	8
11.	उप केन्द्र राजपुरा	59	-
	कुल	3586	7942

(घ) इन केन्द्रों को चलाने के लिए निगम को आवर्ती व्यय के रूप में 1992-93 में 513 लाख रुपये और 1993-94 में 483 लाख रु. उपलब्ध कराये गये थे।

(ङ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने बताया है कि मंत्रालय से प्राप्त की गयी राशियों का प्रयोग पीडीटीसी तथा उपकेन्द्रों के आवर्ती व्यय के लिए किया गया था।

उर्वरक एकक

7211. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे प्रत्येक एकक को कितना-कितना घाटा हुआ है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) 1993-94 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों द्वारा उठायी गयी हानियों के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं : -

	कम्पनी का नाम	(रुपये करोड़) हानि की राशि (अनन्तिम)
1.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन	372.95
2.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया	289.38
3.	पारादीप फास्फेट्स लि	82.76
4.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	52.91
5.	पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.	12.78
6.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि.	21.07

(ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया ने मुख्यतः डिजाइन और उपस्कर कमियों, बारम्बार उपस्कर खराबियों, संयंत्रों के पुरानेपन, पावर समस्याओं और नकदी की समस्याओं के कारण निम्न क्षमता उपयोगिता के कारण हानियां उठायी। पी.पी.एल, पी.पी.सी.एल. और एम. एफ.एल., जो फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन करते हैं, की हानियाँ भी उनके संयंत्रों के निम्न क्षमता के कारण हुई, जो अगस्त 1992 में अनियंत्रण के पश्चात् फास्फेटिक उर्वरकों, के मूल्य में वृद्धि और आयातित डी ए पी के मूल्य की तुलना में उनकी उत्पादन की उच्चतर लागत के परिणामस्वरूप कम उठान से हुई। एम.एफ.एल. ने

भी वर्ष के पूर्वार्द्ध में कच्चे जल की कमी का सामना किया। पी.डी.आई.एल., जो कि एक इंजिनियरिंग परामर्शी मंगठन है, में हानियां मुख्यत: केटलिस्टों के लिए आदेशों की कमी और उनके इंजिनियरिंग परामर्शी प्रभाग के लिए कम कार्य अवसरों के कारण हुई।

(घ) सरकार ने सामान्यतः उर्वरक कम्पनियों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए है : -

(i) नये उर्वरक संयंत्रों और पुराने संयंत्रों के पुर्नरूद्धार के लिए पूंजीगत माल के आयात पर 23.9.1992 से सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(ii) फास्फेटिक उर्वरकों/कच्चे माल और पोटाश पर रेलवे भाड़ा 4.9.1992 से कम कर दिया गया है।

(iii) फास्फोरिक एसिड, जो कि डीएपी के उत्पादन के लिए एक कच्चा माल है। के आयात पर 27.8.1992 से सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(iv) 1.1.1991 को या उसके पश्चात् चालू किए गये उर्वरक संयंत्रों/पुर्नरुद्धार परियोजनाओं के लिए आयात किए गये संयंत्र/उपस्करों पर सीमा शुल्क की वापसी और ऐसी परियोजनाओं के लिए, लिए गये आवधिक ऋणों पर ब्याज की दर में 3 प्रतिशत की रियायत, बशर्ते की अनन्तिम ब्याज दर 12 प्रतिशत या उससे अधिक रहे, की योजना घोषित की गई है।

(v) फरवरी 1993 में स्वदेशी रॉक फास्फेट और लौह पाइराइट्स के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए आयात प्रतिस्थापन प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना घोषित की गई है। अन्य कम्पनियों में, पी.पी.सी.एल. को इस योजना से लाभ होगा क्योंकि वे फास्फेटिक उत्पादन के लिए अयस्क का इस्तेमाल करते हैं।

(vi) 1993-94 के दौरान स्वदेशी रूप से उत्पादित डी ए पी के लिए 1000 हजार रुपये प्रति मी. टन की विशेष रियायत तथा स्वदेशी रूप से उत्पादित कम्पलेक्स उर्वरकों और एस.एस.पी पर अनुपातिक रियायत दी गयी थी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने हाल ही में पी.पी.एल. के लिए पूंजी पुनर्संरचना योजना अनुमोदित की है ताकि इसकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) ने एच.एफ.सी., एफ.सी.आई. और पी डी आई को रूग्ण घोषित किया है। इन कम्पनियों के पुर्नरुद्धार के लिए कोई भी कार्रवाई बी.आई.एफ.आर., जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी। इस बीच सरकार यथा संभव सीमा तक इन कम्पनियों को बजटीय सहायता प्रदान करना जारी रखे हुए है ताकि वे अपने प्रचारणों को जारी रख सके।

इसके अतिरिक्त, एम.एफ.एल. इस समय 487 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पुनरुद्धार योजना कार्यान्वित कर रही है ताकि इसके संयंत्रों के निष्पादन में सुधार हो सके।

[हिन्दी]

गैर-प्रतिरक्षा क्षेत्र द्वारा प्रतिरक्षा उपकरणों का उत्पादन

7212. श्री बीर सिंह महतो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष गैर-प्रतिरक्षा क्षेत्र द्वारा प्रतिरक्षा उपकरणों का कितनी मात्रा में उत्पादन और विक्रय किया गया ;

(ख) गैर-प्रतिरक्षा क्षेत्र ने 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान निर्यात द्वारा कितना लाभ अर्जित किया ;

(ग) क्या लाभ की यह धनराशि पहले के वर्षों में अर्जित किये गये लाभ की धनराशि से कम रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मंत्रालय, निजी क्षेत्र की फर्मों तथा सिविल लोक क्षेत्र के उपक्रमों को रक्षा उपस्करों के विभिन्न प्रकार की असेंबलियों/सब-असेंबलियों/संघटकों, वर्दियों, कम्बलों, बूटों आदि के विकास, उत्पादन तथा उनकी आपूर्ति के कार्यों में लगाता रहा है। विभिन्न निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों में प्राप्त सामान का मूल्य इस प्रकार रहा है : -

1991-92	1062.57 करोड़ रुपये
1992-93	1036.64 करोड़ रुपये
1993-94	1087 करोड़ रुपये (लगभग)

(ख) गैर-रक्षा क्षेत्र/निजी फर्मों को रक्षा उपस्करों के निर्यात से अर्जित किए गए लाभ के बारे में इस मंत्रालय को सूचना देना अपेक्षित नहीं है; इसलिए इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड

7213. श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, मैसूर के विस्तार हेतु भारत और आस्ट्रिया के बीच बातचीत चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि गत समय में भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड ने "रोड हैडर्स" और "आर्क वैल्डिंग

रोबोट्स" का उत्पादन करने और उनकी बिक्री करने के लिए 3 मई, 1989 और 5 अप्रैल, 1991 को आस्ट्रेलिया की दो कम्पनियों के साथ सहयोग-करार पर हस्ताक्षर किए थे। इन उपस्करों का कम्पनी के बैंगलूर परिसर में उत्पादन किया जा रहा है।

औद्योगिक विकास सर्वेक्षण केन्द्र, चण्डीगढ़

7214. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के विकास के लिए चण्डीगढ़ में एक औद्योगिक विकास सर्वेक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इन कार्यक्रमों पर गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना खर्च किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी कम्पनियां

7215. श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकतर विदेशी कंपनियां अत्यधिक मुनाफे वाले क्षेत्रों में ही पूंजीनिवेश कर रही हैं और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनका कोई निवेश नहीं हो रहा ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार स्वीकृत विदेशी पूंजीनिवेश का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार विदेशी पूंजीनिवेशकों से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी पूंजीनिवेश करने के लिए आग्रह करेगी, और

(घ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) 80 प्रतिशत से अधिक पूंजी निवेश 24 जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुबंध - III में सूचीबद्ध महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए अनुमोदित किया गया है।

1991 से 1993 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित विदेशी पूंजी निवेश के क्षेत्रवार ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1991-92 और 93 के दौरान विदेशी पूंजी निवेश के क्षेत्रवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	उद्योग का नाम	1991 (रु. करोड़ में)	1992 (रु. करोड़ में)	1993 (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5
1.	धातुकर्मी उद्योग	2.23	58.87	1246.53
2.	ईंधन	2.30	1504.11	2822.54
3.	बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	0.72	0.12	53.86
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जनित्रण के अलावा)	-	-	-
5.	विद्युत उपकरण	101.39	371.84	645.85
6.	दूर-संचार	13.58	119.07	46.98
7.	परिवहन	20.21	145.36	306.25
8.	औद्योगिक मशीनरी	55.70	70.71	86.84
9.	मशीनी औजार	1.97	6.73	12.99
10.	कृषि मशीनरी	-	5.54	-
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	0.08	0.55	0.60
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	0.84	37.17	40.38
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	-	63.81	9.27
14.	चिकित्सा तथा शल्य	4.25	3.60	8.17
15.	औद्योगिक उपकरण	2.07	14.81	1.69
16.	वैज्ञानिक उपकरण	1.65	32.89	-
17.	गणितीय, सर्वेक्षण और ड्राइंग उपकरण	-	-	-
18.	उर्वरक	1.00	-	1.66
19.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	146.32	421.17	349.89

1	2	3	4	5
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	-	7.90	10.73
21.	रंजक सामग्री	-	0.08	13.58
22.	औषध तथा भेषज	0.08	30.17	29.91
23.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित अथवा अन्यथा प्रक्रियागत वस्त्रों को छोड़कर)	18.55	139.25	119.21
24.	कागज तथा लुगदी-कागज उत्पाद सहित	4.40	20.15	115.27
25.	चीनी	-	-	53.50
26.	फमेन्टेशन उद्योग	-	4.99	147.45
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	54.09	402.22	907.87
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	3.03	6.13	10.88
29.	साबुन, कास्मेटिक तथा टायलेट प्रिपेरेशन	-	18.86	0.47
30.	रबड़ की वस्तुएं	1.09	2.37	54.09
31.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक	3.14	27.25	17.04
32.	ग्लू तथा जिलेटिन	-	-	-
33.	कांच	0.75	0.34	49.98
34.	सिरेमिक्स	12.74	19.38	30.08
35.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	12.00	6.79	25.20
36.	टिम्बर उत्पाद	-	-	0.16
37.	सुरक्षा उद्योग	-	-	-
38.	परामर्शदायी सेवाएं	5.81	12.16	10.31
39.	सेवा क्षेत्र	-	67.21	1136.28
40.	होटल तथा पर्यटन	-	198.77	352.98
41.	ट्रेडिंग कम्पनी	-	5.43	22.57
42.	विविध उद्योग	63.52	61.74	120.76
	योग	534.11	3887.54	8861.80

छावनी बोर्डों में संसद सदस्यों का प्रतिनिधित्व

7216. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छावनी बोर्डों में स्थानीय संसद सदस्य को उचित प्रतिनिधित्व देने के बारे में कुछ सिफारिशें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशें स्वीकार की हैं ;

(घ) यदि हां, तो लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) रक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति (1993-94) दसवीं लोक सभा ने अपनी पहली रिपोर्ट में सिफारिश की है कि छावनी बोर्डों में अन्यों के साथ संबंधित स्थानीय क्षेत्र के स्थानीय विधायक/संसद सदस्य को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए।

2. समिति की सिफारिश की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि छावनी अधिनियम 1924 में आगे संशोधन करते समय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाए।

बंगलौर में गन्दे जल के पुनः प्रयोग किए जाने योग्य बनाने हेतु "हडको" का ऋण।

7217. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बंगलौर नगर में गन्दे जल को पुनः प्रयोग किए जाने योग्य बनाने हेतु 'हडको'' से ऋण मांगा है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) "हडको" द्वारा 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि जारी करने का विचार किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): : (क) से (ग) जी, हाँ। कर्नाटक सरकार के बंगलौर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड नामक स्वायत्त निकाय ने 17.39 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से के. एंड सी. वैली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में 50 मिलियन लीटर दैनिक क्षमता के तृतीयक शोधन संयंत्र की स्थापना के लिए हडको सहायता मांगी है। हडकों ने स्कीम अनुमोदित कर दी है और वह इसके लिए 15 करोड़ रुपये का ऋण देगी। तथापि, ऋण-करार से पूर्व हडको ने बोर्ड से कतिपय स्पष्टीकरण मांगे हैं और उससे शोधित जल की वास्तविक मांग के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए भी कहा गया है। तदनुसार, बोर्ड को स्कीम को संशोधित कर हडको को पुनः पेश करना होगा।

[हिन्दी]

पायराइट्स, फॉस्फेट्स एंड कैमीकल्स लिमिटेड में कर्मचारी

7218. श्री छेदी पासवान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक बिहार की पाइराट्स, फॉस्फेट्स एंड कैमीकल्स लिमिटेड में कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को निर्धारित आरक्षण कोटा के अनुसार नियुक्तियां दी गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) बिहार में स्थित पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि० (पी.पी.सी.एल.) में फिलहाल 1684 कर्मचारी कार्यरत हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों के आरक्षण के संबंध में पी.पी.सी.एल. द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशों के प्रावधान का पालन किया जा रहा है। 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार, बिहार में स्थित पी.पी.सी.एल. के 1684 कर्मचारियों में से 220 अनुसूचित जाति और 24 अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।

औद्योगिक विकास

7219. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्तमान औद्योगिक विकास दर कितनी है ;

(ख) क्या सरकार ने इन राज्यों की औद्योगिक विकास दर को राष्ट्रीय औसत विकास दर के बराबर लाने की कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) इस समय केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन तुलनात्मक आधार पर राज्यवार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एकत्र नहीं करता है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरे देश के लिए नीतियां व कार्यक्रम बनाती है। राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने के लिए अपनी स्वयं की नीतियां कार्यक्रम, परियोजनाएं/योजनाएं बनाती हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करना

7220. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनको औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड ने बन्द करने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के लिए समुचित अर्थक्षम योजना बनाने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं शुरू कर सका ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने अब तक संबद्ध उच्च न्यायालय से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एक औद्योगिक उपक्रम, अर्थात् नेशनल बाइसिकल कॉरपोरेशन को बन्द करने की अनुशंसा की है।

(ख) से (घ) कार्यचालन अभिकरणों और संबद्ध पक्षों के विचारों और संबद्ध तथ्यों को ध्यान में रखने के पश्चात् औद्योगिक वित्तीय पुनर्गठन मण्डल ने यह निर्णय किया है कि यह न्यायोचित और औचित्पूर्ण होगा कि कम्पनी को बन्द कर दिया जाए। नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के मामले में सरकार ने मण्डल की अनुशंसा को चुनौती न देने का निर्णय किया है।

महाराष्ट्र में पवन विद्युत मिलें

7221. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषतः महाराष्ट्र में, अभी कुल कितनी पवन विद्युत मिलें कार्यरत हैं ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार वर्ष 1994 के दौरान उक्त राज्य में और अधिक पवन विद्युत मिलें लगाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) देश में अब तक कुल 114 मेवा. क्षमता के 587 पवन विद्युत जनित्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से कुल 1.1 मेवा. क्षमता के 20 जनित्र महाराष्ट्र में स्थापित किए गए हैं।

(ख) तथा (ग) राज्य के सिंधु दुर्ग जिले में विजयदुर्ग में 1:5 मेवा. की पवन फार्म परियोजना, जिसमें 250 किवा. इकाई आकार के छः पवन विद्युत जनित्र शामिल हैं, कार्यान्वित की जा रही हैं इस परियोजना के वर्तमान वर्ष के दौरान चालू होने की संभावना है।

सरकारी क्षेत्र के निर्यातोन्मुख उपक्रम

7222. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निर्यात से होने वाली अपनी आय को बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का कोई भी उपक्रम 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्वार्टरों में अनधिकृत निर्माण

7223. श्री तेज सिंह नारायण सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में सरकार के क्वार्टरों में अनिधकृत रूप से परिवर्तन/रद्दो-बदल/निर्माण किए जाने को हतोत्साहित करने, दण्डित करने और अपने स्तर पर जांच करमे के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति हैं ;

(ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या नियम बनाए हैं ;

(ग) आवास के सभी पूलों के लिए समरूप नीति बनाने और आबंटियों द्वारा ऐसे अनधिकृत परिवधनों/रद्दोबदल को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले पकड़े गये, कितने मामलों में दण्ड दिया गया और कितने मामलों में आबंटन रद्द किया गया ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) साधारण पूल रिहायशी वास में अवैध बदलाव/विस्तार/निर्माण को रोकने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का सार विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) विभिन्न विभागीय पूल उनके प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित होते हैं। चूंकि, इस मंत्रालय का अन्य पूलों पर कोई नियंत्रण नहीं है, अतः कोई समान दिशानिर्देश तय नहीं किए जा सकते।

(घ) अवैध निर्माण की खबर मिलते ही, सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। तथापि, ऐसी शिकायतों के आंकड़े नहीं रखे जाते।

विवरण

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जो साधारण पूल वास का अभिरक्षक है, को सरकारी क्वार्टरों में, अथवा

सरकारी कालोनियों की भूमि पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण का पता लगाने का कार्य सौंपा गया है। यदि किसी आबंटी द्वारा आबंटित क्वार्टर में या उसके आस-पास कोई अवैध निर्माण किया जाता है तो इसका पता लगाकर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उसकी रिपोर्ट सम्पदा निदेशालय को की जाती है। सम्पदा निदेशालय द्वारा आबंटी को "कारण बताओ नोटिस" जारी करने के बाद आबंटन रद्द कर दिया जाता है और परिसर से सम्बन्धित व्यक्ति की बेदखली के लिए बेदखली कार्रवाई की जाती है। ऐसी सार्वजनिक भूमि पर आबंटियों की बजाय अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण/अतिक्रमण किये जाने पर उन्हें हटाने की कार्रवाई केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण

7224. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास विभाग ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत श्रमिकों के पुर्नप्रशिक्षण हेतु कोई पायलट योजना शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें पुनः नियुक्त करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) श्रमिकों के पुर्नप्रशिक्षण, परामर्श देने और क्षेत्र पुनः सृजन योजनाओं के लिए 1993-94 तथा 1994-95 में प्रत्येक वर्ष के लिए लगभग 50 करोड़ रु. की राशि निर्धारित की गई है।

(ग) सरकार ने श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षण तथा परामर्श देने के लिए अहमदाबाद, कलकत्ता, इंदौर, कानपुर तथा बंबई में पायलट स्कीमें शुरू की हैं। श्रम मंत्रालय भी पंद्रह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में और छः उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों में पुनः प्रशिक्षण योजनाएं शुरू करेगा। श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण तथा परामर्श देने की योजना में श्रमिकों की अपनी प्राथमिकता के आधार पर वेतन पर रोजगार अथवा स्व-रोजगार के लिए युक्तिकृत श्रमिकों के प्रशिक्षण की परिकल्पना की गई है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आने वाले मंत्रालय/कार्यालय

7225. श्री राजेश पैलिसला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में भारत सरकार के कौन-कौन से मंत्रालय तथा अय कार्यालय आते हैं और किन-किन कार्यालयों को उसके अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखा गया है; और

(ख) इन कार्यालयों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में न लाने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 में बताया गया है। यह किसी भी अखिल भारतीय सेवा अथवा भारत संघ के तहत आने वाली किसी भी सिविल सेवा अथवा सिविल पद पर लागू होता है। केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भी केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारियों को तथा सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अधीन निगमों को, जो किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन कोई स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी या निगम अथवा सोसाइटी नहीं है, भी शामिल कर सकती है। अधिनियम की धारा 14 की एक प्रति (विवरण-1) पर संलग्न है।

उपयुक्त प्रावधान के तहत केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के भीतर लाए गए संगठनों को दर्शाने वाला विवरण - 2 संलग्न है। धारा 14(2) के तहत केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के भीतर न लाए गए कार्यालयों का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। जब कभी ऐसे कार्यालयों से कोई संदर्भ प्राप्त होता है, सरकार उस पर विचार करती है तथा निर्णय लेती है।

विवरण - 1

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 से लिया गया सारांश

अध्याय 3

अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार

14(1) इस अधिनियम में जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित है उसके सिवाय, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नियत दिन से ही, ऐसी सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा जो उस तारीख से ठीक पहले उच्चतम न्यायालय के सिवाय सभी न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित के संबंध में प्रयोक्तव्य हैं, अर्थात् :-

(क) किसी अखिल भारतीय सेवा में या संघ की किसी सिविल सेवा में या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर या रक्षा से संबंधित या रक्षा सेवाओं में किसी पद पर, जो दोनों दशाओं में किसी सिविलियन द्वारा भरा गया कोई पद है, के भर्ती और भर्ती से संबंधित विषय :

(ख) सेवा संबंधी ऐसे सभी विषय, जो -

(i) किसी अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य से ; या

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति नहीं है जो संघ की किसी सिविल सेवा में या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर नियुक्त किया जाता है ; या

(iii) किसी ऐसे सिविलियन से जो किसी अखिल भारतीय सेवा का सदस्य या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है जो रक्षा सेवाओं में रक्षा से संबंधित किसी पद पर नियुक्त किया जाता है।

और जो संघ के अथवा किसी राज्य के अथवा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अथवा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या सोसाइटी के कार्य कलापों से संबंधित ऐसे सदस्य, व्यक्ति या सिविलियन की सेवा के संबंध में हैं।

(ग) सेवा संबंधी ऐसे सभी विषय, जो संघ के कार्यकलापों से संबंधित सेवा के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति से सम्बद्ध हैं जो खण्ड (ख) के उपखंड (ii) या उपखण्ड (iii) में निर्दिष्ट किसी सेवा में या पद पर नियुक्त किया जाता है। और जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी सेवाएं ऐसी नियुक्ति के लिए किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या किसी नियम या सासाइटी या अन्य निकाय द्वारा केन्द्रीय सरकार को सौंप दी गई है।

स्पष्टीकरण : शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस उपधारा में, ''संघ'' के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत, संघ राज्य क्षेत्र के प्रति निर्देश भी है।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, उपधारा (3) के उपबंध, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारियों को और सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन निगमों या सोसाइटियों को, जो किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन कोई स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या निगम या सोसाइटी नहीं है, ऐसी तारीख से लागू कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम में परिकल्पित स्कीम के संक्रमण को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना समीचीन समझती हैं तो स्थानीय या अन्य प्राधिकारियों या निगमों या सोसाइटियों के भिन्न-भिन्न वर्गों के या किसी किसी वर्ग के अधीन भिन्न-भिन्न प्रवर्गों के संबंध में इस उपधारा के अधीन भिन्न-भिन्न तारीखें इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

(3) इस अधिनियम में जैसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है उसके सिवाय, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ऐसी तारीख से ही जिससे इस उपधारा के उपबंध किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या निगम को लागू होते हैं, ऐसी सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का भी प्रयोग करेगा जो उस तारीख से ठीक पहले उच्चतम न्यायालय के सिवाय सभी न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित के संबंध में प्रयोक्तव्य हैं, अर्थात् : -

(क) ऐसे स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या निगम या सोसाइटी के कार्यकलापों से संबंधित किसी सेवा या पद पर भर्ती से संबंधित विषय ; और

(ख) सेवा संबंधी ऐसे सभी विषय, जो उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में है जो ऐसे स्थानीय या अन्य प्राधिकारी या निगम या सोसाइटी के कार्यकलापों से संबंधित किसी सेवा में या पद पर नियुक्त किया जाता है और जो ऐसे कार्यकलापों से संबंधित ऐसे व्यक्ति की सेवा के संबंध में हैं।

विवरण - 2

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 14(2) के अधीन केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के भीतर लाये गये निगमों/समितियों/अन्य प्राधिकरणों के नाम

क्र.सं.	निगम/समिति/अन्य प्राधिकरण का नाम
1.	कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन गठित केन्द्रीय न्यास बोर्ड
2.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
3.	केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड
4.	राष्ट्रीय श्रम संस्थान
5.	राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद, धनबाद
6.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
7.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
8.	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय

7226. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति व्यय में कोई असमानता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका अनुपात कितना है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस असमानता को दूर करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराने हेतु किसी आयोग का गठन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस आयोग का गठन कब तक कर दिया जाएगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) 46वें दौर में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार 1991 में प्रति व्यक्ति घरेलू खपत व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में 202.12 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में यह व्यय 326.75 रुपये था। इस संबंध में ग्रामीण से शहरी अनुपात 1:1.62 का था।

(ग) तथा (घ) योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) दस्तावेज में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए कार्यनीति तथा कार्यक्रम आरम्भ किए गये हैं; जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश तथा आय में वृद्धि होगी।

कर्नाटक में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

7227. श्री ए. वेंकटेश नाईक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के ग्रामीण क्षेत्रो में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत शौचालयों और सड़कों आदि का निर्माण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने गांवों में अभी ये सुविधायें उपलब्ध करायी जानी हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) जवाहर रोजगार योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले लोगों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार सृजित करना है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और ग्राम पंचायतों जैसी कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा उन्हें आबंटित जवाहर रोजगार योजना की निधियों के अंश के अनुसार, वे सभी कार्य कर सकती है जिनसे ग्रामीण आर्थिक ढांचा सुदृढ़ बने और ग्रामीण गरीबों के प्रत्यक्ष और निरन्तर लाभ के लिए परिसम्पत्तियों का सृजन होता हो। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत शौचालयों और गलियों आदि का निर्माण किया जा सकता है। जवाहर रोजगार योजना की एक उप-योजना इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों में स्वच्छ शौचालय का निर्माण करना एक अनिवार्य घटक है।

चूंकि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का निर्णय लोगों की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर कार्यान्वियन एजेंन्सियों द्वारा लिया जाता है, किसी भी राजय के ग्रामीण क्षेत्रों में इन सुविधाओं के उपलब्ध कराये जाने के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते अथवा गांवों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक केवल लगभग 2 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को कवर किया गया है।

भारतीय उर्वरक निगम का रामागुण्डम संयंत्र

7228. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम का रामागुण्डम संयंत्र चालू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इसमें वास्तव में कितना उत्पादन होता है; और

(घ) इस संयंत्र की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (ए पी एस ई बी) द्वारा लगायी गयी दीर्घावधि पावर कटौती के कारण,

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ. सी. आई.) का रामागुण्डम संयंत्र 26.3.94 से बन्द करना पड़ा। इसलिए एफ सी आई के प्रबन्धतंत्र ने 15.4.94 से संयंत्र का वार्षिक अनुरक्षण करने का निर्णय किया। आरंभण कार्यक्रम पहले ही शुरू हो गए हैं और संयंत्र के 17.5.94 से यूरिया का उत्पादन आरंभ करने की संभावना है, बशर्ते कि ए पी एस ई बी से पावर की पर्याप्त आपूर्ति हो।

नाइट्रोजन पोषकों के रूप में संयंत्र की वार्षिक स्थापित क्षमता 227.7 लाखों टन है और गत तीन वर्षों के दौरान वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार था : -

वर्ष	उत्पादन ("000" मी. टन नाइट्रोजन)
1991-92	88.3
1992-93	58.0
1993-94 (अनंतिम)	88.8

(घ) एफ सी आई ने 158.44 करोड़ रुपये की लागत पर रामागुण्डम संयंत्र के पुनर्वास का प्रस्ताव किया है जिसमें 40 मैगावाट का केपटिव पावर संयंत्र स्थापित करना भी शामिल है। इस बीच, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) ने एफ सी आई को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अधीन रूग्ण कम्पनी के रूप में घोषित किया है। 16.3.1994 को, बी आई एफ आर ने एफ सी आई के लिए प्रचालन अभिकरण के रूप में औद्योगिक ऋण तथा निवेश कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (आई सी आई सी आई) को नियुक्त करने का आदेश पारित किया। इन आदेशों के अनुसार, सरकार के लिए अब यह अपेक्षित है कि वह एफ सी आई के लिए पुनरुद्धार योजना प्रचालन अभिकरण को प्रस्तुत करे जो बी आई एफ आर को पुनरुद्धार योजना प्रस्तुत करेगी। रामागुण्डम संयंत्र का भविष्य बी आई एफ आर, जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा। इस बीच, सरकार यथा संभव सीमा तक एफ सी आई की निधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बजटीय समर्थन प्रदान कर रही है। ताकि वह अपने प्रचालनों को जारी रख सके।

भैल में चिकित्सा सुविधाएं

7229. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) ने संबद्ध मंत्रालयों से आवश्यक प्रमाण पत्र के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) के अंतर्गत शामिल अपने कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा सुविधा देना बंद कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

प्राधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है तथा वे इस योजना से बाहर रहने का विकल्प नहीं दे सकते। इसलिए उसके लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। है। इस स्थिति में, भेल कर्मचारियों के वे पति/पत्नी जो सरकारी सवा में हैं तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आते हैं, वे भेज की चिकित्सा सुविधाओं के अंतर्गत नहीं आते।

तथापि, भेल के कर्मचारी तथा उनके अन्य आश्रित, जिनमें इस प्रकार नियोजित पति/पत्नी शामिल नहीं है, कंपनी के चिकित्सा-लाभ के पात्र हैं।

तकनीकी विकास महानिदेशालय

7230. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी विकास महानिदेशालय (डीजीटीडी) को बंद करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों के बेरोजगार हो जाने की आशा है ; और

(ग) इन कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने तकनीकी विकास महानिदेशालय को एक अलग संगठन के रूप में न बनाये रखने का निर्णय किया है और इस संबंध में 31 मार्च, 1994 से आदेश लागू कर दिये गये हैं। कर्मचारियों को पुनर्नियोजित किया गया है और अन्य मन्त्रालयों/विभागों में समायोजित कर लिया गया है। 46 व्यक्तियों को सरप्लस घोषित किया गया है जिनमें से 26 व्यक्ति पहले ही समायोजित किये जा चुके हैं। वर्ग ''क'' और वर्ग ''ख'' के शेष 18 कर्मचारियों को सरकार के सरप्लस स्टाफ की पुनर्नियोजन योजना के तहत पुनर्नियोजित किया जाना है।

सिविल सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण

7231. श्री हरिन पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) जी, हां। मामला विचाराधीन हैं।

बल्क औषधियों के संबंध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट

7232. श्री मोहन रावले : क्या **रसायन एवं उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने 24 ब्लाक औषधियों की कीमतें कम करने के संबंध में पुनरीक्षण का लागत-सह-तकनीकी अध्ययन पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक इसके प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(घ) बाजार में इन औषधियों की कीमतों पर अध्ययन के पूरा होने में विलम्ब का क्या असर पड़ेगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) डी पी सी ओ, 1987 की घोषणा के पश्चात् बी आई सी पी ने 82 अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधों के संबंध में, जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं, लागत-सह-तकनीकी अध्ययन पर रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। देश में उत्पादित प्रपुंज औषधों के मूल्य इन रिपोर्टों के आधार पर और डी पी सी ओ, 1987 के उपबंधों के अनुसार नियत/संशोधित किए जाते हैं जिनमें वृद्धि/कमी हो सकती है, और समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं। इस समय 142 अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधों में से बताया जाता है कि 38 प्रपुंज औषधों का या तो देश में निर्माण नहीं किया जाता है या काफी मात्रा में आयात किया जा रहा है और शेष प्रपुंज औषधों के लिए बी आई सी पी द्वारा लागत-सह-तकनीकी अध्ययन पहले ही शुरू कर दिया गया है।

विवरण

उन अनुसूचीबद्ध प्रपुंज औषधों की सूची, जिनका बीआईसीपी ने लागत-सह-तकनीकी अध्ययन पूरा कर लिया है।

1.	एसीटाजोलामाइड	2.	एल्यूमीनियम हाइड्रोआक्साइड
3.	एमीनोफाइलिन	4.	अमोडियाक्विन
5.	एस्प्रिन	6.	बरालगन कीटोन
7.	बेंजाथिन पेनिसिलीन जी	8.	बीटामेथासोन
9.	सीफालेक्सिन	10.	सीट्रीमाइड
11.	क्लोरमफेनिकोल	12.	क्लोरहैक्सीडिन
13.	क्लोरोक्विन	14.	क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट
15.	क्लोफाजियामिन	16.	क्लोक्सासिलिन
17.	डेपसोन	18.	डेक्सामीथासोन
19.	डेक्सट्रोपोपोक्सीफन उचसीएल	20.	डीक्लोरो-मेटाक्सीलीनोल
21.	डिक्लोफेनेक सोडियम	22.	डिइथाइल काबमिजीन
23.	डाइजोक्सिन	24.	डिहाड्रालाजिन

25. डाइलोक्सानिड फयूरोएट
26. एफीड्रिन
27. एरिथ्राइसिन
28. इथाम्बुटोल
29. फ्रामाइसिटीन
30. फ्रूसेमाइड
31. फयूराजोलिडोन
32. जेंटामाइसिन
33. हाइड्रोक्लोरमियाजिड
34. हाइड्रोकोर्टीसोन
35. इबूप्रोफेन
36. आईनएनएच (आइसोनियाजिड)
37. इंसुलिन
38. आइडोक्लोरोहाइड्रोक्सी क्विनोलोन
39. आइसोक्यूप्रिन
40. लीवामिसोल
41. लिगनोकेन/जाइलोकेन
42. मेबहाइड्रोलिन
43. मेटामिजोल (एनालजिन)
44. मिथाइल सालिसाइलेट
45. मिथाइल डोपा
46. मेट्रोनिडाजोल
47. आक्सीटेट्रासाइक्लिन
48. आक्सीटासिन
49. पैरासिटामोल
50. पैराक्लोरोमेटाक्सीलिनोल
51. पेनिसिलिन
52. फेनिरामाइन मेलिएट
53. फेनोबारबिटोन
54. फेनोक्सी मिथाइल पेनिसिलिन
55. फेनिटोइन
56. पाइलोकारपाइन
57. प्रेडनीसोलोन
58. प्रोकेन निसिलिन
59. पायराजिनामाइड
60. पायरेंटल पामोएट
61. क्विनीन
62. रिफैम्पिसिन
63. स्मलबूटामोल
64. सोडियम पीएएस
65. स्प्रिनोलेक्टोन
66. स्ट्रेप्टोमाइसिन
67. सल्फासिटामाइड/सोडियम
68. सल्फाडायजिन
69. सल्फाडिमिडाइन
70. सल्फामेथाक्साजोल
71. सल्फामोक्सोल
72. सल्फाफेनाजोल
73. टरबूटालाइन
74. टेट्रासाइक्लिन
75. थियोफाइलिन
76. थियासिटाजोन
77. ट्रिमेथोप्रिम
78. विटामिन ए
79. विटामिन सी
80. जैंथीनोल निकोटिनेट
81. रेनिटिडिन
82. आयरन डेक्सट्रान

आटोमोबाइल क्षेत्र में विदेशी सहयोग

7233. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी सहयोग से कार/स्कूटर/मोटर साइकिल निर्माण एककों की स्थापना के लिए अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों से सहयोग मांगा गया है ; और

(ग) ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया है और वहां किस प्रकार के वाहनों का निर्माण किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहयोग से कार निर्माण एककों की स्थापना के लिए चार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं : -

क्र.सं.	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	निर्माण की मद
1	2	3	4
1.	मारुति उद्योग लिमिटेड	सुजुकी मोटर कार्पोरेशन जापान	वाई ई 2 मॉडल कारें
2.	हिन्दुस्तान मोटर्स	जनरल मोटर्स यू.एस.ए.	आपेल कारें
3.	प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड	प्यूगिये, फ्रांस	309 कारें
4.	सिपानी आटोमोबाइल्स	रोवर ग्रुप, यू.के.	मोटेंगो कारें

(ग) अब तक केवल मैसर्स मारूति उद्योग लिमिटेड ने वाई-ई-2 (जेन) मॉडल की यात्री कारों का निर्माण शुरू किया हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों हेतु "प्रमुख"

7234. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री डी०वेंकटश्वर राव :

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों हेतु उत्तरदायित्व के निर्वहन और समर्पण के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने हेतु खुले बाजार से बिना किसी आयु और पारिश्रमिक सम्बन्धी प्रतिबन्ध के प्रमुखों को भर्ती करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) मौजूदा नीति के अनुसार उत्कृष्ण व्यावसायिक प्रबन्धकों को निष्पक्ष और विषयपरक चयन प्रणाली के माध्यम से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य कार्यपालक के रूप में नियुक्त किया जाता है। जब तक बाहर से बेहतरीन दर्जे के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त, आंतरिक अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति के लिए वरीयता दी जाती है। यदि आंतरिक अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती है। विशेष मामलों में, केन्द्रीय केन्द्र सरकार के अधीन संगठित सेवाओं से नियुक्ति की जाती है।

भेल द्वारा बंदूकों का उत्पादन

7235. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बंदूक जैसी रक्षा वस्तुओं का उत्पादन शुरू करके अपने उत्पादन का विविधीकरण करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने उत्पादन में कतिपय रक्षा वस्तुओं को शामिल कर लिया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश से प्राप्त लोक शिकायतें

7236. श्री गया प्रसाद कोरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्मिक मंत्रालय के शिकायतों संबंधी प्रकोष्ठ को उत्तर प्रदेश से पेंशन तथा अन्य लोक शिकायतों के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) कितने अभ्यावेदनों की जांच की गयी है और कितने अभ्यावेदन अभी विचाराधीन हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के शिकायत कक्ष में प्राप्त शिकायतें संबंधित

विभाग/राज्य सरकार को समुचित कार्रवाई करने के लिए भेज दी जाती हैं। इसी प्रकार, चूंकि राज्य सरकार में पेंशन की मंजूरी तथा उसका भुगतान विकेन्द्रीकृत आधार पर किया जाता है, इसलिए पेंशन संबंधी सभी शिकायतें संबंधित महालेखाकर या राज्य सरकार को समुचित कार्रवाई करने के लिए भेज दी जाती हैं।

वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान, इस मंत्रालय के शिकायत कक्ष में उत्तर प्रदेश से पेंशन तथा अन्य लोक शिकायतों के बारे में प्राप्त हुई एवं निपटायी गई शिकायतों की संख्या निम्नानुसार हैं : -

वर्ष	महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी गई
1991	398
1992	726
1993	1110

इस प्रकार, सभी अभ्यावेदनों पर कार्रवाई कर ली गई है और कोई भी अभ्यावेदन इस मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

पी.एस.एल.वी., जी.एस.एल.वी. और ए.एस.एल.वी.

7237. डा. मुमताज अंसारी :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री राजेश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान और संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा किए गए प्रमुख अध्ययनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन प्रयासों पर कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) इन अध्ययनों से प्राप्त परिणामों का किस प्रकार का किस प्रकार उपयोग किया गया है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) भू-तुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी.एल.एल.वी.) परियोजना, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) परियोजना तथा संवर्धित उपक्रह प्रमोचक राकेट (ए.एस.एल.वी.) परियोजना को अध्ययनों और पुनरीक्षणों की सतत् प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना मोड के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक परियोजना की प्रणाली संकल्पना पुनरीक्षण, प्रारंभिक डिजाइन पुनरीक्षण, क्रान्तिक डिजाइन पुनरीक्षण जैसे अनेक पुनरीक्षणों के माध्यम से समीक्षा

की जाती है। क्रियान्वयन चरण के दौरान विकास करते समय उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर अनेक अन्तरिम पुनरीक्षणों का अध्ययन करना होता है। अन्तिम रूप में प्रमोचन से पहले सम्पूर्ण प्रमोचक राकेट के साथ-साथ प्रत्येक प्रणाली के लिए उड़ान तैयारी संबंधी पुनरीक्षण किया जाता है।

इन सभी पुनरीक्षणों से प्रमोचक राकेट के विविध पहलुओं पर व्यापक अध्ययन किया जाता है, ताकि परियोजना को सफलतापूर्वक निष्पादित किया जा सके। परियोजना के क्रियान्व्यन की योजना के भाग के रूप में तथा पिछले दो वर्षों के दौरान जी.एस.एल.वी., पी.एस.एल.वी. और ए.एस.एल.वी. के लिए ऐसे पुनरीक्षण और अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों पर खर्च की गई धनराशि परियोजना व्यय का अविभाज्य अंग हैं। तथा इसीलिए इसे पृथक रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के अध्ययनों के परिणामों को अनुसंधान, विकास और उपयोग के क्षेत्रों के विशिष्ट समस्याओं को हल करने में लाभदायक रूप में उपयेाग में लाया जाता है।

वर्ष 1992 से ए.एस.एल.वी. के दो सफल मिशनों को तथा पी. एस.एल.वी. की एक विकासात्मक उड़ान को आयोजित किया जा चुका है । जी.एस.एल.वी. का विकास कार्य प्रगति में है। वर्ष 1994 के उत्तरार्ध के लिए निर्धारित पी.एस.एल.वी. की द्वितीय विकासात्मक उड़ान के लिए भी तैयारियां शुरू हो गई है।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

7238. श्री प्रवीन डेका : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक राज्य-वार कुल कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया और इन पर कितना खर्च किया गया ;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण सड़क विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए विश्व बैंक की सहायता लेने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार बनाई गई सड़कों की किलोमीटर में राज्यवार लम्बाई और उन पर किया गया संलग्न-विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत बनाई गई ग्रामीण सड़कें और उन पर उन पर किया गया खर्च

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	बनाई गई ग्रामीण सड़के (कि.मी.)	किया गया खर्च(लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्रप्रदेश	35756.85	15832.41
2.	अरूणाचल प्रदेश	1711.39	164.36
3.	असम	9099.47	8778.65
4.	बिहार	91875.64	30094.09
5.	गोआ	351.40	339.24
6.	गुजरात	18032.70	11798.50
7.	हरियाणा	1434.79	2748.58
8.	हिमाचल प्रदेश	2350.18	750.15
9.	जम्मू और कश्मीर	6875.00	1238.77
10.	कर्नाटक	57633.00	9715.24
11.	केरल	10094.44	14598.92
12.	मध्य प्रदेश	43806.58	9902.02
13.	महाराष्ट्र	20788.00	7243.05
14.	मणिपुर	6226.53	387.69
15.	मेघालय	553.78	75.00
16.	मिजोरम	2561.20	637.67
17.	नागालैण्ड	746.43	373.22
18.	उड़ीसा	105013.36	16939.57
19.	पंजाब	606.00	57.88
20.	राजस्थान	9621.32	4039.65
21.	सिक्किम	2337.24	306.53
22.	तमिलनाडु	18109.82	20037.40

1	2	3	4
23.	त्रिपुरा	3865.74	323.18
24.	उत्तर प्रदेश	130310.32	76467.58
25.	पश्चिम बंगाल	51731.00	13341.10
26.	अंडमान और नि.द्वीप समूह	183.63	41.58
27.	दादर और नगर हवेली	235.20	121.95
28.	दमन और दीव	11.79	36.15
29.	लक्षद्वीप	9.50	23.41
30.	पांडिचेरी	44.54	114.58
	जोड़	631976.84	246528.10

ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान-डी. 2

7239. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पी.एस.एल.वी.डी.2) के प्रक्षेपण का है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या तैयारियां की गयी हैं ; और

(ग) इसके प्रक्षेपण अनुमानित तिथि क्या है ?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी.एस.एल.वी.) की अगली विकासात्मक उड़ान के 1994 के उत्तरार्ध में करने की योजना बनाई गई हैं। प्रथम उड़ान के लिए गठित असफलता विश्लेषण समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करते हुए राकेट को तैयार किया जा रहा है।

रोहिणी में भूखंडों का आबंटन

7240. प्रो. एम. कामसन : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993 के दौरान और अब तक रोहिणी आवासीय योजना, 1981 के अन्तर्गत कुछ और रिहायशी भूंखडों का आबंटन किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किराया खरीद और नगद भुगतान श्रेणियों में भूमि को संशोधित लागत में परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि वर्ष 1993 के दौरान रोहिणी आवासीय स्कीम, 1981 के तहत् रिहायशी भूखण्डों का कोई और आबंटन नहीं किया गया। तथापि, 27.3.1991 को हुए ड्रा के 1792 (1200 एम आई जी + 592 एल आई जी) सफल आबंटियों को आबंटन एव मांग पत्र अक्टूबर/नवम्बर, 1993 में भेजे गए थे, जो न्यायालय के स्थान आदेश के कारण रोक दिए गए थे।

(ग) और (घ) उपर्युक्त आबंटन-पत्र वर्ष 1991 की पुरानी दरों पर जारी किए गए थे, जिनको अद्यतन बनाने हेतु उनमें केवल उस ब्याज को मूलधन के रूप में माना गया है जो ब्याज दिल्ली विकास प्राधिकरण को ड्रा की तारीख के तुरंत बाद रकम वसूल करने पर मिलता नूजल नियमावली के अनुसार भुगतान तीन किस्तों में अर्थात् आबंटन पत्र जारी करने की तारीख के एक माह के भीतर 35 प्रतिशत तथा 90 दिन के भीतर 50 प्रतिशत और शेष 15 प्रतिशत मांग किए जाने पर, मांगा गया है।

जानकारी एकत्र किया जाना

7241. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **शहरी विकास मंत्री** 20 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं. 155 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जानकारी के एकत्र किए जाने की कब तक सम्भावना हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) एक भवन निर्माता ने वसन्त कुंज में लगभग 2 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था। लगभग 500 वर्ग गज में डेढ़ मंजिला भवन बनाया हुआ था और शेष भूमि पर एक मंजिला वाणिज्यक मार्किट बनाया हुआ था जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 12.5.93 को गिरा दिया था।

जहां तक अधिकारियों/भवन-निर्माताओं के विरुद्ध कार्यवाही का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त आयुक्त द्वारा जांच शुरू कर दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राख से ईंट

7242. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला आधारित विद्युत संयत्रों से निकलने वाली राख की उपयोगिता के लिए क्या योजना तैयार की गई है ;

(ख) क्या राख से ईट या दीवार के निर्माण का कोई प्रयोग किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धि रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बिजली घरों से मुफ्त प्राप्त राख से भवन निर्माण सामग्री आदि के निर्माण के लिये सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं : -

- उड़न राख का कच्चे माल के रूप में उपयोग करके भवन-निर्माण सामग्रियों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु उत्पाद तथा सीमा शुल्क में रियायत
- विभिन्न क्षेत्रों में उड़न राख आधारित ईटों, गोलों आदि निर्माण एककों की स्थापना हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् (बी एम टी पी सी) की स्थापना की गई है।
- केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने निर्माण कार्यों में उड़न राख से बनी ईटों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिये इसे अपनी माल सूची में शामिल कर लिया है।
- उड़न राख आधारित भवन निर्माण सामग्री के उत्पादन में आगे आने के लिये औद्योगिक एककों को आवास व नगर विकास निगम (हुडको) राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है।
- उड़न राख और अन्य औद्योगिक उपशिष्टों पर आधारित सस्ती भवन-निर्माण सामग्री को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय आवास नीति में बल दिया गया है।

वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) की कई प्रयोगशालाओं ने गहन शोध व विकास कार्य किया है। केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी बी आर आई), रूड़की और केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने उड़न राख ईटों के निर्माण की प्रौद्योगिकीयां विकसित की है, और ऐसी ईटों के कुछ भट्टे पहले ही चल रहे हैं। आज अनेक भवन इन ईटों के बने हुए हैं।

(ग) अनुसंधान तथा विकास केन्द्रों के अनुसंधान तथा विकास प्रयासों व बी एम एम टी पी सी, हुडकों, एन एच बी आदि द्वारा प्रोत्साहक प्रयासों के फलस्वरूप उड़न राख के इस्तेमाल में वृद्धि हुई है। इनसे कई उद्यमियों/कम्पनियों को आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आदि में उड़न राख ईट भट्टे लगाने की प्रेरणा मिली है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना

7243. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 तक शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) राज्य-वार उक्त तारीख तक कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति दी गई है ;

(ग) उक्त तारीख तक राज्य--वार कितने व्यक्तियों को कितनी धनराशि वितरित की गई ;

(घ) बैंक-वार वितरण का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या इस योजना के कार्यान्वयन में सरकार को किसी प्रकार की कठिनाई होने की जानकारी है ; और

(च) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) 1993-94 के दौरान प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार 223927 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 32050 आवेदनों के संबंध में बैंकों को सिफारिश की गई है। 31 मार्च तक मंजूर किए गए मामलों के बारे में अन्तिम रिपोर्टों की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बताया गया है, ऋणों का बैंक वार वितरण संलग्न-विवरण - 2 में दिया गया है। आंकड़े अंतिम हैं और अंतिम रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है। ऋणों का राज्यवार वितरण केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ङ) और (च) यह योजना हाल ही में शुरू की गई है और ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। किन्तु, बैंकों द्वारा कलैक्टर्ल स्वओरिटी के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन पर बैंकिंग विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। केन्द्र सरकार से सचिव (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो नियमित आधार पर कार्य निष्पादन की समीक्षा करेगी और इसकी निगरानी करेगी ताकि इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण - 1

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राप्त आवेदनों की संख्या	बैंकों को सिफारिश किए गए आवेदनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	22279	6340
2.	असम	3833	1069
3.	बिहार	23779	5598
4.	दिल्ली	16556	4345
5.	गोवा	475	261
6.	गुजरात	2669	1738
7.	हरियाणा	2171	1315

1	2	3	4
8.	हिमाचल प्रदेश	816	454
9.	जम्मू और कश्मीर	608	354
10.	कर्नाटक	15333	4113
11.	केरल	11481	3122
12.	मध्य प्रदेश	17032	8271
13.	महाराष्ट्र	12587	11874
14.	मणिपुर	2680	सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।
15.	मिजोरम	181	42
16.	उड़ीसा	7904	1997
17.	पंजाब	3506	2632
18.	राजस्थान	25045	3228
19.	तमिलनाडु	17031	7338
20.	त्रिपुरा	543	254
21.	उत्तर प्रदेश	26851	11075
22.	पश्चिम बंगाल.	8236	5418
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	166	83
24.	चंडीगढ़	409	262
25.	दादर और नागर हवेली	291	216
26.	दमन और दीव	9	5
27.	लक्षद्वीप	20	11
28.	मेघालय	542	179
29.	पांडिचेरी	794	356
30.	अरूणाचल प्रदेश	100	100
31.	नागालैंड	सूचना की प्रतीक्षा है।	
32.	सिक्किम	सूचना की प्रतीक्षा है।	
	योग	223927	82050

विवरण - 2

ऋण का बैंकवार वितरण : (आंकड़े अनंतिम है)

क) **सरकार क्षेत्र के बैंक**

क्र.सं.	बैंक का नाम	आवेदनों की संख्या	आबंटित राशि (रु. लाख में)
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	337	160.72
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	13	6.57
3.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	238	118.88
4.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	8	5.48
5.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	138	98.62
6.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	56	36.53
7.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	9	2.85
8.	स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेणकोर	0	0.00
9.	इलाहाबाद बैंक	43	23.66
10.	आंध्रा बैक	46	30.30
11.	बैंक ऑफ बड़ौदा	85	38.09
12.	बैंक ऑफ इंडिया	118	54.94
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	282	129.23
14.	केनरा बैंक	115	53.36
15.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	170	72.85
16.	कार्पोरेशन बैंक	40	25.10
17.	देना बैंक	143	75.42
18.	इंडियन बैंक	84	48.79
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	54	26.33
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	249	0.00
21.	पंजाब नेशनल बैंक	146	76.87
22.	पंजाब एंड सिंध बैंक	0	0.00

1	2	3	4
23.	सिंडिकेट बैंक	89	34.25
24.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	141	89.28
25.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	45	30.73
26.	यूको बैंक	55	25.60
27.	विजया बैंक	6	4.08
	सरकारी क्षेत्र के कुल बैंक	2710	1268.53
	निजी क्षेत्र के कुल बैंक	94	37.08
	सभी बैंकों का योग	2804	1305.61

''जीरो'' दर्शाता है कि सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है।

निर्माणों के ऊर्जा बचत पहलू

7244. श्री पी.कुमारासामी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कार्यों में ऊर्जा की बचत और पर्यावरण के हितकारी पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान देता है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जहां तक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का सम्बन्ध है, हाल ही में उर्जा बचत और पर्यावरण से सम्बन्धित निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की गई है : -

1. मिट्टी-राख की ईटों का निर्माण व उपयोग ;
2. प्रकाशयुक्त व हवादार मकानों का डिजाईन व निर्माण ;
3. सौर जल तापन पद्धति।
4. नये सरकारी निर्माणों में लकड़ी के प्रतिस्थापनों का प्रयोग।

सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम संबंधी समिति

7245. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी तकनीकी समिति के सदस्य कौन-कौन है और इसके निर्देश पद क्या है ;

(ख) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन भेज दिया है ;

(ग) यदि हो, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस पर विशेषतः पंचायतों की भूमिका के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) तकनीकी समिति की संरचना और विचाराधीन मुद्दे संलग्न विवरण - 1 में दिए गए हैं।

(ख) समिति ने भारत सरकार को 23.4.94 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं।

(घ) समिति की सिफारिशें भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

विवरण - 1

योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री सी.एच, हनुमंताराव की अध्यक्षता में अप्रैल, 1993 में गठित सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम संबंधी तकनीकी समिति की संरचना और इसके विचाराधीन मुद्दे।

संरचना

1.	प्रो. सी. एच हनुमंताराव, पूर्व सदस्य, योजना आयोग नई दिल्ली।	अध्यक्ष
2.	प्रो. अनिल गुप्ता, कृषि प्रबंध केन्द्र, आई.आई.एम. अहमंदाबाद।	सदस्य
3.	श्री टी.के.ए. नायर, अतिरिक्त सचिव, बंजर भूमि विकास विभग, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, आठवीं मंजिल, लोदी रोड़, नयी दिल्ली।	सदस्य
4.	डा० जे. वेंकटेश्वरलु, निदेशक केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।	सदस्य

5. श्री विजय वर्मा, सदस्य
सचिव, वन एवं पर्यावरण,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

6. श्री एम.एल. मेहता, सदस्य
अतिरिक्त सचिव,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

7. श्री एस. सुब्रमनियम, सदस्य
अतिरिक्त आयुक्त,
(अनुसूचित जाति एवं भूमि योजना)
कृषि एवं सहकारिता विभाग,
कृषि मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली।

8. डा. एम.के. माथुर, सदस्य
संयुक्त सलाहकार (कृषि),
योजना आयोग,
नई दिल्ली।

9. श्री वी.के.चौधरी, सदस्य
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
मध्य प्रदेश सरकार,
भोपाल।

10. श्रीमती रोहिणी नैय्यर, सदस्या
परामर्शदात्री,
ग्रामीण विकास,
योजना आयोग,
नई दिल्ली।

11. डा. परमेश्वर राव,
भागवत उला चैरिटेबल ट्रस्ट,
वेल्लामनचिली,
आंध्र प्रदेश।

12. श्री वी.एस. सम्पतः, सदस्य
प्रबंध निदेशक,
ए.पी. ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन लिमिटेड,
परिश्रम भवन, 9वीं मंजिल, फतह मैदान रोड,
हैदराबाद-500029.

13. श्री आर.एन. मेहरोत्रा, सदस्य
अतिरिक्त आयुक्त (एस.डब्ल्यू.सी.),
कृषि मंत्रालय,
कक्ष सं.-104, बी. विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

14. श्री शिवराज सिंह, सदस्य
संयुक्त सचिव (भूमि सुधार),
ग्रामीण विकास मंत्रालय,
नई दिल्ली।

विचारणीय मुद्दे

(क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किये जाने वाले क्षेत्रों का चयन करने हेतु विद्यमान मानदंड की समीक्षा करना और उसमें उपयुक्त संशोधन करना ताकि सूखे और मरूस्थलीकरण से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों को शामिल किया जा सके और जहां उनका गंभीर प्रभाव नहीं है, उन्हें कार्यक्रमों से निकाला जा सके।

(ख) कार्यक्रम की विषय सूची, आयोजना के तरीकों, वित्त पोषण का मापदंड और स्वरूप तथा केन्द्र राज्य, जिला और वाटरशेड स्तरों पर सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना और जहां कहीं आवश्यक हो, उचित संशोधन की सिफारिश करना तथा पात्र और अपात्र गतिविधियों की वर्तमान सूची में उपयुक्त संशोधन करना।

(ग) वर्षा द्वारा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास

कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आदि जैसे संबंधित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के साथ सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम को समेकित करने की संभावयताओं की जांच करना और ऐसे समेकन के लिए एक उपयुकत नीति की सिफारिश करना।

(घ) शुष्क खेती और विशेष रूप से फसल लेने के पैटर्न और वनस्पति अवरोधों के लिए संबंधित प्रौद्योगिकियों की जांच करना और पता लगाना तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के हस्तान्तरण हेतु अनुसंधान और प्रक्रियाओं के निद्रेशों की सिफारिश करना।

(ङ) व्यापक स्तर पर लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और निधियों की अधिक जिम्मेदारी तथा क्षेत्रीय विभागों में जन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वाटर शेड समिति, पानी पंचायतों,गैर सरकारी संगठनों आदि की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरूभूमि विकास कार्यक्रम के संसाधनों को न केवल अन्य क्षेत्र विकास और लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों के साथ समेकित किया जाए बल्कि उनको पूरक और अतिरिक्त निधियों के रूप में इस्तेमाल किया जाए, न कि विद्यमान कार्यक्रम निधियों के प्रवाह हेतु प्रतिस्थापन के रूप में, तरीकों की जांच करना।

विवरण - 2

प्रो० सी.एच. हनुमंतराव की अध्यक्षता में गठित सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम संबंधी तकनीकी समिति की सिफारिशों के ब्यौरे -

1. आवश्यक ढांचे, प्रौद्योगिकियां और संस्थागत सहायता प्रदान करके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को निजी तौर पर लाभप्रद बनाना है।
2. लोगों की अपनी नीतियों और उनकी अपनी घरेलू प्रौद्योगिकियों, जिनमें स्थानीय तौर पर पसंद किये जाने वाले पौधें शामिल हैं, की और अधिक ध्यान दिया जाना है ताकि उन्हें कार्यक्रमों में शामिल किया जा सके जिससे कि सूखे की गम्भीरता को कम किया जा सके।
3. प्रर्याप्त ढांचों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक होगा ताकि कुशल व्यावसायिकों और प्रशासनिक अधिकारियों को विकासात्मक तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों में सेवा करने के लिए आकर्षित किया जा सके और उन्हें इसके लिए नियोजित रखा जा सके।
4. सूखा प्रभावित और मरूस्थलीय क्षेत्रों में ऊन संसाधन इकाइयों तथा चमड़ा कमाने की इकाइयों को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय में वृद्धि हो सकती है और इस प्रकार खाना बदोशी तथा पलायन में कमी लाई जा सकती है, जिससे पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। शिल्पों और अन्य आय अर्जन के अवसरों को विकसित करने से भी खानाबदोशी में कमी लाने में भी ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा।
5. तकनीकी समिति ने यह दोहराया है कि भूमि, पानी और वनस्पति संसाधनों का वाटरशैड आधार

पर सुसंगत प्रबंध, विकास और उपयोग तथा ऐसे क्षेत्रों में उत्पादित मूल्य वृद्धित वस्तुओं के संसाधन और विपणन हेतु पूरक अवसरों का सृजन ही इन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का निचोड़ होना चाहिए।

6. वाटर शैड के लिए उपचार योजना में निजी, ग्राम की सामुदायिक, राजस्व और निम्न श्रेणी की वन भूमि सहित भूमि की सभी श्रेणियां शामिल होनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके चयन किए गए वाटरशैड में एक गांव/बस्ती कवर होनी चाहिए।

7. तकनीकी समिति का यह मत है कि वाटरलैड विकास कार्यक्रम को लाभार्थियों की समग्र भागीदारी से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए, ऐसा एक वाटरशैड विकास दल बना कर ही सुनिश्चित किया जा सकता है जिसकी महासभा में वाटरशेड क्षेत्र के सभा बालिग सदस्य शामिल होने चाहिए। तथापि, संचलात्मक सुविधा के लिए वाटरशेड विकास दल में 10 सदस्य होंगे जिनमें से कम से कम 5 महिलाएं होंगी। वाटरशैड दल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को प्रतिनिधित्व महासभा में उनकी संख्या के अनुपात में होगा, दल की सहायता दो व्यक्तियों द्वारा की जाएगी जिनमें से एक ग्राम स्तरीय विकास अधिकारी/कर्मचारी होगा जैसे कृषि/पशुपालन/वन/बागवानी विकास विभाग से होगा और दूसरा सूक्ष्म वाटर शैड के लाभार्थियों द्वारा चुना गया एक ग्रामीण शिक्षित युवक होगा जो वरीयताक्रम में मैट्रिक पास हो।

8. किसी एक वर्ष में लगभग 500 हैक्टेयर वाले एक सूक्ष्म वाटरशैड को प्रबंध और विकास के लिए लिया जाएगा। वाटरशैड कर्मचारियों को ऐसा वर्ष शुरू होने से छः माह पूर्व ही उस वाटरशैड क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा जहां विकास कार्य किया जाना है। कर्मचारियों को पहले 3 महीनों के दौरान एक बहुआयामी प्रशिक्षण दिया जाएगा और वे अगले 3 महीने संचालन के वर्ष के दौरान कार्यान्वयन हेतु सर्वेक्षण करने तथा योजना तैयार करने में लगायेंगे।

9. वाटरशैड विकास हेतु निधियां निर्धारित की जाएंगी और उन्हें पंचायतों की मार्फत वाटरशैड विकास दल को रिलीज कर दिया जाएगा। वाटरशैड विकास दल पंचायतों को अपना लेखा-जोखा देगा।

10. जबकि प्रत्येक वाटरशैड के लिए खंड स्तर के फील्ड कर्मचारियों की सेवायें मुहैया कराने की बात सोचना वित्तीय तौर पर स्वीकार्य नहीं होगा। वाटरशैडों के समूह के लिए खंड स्तर के अधिकारियों का ऐसा बहुआयामी तकनीकी दल बनाना उचित रहेगा और इसे एक केन्द्रीय तथा सब की पहुंच के स्थानों जैसे ताल्लुक अथवा खंड मुख्यालयों में स्थापित किया जा सकता है जिससे कि वाटरशैडों के समूह की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

11. संबंधित राज्यों की योजनाओं को अंतिम रूप देते समय योजना आयोग को उपयुक्त तंत्रों की मार्फत यह सुनिश्चित करना होगा कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को वाटरशेडों के

विकास की मार्फत भूमि तथा नमी संरक्षण के लिए तैयार की गयी क्षेत्र विकास योजनाओं के साथ समेकित किया जाये और आय सृजन के अन्य अवसर सतत् आधार पर सृजित किये जाये, केवल इन्हीं से दूरगामी आधार पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है।

12. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम को तैयार करने तथा उसका कार्यान्वयन करने में स्वयंसेवी भावना को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ प्रयास तथा ठोस कदम उठाए जाने अपेक्षित हैं। इससे न केवल विद्यमान उचित और सक्षम स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी बल्कि इस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए प्रेरक तथा समर्पित लोगों के स्थानीय समूहों के गठन के लिए अनुकूल नीति तथा अफसरशाही के अनुकूल रवैये की मार्फत अनुकूल परिस्थितियां पैदा होंगीं सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु स्वयंसेवी संगठनों को अन्ततः 25 प्रतिशत वाटरशैड सौंपने के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना वांछनीय होगा।

13. राज्य सरकारें सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए स्वयंसेवी कार्यों को बढ़ावा देने हेतु राज्य-स्तरीय समितियां गठित कर सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री समिति की अध्यक्षता कर सकते हैं जिसमें मुख्यतः प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों तथा संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया जा सकता है।

14. जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जा सकती है जिसमें मुख्यतः स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल किये जा सकते हैं जो वाटरशैड विकास परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए उचित और सक्षम स्वयंसेवी संगठनों का पता लगाएं।

15. घटकों का निर्धारण पहले से ही ही नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। इस संबंध में पूर्ण लचीलापन अपनाया जाना चाहिए और घटकों के बारे में वास्तविक विकल्प लाभार्थियों सहित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा तैयार की गई वाटर शेड योजनाओं के आधार पर अपनाया जाना चाहिए।

16. राज्य सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए जिसके तहत कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों को समुदाय को सौंप कर उनके रख-रखाव के लिए समुदाय को राजी किया जा सके।

17. वाटरशैड योजनाओं में सभी क्षेत्रों के कवर करने के उद्देश्य से कार्यक्रम के कार्यों के लिए दी जाने वाली सबसिडी सभी लाभार्थियों को दी जानी चाहिए, चाहे भू-स्वामियों की भूमि जोत का आकार कुछ भी क्यों न हो।

18. परती भूमि को पुनः उपजाऊ बनाने के महत्व तथा भूमि के और अधिक निम्नीकरण को रोकने तथा समस्या की व्यापकता को देखते हुए, यह बात सलाह योग्य है कि राज्यों को परती भूमि विकास योजनाओं में उपर्युक्त मैचिंग अंशदान करना चाहिए जैसाकि सूखाग्रस्त कार्यक्रम के मामले में होता है।

19. हमारे आंकलन के अनुसार ग्रामीण विकास में एकीकृत दृष्टिकोण और संबंधित कार्यक्रमों के समेकन की नीति को अपनाकर वित्त पोषण के वर्तमान स्तर तक लाया जाना चाहिए, वाटरशेड विकास के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान होना चाहिए।

20. आयोजना और कार्यान्वयन के स्तर पर योजनाओं/कार्यक्रमों का समेकन, निधियों का प्रावधान आदि उपर्युक्त संस्वीकृत स्तरों अर्थात् जिला ग्रामीण विकास एजेंसी अथवा राज्य स्तर पर किया जाना चाहिए।

21. समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों और संबंधित मंत्रालयों के बीच प्रभावी समवन्य कायम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिएं। मंत्रालय को विभित्र एजेंसियों के कार्यक्रमों में समानता की नीति अपनाने के लिए मार्गदर्शिकाएं तैयार करनी चाहिए और वाटर-शेड विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण मापदंड भी तैयार किये जाने चाहिए।

22. हमारा सुझाव है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इन कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान और विकास में मदद देने के लिए अनुसंधान संस्थाओं को सहयोग दें।

23. चूंकि इस समिति की सिफारिशों के रूप में वाटरशेड आधार पर तैयार की गई विस्तृत योजनाओं के आधार पर परियोजनाएं स्वीकृत की जानी है, इसलिए समिति इस बात पर जोर देना चाहेगी कि कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए वाटरशेड विकास योजनाएं तैयार करने के लिए विभित्र स्तरों पर प्रशिक्षण महत्वपूर्ण होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपयुक्त संस्थाओं का चयन करके, उन्हें वित्त पोषित करके, इस प्रयोजन हेतु पाठ्यक्रमों के मापदंड तैयार करके तथा उनकी निगरानी करके ऐसे प्रशिक्षण आयोजित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है।

24. हम "मरूभूमि" और "सूखाग्रस्त" क्षेत्रों, जैसाकि वर्तमान में है, के बदले सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत तीन पारिस्थितिक प्रणालियों-शुष्क, अर्द्ध-शुष्क तथा शुष्क अर्द्ध आर्द्र को शामिल करने का प्रस्ताव रखते हैं और यह भी प्रस्ताव रखते हैं कि जिला आधार पर पारिस्थितिकीय प्रणालियों के लिए सिंचाई के निम्नलिखित मापदंड अपनाये जायें : -

नमी सूचकांक	अनुमेय कार्यक्रम	पारिस्थितिक तंत्र	प्रतिशत सिंचित क्षेत्र
- 66.7	मरूभूमि विकास कार्यक्रम	शुष्क	50 प्रतिशत
- 66.6 से - 33.3	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	अर्द्ध-शुष्क	40 प्रतिशत
- 33.2 से 0	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	शुष्क अर्द्ध-आर्द्र	30 प्रतिशत

26. हम यह सुझाव देते हैं कि उन शुष्क और अर्द्ध-शुष्क जिलों जहां सिंचिंत क्षेत्र सकल कृषि क्षेत्र के क्रमशः 50 प्रतिशत और 40 प्रतिशत हैं, को पूरी तरह से कार्यक्रम से अलग किया जा सकता है चाहे वह सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम वाला क्षेत्र अथवा मरूभूमि विकास कार्यक्रम वाला क्षेत्र हो। इसी तरह से उन शुष्क अर्द्ध नमी वाले जिलों जहां सकल बुआई क्षेत्र का 30 प्रतिशत क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है, को भी अलग किया जा सकता है।

27. ग्रामीण विकास मंत्रालय को जिला तथा खंड स्तर पर सिंचाई के प्रतिशत के बारे में आवश्यक सूचना हासिल करनी चाहिए तथा हमारे द्वारा सिफारिश किये गये फार्मूला के अनुसार कार्यक्रमों के लिए जिलों और खंडों का चयन करना चाहिए।

28. हमारा यह प्रस्ताव है कि पात्र जिलों में निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार खंडों का चयन किया जाना चाहिए।

पारिस्थितिकी तंत्र	सिंचाई का प्रशित (शामिल किये जाने योग्य)
शुष्क	30 तक
अर्द्ध शुष्क	20 तक
शुष्क अर्द्धनम	15 तक

29. प्रत्येक चयनित खंड में वाटरशेड आधार पर प्रत्येक गांव के 500 हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जायेगा तथा 10 वर्षों की अवधि के भीतर प्रत्येक वर्ष में गांवों की संख्या के 1/10 भाग को कवर करके सभी गावों को कवर किया जा सकता है इससे कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों और जिलों की निधियों के आबंटन का आधार प्राप्त होना चाहिए।

30. समिति यह सिफारिश करती है कि 1995-96 से वित्त पोषण सिर्फ परियोजना आधार पर किया जाना है। इस तरह से नया कार्यक्रम 1995-96 से लागू किया जायेगा।

31. समिति विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा वाटरशेड पर आधारित क्षेत्र विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय कायम करने तथा एकीकृत नीति अपनाने की दृष्टि से सदस्य, योजना आयोग, ग्रामीण विकास के प्रभारी की अध्यक्षता में वाटरशैड से संबंधित राष्ट्रीय नीति निर्धारण तथा समीक्षा समिति के गठन की सिफारिश करती है। ग्रामीण विकास विभाग को नोडीय विभाग के रूप में कार्य करना चाहिए।

32. राज्य स्तर पर समन्वय काम करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन तथा समीक्षा समिति के गठन की सिफारिश की जाती है।

33. कम से कम सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरूभूमि विकास कार्यक्रम तथा आई, डब्ल्यू, डी.पी. के लिए पर्याप्त आबंटन वाले राज्यों में राज्य स्तर के नोडीय विभाग की बहु विभागीय दल द्वारा मदद की जानी चाहिए जिसमें कृषि विभाग, वन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग तथा लघु सिंचाई विभाग के अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक के स्तर के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

34. यह सिफारिश की जाती है कि जिला स्तर पर बहु विभागीय दल होना चाहिए जिसकी अध्यक्षता वाटरशेडों के अतिरिक्त परियोजना निदेशक होंगे। बहु विभागीय दल में विभिन्न विभागों जैसे कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन तथा लघु सिंचाई विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी शामिल होंगे। जिला स्तरीय बहु-विभागीय दल वाटरशेड स्तर की वाटरशैड विकास योजनायें तैयार करने में मार्गदर्शन देने, उनकी जांच करने तथा उन्हें प्रशासनिक स्वीकृति देने के लिए जिम्मेदार होगा।

35. जैसाकि निर्धारित किया गया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की भूमिका अब कार्यक्रमों को वित्त-पोषित करने एवं उनकी निगरानी करने की होगी ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि वाटरशैड आधार पर मूल कार्य नीति अर्थात् आयोजना और कार्यान्वयन का अनुसरण हो सके।

36. गैर-सरकारी संगठनों सहित प्रतिष्ठित स्वतंत्र तथा शासी संस्थाओं को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित करके इनके माध्यम से नियमित आधार पर व्यापक पैमाने पर स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययन करना आवश्यक होगा।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास परियोजनाओं हेतु धनराशि

7246. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं हेतु बहुत अधिक धनराशि खर्च कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और इस राशि का कितना प्रतिशत वास्तव में खर्च किया गया ;

(ग) इस धनराशि को पूर्णरूपेण खर्च न किए जाने के क्या कारण है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु क्या प्रयास किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये निधियों के आबंटन में वृद्धि कर के इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किए गए लगभग 10955 करोड़ रुपये की खर्च की तुलना में 30000 करोड़ रुपये कर दिया है। प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं अर्थात (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (2) जवाहर रोजगार योजना और (3) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम पर गत तीन वर्षों अर्थात् 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान खर्च की गई कुल राशि और प्रतिशत उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अनुबन्ध से यह देखा जा सकता है कि इन सभी कार्यक्रमों के लिये प्रतिशत उपयोग आमतौर पर संतोषजनक रहा है। वर्ष 1993-94 के लिये आंकड़े अनंतिम है। विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये आबंटित राशि के उचित उपयोग हेतु इन कार्यक्रमों की भौतिक व वित्तीय प्रगति की मासिक/आवधिक प्रगति रिपोर्टों, फील्ड निरीक्षणों और समय-समय पर आयोजित कार्यशालाओं/सेमिनारों आदि की मार्फत कड़ी निगरानी रखी जाती है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये आंबटन/उपयोग और प्रतिशत उपयोग

कार्यक्रम	1991-92			1992-93			1993-94		
	आंबटन	उपयोग	प्रतिशत उपयोग	आबंटन	उपयोग	प्रतिशत उपयोग	आबंटन	उपयोग	प्रतिशत उपयोग
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	70360.74	77308.78	(109.87)	66222.00	69307.64	(104.66)	109343.00	86628.09	(79.22)
जवाहर रोजगार योजना	262090.38	265989.24	(101.49)	316905.05	270476.20	(85.35)	318122.393	23567.32	(101.71)
त्वरित ग्रामीणजल सप्लाई कार्यक्रम	39000.00	37367.50	(95.81)	39000.00	37821.80	(96.98)	60027.00	45353.52	(75.56)

अनन्तिम

दम्पत्ति सुरक्षा दर

7247. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत दम्पत्ति सुरक्षा दर का अनुमान लगाने की वर्तमान प्रक्रिया का कोई विवेचनात्मक मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला ;

(ग) दम्पत्ति सुरक्षा दर (सी.पी.आर.) और जन्म दर के बीच इतना कम अन्तर होने के क्या कारण हैं, और

(घ) दम्पत्ति सुरक्षा दर की गणना प्रक्रिया के संबंध में की गई टिप्पणियों में से एक टिप्पणी में उल्लिखित आवश्यक सुधारों का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) दम्पत्ति सुरक्षा दर तथा जन्म दर के बीच सम्बन्ध में कमी देखने में आई है। इस संकलित दम्पत्ति सुरक्षा दर में परिवार कल्याण के विभिन्न तरीके अपनाने वालों के आयु-विशिष्ट के अन्तर को ध्यान में नहीं रखा जाता है। परिवार कल्याण के विभिन्न तरीके अपनाने वालों की आयु विशिष्ट के अन्तर को ध्यान में रखते हुए दम्पत्ति सुरक्षा दर अनुमान तथा सूचना पद्धति को संशोधित करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड

7248. श्री मनोरंजन भक्त : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीक्लस लिमिटेड ने साइप्रस में दूसरी ताप विद्युत उत्पादन इकाई को चालू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को समझौते के अनुरूप पूरा किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) करार के अनुसार, वाणिज्यिक प्रचालन हेतु दूसरी इकाई का अधिग्रहण 15.5.93 को किया जाना था। सफल जाँच तथा परीक्षण प्रचालन के बाद, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा निश्चित तारीख को एकक का अधिग्रहण कर लिया गया है। तब से यह सेट संतोषजनक सेवा प्रदान कर रहा है।

पिछड़े ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों का विकास

7249. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात में पिछड़े ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु कोई विशेष योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि हाँ, तो इन क्षेत्रों के विकास हेतु गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि का आंबटन किया गया, और

(घ) इससे गुजरात में श्रेणी-वार और वर्षवार कितने लोग लाभान्वित हुए ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) गुजरात के पिछड़े ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के विकास में योगदान देने वाली योजना स्कीमों संबंधी सूचना संलग्न विवरण - 1 में दी गई है।

(घ) इन स्कीमों के अंतर्गत लाभग्रहियों के अनुमान केवल कतिपय स्कीमों के लिए उपलब्ध हैं। उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण - 1

(रुपये लाख में)

स्कीम	अनुमोदित परिव्यय 1992-93	1993-94	1994-95
1. मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बुक बैंक	3.75	1.75	1.75
2. लड़कों के लिए सरकारी छात्रावास का निर्माण	16.00	50.00	45.00
3. लड़कियों के लिए सरकारी छात्रावास का निर्माण	14.00	50.00	30.00
4. आश्रम स्कूल	50.00	16.00	20.00
5. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	12.50	6.00	15.00
6. गांधीनगर में प्रशिक्षण परिसर	3.10	2.00	2.00
7. आदिवासी अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान	17.20	9.30	9.30
8. लड़कों के लिए आई ए छात्रावास का निर्माण	10.50	0.00	5.00
9. लड़कियों के लिए जीआईए छात्रावास का निर्माण	9.00	0.00	9.00

10. सीनियर सेंकेडरी उत्तर छात्रों के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति	650.00	700.00	750.00
11. सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास	317.00	0.00	100.00
12. ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	5411	15621*	16781*
13. ग्रामीण सफाई कार्यक्रम	300	300	400
14. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी)	1300	1300	1739
15. जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई)	1780	1780	2391
16. रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस)	3120	2750	1714
17. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)	373	373	559

* सौराष्ट्र और कच्छ प्रदेश के लिए पाइपलाइन डालने की एक परियोजना के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से अलग वार्षिक योजना 1993-94 के लिए 10000 लाख रु. और वार्षिक योजना 1994-95 के लिए 10200 लाख रुपये शामिल है।

विवरण - 2

गुजरात के पिछड़े ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों को लाभ देने वाली स्कीमों के अन्तर्गत लाभग्रहियों की संख्या

स्कीम	एकक	लाभग्रहियों की संख्या		
		1992-93	1993-94	1994-95
1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	संख्या	61842	70101	उ.न.
(आई आर डी पी) जिन परिवारों को सहायता दी गई।		61842	70101	उ.न.
2. जवाहर रोजगार योजना (जे आई वाई) सर्जित रोजगार	लाख श्रम दिवस	235.03	169.95 (फरवरी, 94 तक)	उ.न.

उ.न. = उपलब्ध नहीं।

हैंडपम्प और कुएं

7250. श्री फूलचन्द्र वर्मा :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के लिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक के ग्रामीण और सूखा प्रवण क्षेत्रों में हैडपम्प लगाने और कुएं खोदने के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ; और

(ख) उक्त अवधि में इन राज्यों में कुएं खोदने और हैंडपम्प लगाने के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) ग्रामीण और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हैंडपम्प लगाने और स्वच्छ कुए खोदने के लिए अलग-अलग आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, 1994-95 के लिए मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया आबंटन क्रमशः 51.42 करोड़ रुपये और 42.72 करोड़ रुपये है।

(ख) लगाए जाने वाले हैंडपम्पों और खोदे जाने वाले कुओं के रूप में लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। ये गांवों और जनसंख्या की कवरेज के रूप में निर्धारित किये जाते हैं। 1994-95 के लिए लक्ष्य निम्न प्रकार हैं : -

	स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने वाली बस्तियां	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या (लाख में)
मध्य प्रदेश	9000	20.0
कर्नाटक	9000	30.0

बैगास/बायोगैस विद्युत

7251. श्री एम.वी.एस. मूर्ति :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एस.एम. लालजानबाशा :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री एस.बी. सिदनाल :

श्री एस.बी.सिदनाल :

	चित्रदुर्ग				
	गुलबर्ग और				
	बिदार				
9.	केरल				
	– त्रिवेन्द्रम	21 जुलाई	24 जुलाई, 92	03	साम्प्रदायिक दंगे
	कसारगोडा	10 दिसंबर	22 दिसंबर, 92	06*	अयोध्या
	थ्रिपुनीथुरा				घटना के कारण
	मालपुरम और				कानून और व्यवस्था
	कण्णनूर				बिगड़ी स्थिति बहाल करना।

* इस अवधि में किसी भी दिन तैनात किए गए अधिकतम कालमों की संख्या को दर्शाता है।

10.	मेघालय	13 अगस्त	15 अगस्त, 92	2	कानून और व्यवस्था बनाए रखना
	– शिलांग	11 सितंबर	14 सितंबर, 92	2	कानून और व्यवस्था बनाए रखना
	शिलांग	16 अक्तू.	–	1	कानून और व्यवस्था बनाए रखना
11.	मध्य प्रदेश				
	– भोपाल,	07 दिसं.	23 दिस. 92	22 *	अयोध्या घटना के कारण
	उज्जैन और इन्दौर			(अधिकतम)	बिगड़ी कानून और व्यवस्था
					की स्थिति को बहाल करना।
12.	महाराष्ट्र				
	– बम्बई	10 दिस.	31 दिस. 92	22 *	अयोध्या घटना के कारण
	औरंगाबाद			(अधिकतम)	बिगड़ी कानून और व्यवस्था
					की स्थिति को बहाल करना।
13.	राजस्थान				
	– कुम्हेर	6 जून	16 जून, 92	5	साम्प्रदायिक दंगें।
	दरगाह शरीफ		26 अक्तू. 92	8	साम्प्रदायिक दंगे।
	जयपुर	07 दिस.	18 दिस. 92	17*	अयोध्या घटना के कारण
	नशीराबाद, झालवाड़,			(अधिकतम)	बिगड़ी कानून और

	मालनपुरा, टौंक, नीम				व्यवस्था की स्थिति
	काथाना, कांटा, अजमेर,				बहाल करना।
	सीकर, नागोर एवं बारां				
14.	सिक्किम				
	- रूम टेक मठ	12 जून, 92		1	कानून और व्यवस्था बनाए रखना।
15.	त्रिपुरा	11 नव.	13 नव. 92	6	पुलिस आन्दोलन के कारण उत्पन्न
	- पश्चिमी त्रिपुरा				
	अगरतला, अम्बाला,				हुई स्थिति से निपटना।
	कंचनपुर, सालबाग और				
	उदयपुर				
16.	उत्तर प्रदेश				
	- मेरठ, सरधाना, बिजनौर,				
	नगीना, नजीबाबाद,				
	गाजियाबाद, हापुड,	6 दिसं	23 दिसं. 92	60*	अयोध्या घटना के कारण
	बुलंद शहर, खुर्जा,			(अधिकतम)	बिगड़ी कानून और व्यवस्था
	सिकन्दराबाद, झांसी, मुरादाबाद				की स्थिति बहाल करना।
	मुज्जफर नगर, सहारनपुर, फरूखाबाद,				
	रामपुर, वाराणसी, बंदायू, बरेली				
	नैनीताल।				
	अल्मोड़ा, लखनऊ,				
	मिर्जापुर, जौनपुर,				
	सीतापुर, लखीमपुर				
	खीरी, देवबन्द, सम्भल,				
	हरदोई, गोजीगंज,				
	खामिया, मंगलौर,				
	जालौन, उन्नाव,				
	इलाहाबाद, कानपुर,				

	फतेहपुर, एटा, रायबरेली, और मथुरा।				
17.	पश्चिम बंगाल - कलकत्ता, हुगली और मालदा	26 दिस.	20 दिस. 92	23 *	अयोध्या घटना के कारण बिगड़ी कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करना।

टिप्पणी : उपर्युक्त तैनाती की गणना 1992 में 2502 कॉलम दिन की गई है।

* इस अवधि में किसी दिन तैनात किए गए अधिकतम कॉलमों की संख्या को दर्शाता है।

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता

1992

क्र. सं.	राज्य/स्थान	अवधि से	तक	कालमों की संख्या	उद्देश्य
1.	असम				
	तिनसुखिया	31 मार्च	04 अप्रैल, 92	1	बाढ़ राहत कार्य
		14 अप्रैल	17 अप्रैल, 92	1	-वही-
2.	आन्ध्र प्रदेश				
	कुरनाल	20 नव.	23 नव. 92	1	-वही-
3.	अरुणाचल प्रदेश	28 जुलाई. 92		1	एक बस को बचाने के लिए बचाव-कार्यवाई में सहायता प्रदान की गई।
4.	गुजरात				
	भुज	23 जुलाई	24 जुलाई 92	2	बाढ़ राहत
	खाइरा	09 सित.	10 सित.92	2	-वही-
5.	हिमाचल प्रदेश				
	शिमला	15 जुला.	16 जुला. 92	1	एक इमारत के ढह जाने के कारण उसमें फंसे लोगों को बचाने में सहायता की गई।

6.	जम्मू तथा				
	कश्मीर	10 सित.	10 सित. 92	5	बाढ़ राहत-कार्य
7.	केरल				
	वायनद	21 जून	23 जून, 92	1	बाढ़ राहत-कार्य
	त्रिवेन्द्रम	10 अक्तू. 92	20 अक्तू. 92	5	-वही-
	पुनोलूर तथा				
	कुलाथुपुज़ा	14 नव.	22 नव. 92	2	-वही-
8.	कर्नाटक				
	बेलारी	18 नव.	22 नव. 92	1	-वही-
9.	मध्य प्रदेश	29अग.	31 अग.92	1	जामनी नदी में गिरी बस से यात्रियों को बचाना।
10.	महाराष्ट्र				
	पुलगांव	16 अक्तू. 92		1	अग्निशमन सहायता।
11.	पंजाब				
	कपूरथला	29 अग.	01 सित.92	2	बाढ़ राहत कार्य।
	मसूरवाल तथा				
	रेसल	30 अग. 92	01 सित. 92	3	-वही-
	सागवाल				
	नकोदर	30 अग.92	01 सित. 92	1	-वही-
	फिरोज़पुर	01 सित.	06 सित. 92	1	-वही-
	मुथियावाला				
	पठानकोट	10 सित.	10 सित. 92	1	-वही-
12.	राजस्थान				
	चित्तौड़गढ़	27 जुला.	31 जुला. 92	1	बाढ़-राहत कार्य।
	पाली	11 अग.	13 अग. 92	1	-वही-
	दांसा	19 अग.	20 अग. 92	1	-वही-
	बलोतरा	09 सित.	11 सित. 92	1	-वही-

13.	उत्तर प्रदेश				
	हिन्डन	26 जुला.		1	-वही-
	बांदा	13 सित.	18 सित. 92	1	-वही-

आवश्यक सेवाएं बनाए रखना

1.	त्रिपुरा	12 मई	24 मई 92	-	गैस ट्रोएटेरीटीज महामारी से प्रभावित क्षेत्रों में सेना चिकित्सा दलों की व्यवस्था करना।
2.	हिमाचल प्रदेश				
	शिमला	23 जून	06 जुला. 92	-	एच पी ई बी कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान इलेक्ट्रीशियनों तथा सुपरवाइजरी स्टाफ की व्यवस्था करना।
3.	चण्डीगढ़	24 सित.	30 सित. 92		जल-आपूर्ति कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान जल-आपूर्ति बनाए रखने में सहायता प्रदान करना।

अन्य प्रकार की सहायता

1.	गुजरात				
	बड़ोदरा	03 जन.92	-		बम निष्क्रिय/सुरंग खोजी दलों की व्यवस्था।
	अहमदाबाद	01 जन. 92	02 जन. 92	-	- वही -
2.	गोवा	27 जन. 92	-	-	- वही -
		21 मई 92	23 मई, 92	-	- वही -
3.	दिल्ली	10 जन. 92	30 जन. 92	-	- वही -
		25 जलाई. 92	15 अग. 92	-	स्वतंत्रता दिवस परेड के लिए बम निष्क्रिय/सुरंग खोजी दलों की व्यवस्था करना।

4.	महाराष्ट्र				
	भुसावल	03 फर. 92	-		बम निष्क्रिय/सुरंग खोजी दलों की व्यवस्था करना।
	भुसावल	16 अप्रै. 92	-	-	-वही-
	बम्बई	23 मई	27 मई 92	-	-वही-
	ठाणे	09 मई 92	-	-	-वही-
	पुणे	23 जून 92	-	-	-वही-
5.	मिनीकाय				
	द्वीप	08 फर. 92	-	-	-वही-
6.	पश्चिम बंगाल				
	कलकत्ता	15 फर.. 92		-	-वही-
		09 मार्च	10 मार्च. 92	-	-वही-
		21 मार्च 92	-	-	-वही-
		13 अप्रैल	21 अप्रै. 92	-	-वही-
		21 मई 92		-	-वही-
		28 मई 92	-	-	-वही-
		11 सित.	12 सित. 92	-	-वही-
		10 अक्तू. 92	11 अक्तू. 92	-	-वही-
	न्यूजलपाई				
	गुड़ी	07 अक्तू. 92	-	-	-वही-
	जगतला	22 अक्तू. 92	-	-	-वही-
7.	मध्य प्रदेश	17 फर. 92	-	-	-वही-
8.	उत्तर प्रदेश				
	आगरा	01 मार्च 92	-	-	-वही-
	मथुरा	02 मार्च 92	-	-	-वही-
	सुलतानपुर	14 मार्च 92	-	-	-वही-
	आगरा	16 मार्च 92	-	-	-वही-

	हरिद्वार	21 मार्च 92	-	-	-वही-
	मेरठ	29 मार्च 92	-	-	-वही-
	नैनीताल	28 मार्च 92	-	-	-वही-
	वाराणसी	7 अप्रैल 92	13 अप्रै. 92	-	-वही-
	आगरा तथा				
	वाराणसी	10 अप्रैल 92	-	-	-वही-
	आगरा	19 अप्रैल 92	-	-	-वही-
	शाहरनपुर	18 मई 92	-	-	-वही-
	देहरादून	12 जून 92	13 जून 92	-	-वही-
	जोशीमठ	22 जून 92		-	दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना।
	लखनऊ	25 जुला. 92	-	-	बम निष्क्रिय/बारूदी सुरंग खोजी दल की व्यवस्था।
	वाराणसी तथा				
	वलिया	19 अग. 92	-	-	-वही-
	बाराणसी	03 सित. 92	-	-	-वही-
	बाजपौर	25 सित. 92	-	-	-वही-
	देहरादून	03 नव. 92	-	-	-वही-
	आगरा	14 नव. 92	-	-	-वही-
	इलाहाबाद	14 नव. 92	-	-	-वही-
9.	हिमाचल प्रदेश				
	शिमला	18 मई 92	20 मई 92	-	-वही-
	शिमला	03 जून 92	18 जून 92	-	-वही-
	कुलू/मनाली	09 जून 92	11 जून 92	-	-वही-
	परवालू	13 अक्तू. 92	-	-	टिम्बर ट्रेल होटल की केबिल वे ट्रॉली में फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए सहायता प्रदान की गई।

10.	असम				
	डिकाम	06 मई, 92	-	-	तेल के कुएं में लगी आग को
				-	बुझाने के लिए ऑयल इंडिया
				-	कम्पनी को डीजर मुहैया कराना।
	गुवाहाटी	02 जुलाई, 92	3 जुलाई, 92	--	बम निष्क्रिय/बारूदी सुरंग खोजी
	जोरहाट				दल की व्यवस्था
	गुवाहाटी	17 अक्तू. 92	18 अक्तू. 92	-	-वही-
11.	जम्मू-कश्मीर	मई, 92	अक्तू, 92	-	जी ए आई अभियान
		जुलाई, 92	नव. 92	-	-वही-
		अप्रैल, 92	-	-	-वही-
12.	त्रिपुरा	3 जुलाई, 92	04 जुलाई, 92	-	बम निष्क्रिय/बारूदी सुरंग खोजी
	अगरतला				दल की व्यवस्था।
13.	कर्नाटक				
	मलेश्वर	30 जुलाई, 92	10 अगस्त, 92	-	कुद्रेमुख आइरन और कम्पनी
					को सहायता प्रदान करना।
	बेंगलूर	14 सितंबर, 92	26 अप्रैल, 93	-	बेंगलूर में पैदल पुल का निर्माण।

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती

1993

क्र. सं.	राज्य/स्थान	अवधि से	तक	कालमों की संख्या	उद्देश्य
1.	असम-धुबरी	7 अक्तू.	18 अक्तू. 93	1	साम्प्रदायिक दंगों के कारण
	बोंगाइगांव	7 अक्तू.	18 अक्तू. 93	1	फ्लैग मार्च
	कोकड़ा झाड़	7 अक्तू.	18 अक्तू. 93	1	
2.	गुजरात	08 जन.	19 फर. 93	15 *	अयोध्या घटना के कारण
	अहमदाबाद			(अधिकतम)	कानून और व्यवस्था की
	सूरत				बिगड़ी स्थिति बहाल करना।

3.	कर्नाटक				
	हुबली	4 दिस.	8 दिस. 93	1	फ्लैग मार्च
4.	मणिपुर थौबाल एवं इम्फाल	6मई	14 मई, 93	9	साम्प्रदायिक झगड़ों के कारण तैनाती
5.	महाराष्ट्र				
	बम्बई	1 जन.	20 फर. 93	51* (अधिकतम)	अयोध्या घटना के कारण बिगड़ी कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करना।
		13 मार्च	19 मार्च, 93	20	बम बिस्फोट के कारण।
		2 जून	9 जून, 93	10	एक विधायक की हत्या के कारण।
6.	सिक्किम				
	गंगतोक	04 नव. 93	-	01	पुलिस प्रदर्शन
7.	उ.प्र.				
	मथुरा	1 जन.	22 फर. 93	2	अयोध्या घटना के कारण बिगड़ी कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करना।
	मेरठ	20 नव. 93	-	01	चुनावों के दौरान फ्लैग मार्च

नोट : उपर्युक्त तैनाती 1993 में 2778 कॉलम दिन बैठती है।

* इस अवधि में किसी भी दिन तैनात किए गए अधिकतम कॉलमों की संख्या को दर्शाता है।

प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता

1993

क्र. सं.	राज्य/स्थान	अवधि से	तक	कालमों की संख्या	उद्देश्य
1.	असम हालीकांडी करीमगंज और धुबरी	11 जून	23 जुलाई, 93	4(औसत)	बाढ़ राहत

2.	अरुणाचल प्रदेश	6 सितंबर, 93	-	1	-वही-
3.	आंध्र प्रदेश	19 जून 93		1	-वही-
	हवेली				
4.	बिहार	22 जुलाई, 93	4 अगस्त, 93	2	-वही-
	दरभंगा और				
	सीतामढ़ी				
5.	चंडीगढ़	13 जुलाई	26 जुलाई, 93	1	-वही-
6.	दिल्ली	24 जुलाई,	27 जुलाई, 93	1	-वही-
7.	गुजरात	18 जुलाई	20 जुलाई, 93	1	-वही-
	भड़ौच				
	बड़ौदा और				
	गांधीनगर				
8.	हिमाचल प्रदेश	16 जुलाई	2 अगस्त, 93	1.	-वही-
	बंगतू				
9.	हरियाणा	12 जुलाई	28 जुलाई, 93	1(औसत)	-वही-
	समाना				
	सिरसा				
	इसमाइलपुर				
	कैथल				
	हिसार				
	कुरुक्षेत्र और				
	फतेहाबाद				
10.	पंजाब	11 जुलाई	30 जुलाई, 93	4(औसत)	बसढ़ राहत
	पटियाला				
	संगरूर				
	नाभा				
	कलानोर				

	डी बी एन, बटाला				
	तरण तारण				
	फगवाड़ा				
	दसौया, मनसा				
	माधोपुर				
	नौवां शहर				
	शाहकोट, फिलोर				
	होशियारपुर, रोपड़				
	सुलतानपुर लोधी, अजनाला				
	राजपुरा, फाजिल्का और				
	फतेगढ़ साहिब				
11.	राजस्थान	16 जुलाई	27 जुलाई, 93	1(औसत)	-वही-
	हनुमानगढ़				
	और गंगानगर				
	अजमेर	12 जुलाई,	13 जुलाई, 93	2	-वही-
12.	तमिलनाडु	13 अक्तूबर,	18 अक्तूबर, 93	1	-वही-
	नीलगिरि				
	बायांलूर	8 दिसंबर	10 दिसंबर, 93	1	-वही-
	त्रिपुरा	10 जून,	27 जुलाई, 93	1(औसत)	-वही-
	कैलाश				
	सोब्रन और				
	सोनामुरा				
13.	उत्तर प्रदेश	22 जुलाई, 93		1	-वही-
	गाजियाबाद				
	रायवाला	6 सितंबर	21 सितंबर, 93	2(औसत)	-वही-
	रामपुर				
	गोरखपुर				

	बरेली				
	हल्द्वानी				
	पीलीभीत				
	चौपतिया				
	शाहजहांपुर और				
	बदायूं				
14.	पश्चिम बंगाल	12 जुलाई	18 जुलाई, 93	1(औसत)	बाढ़ राहत
	जलपाईगुड़ी				
	अलीपुरद्वार				
	कूच बिहार				
	माताबंगा				
	बेनारहट				
	सिलीगुड़ी				
	बीनागुड़ी				
15.	महाराष्ट्र और	30 सितंबर	12 अक्तूबर, 93	115	भूंकप राहत
	आंध्र प्रदेश				

अन्य प्रकार की सहायता

1.	पश्चिम बंगाल				
	कलकत्ता	11 जनवरी	13 जनवरी, 93	-	बम निष्क्रिय/बारूदी सुरंग खोजी दल की व्यवस्था
		22 जनवरी, 93			-वही-
		12 मार्च,	15 मार्च, 93		-वही-
		17 मार्च, 93	-		-वही-
		22 मार्च, 93	-	-	-वही-
2.	उत्तर प्रदेश				
	बहराइच	15 जनवरी, 93	-	-	-वही-
	वाराणसी	2 फरवरी, 93	-	-	-वही-

आगरा	16 फरवरी, 93	-	-	-वही-
सहारनपुर	13 मार्च, 93	-	-	-वही-
आगरा	18 मार्च, 93	-	-	-वही-
हरिद्वार	27 मार्च, 93	-	-	-वही-
रूड़की	27 मार्च, 93	-	-	-वही-
वाराणसी	26 मार्च, 93	28 मार्च, 93	-	-वही-
आगरा	26 मार्च, 93.	-	-	-वही-
वाराणसी	12 अप्रैल,	14 अप्रैल, 93	-	-वही-
लखनऊ	20 अप्रैल,	21 अप्रैल, 93	-	-वही-
गाजियाबाद	23 अप्रैल,	10 मई, 93	-	-वही-
आगरा	13 मई, 93	-	-	-वही-
आगरा	01 जून, 93	02 जून, 93	-	-वही-
आगरा	29 सितंबर, 93	-		-वही-
लखनऊ	9 अक्तूबर, 93	15 अक्तूबर, 93	-	-वही-
आगरा	13 अक्तूबर, 93			-वही-
बरेली	9 नवंबर, 93	-	-	-वही-
मुरादाबाद	9 नवंबर, 93	-	-	-वही-
बरेली	10 नवंबर, 93	-	-	-वही-
पिथौरागढ़	10 नवंबर, 93	-	-	-वही-
सहारनपुर	11 नवंबर, 93	-	-	-वही-
देहरादून	11 नवंबर, 93	-	-	-वही-
रायबरेली	11 नवंबर, 93	-	-	-वही-
नैनीताल	12 नवंबर, 93	-	-	-वही-
वाराणसी	15 नवंबर, 93	-	-	-वही-
देवरिया	15 नवंबर, 93	-	-	-वही-
गोरखपुर	15 नवंबर, 93	-	-	-वही-
लखनऊ	16 नवंबर, 93	-	-	-वही-

	सीतापुर	16 नवंबर, 93	-	-	-वही-
	फतेहपुर	16 नवंबर, 93	-	-	-वही-
	आगरा	17 नवंबर, 93	-	-	-वही-
	मेरठ	17 नवंबर, 93	-	-	-वही-
	झांसी	18 नवंबर, 93	-	-	-वही-
	इलाहाबाद	20 नवंबर, 93	-	-	-वही-
	सुलतानपुर	11 नवंबर, 93	-	-	-वही-
	आगरा	18 नवंबर, 93	-	-	-वही-
	एटा	18 नवंबर, 93	-	-	-वही-
	रेवा	20 नवंबर, 93	-	-	-वही-
	सागर	22 नवंबर, 93	-	-	-वही-
	रायपुर	24 नवंबर, 93	-	-	-वही-
	बिलासपुर	20 नवंबर, 93	-	-	-वही-
	सिवनी	23 नवंबर, 93		-	-वही-
	आगरा	23 नवंबर, 93	-25 नवंबर, 93	-	-वही-
	आगरा	2 दिसंबर, 93	-	-	-वही-
	कानपुर	6 दिसंबर, 93	-	-	-वही-
3.	हिमाचल प्रदेश				
	शिमला	12 अप्रैल, 93	-	-	क्रेन की व्यवस्था
4.	नागालैंड				
	(दीमापुर)	03 फरवरी, 93	-	-	बम निष्क्रिय/बारूदी सुरंग खोजी दल की व्यवस्था।
5.	महाराष्ट्र				
	वर्धा	15 फरवरी, 93	-	-	-वही-
6.	त्रिपुरा	02 फरवरी, 93	-	-	-वही-
7.	मेघालय				
	शिलांग	10 फरवरी, 93	11 फरवरी, 93	-	-वही-

8.	आंध्र प्रदेश				
	महबूब नगर	05 अगस्त, 93	-	-	-वही-
	हैदराबाद	21 अगस्त, 93	22 अगस्त, 93	-	-वही-
9.	जम्मू-कश्मीर				
	अखनूर	10 सितंबर, 93	-	-	चिनाव नदी पर के एम पुल का निर्माण शुरू करने के लिए
10.	राजस्थान	29 सितंबर, 93	-	-	बम निष्क्रिय/बारूदी सुरंग खोजी दलों की व्यवस्था।
11.	मध्य प्रदेश	22 नवंबर, 93	-	-	-वही-

विवरण - 2

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई गोलीबारी

क्र. सं.	तारीख	स्थान	चलाई गई गोलियों के चक्रों की संख्या	हताहतों की संख्या		उद्देश्य
				मारे गए	घायल हुए	
1	2	3	4	5	6	7
1.	08 दिस. 92	जमुनामुख (असम)	04	3	-	उपद्रव करने वाले लोगों पर नियंत्रण करने और उन्हें तितर-बितर करने के लिए
2.	दिस. 92	कलकत्ता	07	-	-	-वही-
3.	11 जन. 93	दादर (बम्बई)	02	-	-	-वही-
4.	12 जन. 93	दादर (बम्बई)	05	1	2	-वही-

5.	15 जन. 93	देवनागर (बम्बई)	14	1	4	-वही-
6.	15 जन. 93	ऐनटॉप हिल (बम्बई)	09	1	3	-वही-
7.	15 जन., 93	निर्मल नगर (बम्बई)	11	-	-	-वही-

मानगुरू स्थित गुरुजल संयंत्र

7268. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 की तुलना में 1994-95 के दौरान मानुगुरू गुरूजल संयंत्र को कितना धन दिया गया है ;

(ख) क्या 1993-94 के दौरान दी गई धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) इस संयंत्र के कार्यकरण में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु कर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) भारी पानी संयंत्र, मानुगुरू को 1993-94 की तुलना में 1994-95 के दौरान आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है :

	1993-94	1994-95
	(लाख रुपए)	
पूंजी	524.00	220.00
परिचालन संबंधी व्यय	8662.00	10500.00

(ख) परिचालन-बजट के अंतर्गत आबंटित की गई धनराशि का उपयोग पूरी तरह से कर लिया गया था। तथापि, पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत आबंटित की गई धनराशि का उपयोग 1993-94 के दौरान पूरी तरह से नहीं किया गया था।

(ग) इस यूनिट ने 1991-92 के दौरान काम करना शुरू किया था और सम्भरकों/परामर्शदाताओं को अंतिम अदायगी करने के लिए पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत कुछ प्रावधान किया गया था। तथापि, सम्भरकों/परामर्शदाताओं को की जाने वाली अंतिम अदायगी चूंकि 1993-94 के दौरान नहीं की जा सकी थी, अत: पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत आबंटित की गई धनराशि का उपयोग पूरी तरह से नहीं किया गया।

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वित्तीय संस्थाओं को बैगास (गन्ने की खोई) आधारित वृद्धिशील विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने बायोगैस पर आधारित विद्युत उत्पादन के लिए नये प्रोत्साहनों की घोषणा की है ;

(ग) क्या आठवीं योजना में इस उद्देश्य के लिए कोई प्रावधान किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को, जो मंत्रालय का सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, उपयुक्त सहायता देने का प्रस्ताव है ताकि इसे खोई आधारित सह-उत्पादन के लिए कम ब्याज पर ऋण देने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

(ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार द्वारा पहले ही 6 से 10 क्यूबिक मी. तक के बायोगैस संयंत्रों तथा सामुदायिक/संस्थागत/विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना और छोटे पैमाने पर बायोगैस आधारित विद्युत उत्पादन के लिए दोहरे ईंधन वाले इंजनों को चलाने के लिए आर्थिक राज सहायता के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) आठवीं योजना अवधि के लिए सह-उत्पादन सहित शहरी/कृषि अपशिष्टों पर कार्यक्रमों के लिए 20.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक

7252. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन संयंत्रों में उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन के संयंत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 1993-94 के दौरान नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के उत्पादन में कमी मुख्यतः डी ए पी तथा कम्पलेक्स उर्वरकों के माध्यम से नाइट्रोजन की कम उपलब्धि, गैस की आपूर्ति पर प्रतिबन्ध तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के पुराने और रूग्ण एककों द्वारा उपस्कर से सम्बंधित समस्याओं के कारण घटिया निष्पादन के कारण तथा कार्यकारी पूंजी की कमी तथा एक एकक में कच्चे पानी की आपूर्ति में कमी के कारण हुई।

(घ) उत्पादन को बढ़ाने के लिए, संयंत्रों के पुनरुद्धार तथा नवीनीकरण के लिए उपाय किए गए हैं, प्रतिस्थापन तथा नवीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और संयंत्र तथा मशीनरी के रख-रखाव पर अधिक ध्यान दिया गया है। विभिन्न निवेशों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं। रूग्ण कम्पनियों को यथा संभव सीमा तक बजटीय सहायता प्रदान की जा रही है। ताकि वे अपने प्रचालनों को जारी रख सके।

1992-93 और 1993-94 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के

उर्वरकों संयंत्रों में नाइट्रोजन के उत्पादन के संयंत्र-वार विवरण।

संयंत्र का नाम	(000 मी. टन पर न्यूट्रीयेंटस)	
	1992-93	1993-94
1. **सार्वजनिक क्षेत्र**		
एफ.सी.आई.		
सिन्दरी	135.8	112.2
गोरखपुर	0.0	0.0
रामागुण्डम	58.0	88.8
तालचर	41.4	57.3
योग एफ सी आई :	235.2	258.3
एच.एफ.सी.		
नामरूप-1	0.2	0.0
नामरूप-2	23.2	3.3
नामरूप-3	113.4	84.0
दुर्गापुर	34.2	18.8
बरौनी	48.4	10.1
योग एच.एफ.सी. :	219.4	116.2

एन.एफ.एल.		
नांगल-1	58.1	66.5
नांगल-2	163.1	161.5
भटिण्डा	225.4	235.3
पानीपत	200.00	237.5
विजयपुर	387.4	404.0
योग एन.एफ.एल. :	1034.0	1104.3
एफ.ए.सी.टी.		
उद्योग मण्डल	62.9	61.4
कोचीन-1	67.5	111.5
कोचीन-2	107.4	89.3
योग एफ.ए.सी.टी. :	237.8	262.2
आर.सी.एफ. :		
ट्राम्बे	81.6	83.8
ट्राम्बे-4	60.1	55.3
ट्राम्बे-5	128.9	143.7
थाल	652.5	617.3
योग आर.सी.एफ :	923.1	900.1
एम एफ एल : मद्रास	145.8	99.0
सेल : राऊरकेला	54.8	59.9
एन एल सी : नवेली	50.0	51.1
पी पी एल : पारादीप	94.1	69.3
उप उत्पादन	27.6	26.4
योग :	3021.8	2947.3

सिविल सेवाओं में आरक्षण

7253. **श्री राम निहोर राय : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और सम्बद्ध सेवाओं में अनुसूचित

जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का प्रतिशत पूरा नहीं भरा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं : और

(ग) इन सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पिछले बकाया पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग एक वार्षिक प्रतियोगी परीक्षा अर्थात् सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है जिसके माध्यम से 27 सेवाओं (विवरण संलग्न है) में भर्ती की जाती है। इन सेवाओं की कुल रिक्तियां जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की रिक्तियां भी शामिल हैं, संबंधित नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को सूचित की जाती हैं। आयोग के बदले में उसी संख्या में सामान्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की सिफारिश करता है जिनको उनके रैंक/वरीयता के अनुसार विभिन्न सेवाओं में आबंटित किया जाता है। यह मंत्रालय, आयोग द्वारा यथा संस्तुत उम्मीदवारों को उनकी योग्यता तथा उनकी पसंद के अनुसार 27 सेवाओं में आबंटित करता है। कुछ उम्मीदवारों द्वारा सेवा में कार्यभार ग्रहण न करने पर संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी आने वाले वर्षों की रिक्तियों का हिसाब लगाते समय भरी न गई रिक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हैं। चूंकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का संबंध केवल उम्मीदवारों के आबंटन से है और सिविल सेवा परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का निर्धारण संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, अतः विभिन्न सम्बद्ध सेवाओं के संबंध में सूचना इस विभाग द्वारा केन्द्रीकृत रूप से रखी नहीं जाती। जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का संबंध हैं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोई बकाया रिक्तियां नहीं हैं।

विवरण

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा
2. भारतीय विदेश सेवा
3. भारतीय पुलिस सेवा
4. भारतीय डाक-तार, लेखा और वित्त सेवा ग्रुप ''क''
5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ग्रुप ''क''
6. भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप ''क''
7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा ग्रुप ''क''
8. भारतीय आयकर सेवा ग्रुप ''क''
9. भारतीय आयुद्ध कारखाना सेवा ग्रुप ''क'' (सहायक प्रबन्धक-गैर-तकनीकी)
10. भारीय डाक सेवा, ग्रुप ''क''

11. भारतीय सिविल लेखा सेवा ग्रुप "क"

12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा ग्रुप "क"

13. भारतीय रेलवे लेखा सेवा ग्रुप "क"

14. भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा गुप "क"

15. रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप "क" (के सहायक सुरक्षा अधिकारी के पद)

16. भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा, ग्रुप "क"

17. भारतीय सूचना सेवा ग्रुप "क" (कनिष्ठ ग्रेड)

18. केन्द्रीय व्यापार सेवा समूह "क" (ग्रेड 3)

19. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेट के पद ग्रुप "क"

20. केन्द्रीय सचिवालय सेवा, ग्रुप "ख" (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)

21. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा ग्रुप "ख" (अनुभाग अधिकारी ग्रेड)

22. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा ग्रुप "ख" (सहायक सिविलयन स्टाफ अधिकारी गेड)

23. सीमा शुल्क मूल्य निरूपक (एप्रेजर) सेवा ग्रुप "ख"

24. दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा ग्रुप "ख"

25. पांडिचेरी सिविल सेवा, ग्रुप "ख"

26. दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा ग्रुप "ख"

27. पांडिचेरी पुलिस सेवा, ग्रुप "ख"

[हिन्दी]

कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया

7254. श्री राजेश कुमार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकरा का विचार कर्मचारी चयन आयोग की वर्तमान भर्ती प्रक्रिया (प्रणाली) में संशोधन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसमें किए जाने वाले संशोधनों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) से (ग). कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती पद्धति की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है और पद्धति में जब कभी आवश्यकता पड़ती है तभी परिवर्तन किए जाते हैं।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पूंजी निवेश

7255. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उड़ीसा में विभिन्न सूचीबद्ध तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में 31 मार्च, 1994 तक कितनी धनराशि का निवेश किया ;

(ख) आयोग ने इन राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी संस्थाओं को मान्यता प्रदान की है ; और

(ग) इस अवधि के दौरान कितनी संस्थाओं को प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विधि मंत्रालय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के पद

7256. श्री ललित उराव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1993 को मंत्रालय स्तर 1, 2, 3 और 2 संवर्गों के स्वीकृत पदों की अलग-अलग संख्या कितनी थी ;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए संवर्गवार कितने-कितने पद आरक्षित किये गये थे ;

(ग) आरक्षित पदों पर नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातिों तथा पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की संवर्गवार संख्या कितनी हैं और अभी भी रिक्त पड़े ऐसे पदों की संवर्गवार संख्या कितनी हैं ; और

(घ) यह रिक्तियां कब तक भरी जायेंगी ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) :

(क)	प्रवर्ग-1	196
	प्रवर्ग 2	346
	प्रवर्ग-3	460
	प्रवर्ग-4	260

(ख) सरकार द्वारा विहित किए गए 200 अंक रोस्टर के आधार पर प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियां आरक्षित की जाती हैं। भर्ती वर्ष 1993-94 के लिए रिक्तियां, जिनमें अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में एक रिक्ति सम्मिलित है, परिलक्षित और रिपोर्ट की गई है। तारीख 31.12.93 तक की रिक्तियों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है : -

प्रवर्ग	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अ.पि.वर्ग	योग
प्रवर्ग-1	10	6	1	17
प्रवर्ग-2	14	5	-	19
प्रवर्ग-3	21	7	-	28
प्रवर्ग-4	49	17	-	66

(ग) नियुक्त किए गए अनु. जाति/अनु. जन जाति/अ.पि. वर्ग के व्यक्तियों की संख्या

	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अ.प.वर्ग	योग
श्रेणी-1	2	2	-	4
श्रेणी-2	2	-	-	2
श्रेणी-3	13	4	-	17
श्रेणी-4	48	17	-	65

रिक्त पदो की संख्या

	अनु.जाति	अनु.जनजाति	अ.प.वर्ग	योग
श्रेणी-1	8	4	1	13
श्रेणी-2	12	5	-	17
श्रेणी-3	8	3	-	11
श्रेणी-4	1	-	-	1

(घ) श्रेणी 4 की एक रिक्ति को छोड़कर सभी रिक्तियां भर ली गई हैं। श्रेणी 1, 2 और 3 की बाबत कार्रवाई आरम्भ कर दी गई हैं। संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से सिफारिशें/नाम-निर्देशन अभी प्राप्त होने हैं। ये रिक्तियां उनकी सिफारिशों/नाम-निर्देशनों के प्राप्त होने पर भर ली जाएंगी।

|अनुवाद|

सौर/पवन ऊर्जा

7257. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौर और पवन ऊर्जा के विकास के लिए मालदीव सरकार को सहायता प्रदान करने के सरकार के कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि दिए जाने का विचार किया गया है; और

(ग) इन प्रस्तावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) भारत में मालदीव के राष्ट्रपति के हाल के दौरे के दौरान भारत में सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को नोट किया गया तथा भारतीय सहायता से प्रायोगिक परियोजनाओं में दिलचस्पी दिखाई गई है।

(ख) सहायता की मात्रा और आकार परियोजनाओं, जिन्हें अभी तैयार किया जाना है, पर निर्भर करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों में सौर ऊर्जा का प्रयोग

7258. श्री राम कापसे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए उद्योगों में सौर ऊर्जा के प्रयोग को आवश्यक करने का है ;

(ख) क्या इस संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि, उद्योगों और अन्यों को सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न राजकोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है ताकि बिजली अथवा ईंधन की बचत की जा सके। उद्योग भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लि. (इरेडा) द्वारा प्रदान की जा रही उदार ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं और सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहनों, जैसे त्वरित मूल्य ह्रास भत्ता, बिक्री कर और उत्पाद शुल्क में छूट आदि तथा सौर ऊर्जा तकनीकों की संस्थापना के लिए आर्थिक राज सहायता, जहां कहीं लागू हो, का लाभ उठा सकते हैं।

मिनी जल विद्युत परियोजनाएं

7259. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली मिनी जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कितनी मिनी जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य शुरू किया गया और पूरा हुआ, उनकी क्षमता क्या है और उनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। पूंजीगत आर्थिक राज सहायता योजना के तहत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय 3 मेवा. क्षमता तक की विभिन्न आकार की परियोजनाओं, चाहे वे ग्रिड वाली हों, अथवा बिना ग्रिड के हों, के लिए ई. और एम. उपस्कर और सिविल निर्माण कार्यों पर नियत पूंजी लागत के 50 प्रतिशत तक के लिए आर्थिक राज सहायता प्रदान करता है। इरेडा/विश्व बैंक वित्त पोषण के तहत पात्र परियोजनाएं अथवा ऐसी परियोजनाएं जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोलियां अथवा आबद्ध पूर्तियां अपेक्षित हों, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय की आर्थिक राज सहायता योजना के तहत पात्र नहीं हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने अब तक 13 राज्यों में कुल 80 मेवा. क्षमता की 74 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में कोई लघु पन-बिजली विद्युत परियोजना नहीं शुरू की गई हैं।

पवन ऊर्जा

7260. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को निजी क्षेत्र से पवन ऊर्जा पर स्पष्ट नीति आरम्भ न करने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या निजी क्षेत्र राज्य विद्युत बोर्डों से पवन ऊर्जा से उत्पादित विद्युत की ऊंची कीमतों की मांग करता है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) पवन विद्युत परियोजनाओं में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बहुत से संवधर्नात्मक और राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को और बढ़ावा देने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने अधिक आकर्षण और समान संवधनात्मक तथा राजकोषीय प्रोत्साहन शुरू करने के लिए राज्यों को दिशा निर्देश सुझाए हैं।

(ग) और (घ) निजी निवेशों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने राज्यों को अपने दिशा-निर्देशों में पवन और अन्य अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पादित विद्युत के लिए 2.25 रुपये प्रति किवा. का न्यूनतम खरीद मूलय सुझाया है।

दुकानों का स्वामित्व अधिकार

7261. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **शहरी विकास मंत्री** 27 अप्रैल, 1981 के तारांकित प्रश्न सं. 952 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24फरवरी, 1994 के ''स्टेट्मैन'' में ''एंडलैस वेट बाई साउथ डेल्ही शॉपकीपर्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) आबंटियों/कब्जाधारियों को स्वामित्व अधिकार देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) सम्पदा निदेशालय को उनकी अधिसूचना के प्रत्युतर में कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इस प्रत्येक आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) आबंटियों/कब्जाधारियों को स्वामित्व अधिकार कब तक दिये जाएंगे और उनसे शुल्क किस दर से वसूल किया जाएगा।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) सरकार ने निम्नलिखित 10 मार्किटों के दुकानदारों को मालिकाना हक प्रदान करने का निर्णय लिया है : -

1. बाबू मार्केट (सरोजनी नगर)
2. मेहरचन्द मार्केट (लोधी रोड़)
3. मोहन सिंह मार्केट (आई.एन.ए.)
4. आर.के.पुरम सेक्टर -6
5. आर.के.पुरम सेक्टर-8
6. आर.के.पुरम सेक्टर-9
7. आर.के.पुरम सेक्टर-12
8. आई.एन.ए. मार्केट
9. अलीगंज मार्केट (लोधी कालोनी)
10. कस्तूरबा नगर (सेवा नगर)

मालिकाना हक के हस्तांतरण की एक शर्त में निम्नलिखित की वसूली का विचार है : -

1. मालिकाना हक के अन्तरण की वास्तविक तिथि को प्रचलित भूमि प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत ;
2. मूल्य ह्रास घटाकर दुकान की वर्तमान अन्तरण लागत को वसूल किया जाना ; और
3. 01.04.1985 तथा 01.04.1988 से यथासंशोधित लाईसेंस फीस की बकाया राशि।

2. इन दस मार्किटों की कुल 1002 दुकानों में से 844 ने मालिकाना हक के लिए आवेदन किया है। आबंटियों/दखलकारों से सम्पदा निदेशालय में प्राप्त आवेदनों पद आगे कार्रवाई की गई है और यथा आवश्यक, अतिरिक्त कागजात/दस्तावेज मांगे गये हैं और उनकी जांच की गई है। तथापि, मालिकाना हक के अन्तरण संबंधी सरकार का निर्णय वास्तविक भूमि दरों को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण, जो कि मालिकाना हक के अन्तरण की मुख्य शर्त है, कार्यान्वित नहीं किया जा सका। आबंटी/दखलकार द्वारा देय राशि की गणना मुख्यतः इस कारक पर निर्भर थी क्योंकि भूमि की लागत कुल लागत का एक प्रमुख घटक है। दुकानदारों के विभिन्न संघों ने अभ्यावेदन दिया है कि चूंकि आवेदनों की अन्तिम तिथि और भूमि दरों की अधिसूचना की तिथि, जिन्हें संशोधित कर बढ़ा दिया गया है, के बाद काफी समय बीत गया है। इसलिए उनसे मंत्रिमंडल के निर्णय की तिथि को लागू भूमि दर वसूल की जाएगी। इस तथ्य पर विचार करने पर कि दुकानदारों को मालिकाना हक के अन्तरण में विलम्ब उनकी वजह से नहीं हुआ, इसलिए प्रस्तावित अन्तरण हेतु भूमि दरों की वसूली सम्बन्धी प्रश्न की जांच की जा रही है ताकि सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किये जा सकें। वर्तमान दखलकारों के बारे में निरीक्षण भी किए गए हैं तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से वार्षिक भूमि दर और मूल्य ह्रास को घटाकर वर्तमान अन्तरण लागत सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत करने को भी कहा गया है। तथापि, मालिकाना हक का प्रस्ताव, प्रस्तावित अन्तरण के लिए वसूल की जाने वाली भूमि दरों पर निर्णय लेने के बाद ही जारी किया जाएगा।

अखबारी कागज की मिलें

7262. श्री के. प्रधानी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घरेलू अखबारी कागज की मिले बन्द होने के कगार पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी कितनी मिलों को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) इन मिलों के बन्द होने से कितने श्रमिक प्रभावित होंगे ; और

(घ) इन मिलों को बन्द होने से बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

असम का आर्थिक विकास

7263. श्री प्रबीन डेका : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम राज्य अन्य राज्यों की तुलना में आर्थिक विकास के मामले में पीछे है;

(ख) क्या असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार को आर्थिक विकास हेतु सहायता देने का अनुरोध किया है ;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी धनराशि की सहायता मांगी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता प्रदान की है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार और अधिक सहायता प्रदान करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राज्यों में व्याप्त गरीबी किसी ऐसे प्रमाण का संकेत नहीं देती कि राज्य आर्थिक विकास में पीछे है।

(ख) और (ग) 1993-94 में ग्रामीण विकास क्षेत्रक के अंतर्गत 7.95 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का अनुरोध स्वीकृत नहीं किया गया।

(घ) और (ङ) अब तक राज्य सरकार को कोई अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए कोई वचनबद्धता नहीं है।

चल विज्ञान प्रदर्शनी

7264. डा. कृपा सिन्धु भोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र राज्यों में चल विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन किन-किन राज्यों में किया गया है ;

(ग) क्या अब तक उड़ीसा में ऐसी कोई प्रदर्शनी आयोजित नहीं की गई है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन वहां पर कब तक किया जाएगा ; और

(ङ) इस प्रकार की प्रदर्शनी के आयोजन के पीछे क्या उद्देश्य है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ङ) सामग्री एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

"यूनीसेफ" की सहायता से शहरी सुख-सुविधाएं

7265. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "यूनीसेफ" की सहायता से निर्धन व्यक्तियों को शहरी सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना को लागू करने में विभिन्न राज्यों ने क्या प्रगति की है ;

(ख) "यूनीसेफ" की इस योजना से मध्य प्रदेश सरकार को क्या-क्या लाभ मिले हैं और उनका स्वरूप क्या है ; और

(ग) राज्य को कितनी सहायता प्राप्त हुई है और उसकी भौतिक उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) मास्टर प्लान अभियान 1991-95 के तहत् संयुकत राष्ट्र बाल शिक्षा कोष (यूनीसेफ) सहायता निर्धनों के लिए शहरी सुख-सुविधाओं की व्यवस्था हेतु उपलब्ध नहीं है। किन्तु ये सहायता कुछ ऐसे मुख्य फलित क्षेत्रों यथा प्रशिक्षण क्षमता सृजन, प्रबंध क्षमता सृजन, संचार व विस्तार सेवाओं, गैर सरकारी संगठनों, नगर अध्ययन व नीति शोध आदि के लिये सुलभ होती है जो गरीबों के लिये शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम को मजबूत बनाने और चलने के लिये महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने प्राप्त यूनीसेफ सहायता इस प्रकार बतायी है : -

	कार्यकलाप	1992-93 के लिये सहायता
1.	तीन प्रयोग-नगरों अर्थात भोपाल, जबलपुर तथा खंडवा में बालवाड़ी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, अध्ययन केन्द्र का संचालन और प्राथमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण	14.60 लाख रुपये
2.	यू.बी.एस.पी. कार्यकर्ताओं का निम्न के माध्यम से प्रशिक्षण : -	

	(क) फील्ड प्रशिक्षण संस्थान	3.15 लाख रुपये
	(ख) राज्य प्रशिक्षण संस्थान	1.51 लाख रुपये
3.	आवासी समाज सेवकों का प्रशिक्षण	3.85 लाख रुपये
4.	फील्ड प्रशिक्षण सेस्थाओं तथा राज्य प्रशिक्षण संस्थाओं को अपेक्षित उपकरणों सहायता भी दी गई है।	

[अनुवाद]

"आधारभूत ढांचे की समस्याएं पर विचार गोष्ठी"

7266. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एसोसियेटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वावधान में अप्रैल, 1994 के दूसरे सप्ताह में मद्रास में "आधारभूत ढांचे की समस्याएं" पर हुई विचारगोष्ठी द्वारा दिए गए सुझावों पर गया है ;

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) मद्रास में आयोजित "आधार भूत ढांचे की समस्याओं" के संबंध में विचार गोष्ठी की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थी : -

1. आधारभूत ढांचा क्षेत्र में निवेश को उच्च प्राथमिकता।
2. बी ओ टी (बिल्ड, आपरेट एंड ट्रांसफर) अवधारणा के अधीन बन्दरगाहों और सड़कों का नियोजित विकास।
3. दीर्घकालीन विकास और मांग को पूरा करने के लिए बिजली तथा उर्जा के स्रोतों का विकास।
4. बिजली तथा उर्जा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन।
5. 220 किलोवाट से अधिक की पावर लाइनें पावरग्रिड कार्पोरेशन को सौंपकर राष्ट्रीय समेकित पावर नेटवर्क का सृजन।

(ग) मूलभूत ढांचे का विकास करने और उद्यमियों को आवश्यक सुविधाएं देने हेतु सरकार राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थाओं और विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ मिल जुल कर काम कर रही है।

सिविल प्रशासन की सहायता के लिए सेना की तैनाती

7267. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 और 1993 के दौरान देश में सिविल प्रशासन की सहायता के लिए राज्य-वार किन स्थानों पर किस उद्देश्य से और किनती संख्या में सेना तैनात की गई ;

(ख) क्या तैनाती के दौरान ड्यूटी के क्रम मे गोली बारूद का भी प्रयोग किया गया; और

(ग) यदि हां, तो घटना-वार प्रयुक्त गोली बारूद्ध की मात्रा और हताहत व्यक्तियों की संख्या के विवरण सहित घटनाओं का संक्षिप्त ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) और (ग) कुछ अवसरों पर सेना को दंगा करने वाली भीड़ को तितर-बितर करने और तेजी से बिगड़ती हुई स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कम से कम गोलीबारी करनी पड़ी। 1992 और 1993 में हुई ऐसी घटनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण - 2 में दिया गया है।

विवरण - 1

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना की नियुक्ति

1992

क्र. सं.	राज्य/स्थान	अवधि से	तक	कालमों की संख्या	उद्देश्य
1.	असम				अयोध्या घटना में कानून
	- कछार				और व्यवस्था की बिगड़ी
	हेलकंडी				
	करीमगंज	08 दिसंबर	31 दिसंबर, 92	06	स्थितिहाल करना।
	नौगांव				(अधिकतम)*
	गुवाहटी				
	बोको				
	तिनसुखिया				
	लखिमपुर				
	डबाका				

	गोलपाड़ा				
	धुबरी				
	राहा				
	तेजपुर				
	सिलचर				
	जमुनामुख तथा				
	नौगांव				
2.	आंध्र प्रदेश	08 दिसंबर, 92		04	-वही-
3.	बिहार				
	- पटना, रांची				
	जमशेदपुर				
	मुंगेर				
	पाकुर	07 दिसंबर	23 दिसंबर, 92	22 (अधिकतम)*	-वही-
	साहिबगंज				
	अररिया				
	लोहरदागा				
	मुजफ्फरपुर				
	फोरबिसगंज				
	नालंदा				
	किशनगंज और				
	धनबाद				
4.	गुजरात	07 दिसंबर	26 दिसंबर, 92	22 (अधिकतम)*	अयोध्या घटना में कानून और व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को बहाल करना।
	- अहमदाबाद				
	धोलका				
	बड़ौदा				
	-सूरत				

	पालनपुर				
	सिधपुर				
	मेहसाना और				
	नामनगर				
5.	हरियाणा	12 दिसंबर	13 दिसंबर, 92	05	-वही-
	- गुड़गांव				
	फरीदाबाद				
6.	हिमाचल प्रदेश	20 जून	23 जून, 92	03	एन जी ओ की हड़ताल के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखना।
	- शिमला				
7.	जम्मू तथा कश्मीर				
	- श्रीनगर	24 जून	26 जून, 92	16	पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में बम फटने के परिणामस्वरूप तैनाती
	डोडा	18 जुलाई	19 जुलाई, 92	03	कानून और व्यवस्था बनाए रखना।
	डोडा	15 अगस्त,	22 अगस्त, 92	03	-वही-
	जम्मू	20 अगस्त	21 अगस्त, 92	02	-वही-
	जम्मू, राजौरी और मंधार	8 दिसंबर,	13 दिसंबर, 92	09	-वही-
8.	कर्नाटक	8 दिसंबर	19 दिसंबर, 92	12*	अयोध्या घटना के कारण कानून और व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति बहाल करना।
	- बेंगलूर				
	मैसूर				
	मंगलौर				
	हुबली				

(घ) इस संयंत्र ने वर्ष 1993-94 के दौरान ही स्थायी रूप से उत्पादन करना शुरू कर दिया है।

महाराष्ट्र में नलकूप लगाना

7269. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में नलकूप लगाने संबंधी कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना को स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर रही है ;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व राज्यों का है। राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और त्वरित ग्रामीण सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाएं कार्यान्वित की जाती है। त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित प्रति व्यक्ति मानदंड के भीतर राज्यों को तकनीकी मंजूरी के लिए शक्तियां प्रदत की गई हैं।

ब्रिटेन द्वारा निवेश

7270. डा० के.वी.आर. चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ब्रिटेन से भारतीय को क्षेत्र में निवेश करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में ब्रिटेन की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) आर्थिक सुधारों की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण क्षेत्र सहित भारत के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ब्रिटिश पूंजी निवेश की संभावनाओं से ब्रिटिश सरकार तथा उद्योग प्रमुखों को अवगत कराना सरकार का प्रयास रहा है। ब्रिटिश पक्ष पूंजी निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए उत्सुक है।

लघु जल-विद्युत परियोजनाओं को सिंचाई परियोजनाओं से जोड़ना

7271. श्री एस.एम. लाल जान बाशा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में लघु जल-विद्युत परियोजनाओं को इस समय चल रही सिंचाई परियोजनाओं से जोड़ने का कोई कार्य हुआ है ;

(ख) क्या उन सिंचाई परियोजनाओं का डिजायन राज्य सरकार के समन्वय से तैयार किया गया था, जिनमें लघु जल-विद्युत परियोजनाओं को शामिल किए जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सिंचाई बांध तलहटी और नहर प्रपात आधारित स्थलों पर निजी क्षेत्र के उद्यमकर्ताओं द्वारा 15 मेवा. तक की स्टेशन क्षमता की लघु पन-बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा विश्व बैंक की एक ऋण श्रंखला का प्रचालन किया जा रहा है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय 3 मेवा. क्षमता तक की लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए, जिनमें सिंचाई आधारित योजनाएं शामिल हैं, राज्य सरकारी विभागों को आर्थिक राज सहायता प्रदान करता है यह सहायता, मानदण्डों तथा दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों, और उनकी प्रौद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता और राशियों की उपलब्धता के आधार पर प्रदान की जाती है।

केन्द्रीय भण्डार में मसालों की उपलब्धता

7272. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केन्द्रीय भंडार में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर के मूल्यों के संबंध में 6 अप्रैल, 1994 के ''हिन्दुस्तान टाइम्स'' में प्रकाशित उपभोक्ता हित की मूल्य सारणी की और दिलाया गया है ;

(ख) क्या से पिसे हुए मसाले केन्द्रीय भंडार की किसी भी शाखा में उपलब्ध नहीं हैं ;

(ग) यदि हां, तो समाचार पत्रों में इन अनुपलब्ध वस्तुओं की दरें प्रकाशित करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय भंडार बाजार में एग्मार्क युक्त पिसे हुए मसाले पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के बावजूद एग्मार्क रहित पिसे हुए मसाले बेच रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) केन्द्रीय भंडार में इन पिसे हुए मसालों की आपूर्ति करने वाले निर्माताओं के नाम क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्गरेट अल्वा) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय भंडार से संबंधित प्रकाशित दरें एग्मार्क मसालों की हैं जो केन्द्रीय भंडार की सभी शाखा स्टोरों में उपलब्ध हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्रीय भंडार अपने शाखा स्टोरों द्वारा एग्मार्क तथा एग्मार्क रहित दोनों ही प्रकार के पिसे हुए मसाले बेचता है। एग्मार्क रहित पिसे मसाले केन्द्रीय भंडार के उत्पाद हैं तथा बिक्री के लिए जारी करने से पूर्व इनकी गुणवत्ता जांच पहले प्रयोगशाला में की जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) एग्मार्क रहित पिसे मसाले केन्द्रीय भंडार के अपने उत्पाद है।

ग्रामीण सफाई कार्यक्रम

7273. श्री प्रबीन डेका : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण सफाई कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ; और

(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर उसी अवधि के दौरान उक्त धन खर्च किया गया ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्यमंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत असम सरकार को स्वीकृत निधियां निम्न प्रकार थी : -

वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
1991-92	-
1992-93	38.25
1993-94	37.22

(घ) 1991-92 व 1992-93 के दौरान कोई राशि खर्च नहीं की गई थी। 1993-94 के दौरान 276 पारिवारिक शौचालयों के निर्माण पर 7.85 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी।

यूरोपीय समुदाय के साथ संयुक्त उद्यम

7274. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय समुदाय ने भारत और यूरोपीय समुदाय के बीच और अधिक संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए भारत को वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी हां।

(ख) यूरोपियन कम्यूनिटी द्वारा प्रबन्धित एक यूरोपियन कम्यूनिटी इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स स्कीम (ई सी आई पी) है जिसमें यूरोपियन और भारतीय कंपनियों के बीच लाइसेंसीकरण समझौतों सहित मुख्य रूप से मध्यम और छोटे उपक्रमों के लिए, संयुक्त उपक्रमों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीयन सुविधाओं की परिकल्पना की गई है। ई सी आई पी का वित्त निम्नलिखित में से किसी भी रूप में हो सकता है : -

अनुदान धन, ब्याज मुक्त अग्रिम राशि और इक्विटी अथवा इक्विटी ऋण। ई सी आई पी का वित्त बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से कंपनियों को मार्गीकृत होता है। ई सी ने तीन भारतीय वित्तीय संस्थाओं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, सी आई सी आई तथा एक्सिम बैंक के साथ समझौते किये हैं।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

7275. श्री एन. जे. राठवा : क्या योजना और कार्यक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए मैट्रिकोत्तर केन्द्र द्वारा प्रायोजित छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि करने हेतु कोई प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। कल्याण मंत्रालय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। योजना आयोग सिद्धान्त रूप में छात्रवृति दरों में संशोधन के लिए सहमत है। योजना आयोग ने कल्याण मंत्रालय से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दिशा-निर्देशों के समर्थन के अनुरूप स्कीम में कतिपय संरचनात्मक परिवर्तन शामिल करने का अनुरोध किया है।

पुनालूर कागज मिलें

7276. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का विचार केरल में स्थित पुनालूर कागज मिलों को अपने नियंत्रण में लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) इन मिलों को अर्थक्षम बनाने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और इस प्रयोजनार्थ वित्त पोषण की क्या प्रक्रिया होगी ;

(घ) क्या इस संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड से परामर्श किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में औद्योगिक और वित्तीय पुनगर्ठन बोर्ड ने क्या सिफारिशें की हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ख) पुनालूर कागज मिलों के अधिग्रहण हेतु हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) एक समिति पुनालूर कागज मिलों में सुधार की संभावना का पता लगा रही है।

आंध्र प्रदेश में उद्योग

7277. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश में विदेशी निवेश की भागीदारी से स्थापित किये जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : जनवरी, 1993 से मार्च, 1994 तक की अवधि में आंध्र प्रदेश में विदेशी निवेश की भागीदारी से उद्योग लगाने के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

1993 से पूर्व विदेशी निवेश की भागीदारी से उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते थे।

विवरण

जनवरी, 1993 से फरवरी, 1994 तक सभी अनुभागों द्वारा अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी सहयोग के मामलों की सूची।

क्र. सं.	अनुमोदन सं./ अनुमोदन की तारीख (टाईप/एजेन्सी)	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	राशि इक्विटी प्रतिशत (रु. लाख में)	देश
1	2	3	4	5	6
		आंध्र प्रदेश			
1.	10/2/93 (एफ.आई.पी.बी. (ई.सी.))	49 एसके एग्रो-टेक लि. 3.6.200 हिमायत नगर हैदराबाद-500029	एसिया वे इ इंडस्ट्रियल लि. हॉंगकॉंग	30.00 (0.00 प्रतिशत)	हॉंगकॉंग
	मद विवरण : मशरूम	(होल/बंटन/पीस/स्टेम)	स्थल : चितुर		
2.	05/08/93 (एफआईपी.बी. (इसी))	3 एडी फुड एडी गैपेल भिलेज पुनगानुर, जिला चिट्टू आंध्र प्रदेश	अनिवासी भारतीय	1566.00 (100.00 प्रतिशत)	अनिवासी
	मद विवरण : वियर तथा अन्य गैर अलकोहल पेय		चित्तूर		
3.	एफसी : 36193/ ई ओबी 10/02/93 (एफआईपीबी) इसी	पानसूई फुड्स लि. के-88, हौजखास इन्कलेव नई दिल्ली-16	फुड इंडस्ट्रियल प्लानिंग एण्ड सर्वि स्वीटजरलैंड	283.77 (18.55 प्रतिशत)	स्वीटजरलैंड
	मद विवरण : फुड जूस कन्सेंट्रास्ट एण्ड पूरीज मैंगों इत्यादि स्थल : पूर्वी गोदावरी				

1	2	3	4	5	6
4.	एफसी. 11.118(93)	स्पेकट्रम पावर जनेरेशन लि.,		11983.45	यू.एस.
		5.9.30 बासीरबाग,			
		हैदराबाद 500029		ए (60.00 प्रतिशत)	
		आंध्र प्रदेश			

मद विवरण : एक प्राकृतिक गैस विद्युत केन्द्र की स्थापना, स्वामीत्व तथा परिचालन स्थल : पूर्वी गोदावरी

5.	एफसी.11.117/93	जी.बी.के. इंडस्ट्रीज लि.,			
	एफआईपी.बी.	रोड़ नं. 1	अनिवासी भारतीय	7008.00	
		बजारा हिल्स			
	(सीसीएफआई)।	हैदराबाद 500 034		अनिवासी	
				भारतीय	
				(34.57 प्रतिशत)	

मद विवरण : 200 मेघावाट के विद्युत संयंत्र की स्थापना, स्वामीत्व तथा परिचालन स्थल : पूर्वी गोदावरी

6.	एफसी. 8(93)/ईओवी	क्लासिक एग्रोफूड्स लि.	एलिमेंटा एसपीए	2322.00	ईटली
	26/11/92	8, सी विंग, 8वां तल,	इटली	(44.13 प्रतिशत)	
	(एफआईपीसी)(ईसी)	पर्सन नेनारे, 602,			
		अन्ना सलाई,			
		मद्रास - 600006			

मद विवरण : फ्रूट कंसेन्ट्रेट स्थापना - स्थल : पश्चिम गोदावरी

	एफसी 2.34 (93)	स्टैंडर्ड कार्मार्शियल टोबैको	मै. स्टैंडर्स कामर्शियल	90.00	यू.के.
	29/12/92	प्रा., 8-24 31,	टौबैको, स्टैंडर्ड हाउस	(33.33 प्रतिशत)	
	(एफआईपीबी(ईसी))	मंगलगिरी रोड,	वेसाईड पार्क कोडोलमिंग		
		गुंदुर-522001	सरे जीयू 7 आईएक्सई, यू.के.		

मद विवरण : ग्रीन लीफ ग्रेस्ड रेडफेड टोबैको स्टन एंड स्क्रैब स्थापना-स्थल : गुदुर

8.	442	छल्ला राजेन्द्र प्रसाद	मै० एसोसिएट काफी मर्चेन्टस		
21/10/93		62 महात्मा गांधी रोड नं.1	कैंटिस बिल्डिंग	300.00	यू.के.
(एफआईपीबी) (ईसी)		सिकन्दराबाद-3	125 हाई बौरो स्ट्रीट	(25.00 प्रतिशत)	
			लंदन सी इंप		
मद विवरण : इंस्टैंट काफी			स्थापना : स्थल : गुंदुर		
9.	498	आई टी लि.	मै. जेनंका लि.	315.00	यू.के.
22/12/93		सरोजनरी देवी रोड	इम्पेरियल कैमिकल	(50.00 प्रतिशत)	
(एफआईपीबी (ईसी))		सिकंदराबाद-3	9 मिलबैंक लंदन		
			एसडब्ल्यूआईपी3जेएफ,यू.के.		
मद विवरण : उत्पादन विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम की स्थापना					
		स्थापना - स्थल : हैदराबाद (ट्वीन सिटी)			
10.	35	ओवीमेक्स सर्विसेस (इंडिया)	ओवीमेक्स लि.	5.00	रूस
26/11/93		प्राइवेट, 137, गुनराक इंक्लेव,	18 लेसनया स्ट्रीट		
(एफआईपीबी (ईसी))		सिंकदराबाद-500003	नं. 125047	(50.00 प्रतिशत)	
			रूस		
मद विवरण : संमी कंडक्टर, फोटो, फोटो-वोल्टेक के क्षेत्र में सेवाएं स्थापना-स्थल : हैदराबाद (ट्वीनसिटी)					
11.	463	एन राम कृष्ण	अनिवासी भारतीय	186.80	
24/09/93		59ए-10-9		अनिवासी	
(एफआईपीबी(ईसी))		कं.पी. नगर		भारतीय	
		विजयवाड़ा 8		(20.00 प्रतिशत)	
मद विवरण : मशरूम			स्थापना स्थल : कृष्णा		
12.	131	वेस्ट रिकावरी सिस्टम	डब्ल्यू आर एस	165.62	
06/10/93		इंडिया लिमिटेड	पैसिफिक लि.	आस्ट्रेलिया	
(एफआईपीवी) (ईसी)		6-3-655/2/2	आस्ट्रेलिया	(38.00 प्रतिशत)	
		सोमाजीगुडी			
		हैदराबाद - 500482			
मद विवरण : कार्बनिक एनपीकं उर्वरक			स्थापना - स्थल : महबूबनगर		

13.	पीईआर :147(93)/ईओवी 27/01/93 (एफआईपीबी) (ईसी)	केशव भूपल 6-3-1100/8 सोमाजीगुडा हैदराबाद - 500482 आंध्र प्रदेश	अनिवासी भारतीय	750.00 एन.आर.आई (63.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : निटेड फैब्रिक एंड निटेड गारमेंटस		स्थापना - स्थल : मेदक	
14.	264 14/06/93 (एफआईपीबी) (ईसी)	लोटस चाकलेट कं.लि. 302, श्री निवास कम्प्लेक्स 7-1-27 अमीरपेट हैदराबाद-16	सनसाईन एलाइड इंवंस्टमेंट लिमिटेड 24, रैफल्स प्लेस 23-01, क्लीफोर्ड कोंट सिंगापुर-0104	391.17 सिंगापुर (51.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : चाकलेट उत्पादन		स्थापना स्थल : मेडक	
15.	145 20/10/93 (एफआईपीबी) (सी)	मिसेज सी. निर्मला मार्फत, एसएलएक्स कार्पोरेशन, यूनिट नं.1, 2रा तल, अमरूथा हिल्स टोपाज बिल्डिंग पंजागुई	डलसेम वेसीया पी.बी.सी हॉलैंड	100.00 नीदरलैंड (11.00 प्रतिशत)
	मद विवरण : मशरूम कल्टीवेशन एंड कैनिंग		स्थापना स्थल : मेडक	
16.	101 06/01/94 (एफआईपीबी) (ईसी)	इसेन सप्लेमेंट्स इंडिया लि. 76-77, स्वप्नलोक काम्पलैक्स, 92-93 सरांजनी देवी सिकंदराबाद - 3	रंथमेयर जी एम बीएच 0 4930 डैटनोल्ड पोस्ट फैक 2453 जर्मनी	111.40 जर्मनी (34.07 प्रतिशत)
	मद विवरण : पॉलीमेर बेस्ड. प्रोडक्ट्स, पालीमर सेंमेंटस प्रोडक्टस	स्थापना स्थल : मेडक		

17.	70	गोल्डवोन टेक्सटाइल्स लि.,	जंग वोन कार्पोरेशन	440.00
	15/04/93	104, लक्ष्मी निवास	कोरिया	कोरिया (साउथ)
	(एफआईपीबी) (ईसी)	6-3-862/1, अमीरपेट		(39.71 प्रतिशत)
		हैदराबाद - 500016		

मद विवरण : टैक्सटाइल्स मेड-अप, निटेड सॉफस स्थापना स्थल : नलगोंडा

18.	76	टेरीगोल्ड (इंडिया) लि.	ग्रीनविले मशीनरी	208.00 यू.एस.ए.
	30/09/92	फ्लैट नं. 104, लक्ष्मी निवास	कार्पोरेशन	(20.11 प्रतिशत)
	(एफआईपीबी) (ईसी)	6-3-862/1, अमीरपेठ	यू.एस.ए.	
		ग्रीनलैंड्स		

मद विवरण : टेरी टॉवल्स स्थापना स्थल : नलगोंडा

19.	101	रेइल प्रोडक्ट्स लि.	ट्राफिकल फूड इंजी.	355.00	इटली
	12/07/93	8ए/12, डब्ल्यू.ई.ए.	एस.आर.एल.	(30.00 प्रतिशत)	
	(एफ.आईपी.बी) (ईसी)	करोल बाग	ईटली		
		नई दिल्ली - 110 055			

मद विवरण : फ्रूट जूस कंसट्रेट (कंप्राइजिंग आफ पाइनएप्पल कं.) स्थापना स्थल : नलगोंडा

20.	480	रिर्सोस टेक्नोलाजी	एचडब्ल्यू लिन		
	03/11/93	प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रोनिकल क.लि.	15.63	
	एफआईपीबी(ईसी)	2-62/1, काकातिया	4था तल, 481, चून		ताईवान
		नगर, होबशीगुडा,	एचसीओ ईस्ट रोड	(25.00 प्रतिशत)	
		हैदराबाद-7	सेक्टर - 6		

मद विवरण : वीएचएफ/यूएचएफ इलेक्ट्रानिक ट्यूनर्स, जो टेलीविजन में प्रयुक्त होता है।

स्थापना स्थल : नलगोंडा

21.	एफसी : 23 (93)/इओबी	इण्डो/अरब गेनाईटस लि.	अल-सुबोहा मार्डन	345.00	सउदी अरब
	22/12/92	5-36-4,4/13	टेक्नोलोजी ईस्ट		
	(एफआईपीबी) (इसी)	बुडीपेट, गुंटुर-522002		(21.56 प्रतिशत)	

मद का विवरण ग्रेनाइट स्लैब और ग्रेनाइट टाइल्स, स्थापना - स्थल : नेल्लोर

22.	50	लेक मिनेरल्स लि.	मैसर्स मोहम्मद	240.00 सउदी अरब
	09/03/93	17-1-388/9,	दर्वीश घब्बन ईस्ट	
	(एफआईपीबी)(इसी)	श्री लक्ष्मीनगर, सैदाबाद	सउद अरब	(20.00 प्रतिशत)
		हैदराबाद 500659		
	मद का विवरण : ग्रेनाइट स्लैब		स्थापना स्थल नेल्लोर	
23.	333	विजय श्रीम्पेक्स लि.	एनआरआई	160.00 एन आर
	07/06/93	11/4, रत्ना विलास आर		आई (40.00 प्रतिशत)
	(एफआईपीबी(इसी))	बसायनागुडी बेंगलोर-560004		
		कर्नाटका		
	मद का विवरण : श्रीम्पस और अन्य सि फूडस		स्थापना स्थल : नेल्लोर	
24	132	एशियन पेरॉक्साइड लि.	पेरोक्झीन टेक्नोलोजी लि.	405.07
	19/08/93	लिलावती बिल्डिंग 69,	ब्रिटिश वर्जीन इस्लाम	ब्रिटिश वर्जीन
	(एफआईपीबी(ईसी))	अर्नेनीयन स्ट्रीट		
		मद्रास - 600001		(59.00 प्रतिशत)
मद का विवरण : हाइड्रोजन पेराक्साइड				स्थापना स्थल : नेल्लोर
25.	15	कान्टीनेन्टल इलैक्ट्रानिक्स	मिकाक्रॉफ्ट प्रांडक्स	43.35 यु.एस.ए.
	14/12/93	(प्रो.) लि., 61 स्पर	यू.एस.ए.	(51.00 प्रतिशत)
	(एफआईपीबी) (इसी)	टैंक रोड चेटपेट,		
		मद्रास - 600031		
मद का विवरण - कन्झुमर इलैक्ट्रानिक्स मद 1 व्हाइस कॉइल्स स्थापना - स्थल : नेल्लोर				
26.	एफसीः6(93)/ईओबी	स्टीलब्रेन केमिकल्स लि.	मेसर्स केमेंट सिस्टम	125.00 ऑस्ट्रेलिया
	20/11/92	401-405, 4था माला	ऑस्ट्रेलिया	(5.81 प्रतिशत)
		स्वप्नलोक, एस.डी रोड,		
		सिकंदराबाद-500003		
		आंध्र प्रदेश	स्थापना : स्थल श्रीकाकुलम	
	मद का विवरण : मिथाइल हाइड्रोक्यूनाइन, डाई इन्टरमिडिएटस् इत्यादि।			

27. एफसी: 20(93)/इओबी नीरज पेंट्रोकेमिकल्स लि. दवी मेकी, इंगलैंड 1600.00 यू.के.
18/12/92 6-3-883/6/डी, (40.00 प्रतिशत)
(एफआईपीबी)(इसी) दूसरा तल, पंजगुट्टा,
हैदराबाद-500482 स्थापना स्थल : विशाखापट्टनम

मद का विवरण : 1,4 बुटानेडीआंल, टेड्रा हाइड्रोफुरन, गन्ना बुट्रोलेक्टान

28 54 टी.आर.डाटला फोनिक्स इंजि.कार्पो. 3500.00
17/12/92 6-3-570, रॉकदले आईडीडब्ल्यूए,यूएसए, यूएसए (16.10 प्रतिशत)
(एफआईपीबी) (कम्पाऊंड, सोमाजीगुडा)
(सीसीएफआई) हैदराबाद-500482

मद का विवरण : पेट्रोलियम ऑयल्स स्थापना स्थल : विशाखापट्टनम्

29. 118 अॅटलन्टा इंटरनेनल लि. एपीएसकोल्ड स्टोरेज 127.98
25/10/93 5-8-624-डी, अंबीद प्रा.लि. सिंगापुर सिंगापुर
(एफआईपीबी)(ईसी) रोया. हैदराबाद-50001 (24.98 प्रतिशत)

मद का विवरण : फ्रोजन श्रीम्प और प्राटन ए.पी. स्थापना - स्थल : विशाखापट्टनम

30. 81 टिसा यूनाइटेड प्रा.लि. टॉप फोर्चून इंटरनेशनल 300.00
22/12/93 22/1, दूसरा तल, टी.टी. प्रा.लि. 433 सिंगापुर
(एफआईइपीबी)(इसी) रोड, अल्वरपंट, मद्रास - 600016 रेसकोर्स रोड (100.00 प्रतिशत)
सिंगापुर

मद का विवरण : श्रीम्प सीडसऔर तैयार और प्रिजर्व श्रीम्पस स्थापना स्थल : विशाखापट्टनम्

31 एफसी : 1/93(ईओबी)
06/11/92 प्रणव ऑयल प्रोसेसिंग क.लि. नेशनल फोर्ग कं. 500.00 यूएसए
(एफआईपीबी)(सीसीएफआई) 410, प्रेरणा रोड सं. 22 यू.एस.ए.
जूबिली हिल्स, हैदराबाद (ए.पी.) (22.32 प्रतिशत)

मद का विवरण : ओलेवोरेंजीन्स स्थापना : - स्थल रंगारेड्डी

32. पीइआर : 8(93)/इओबी रवी लिला ग्रेनाइटस लि. एनआरआई 30.79 एनआर
28/10/92 403. इनरॅल्ड,अस्तृथा हिल्स आई (37.00 प्रतिशत)
(एफआईपीबी(सीसीएफआई) पंजपगुट्टा हैदराबाद-500482

मद का विवरण : ग्रेनाइटस स्लॅब्स और ग्रेनाइटस टाइल्स स्थापना : स्थल रंगारेड्डी

33. एलआई:3(93)इओबी 25/11/92 (एफआइपीबी)(इसी)	गेन्यूल्स इंडिया प्रो.लि. 6-3-1118, 2ए, उषा टावर, बीएस, मक्था बेगमपेठ हैदराबाद-500016	एनआरआई	60.42 एनआर आई (10.00 प्रतिशत)
मद का विवरण : पॅरासिटामोल इत्यादि		स्थापना : स्थल : रंगारेड्डी	
34. एफसी. 11.24(93) 11/11/92 (एफआईपीबी(इसी))	सिलेक्ट बायोलॉजीकल्स प्रा.लि. 902, पैगाह प्लाजा, बशीरबाग, हैदराबाद-5000029,	मैसर्स लेहमान टायरझुक गेबील एम सिदिक 9-11 प्रां. बाक्स 460 जर्मनी	25.00 जर्मनी (50.00 प्रतिशत)
मद का विवरण विशिष्ट पॅथाजेन फ्रि एग्न्		स्थापना स्थल : रंगारेड्डी	
35. एफसी:37(93)/इओबी 04/02/93 (एफआईपीबी(इसी))	गोल्डरॉक ग्रेनाइटस लि. प्लैट सं. 104, लक्ष्मी निवास 6-3-862/1, अमीरपेट, हैदराबाद - 500016	बी. दर्रतंती एंड कं.	90.00 इटली इटली (15.00 प्रतिशत)
मद का विवरण : ग्रेनाइट सॅल और ग्रेनाइट मोनूमन्ट	स्थापना स्थल रंगारेड्डी		
36. 51 10/3/93 (एफआईपीबी)(इसी)	ओ ''यूरोफूडस लि. 8-2-334/30 रोड सं.3 बंजारा हिल हैदराबाद - 500034 आंध्र प्रदेश	पनेसार मार्केटिंग लि. यू.के.	136.00 यू.के. (11.00 प्रतिशत)
मद का विवरण : बनाना पूरी		स्थापना स्थल : रंगारेड्डी	
37. 288 12/7/93 (एफआईपीबी(इसी))	अन्नपूर्ण आंहम्मी कन्ट्रोल्स लि. 1-59, मूसापेट हैदराबाद-500018	दहम्मी कार्पो. ग्रोंग हवा बी/डी दूसरा तल डप्लीसी- डांग डंग कू सिओल	50.00 कोरिया (साउथ) (25.00 प्रतिशत)
मद का विवरण: सभी प्रकार के थर्मोस्टेट : प्रकार और मेटालिक बेल			स्थापना स्थल रंगारेड्डी

38.	23	श्री रामचन्द्र फारमासिटयुक्ल लि.	एनआरआई	150.00
	15/06/93	40-9-70, कालानगर		एनआरआई
	(एफआइपीबी(इसी))	विजयवाड़ा-521010		(50.00 प्रतिशत)
		आंध्र प्रदेश		
	मद का विवरण : बल्क ड्रग्स		स्थापना स्थल : रंगारेड्डी	
39.	25	शान्या बरयोटेक्निक प्रा.लि.	एच.ई.एक्सलेंसी	157.50
	25/11/93	प्लाट सं. 822ए, रोड सं.	युसूफ बीन अलावी ओमान	
	(एफआइपीबी)(इसी)	जूबिली हिल्स, हैदराबाद-500033	पीओबाक्ससं.	(87.50 प्रतिशत)
			5553 रूवी	
			सल्तनत ऑफ ओमान	
	मद का विवरण : हेपाटिटिस एंड क्वेंसीन		स्थापना स्थल : रंगारेड्डी	
40.	21	पिनॅकेल फब्रिकक्स लि.		
	8/11/93	3-39-12, वेस्ट मरेड्प	एनआरआई	75.00
	(एफआईपीबी(इसी))	सिंकदराबाद-500002		एनआरआई
		आंध्र प्रदेश		(23.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : 100 प्रतिशत कॉटन डेरी टावेल्स		स्थापना स्थल : रंगारेड्डी	
41.	22	मारूति प्लास्टिक लि.	एनआरआई	720.00
	05/11/93	डिवी टावर, धरम के.		एनआरआई
	(एफआइपीबी(इसी))	रोड़, अनरंपेंठ,		(40.00 प्रतिशत)
		हैदराबाद - 500016		
	मद का विवरण : डाइड प्रिंटेड कॉटन फब्रिक्स		स्थापना स्थल रंगारेड्डी	
42	100	क्लासिक अग्रोफूड लि.	मैसर्स वॅक्स	125.00 हांगकांग
	06/7/93	डोअर सं. 11-2-12	इण्डस्ट्रियेल लि.	(11.24 प्रतिशत)
	(एफआइपीबी(इसी)	गोथामी दसापल्ला एच	हांगकांग	
		विशाखापत्तनम - 530003		
		आंध्र प्रदेश		
	मद का विवरण : व्हाइट बटन मशरूम		स्थापना स्थल : विजयानगरम	

43	137	आदित्य इण्डस्ट्रीज लि.	ब्रआब एफ ब्रॅकानिन एंड	1711.25
	06/10/93	6-3-655/2/2	असोसिएटस पी आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया
	(एफआईपीब्री(इसी))	सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500482		(48.00 प्रतिशत)
	मद का विवरण : सिंथेटिक स्टाइल		स्थापना स्थल : विजयानगरम	

परती भूमि

7273. श्री शिवाजी पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार परती भूमि क्षेत्र कुल कितना है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष भूमिहीन कृषि श्रमिकों और छोटे किसानों में ऐसी कितनी भूमि राज्यवार वितरित की गई ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस भूमि को भूमिहीन श्रमिकों को पट्टे पर नहीं देने के लिए राज्य सरकारों को कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) देश में सम्पूर्ण बंजरभूमि का राज्यवार क्षेत्र संलग्न विवरण - 1 में दिया गया है।

(ख) ऐसी भूमि को भूमिहीन कृषि मजदूरों और सीमान्त किसानों में वितरित करने का कोई कार्यक्रम कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

हजार एकड़ में

1.	आन्ध्र प्रदेश	3862
2.	अरूणाचल प्रदेश	74
3.	असम	172
4.	बिहार	2764
5.	गोआ	क
6.	गुजरात	1099
7.	हरियाणा	169
8.	हिमाचल प्रदेश	60

9.	जम्मू और कश्मीर	103
10.	कर्नाटक	1747
11.	केरल	71
12.	मध्य प्रदेश	1588
13.	महाराष्ट्र	1852
14.	मणिपुर	ख
15.	मेघालय	226
16.	मिजोरम	442
17.	नागालैण्ड	228
18.	उड़ीसा	333
19.	पंजाब	110
20.	राजस्थान	3741
21.	सिक्किम	13
22.	तमिलनाडु	2308
23.	त्रिपुरा	2
24.	उत्तर प्रदेश	1968
25.	पश्चिम बंगाल	446
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4
27.	चंडीगढ़	ग
28.	दादर और नगर हवेली	ख
29.	दमन और दीव	क
30.	दिल्ली	10
31.	लक्षद्वीप	0
32.	पांडिचेरी	5
	जोड़	23397

क. आंकड़े पृथक रूप से उपलब्ध नहीं हैं इन्हें कृषि योग्य बंजर भूमि में ही शामिल कर दिया गया है।

ख. 500 एकड़ से कम।

धनराशि का अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग

7279. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या **प्रधान**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि असम सरकार ने जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित धनराशि के एक भाग का राज्य में क्षतिग्रस्त तटबन्धों की मरम्मत के लिए उपयोग किए जाने की अनुमति देने के दिशानिर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार का विचार इस धनराशि की अदायगी किस प्रकार सुनिश्चित करने का है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रमीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) (क) से (ग) : गुवाहाटी में हाल ही में हुई उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम के ग्रामीण विकास और पंचायती राज के प्रभारी मंत्रियों/सचिवों की बैठक में असम सरकार ने इच्छा व्यक्त की थी कि जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र /बराक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबन्धों के निर्माण और उन्हें सुदृढ़ बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस अनुरोध के उत्तर में केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि ऐसे कार्यों के कार्यान्वयन के बारे में जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं और मैनुअलों का सख्ती से पालन करते हुए दोनों योजनाओं के अंतर्गत के निर्माण तटबंधों.के निर्माण और उन्हें सुदृढ़ बनाने से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया था कि ऐसे का कार्यों को करने के लिये मार्गदर्शिकाओं के साथ किन्हीं ठेकेदारों को काम पर लगाया नहीं जायेगा और निर्माण कार्यों को या तो लाभार्थियों/पंचायतों द्वारा अथवा संबंधित विभागों द्वारा किया जायेगा और मजदूरी तथा सापग्री घटक को 60:40 के अनुपात में बनाये रखा जायेगा।

संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र के लिए विकास राशि

.7280. श्री आर अन्बारासु :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को संसद सदस्यों के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की पहली किश्त जारी कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों को सूचना किस तिथि को भेजी गयी थी ; और

(ग) पूरी धनराशि कब तक दे दी जायेगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ख) इस मंत्रालय ने योजना को तत्काल आरंभ करने के लिए 22 फरवरी, 1994 को राज्यों को प्रति चुनाव क्षेत्र 5.00 लाख रुपये के हिसाब से धनराशि स्वीकृत कर दी है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक संसद सदस्य जिलाधीश को प्रतिवर्ष एक करोड़ रुपये के निर्माण कार्यों का सुझाव दे

सकता है जो उनके चुनाव क्षेत्रों में किये जाने हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य की लागत दस लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन निर्माण कार्यों को जिला आयोजना के साथ समेकित किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य सभा के सदस्य, उस राज्य, जिससे वे चुने गये हैं, के किसी भी जिले का निर्माण कार्यों हेतु चयन कर सकते हैं।

तेल कम्पनियां

7281. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद स्थित "नेशनल काउंसिल फार सिविल लिबर्टिज" (एन.सी.सी.एल.) ने उत्पादक संघ शुलक के लिए सरकारी तेल क्षेत्र के विरुद्ध एकाधिकार एवं प्रतिबन्धित व्यापार आयोग के समक्ष शिकायत की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकारी क्षेत्र को कितनी तेल कम्पनियां एम.आर.टी.पी.सी. के समक्ष दोषी पायी गई हैं और परिषद ने उन्हें दोषी ठहराया है ;

(घ) एम.आर.टी.पी.सी. द्वारा कथित व्यवहार के लिए तेल कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है और क्या सरकार को इस संबंध में अब तक कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टिज (एन.सी.सी.एल.) ने एम.आर.टी.पी. आयोग को सीधे ही शिकायत न करके महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के विरुद्ध उत्पादक संघ शुल्क के लिए एक शिकायत की है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि लुब्रीकेन्ट्स की कीमतों में समान रूप से वृद्धि कर लेने के लिए निम्नलिखित चार सार्वजनिक तेल कम्पनियों ने उत्पादक संघ गठित किया है :

1. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.,
2. हिन्दुस्तार पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.,
3. भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लि.,
4. इंडो-वर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लि.

(ग) से (ङ) महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण ने सभी चार तेल कम्पनियों से आवश्यक सूचना मंगवाई है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) से जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

चीन द्वारा निवेश

7282. श्री डी.वेंकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने पहली बार भारत में 1994 के दौरान और इसके बाद भी एक बिलियन डालर निवेश करने के संबंध में सहमति व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन परियोजनाओं पर चीन सरकार ने निवेश करने की सहमति व्यक्त की है ;

(ग) क्या इन परियोजनाओं के संबंध में चीन के साथ कोई समझौता किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) हाल ही में, चीन ने भारत में निवेश करना शुरू किया है। चीन द्वारा 1991 में 75 लाख रुपये के अनुमोदित निवेश का इरादा 1993 में बढ़कर 6166 लाख रुपये हो गया है। चीन द्वारा पूंजी निवेश करने के कुछ क्षेत्र इस प्रकार है - कच्चा लोहा, लोहा तथा इस्पात उत्पाद, मिनिलिप्लास्ठ फरनेस, पोलीएसीटल रेजिन, मशीनी औजार, मिट्टी हटाने की मशीनरी तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ना आदि।

[हिन्दी]

पेटेंट कानूनों के अंतर्गत जीवित प्रजातियां

7283 श्री बीर सिंह महत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देश पेटेंट कानूनों के अंतर्गत भारतीय जैव किस्में और जीवित प्रजातियां ला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग) इस समय कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जैव विविधता संबधी एक नये व्यापक कानून का मसौदा तैयार करने की कार्रवाई विचाराधीन है जिसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण, इसके संघटकों के सतत प्रयोग तथा ऐसे उपयोग से होने वाले लाभों के साम्यमूलक बटवारे के लिए एक ढांचे का प्रावधान करना हैं।

[अनुवाद]

नाइट्रोजनयुक्त और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के बीच मूल्य-असन्तुलन

7284. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइट्रोजनयुक्त और फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के संबंध में कोई आनुपातिक मूल्य असन्तुलन है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) वर्तमान में, केवल स्ट्रेट नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का मूल्य सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है, जो कि सम्पूर्ण देश में एक समान है। अन्य सभी किस्म के उर्वरकों के मूल्य नियंत्रण मुक्त किये जा चुके हैं। और आपूर्तिकर्ता उन्हें बाजार मूल्य पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए परिव्यय

7285. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया है ;

(ख) बिहार में उक्त अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुमानतः कितने लोगों या परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया, और

(ग) बिहार में उक्त अवधि के दौरान कुल कितने श्रम दिवसों का सृजन किया गया ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के लिए गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों हेतु कुल परिव्यय संलग्न विवरण - 1 के अनुसार है।

(ख) गरीबी अनुमान प्रत्येक 5 वर्ष में लगाए जाते हैं। योजना आयोग में दिए गए अनुमान के अनुसार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या 1983-84 में 36.55 मिलियन से घटकर 1987 - 88 33.64 मिलियन हो गई।

(ग) बिहार राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) के तहत सहायता दिए गए परिवारों की संख्या और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर एल ई जी पी) और जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) के तहत सृजित किए गये रोजगार संलग्न विवरण - 2 के अनुसार हैं।

विवरण - 1

बिहार में सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय

(रु. लाख में)

क्रम.सं.	कार्यक्रम	जोड़ परिव्यय (आबंटन)
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)	41,392.03
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी)	42,178.30 *
3.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर आई ई जी पी)	36,048.60 *
4.	जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई)	38,711.91 **
	जोड़	1,58,330.84

* सातवीं योजना के प्रथम चार वर्ष अर्थात् 1985-86 से 1988-89

* * सातवीं योजना का केवल अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90

विवरण - 2

बिहार में सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार सर्जन कार्यक्रमों के तहत वास्तविक उपलब्धियाँ।

क्रम.सं.	कार्यक्रम	यूनिट	उपलब्धि
1.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)	सहायता दिए गए परिवारों की सं.	25,342,56
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी)	लाख श्रम दिवस में सृजित रोजगार	1,686.59 *
3.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी (आर एल ई जी पी)	-वही-	1,298.69 *
4.	जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई)	-वही-	907.31 **

* सातवीं योजना के प्रथम चार वर्ष अर्थात् 1985-86 से 1988-89

* * सातवीं योजना का केवल अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से गुजरात को सहायता

7286. श्री एन.जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नवीकरण कोष से गुजरात के जनजातीय क्षेत्र में स्थित किन-किन उद्योगों को सहायता दी गई है; और

(ख) इन उद्योगों को किस-किस तरह की सहायता दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना 3 फरवरी, 1992 को की गयी थी। प्रथम चरण में गुजरात राज्य में स्थित उपक्रमों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से सहायता उपलब्ध करायी गयी है। इस प्रकार की निधियां संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने-अपने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उपलब्ध करायी जाती है, आदिवासी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एककों को राष्ट्रीय नवीकरण निधि से उपलब्ध करायी गयी सहायता से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

प्राकृतिक संसाधनों की कमी

7286 क. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती हुई कमी की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों की कमी के प्रभाव का आकलन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सरकार को वन संसाधनों के क्षरण होने और स्थानीय क्षेत्रों में भूमि और जल के विकृत होने की समस्या की जानकारी है।

(ख) वन, भूमि, जल आदि जैसे देश के प्राकृतिक संसाधन कुछ क्षेत्रों में बड़े जीवीय दबावों के कारण विकृत हो रहे हैं।

(ग) सरकार के वन संसाधनों के क्षरण होने और स्थानीय क्षेत्रों में भूमि और जल के विकृत होने के प्रभाव की जानकारी है।

(घ) चिरस्थायी हरियाली में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न वानिकी स्कीमों के तहत कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा आरंभ किए गए प्रयासों से सहायता की जाती है। इसी प्रकार भूमिगत जल सतह (एक्विफर) को पुनः चार्ज करने आदि की दृष्टि से ऊपरी भूमि के कटाव को रोकने और उच्चतर स्वस्थाने (इन सिटू) नमी संरक्षण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा स्कीमें ओर कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं।

[हिन्दी]

12.07 म.प.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर खींचना चाहता हूं। आज अध्यक्ष महोदय पूरे देश में 52 फीसदी पिछड़े वर्गों में सरकार द्वारा मण्डल कमीशन के तहत 27 प्रतिशत आरक्षण देने के सम्बन्ध में जो कार्यपालक आदेश निर्गत किया गया है उससे भयंकर असंतोष और आक्रोश व्याप्त हो गया है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उम्र सीमा की छूट और अवसर देने की छूट नहीं रखने के कारण आज यह आरक्षण क्रूर मजाक हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, एक बार क्रीमी लेयर का बहाना लगाकर इसको रोकने की कोशिश की गई थी और इस बार आयरन फिल्टर गेट लगाया गया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि ओ.बी.सी. के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिले. बार-बार सदन में इस बात का आश्वासन दिया गया था। आज सिविल सेवाओं की परीक्षाओं की डेट निर्धारित हो गई है। परीक्षाएं 26 जून को होने वाली हैं। ओ.बी.सी. के अभ्यार्थियों ने परीक्षाओं के जो फार्म भरे थे, उनमें ओवर एज करके, रिजैक्शन लेटर नौजवानों को लिखकर आ रहा है। इसलिए स्थिति बहुत गम्भीर है। एक हाथ से आरखण को देना और दूसरे हाथ से आरक्षण को छीनना, यह बहुत गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस सवाल पर पूरा सदन मेरी इस बात से सहमत होगा और आपकी ही अनुमति से इस सदन में माननीय मंत्री जी ने बार-बार आश्वासन दिया था, किन्तु अब उसमें अड़ंगा लगाया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग है कि सरकार इस प्रश्न की गम्भीरता को समझते हुए आयु सीमा में शिथिलता देते हुए सभी परीक्षाओं से सम्बन्धित लोगों को इस बारे में स्पष्ट आदेश दें ताकि इस सम्बन्ध में कोई भ्रम नहीं रहे।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री सीता राम केसरी जी ने आश्वासन दिया था . . . .

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे प्रश्न रूप में क्यों नहीं रखा। आपको इसका ठोस उत्तर मिल सकता था।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह पूरी की पूरी साजिश हो रही है। हमारे सामने सारे रास्ते बन्द हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने प्रधान मंत्री जी को पत्र भी लिखा था। आप हमें इस सवाल पर कुछ कहने की इजाजत दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको टाइम दिया है, आपकी बात आ गई है। आप इसको क्वश्चन के रूप में भी पूछ सकते थे। आपने क्यों नहीं पूछा ?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, क्वश्चन के रूप में आ जाए यह जरूरी नहीं है। सर यह बहुत मुश्किल है। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, लोग रिजैक्शन के पत्र लेकर हमारे पास आ रहे हैं हम क्या करें। इस आरक्षण का तात्पर्य क्या है ? **(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। **(व्यवधान)**

श्री प्रेम धूमलन (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री कालका दास (करौल बाग) : अध्यक्ष महोदय, . . . **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सरकार के आश्वासन का भी पालन नहीं हा रहा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : यदि आप हमें संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा ?

अध्यक्ष म `दय : मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप इस बात पर इतने गम्भीर थे तो आप प्रश्न पूछ सकते थे ओर आपको उत्तर मिल सकता था।

श्री श्रीकान्त जेना : जब यह मामला उठाया गया था, माननीय मंत्री जी सदन में आश्वासन दिया था कि 'हां', इसे लागू किया जायेगा। श्री सीताराम केसरी ने सदन में आश्वासन दिया था कि इस पर विचार किया जायेगा तथा इस पर पक्ष में विचार किया जायेगा। लेकिन अब सरकार इस विषय पर चुप है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय, आप भी सरकार से इस विषय पर एक वक्तव्य देने के लिए कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह जरूरी नहीं है कि क्वश्चन लग जाये। हजारों क्वश्चन फाइल होते हैं। 30 क्वश्चन बैल्ट में आते हैं। और उनमें से भी पांच को ले पाते हैं। केसरी जी ने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आपने स्वयं निर्णय लिया था कि सदस्य द्वारा इस मामले को उठाने की अनुमति दी जायेगी। मैं श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव को इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी है और उन्होंने इसे अच्छे ढंग से उठाया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस मुद्दे पर इतने गम्भीर थे तो आप उचित तरीका अपना सकते थे। आप सरलतम तरीका अपना रहे हैं कि नोटीस दिए बिना सीट से उठकर प्रश्न उठा दिया जाए। मैंने सदस्य को अनुग्रहीत किया है। यदि आप इस मुद्दे पर गम्भीर थे तो आप प्रश्न पूछ सकते थे।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हमने भी नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : सबने नोटिस दिया है। अगर सबकी सुनेंगे तो दूसरे क्या करेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सब खड़े होकर बात करेंगे तो कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर एश्योरैंस किया है तो इस मामले को एश्योरेंस कमेटी में ले जा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : हम आपकी बात से सहमत है कि इसे प्रश्न के रूप में रखा जा सकता था। लेकिन, महोदय जब यह मुद्दा पहले भी उठाया गया था तो श्री सीताराम केसरी ने इस सदन में आश्वासन दिया था . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा आश्वासन दिया गया था तो आप इस मुद्दे को आश्वासन समिति के समक्ष रख सकते थे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको यह बात समझनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण और संवेदनशील हैं आपने पहले भी इस विषय को सदन में उठाने की अनुमति देकर हम पर मेहरबानी की। आज भी इसको उठाने दिया। सब को बोलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। जिस प्रकार से असन्तोष बढ़ रहा है, उसको देखते हुए यह मामला गम्भीर हो जाता है। यह प्रश्न इस सदन में चार बार उठाया जा चुका है, मगर सरकार ने एक बार भी इसका जवाब 'हां' या 'ना' में नहीं दिया। देश के कम से कम 10-12 विश्वविद्यालयों के छात्र और नौजवान आज दिल्ली में मौजूद हैं। उनमें गहरा असन्तोष इस बात से है कि मंडल कमिशन जिस दिन से लागू हुआ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच में जो तीन साल बरबाद हो गये, उनको कम से कम सरकार मान लें।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : पाँच साल की मांग हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : पांच साल की मांग है लेकिन कम से कम तीन साल जो फैसले और घोषणा के बीच बरबाद हुए, उनको वह मान ले। बहुत से नौजवान जो इस प्रतियोगिता में बैठ सकते थे और वंचित रहे, उनमें इसको लेकर गहरा असन्तोष है। व्यक्तिगत रूप से हम प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं। हम उनको और समाज कल्याण मंत्री जी को पत्र भी लिख चुके हैं। मेरी सूचना के अनुसार समाज कल्याण विभाग ने तीन बरस की छूट के लिये रिकमैंड भी किया है, मगर उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस पर सरकार

विशेष रूप से ध्यान देकर इन पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को जो उम्मीदवार हैं। 5 साल की उनकी छूट दे दे और अतिरिक्त अवसर दें। जस्टिस सावन्त ने और दूसरे जजेज ने सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्णय में इसी पर कहा है कि यह सुविधाएं आवश्यक हैं, इनको देनी चाहिए, तभी पिछड़े वर्ग के साथ न्याय हो सकेगा, जो 40 साल तक न्याय नहीं हुआ।

मेरी प्रार्थना है कि इसके लिए आप सरकार को निर्देशित करे कि सरकार इसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक कदम उठाये। यह मेरी प्रार्थना है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपने इस मामले को उठाने की इजाजत दी थी और आपकी मौजूदगी में कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी जी ने आश्वासन दिया था। हमने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री जी की तरफ से कार्मिक राज्य मंत्री श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने एज रिलैक्सेशन के मामले में मुझको जवाब दिया। यह कहा कि "जैसा कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की योजना अभी शुरू हुई है, इस बारे में छूट रियायत उपलब्ध कराना जरूरी है या नहीं इस बात की जांच करना असामयिक होगा।" यानि सरकार के दो मंत्रियों के दो स्टेंड हो चुके हैं। केसरी जी ने कहा कि हम विचार करेंगे, यह ठीक सुझाव है। दूसरे मंत्री ने यह जवाब दिया है कि इस पर सरकार का कोई विचार नहीं है, यह कण्ट्राडिक्ट्री स्थिति है, कोई निर्णय की स्थिति नहीं है। इसकी नतीजा यह हुआ है कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक यूपीएससी ने फार्म भरने की इजाजत दी थी।

मैं अन्तिम बात कह रहा हूं। आज स्थिति यह है कि लोग ओवर एज हो चुके हैं इसलिए उनके पास रिजैक्शन लैटर्स आने शुरू हो गये हैं। मतलब यह है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, अगर सरकार को एज के मामले में रिलैक्सेशन देनी है, तो फैसला अभी अभी करना होगा, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी तीन साल के रिलैक्सेशन का मामला है। आप इजाजत दे तो जस्टिस सावन्त ने जो अपने फैसले में कहा है . . .

अध्यक्ष महोदय : दूसरे लोग भी खड़े हो रहे हैं, उनको भी मुझको बोलने देना चाहिए। यह सिर्फ आप ही का हाउस नहीं है।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : इसमें एक मिनट भी नहीं लगेगा। यह बहुत रेलेवेंट हैं। जस्टिस सावन्त ने कहा है -" निष्पक्ष आकलन के लिए उन्हें इसके साथ साथ आयु में छूट देने, परीक्षा में पास करने के लिए ज्यादा अवसर प्रदान करने, प्रशिक्षण अवधि बढ़ाने आदि जैसे रियायतें/छूटें देकर यह सुविधा प्रदान की जा सकती है और की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

तो इस स्थिति में सरकार को रिलेक्शेशन की घोषणा करनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि इस मामले पर आप पुनः सरकार को और विपक्ष को बुलाकर एक रास्ता निकालिये ताकि जो लाखों उम्मीदवार इसमें शामिल होने वाले हैं, उनके जीवन की रक्षा हो सके।

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई राजनैतिक मसला नहीं है। यह तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से

ही उत्पन्न हुआ मसला है। इसमें सरकार ने इस सदन में माना हुआ है, माननीय सोशल वैलफेयर मिनिस्टर का इस सदन में यह वादा है कि सरकार इस पर महानुभूतिपूर्वक सोचेगी और निर्णय लेगी। अब गतिरोध पैदा हो गया है, हजारों की तादाद में नौजवान, जो इस इम्प्रैशन में थे कि सरकार उनको यह फैसिलिटी एक्सटेंड करेगी, आज सड़कों पर हैं। यह कोई एक दल का मसला नहीं है, पूरा सदन इसके साथ है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जिस तरह से आपने उस वक्त शैड्यूल कास्ट्स के बारे में एक ट्रिपाटाईट मीटिंग काल कर ली थी, उसी तरह आप अपने चैम्बर में मंत्री महोदय को बुला लें और सदन से जिनको आप चाहें, जो विपक्ष के नेता है, सरकार की तरफ से किसी को बुला लें और इसमें जल्दी फैसला ले वरना जो विद्यार्थी हैं, वह दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे। फिर इसमें 4-5 साल लग जायेंगे, यह नौजवानों के साथ खिलवाड़ होगा। मैं पूरी तरह से इसका समर्थन करता हूं।

आप जल्दी से जल्दी एक ऐसी मीटिंग काल करें, सरकार को कोई ऐसे आदेश दे दें, जो हजारों बच्चों, को, नौजवानों को, जो इस वक्त असमंजस में हैं, जो विचलित हैं, उनको इन्साफ मिल सके।

|अनुवाद|

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह मुद्दा सदन में पहले भी उठाया गया था। संबंधित मंत्री द्वारा इस बारे में साकारात्मक उत्तर दिया गया हैं। अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। यह एक बार की छूट होगी। उनको अपनी आकांक्षाएं तथा अपेक्षाएं हैं। वे इस देश के युवा लोग हैं।

|हिन्दी|

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के हजारों हजार कर्मचारियों के द्वारा सरकार ने बार-बार इस बात का अनुरोध किया गया कि एक राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की जाय। सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि उसके ऊपर वह विचार कर रही है। कल ही यहां पर, राजधानी के अन्दर हजारों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, गिरफ्तारियां दीं, इसके बाद भी सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है।

बड़े खेद की बात है कि बैंकों में काम-काज ठप्प है। ग्रामीण बैंक के लोग असहाय हो कर सड़कों पर आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इस पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और जो उन्होंने राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना का आश्वासन दिया है, उसको वह पूरा करे।

श्री गुमान मन लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण बैंक के द्वारा भारतवर्ष के अन्दर लगभग यहां पर 75 प्रतिशत लोगों की सेवा की जाती है और ग्रामीण बैंक के लोगों ने . . . .

अध्यक्ष महोदय : लोढ़ा जी, यह प्रश्न अभी तो इन्होंने उठाया है। रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

श्री गुमान मल लोढा : फाइनेंस मिनिस्ट्री की पार्लियामेन्ट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी अपने प्रतिवेदन के पैरा 3(10) में कहा है :

"ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्गों के ऋण संबंधी आवश्यकताओं

को पूरा करना है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि एक भारतीय देश राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक'' स्थापित किया जाना चाहिए। तथा सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इसके नियंत्रण के अधीन लाया जाना चाहिए। ग्रामीण बैंको की व्यवहार्यता में सुधार लाने का यह एक दीर्घकालिक रास्ता होगा, सरकार को इसके लिए पर्याप्त पूंजी आबंटित करनी चाहिए।

|हिन्दी|

इस रिपोर्ट में है कि फाइनेंनस मिनिस्टर ने एक साल पहले आश्वासन दिया था और सारे देश के अन्दर हजारों ग्रामीण बैंक के कर्मचारी हैं जो एक हजार के करीब गिरफ्तार हुए थे और आज वे प्रधान मंत्री जी मिलने वाले हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास की स्थापना के लिए घोषणा करें ताकि असंतोष मिट सके।

श्री शरत् पटनायक (बोलंगीर : अध्यक्ष महोदय, इस साल कालाहांडी में बिल्कुल पानी नही हैं। बारिश हुई थी, लेकिन नदी-नाले सूख गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट गवर्नमेंट का टॉपिक है। आप स्टेट गवर्नमेंट के टॉपिक को यहां डिसकस करेंगे, तो यहां के टॉपिक डिसकश नहीं कर सकेंगे।

श्री शरत् पटनायक : अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। भवानी-पटना शहर में बीस दिन से ज्यादा पानी की व्यवस्था नहीं है। बिजली भी नहीं हैं। एक-एक गांव में दो-दो महीने बिजली नहीं जलती है। दिन में बिजली 10-12 घन्टे काटी जाती है। भारत सरकार कालाहांडी और नयापाड़ा के लिए करोड़ों रुपया भेजती है, लेकिन वहां की जनता आज तक भी कोई सुविधा नहीं उठा पायी है। मैं एक जुडिशियल कमेटी की मांग करता हूं, जो वहां जाकर पिछले तीन साल में जो रुपया भेजा गया है, उसकी एन्क्वायरी करे और दोषी को दन्ड देना चाहिए।

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, मुझे समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक महिला, महिला क्या 17-18 वर्ष की लड़की, के साथ बलात्कार की घटना हुई। बलात्कार की घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद अपराधी को पकड़ा गया। जब उस अपराधी को और उस लड़की को मैडिकल एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल ले जाया गया, तो पुलिस की कंस्टडी में पुलिस के सहयोग से उसी बलात्कारी ने उस लड़की के साथ में दोबारा बलात्कार किया। जब यह बात मध्य प्रदेश की विधान सभा में उठायी गई, ... *

यानि, इस प्रकार पुलिस की कस्टडी में इस प्रकार की बलात्कार की घटनायें होती रहेंगी।

|अनुवाद|

अध्यक्ष महोदय : राज्य विधान सभा में मंत्री द्वारा दिये गये विवरण संबंधी हवाले को कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

---

* अध्यक्ष पीठासीन के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, यह महिला का मामला है और महिला के साथ दुराचार की घटना हुई। अगर महिला के साथ बलात्कार होता है और स्टेट गवर्नमेंट ठीक से कार्यवाही नहीं करती है, तो उसको मैं क्या इस सदन में नहीं उठा सकती हूं ? जबकि महिला आयोग के मामले में यह तय हुआ था कि जब महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा . . . .

अध्यक्ष महोदय : विधान सभा में जो कुछ हुआ है, उसका रैफ्रेंस यहां नहीं दे सकते हैं। ऐसी बात को कोर्ट में ले जाना चाहिए।

कुमारी उमा भारती : नाम के लिए मैं माफी मांगती हूं, यदि नाम रिकार्ड में है। लेकिन यह कितनी शर्मनाक घटना है। *. . . मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। सरकार की तरफ से ब्यान आना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह यहां उपस्थित नहीं है, हम नहीं जानते उन्होंने क्या कहा है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : एक महिला के साथ दो-दो बार बलात्कार हुआ और बलात्कारी ने ही दोबारा बलात्कार पुलिस की कस्टडी में पुलिस के सहयोग से किया। मैं पूछना चाहती हूं, यह घटना कैसे घटी ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आज हमारे देश के 6 हजार बैंक कर्मचारी . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अभी लोढ़ा जी ने यह प्रश्न उठाया था, हर आदमी को उठाने की जरूरत नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ग्रामीण बैंक नहीं, मैं राष्ट्रीय बैंक के बारे में कह रहा हूं। ग्रामीण बैंक के लिये तो हम कई बार पहले बोल चुके हैं। . . . .**(व्यवधान)** . . .मैं यह कह रहा हूं कि इन 6 हजार राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारियों को क्यों हड़ताल करनी पड़ी ? परसो इसी हाउस में बैंकों के निजीकरण करने के लिये एक विधेयक पारित किया। सन 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उसके बाद हजारों बैंकों की शाखाएं हमारे देश के कोने-कोने में खोली गई और हर गांव में इसकी सुविधा दी गई थी, लेकिन आज क्या मजबूरी हुई कि जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था उन बैंकों को सिर्फ हमारे देश के उद्योगपतियों को ही नहीं बल्कि विदेशी उद्योगपतियों को बेचने के लिये सरकार काम कर रही है। यह बैंकों का निजीकरण नहीं करेंगे, इस सवाल को हमने जब इसी हाउस में उठाया था तो प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने हमको बताया था कि नेशनलाइज बैंकों को डिनेशनलाइज और प्राइवेटाइज नहीं करेंगे। लेकिन आज क्या हो गया कि इसको आज निजीकरण करने का काम इस सरकार ने शुरू कर दिया है और यह जो हो रहा है हमारे देश के बैंकों को बेचने का काम हो रहा है और आज तमाम हमारे देश के बैंकों के कर्मचारी इसके खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। आज बैंकों का सब काम ठप्प हो गया है। . . . **(व्यवधान)**

* अध्यक्ष पीठासीन के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छी हिन्दी में बताया है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम चाहते हैं कि सरकार ने जो बैंकों को निजीकरण करने का काम किया हैं, बैंकों को बेचने का जो काम किया है इसको तत्काल बंद करे और जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं इनमें सुधार लाने के लिए काम करें **(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मेरा कहना यह है कि सरकार खादों पर सब्सिडी की घोषणा शीघ्र करें। अत्यंत खेद का विषय है कि खरीफ की फसल बोने का समय नजदीक आ जाने के बावजूद भी वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय एवं उर्वरक तथा रसायन मंत्रालय की आपसी असहमति के कारण अभी तक सरकार द्वारा पोटेशियम और फास्फेट आधारित खादों पर सब्सिडी का निर्णय नहीं लिया जा सका है। जिसके कारण देश के करोड़ों किसानों में चिन्ता एवं रोष व्याप्त है। यह इसलिये भी आवश्यक है कि बुआई के पहले ही खेतों में खाद का प्रयोग शुरू हो जाता है।

1994-95 का बजट पेश होने के बाद से ही खाद उद्योग से जुड़े लोग इन खादों पर सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। अतः सरकार से अनुरोध है कि फास्फेट और पोटेशियम आधारित खादों पर 1500/- प्रति टन की सब्सिडी दी जाये जिससे किसानों को डी.ए.पी.. एम.ओ.पी. तथा खाद उचित कीमत पर मिल सके और खाद निर्माता को भी घाटा नहीं सहना पड़े।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने सदन की इस असूचीबद्ध कार्यवाही को आधे घंटे के समय में करने में सहायता की है हम उनका धन्यवाद करते हैं। कल और परसो इस सत्र के आखिरी दो दिन है। आपको कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए और अधिक समय मिल जायेगा। लेकिन आज अब हम अगली मद पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, जो पृथ्वी पर स्टेटमेंट देना था उसका क्या हुआ ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य देने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ समय मांगा है। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.30 बजे म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ : -

(1) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) राष्ट्रीय भवन निर्माण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए - देखिए संख्या एल.टी. 5884/94)

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआंर्डो फैलीरो) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुड़गांव का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए - देखिए संख्या एल.टी. 5885/94)

(3) आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे : -

(1) विवरण संख्या 38 - दसवां सत्र, 1988 आठवी लोग सभा

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5886/94)

(2) विवरण संख्या 34 - ग्यारहवां सत्र, 1988

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5887/94)

(3) विवरण संख्या 27 - बारहवां सत्र, 1988

(ग्रं लय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5888/94)

(4) विवरण संख्या 25 - चौदहवां सत्र, 1989

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5889/94)

(5) विवरण संख्या 24 - तीसरा सत्र, 1990

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5890/94)

(6) विवरण संख्या 20 - पहला सत्र, 1991

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5891/94)

(7) विवरण संख्या 17 - दूसरा सत्र, 1991

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5892/94)

(8) विवरण संख्या 15 - तीसरा सत्र, 1992 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5893/94)

(9) विवरण संख्या 13 - चौथा सत्र, 1992

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5894/94)

(10) विवरण संख्या 10 - पांचवां सत्र, 1992

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5895/94)

(11) विवरण संख्या 9 - छठा सत्र, 1992

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5896/94)

(12) विवरण संख्या 5 - सातवां सत्र, 1993 दसवीं लोक सभा

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5897/94)

(13) विवरण संख्या 3 - आटवां सत्र, 1993

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5898/94)

(14) विवरण संख्या 2 - नौवां सत्र, 1994

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5899/94)

कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत अधिसूचनाएं आदि।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ : -

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) लागत लेखा अभिलेख (वस्त्र) संशोधन नियम, 1994, जो 19 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 29(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा इसका एक शुद्धि पत्र जो 30 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 344 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कम्पनी (केन्द्रीय सरकार) सामान्य नियम और प्रारूप (संशोधन) नियम, 1994, जो 1 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 286(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5900/94)

(2) लागत और संकर्म अकाउंटेट अधिनियम, 1959 की धारा 39 की उपधारा (5) के अंतर्गत लागत और संकर्म अकाउंटेट (संशोधन) विनियम, 1993, जो 25 सितम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूआर(1)/93 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5901/94)

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अंतर्गत 1 जनवरी, 1992 से 31 दिसम्बर, 1992 तक की अवधि के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के क्रियान्वयन से संबंधित बाईसवें वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5902/94)

(4) 1947 से पूर्व के कतिपय केन्द्रीय अधिनियमों, 1993 के निरसन के बारे में विधि आयोग के एक सौ अड़तालीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5903/94)

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचनाएं राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा आदि।

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ : -

(1) अधिसूचना संख्या का.आ. 277 (अ), जो 31 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अंतर्गत मैसर्स लिली बिस्कुट कंपनी (प्राईवेट) लिमिटेड और मैसर्स लिली बारले मिल्स (प्राईवेट) लिमिटेड, कलकता का प्रबंध ग्रहण करने की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च, 1995 तक करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) अधिसूचना संख्या का.आ. 278 (अ), जो 31 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उद्योग (विकास और विनिमय) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अंतर्गत मैसर्स अपोलो जिप्पर कंपनी प्राईवेट लिमिटेड कलकता का प्रबंध ग्रहण करने की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च, 1995 तक करने के बारे में हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5904/94)

(3) (एक) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखी गई - देखिए संख्या एल.टी. 5905/94)

(4) (एक) भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, ठाणे के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रबड़ विनिर्माता अनुसंधान संघ, ठाणे के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखे गए - देखिए संख्या एल.टी. 5906/94)

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : श्रीमती मार्गरेट अल्वा की ओर से मैं प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं : -

(1) हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1994, जो 31 जनवरी, 1994 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1994, जो 31 जनवरी, 1994 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1994, जो 31 जनवरी, 1994 के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1994, जो 1 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 288 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गए - देखिए संख्या एल.टी. 5907/94)

12.31 म.प.

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(1) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1994 को, जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 3 मई, 1994 की बैठक में पारित किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।''

(2) ''राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे वित्त विधेयक, 1994 को, जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 6 मई, 1994 की बैठक में पारित किया गया था, और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।''

12.32 म.प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

9. श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकूर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.32¼ म.प.

शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति

सातवां प्रतिवेदन

श्री पाला के.एम. मैथ्यू (इदुक्की) : मैं राष्ट्रीय परती भूमि विकास-ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत प्रस्तुत करता हूँ।

12.32½ म०प०

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

छठा प्रतिवेदन

श्री द्वारका नाथ (करीमगंज) : मैं वस्त्र मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994-95) के संबंध में वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.33 म.प.

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) न्यायालय की अवमानना से बचने हेतु भारत की आकस्मिक निधि में से धनराशि के आहरण के बारे में

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : औद्योगिक विकास विभाग को उद्योग निदेशक, अंडमान और निकोबार प्रशासन के जरिये मैं. सेंडेल रिसोर्ट्स लि. और लघु उद्योग एसोसिएशन, अण्डमान और निकोबार को केन्द्रीय निवेश राजसहायता के रूप में 42,80,499/- रुपये (केवल बयालिस लाख अस्सी हजार चार सौ निन्यानवे रुपये) की राशि का भुगतान करना है। 1971 में शुरू की गई केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना 01.10.1988 में समाप्त कर दी गई थी, अतः इस संबंध में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। किन्तु, इस विभाग को कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 27.09.1993/08.10.1993 के निर्णय के अनुपालन में उपर्युक्त दोनों पार्टियों को उनके द्वारा दायर की गई मानहानि संबंधी याचिकाओं से बचने के लिए उक्त राशि का भुगतान करना जरूरी है।

12.34 म.प.

(दो) यमन तथा रूवांडा से भारतीयों का निष्क्रमण

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :

एक : यमन से भारतीयों को निकालना

महोदय,

6 मई, 1994 को एक वक्तव्य में सरकार ने यमन गणराज्य की आन्तरिक स्थिति के तेजी से बिगड़ने पर अपना खेद व्यक्त किया था तथा शान्तिपूर्ण स्थिति की बहाली और 20 फरवरी, 1994 के अमन समझौते के आधार पर यमन के दो भागों के बीच मतभेदों के समाधान की अपील की थी। यमन में व्यापक संघर्षों जिसमें दोनों पक्षों की ओर से हवाई हमले भी शामिल हैं, की खबरें मिलती रही हैं। ये संघर्ष जारी हैं और इस समय ऐसा कोई भी संकेत नहीं है कि किसी भी मध्यस्थता के प्रयास का कोई प्रभाव है। चूंकि असैनिक जनता जोखिम में है इसलिए यमन में रह रहे विदेशियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यमन में भारतीय राष्ट्रिकों ने वहां से निकलने के लिए हमारी सहायता मांगी है और उनके लिए प्रबन्ध किए गए हैं।

साना में हमारे राजदूत ने इस संकट के शुरू होने से ही भारतीय समुदाय के साथ निकट सपंर्क बनाया हुआ है तथा वे विदेश मंत्रालय के साथ भी नियमित संपर्क में हैं। उन्हें वर्तमान कठिन परिस्थितियों में सभी संभव सहायता देने का निदेश दिया गया है।

किए गए प्रबन्धों का ब्यौरा देने से पहले मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि अद्यतन खबरों से यह पता चलता है कि हमारे राष्ट्रिकों को जान-माल की कोई हानि नहीं हुई है।

महोदय, यमन में भारतीय राष्ट्रिकों का अनुमानित ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार हैं :

यमन (दक्षिण)	
एडेन शहर	150 - 200
यमन (उत्तर)	
साना	3,000
होदैदा	300-400
तैज	800

इसके अतिरिक्त कुच्छंक मों भारतीय राष्ट्रिक यमन के तेल क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। यमन में भारतीय नागरिकों की कुल संख्या लगभग 7,000 है।

भारतीय राष्ट्रिको की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जो भारतीय राष्ट्रिक स्वदेश चाहते हैं उन्हें शीघ्र ही वहां से निकाला जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एअर इंडिया तथा भारतीय वायु सेना के विमान आज से भारतीय राष्ट्रिको लाने के लिए साना की ओर आवश्यक उड़ान भरेंगे। हमें उम्मीद है कि इस तरीके से हम उन 650 लोगों को निकाल सकेंगे जिन्होंने इस सुविधा के लिए राजदूतावास से संपर्क किया है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त उड़ाने भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त भारतीय जहाजरानी निगम के एक जलयान को भी लाल सागर में यमन के होदैदा पत्तन से हमारे राष्ट्रिकों को निकालने के कार्य में लगाया जा रहा है। यह 13 मई को पहुंचेगा और 1000 से भी अधिक लोगों को वहां से ला सकेगा। यदि स्थिति की मांग हुई तो हमारे राष्ट्रिकों को निकालने के लिए और प्रबन्ध भी किए जाएंगे।

अभी तक दूसरे भिन्न देशों के जहाजों द्वारा लगभग 60 भारतीय राष्ट्रिकों को एडन से निकालकर द्जीबूटी पहुंचा दिया गया है। जिनको कोंसली सहायता की जरूरत है। उन्हें आवश्यक सहायता दी जा रही है।

मैं सदन को पुनः यह आश्वासन देना चाहूंगा कि यमन से हमारे राष्ट्रिकों को निकालने के लिए सभी संभव सहायता देने में सरकार कोई कसर नहीं उठा रखेंगी। गहन सशस्त्र संघर्ष के कारण यह एक नाजुक कार्य हैं परन्तु हमें विश्वास है कि हम स्थिति की मांग के अनुसार सब कुछ कर सकेंगे। स्थिति अस्पष्ट बनी हुई है क्योंकि लड़ाई की परस्पर विरोधी खबरें आ रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि शान्तिपूर्ण स्थितियां तेजी से बहाल होंगी और वर्तमान दुखदः संघर्ष समाप्त हो जाएगा।

दो : रूवांडा से भारतीयों को निकालना

महोदय,

सरकार ने रूवांडा तथा बुरुंडी में हाल की हिंसक वारदातों पर 8 अप्रैल, 1994 को अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। रूवांडा में गृह युद्ध भड़कने के साथ ही स्थिति व्यापक आयाम अख्तियार करने लगी क्योंकि उस देश में कुच्छेक सौ भारतीय राष्ट्रिकों का हित कल्याण चिन्ता का विषय बन गया था। 29 अप्रैल, 1994 को माननीय श्री काशीराम राणा ने वहां हिंसा भड़कने के परिणामत: हमारे राष्ट्रिकों की सहायता करने का प्रश्न उठाया था ; मैं उन घटनाओं की तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी सदन को देना चाहूंगा।

कम्पाला में हामरे हाई कमिश्नर जो कि रूवांडा तथा बुरूंडी के लिए भी प्रत्यायित हैं, प्रारम्भ से ही भारतीय समुदाय तथा विदेश मंत्रालय के साथ नियमित सम्पर्क बनाए हुए थे। जैसे ही इस बात का अन्दाजा लगा कि हमारे राष्ट्रिकों के लिए रूवांडा छोड़ना अनिवार्य हो सकता है तो सरकार ने फ्रांस, बल्गोरिया तथा अमरीकी प्राधिकारियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से भारतीय समुदाय की सहायता की मदद करने का अनुरोध किया संकट के समय यह एक सामान्य प्रथा है विशेषरूप से जब आवासी मिशन न हो। इस प्रकार के अनुरोध नई दिल्ली, पेरिस तथा कम्पाला में किए गए थे। बड़ी संख्या में भारतीय रूवांडा की राजधानी किगाली छोड़कर एक अमरीकी रक्षक दल के साथ बुरूंडी की राजधानी बुजुम्बुरा चले गए ; फ्रांस ने 81 व्यक्तियों को तथा बेल्जियम ने सात अन्य व्यक्तियों को विमान से निकाला, बीस व्यक्ति स्वयं सड़क के रास्तें से निकल गए। तथापि, हमारे हाई कमिश्नर की सलाह के बावजूद भी प्रारम्भ में कुछ भारतीयों ने रूवांडा में रहने का ही फैसला किया था, और तभी से हमें यह सूचित किया जाता रहा है कि अधिकांश भारतीय राष्ट्रिक रूवांडा से सुरक्षित निकल गए हैं सिवाय चेरिटी ऑफ मिशनरीज की तीन ननों के जिनके बारे में यह समझा जाता है कि वे अपनी निगरानी में रूवांडा की यतीमों की बड़ी तादात को छोड़कर जाने की इच्छुक नहीं हैं।

बुरूंडी में भारतीय समुदाय के सदस्य रूवांडा की सीमा पर मौजूद थे ताकि वे रूवांडा से निकलकर आए लोगों की मदद कर सकें। उन्होंने अप्रवासन औपचारिकताएं पूरी करने तथा बुजुम्बुरा में भारतीय परिवारों के साथ ठहरने की व्यवस्था करने में मदद की। सामूहिक भोजन का भी प्रबन्ध किया गया। कम्पाला में स्थित हमारे मिशन ने बुजुम्बुरा में आवश्यक यात्रा दस्तावेज देने का प्रबन्ध किया ताकि ये लोग और आगे यात्रा कर सकें। बुजुम्बुरा से कई व्यक्ति चार्टर्ड तथा वाणिज्यिक उड़ानों से नैरोबी चले गए। नैरोबी में हमारे हाई कमीशन ने रूवांडा तथा बुरूंडी से वहां आने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की सहायता के लिए तथा निगरानी, स्वागत तथा कौंसली सेवाएं देने के लिए कौंसली कर्मचारियों को हवाई अड्डे पर तैनात किया। हालांकि इनमें से कुछ व्यक्ति इस क्षेत्र में अन्यत्र तथा भारत आ गए हैं लेकिन अन्य व्यक्तियों ने नैरोबी में ही रहना चाहा है।

महोदय, हालांकि रूवांडा अथवा बुरूंडी में हमारा कोई आवासी मिशन नहीं है फिर भी कम्पाला में हमारे हाई कमिश्नर तथा उनका दल रूवांडा से बिना किसी क्षति के भारतीय राष्ट्रिकों को निकालने में सफल रहा तथा उन्हें इस बात में भी सफलता मिली कि चिन्ता और दु:ख की इस घड़ी में हामरे इन राष्ट्रिकों को आवश्यक सहायता और सुविधा देने के लिए भारतीय समुदाय मिल कर कार्य करें। हमारे मिशनों ने हमारे पासपोर्ट कार्यालयों को भी उन्हें ज्ञात उन मामलों के ब्यौरे दिए हैं जिनमें और सेवाओं के लिए अनुरोध किए जा सकते हैं।

कम्पाला तथा नैरोबी में हमारे दोनों मिशनों ने यह सुनिश्चय करने का भरसक प्रयास किया है कि संकट की इस घड़ी में भारतीय राष्ट्रिकों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों को सहायता मिले। सरकार बेल्जियम, फ्रांस तथा अमरीका की ओर से प्राप्त उदार तथा सामयिक सहायता के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहती है।

पिछले सप्ताह बुजुम्बुरा में हमारे हाई कमिश्नर मौजूद थे जहां हमारे कुछ राष्ट्रिकों ने ठहरने का फैसला किया है। अपेक्षित और कोंसली सेवाएं भी मुहैया कराई गई तथा बुरूंडी में स्थानीय स्थिति का जायजा लिया गया क्योंकि वहां भी तनाव व्याप्त है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि अहमदाबाद स्थित हमारे पासपोर्ट कार्यालय को दो दिन पूर्व ही, 9 मई, 1994 को रूवांडा से आए एक व्यक्ति से डुप्लीकेट पासपोर्ट के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है। इस पर शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही की जा रही हैं।

महोदय, रूवांडा में स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। जबसे संघर्ष शुरू हुआ है तभी से संपत्ति की लूटपाट होती रही है। जिसमें भारतीयों की सम्पत्ति भी शामिल है हालांकि लूटपाट की इस कार्रवाई में भारतीयों को लक्ष्य नहीं बनाया गया है। स्थिति स्पष्ट हो जाने पर हम रूवांडा के प्राधिकारियों से यह अनुरोध कर सकेंगें कि वे भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति की सुरक्षा करें।

12.40 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : महोदय, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह अत्यन्त दूरस्थ एक पृथक पिछड़ा हुआ राज्य क्षेत्र है। वहां पर मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल की अत्यन्त कमी है। पोर्ट ब्लेयर तथा कार निकोबार द्वीपसमूह को छांड़कर शेष किसी भी जगह पेट्रोल पम्प या मिट्टी के तेल का डिपो नहीं है। जहां से लोग अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पेट्रोल, मिट्टी का तेल, या डीजल ले सकें। पिछले दो महीनों से डिगलीपुर, मायाबन्दर, लिटिल अंडमान, कैम्पबेल बे, नौन कोरी, कटचाल तथा अन्य द्वीपसमूहों में इन उत्पादों की काफी कमी है। चूंकि फैरी नौकाएँ इन चीजों को नहीं ढोती है इसलिए इन द्वीपसमूहों के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, सरकार विभिन्न द्वीपसमूहों के लिए सभी आवश्यक वस्तुएँ, लाने ले जाने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं कर सकी हैं। बहुत से स्थानों पर गरीब ग्रामीण लोगों तथा आदिवासी लोगों को शाम को अपने घरों में दिया जलाने के लिए भी तेल नहीं मिल पाता है। वहां पर एक गम्भीर स्थिति है। जिसका कोई समाधान नहीं हुआ है। इसलिए मैं, सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वहाँ पर भारतीय तेल निगम का एक दल भेजा जाये जो इन द्वीपसमूहों को पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करे जिससे कि इन द्वीपसमूह के जरूरतमंद लोगों को इन वस्तुओं की सप्लाई के लिए आवश्यक प्रबन्ध किया जा सके।

(दो) आन्ध्र प्रदेश में एक अल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता।

श्री राम कृष्ण कोंताला (अनकापल्ली) : महोदय भारतीय भूगर्भम सर्वेक्षण विभाग तथा खनिज अन्वेषण निगम ने पता लगाया है कि आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, पूर्वी गोदावरी तथा श्रीकाकुलम जिलों में बाक्साइड के 700 मिलियन टन के भंडार हैं। जो देश के ऐसे कुल भंडारों का 50 प्रतिशत से अधिक है। आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने बाक्साइड भण्डारों को ध्यान में रखते हुए एक अल्युमिनियम कारखाना लगाने की संभावना का अध्ययन किया था और 1977 में सिफारिश की थी कि विशाखापत्तनम जिले में कृष्णा थीविपेटा के निकट कोरूकोंडा गांव में 6 मिलियन टन क्षमता का एक अल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित किया जाये। भारत अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड ने संभाव्यता का अध्ययन किया था और इसके लिए उड़ीसा में कोरापुट के पास तथा दूसरा आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में कृष्णाथीविपेटा के निकट दो स्थानों का पता लगाया था। आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पहले ही 2,433 एकड़ भूमि की उपलब्धता की पुष्टि कर दी है और पानी बिजली, तथा अन्य जरूरतों यदि कोई है तो पेशकश की है।

जनवरी, 1986 में, भारत-सोवियत संयुक्त आयोग ने निर्यातों-उन्मुखी बाक्साइड के लिए प्रस्तावित बाक्साइट आधारित एल्युमिनियम संयंत्र की रूपात्मकता तथा गुंजाइश का अध्ययन किया है। नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड तथा यू.एस.एस.आर. के बीच 24.1.1986 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये थे। तदन्तर 1986 में नालकों के प्रबन्धकों को व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था और तदन्तर 'नालकों' ने अपने निर्यातोउन्मुखी खनन कार्य को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने भी खनिज अधिकार करके भुगतान पर छूट देने का प्रस्ताव किया लेकिन 1988 से अब तक इस संयंत्र के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं गई है।

मैं केन्द्रीय सरकार से शीघ्रातिशीघ्र इस मामले पर कार्यवाही करने तथा प्रस्तावित एल्यूमिना/एल्यूमिनियम संयंत्र को 'नालको' अथवा बोलको' के यथाशीघ्र सौंपने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) वायनाड जिले में समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति देने की आवश्यकता।

* **श्री वी.एस. विजयराघवन** (पालघाट) : महोदय केरल के वायनाड जिले में समन्वित बंजर भूमि विकास योजना क्रियान्वित करने हेतु केरल सरकार का एक प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित है। इस योजना के अन्तर्गत 4,500 हेक्टेयर भूमि आती है। जिसमें से 500 हेक्टेयर भूमि निम्न श्रेणी की वन भूमि है। इस योजना की कुल लागत लगभग चार करोड़ रुपए है।

विकेन्द्रीकृत बागवानी का विकास, मिट्टी एवं आर्द्रता परिरक्षण, वनरोपण और सामाजिक वानिकी

* मूलरूप से तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

शुष्क भूमि बागवानी, निम्न श्रेणी के वन पुनःरोपण और ईंधन लकड़ी का वितरण, आदि कुछ कार्यक्रम इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किए जायेंगे।

यह योजना वायनाड जिले के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि राज्य का एक बहुत ही

पिछड़ा हुआ जिला है। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें।

(चार) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मछुआरों की आवश्यकताओं का आकलन करने की आवश्यकता।

डा. विश्वनाथ कैंथनिथी (श्री काकुलम्) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मत्स्यन उद्योग अर्ध-विकसित स्थिति में है। देश के तटीय क्षेत्रों के अन्य भागों की तुलना में इस क्षेत्र के मछुआरों को उपलब्ध सुविधाएँ तथा आधारभूत सुविधाएँ अत्यधिक नगण्य हैं। इस जिले में तटरेखा 175 किलोमीटर से अधिक है और जिसमें मछुआरों के 105 गांव हैं जिनमें 23,000 से अधिक परिवार रहते हैं। मछली पकड़ने को प्रोत्साहित करने के लिए इस सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र में कोई भी मशीनीकृत नावें नहीं हैं।

किनारों पर नावों को ठहराने के लिए कोई भी स्थान नहीं बनाये गये हैं। मछलियों के भण्डारण और परिरक्षण के लिए गांवों में कोई भी सुविधायें उपलब्ध नहीं है।

कुछ गाँवों में तो समस्त ऋतुओं के प्रयोजन हेतु सड़के भी उपलब्ध नहीं हैं।

सरकार ने दो मत्स्य बन्दरगाहों की व्यवस्था करने की योजना बनाई थी परन्तु धन की कमी के कारण इसको कार्यस्थ नहीं दिला सका।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस पिछड़े जिले के मछुआरों की आवश्यकताओं का आकलन करे और लोगों का जीवन-स्तर सुधारने तथा पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने हेतु तुरन्त कार्यवाही करें।

(पांच) अहमदाबाद शहर में पाइप लाइन द्वारा खाना पकाने की गैस की आपूर्ति शीघ्र करने की आवश्यकता।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, अहमदाबाद नगर के पाईप प्रणाली द्वारा एल.पी.जी. गैस की आपूर्ति करने की जोरदार मांग की जा रही हैं। इससे अहमदाबाद नगर की अर्थ-व्यवस्था को प्रतिक्षित संवर्धन मिलेगा। गुजरात में कई स्थानों पर गैस के भण्डार मिले हैं। इस संबंध में एक विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट भी पहले ही सरकार को दी जा चुकी है। यह भी समझा जाता है कि गैस प्राधिकारियों ने परियोजना को अन्तिम रूप दिया है परन्तु अहमदाबाद नगर को पाईप प्रणाली से गैस आपूर्ति की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है।

अतैव मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस मामले की ओर ध्यान दें।

[हिन्दी]

(छः) उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर सुपरफास्ट गाड़ियों का ठहराव उपलब्ध कराने की आवश्यकता

डा. रमेश चन्द तोमर (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर गाजियाबाद जनपद की जनता पिछले कई वर्षों से लगातार मांग करती आ रही है कि सरकार सुपर फास्ट दोनों को गाजियाबाद स्टेशन पर केवल 5 मिनट के लिये रोके जिससे क्षेत्र के लोगों को इन ट्रेनों को पकड़ने के लिये राजधानी दिल्ली न आना पड़े। इससे समय की बचत होने के साथ साथ व्यापारी वर्ग को भी राहत मिलेगी।

माननीय रेल मंत्री जी जी से अनुरोध है कि गाजियाबाद जनपद जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है, में गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर सुपर फास्ट गाड़ियों को रोकने की व्यवस्था शीघ्र की जाये ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके।

(सात) बिहार में बरहादाना रेलवे लाइन पर चैनपुर गझांदी और गुरप्पा रेलवे स्टेशनों पर ऊपरि पुलों के निर्माण की आवश्यकता।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हज़ारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में पूर्वी रेलवे के अंतर्गत गोमों से बड़हादाना रेलवे लाईन के बीच चैनपुर स्टेशन, जहां पर कोल इंडिया ओर टाटा का कोयले की लदाई होती है, ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण आम जनता को बहुत कठिनाई होती है। कभी-कभी चार-चार, पांच-पांच घंटे गाड़ियां रूक जाती हैं। ठीक उसी प्रकार ग्रांड कोड लाइन में गझन्डी और गुरपा स्टेशन में ओवर ब्रिज नहीं रहने के कारण यही स्थिति बनी रहती हैं। आम जनता ने तीनों रेलवे स्टेशनों पर ओवर ब्रिज बनाने हेतु कई बार आन्दोलन भी किया है और रेलवे विभाग के पदाधिकारियों द्वारा बार-बार ओवर ब्रिज बनाने का आश्वासन मिला है लेकिन आज तक इस संबंध में कोई उपयुक्त कार्रवाई नही की गयी है। इस इलाके के आम लोगों में तीनों स्टेशनों पर ओवर ब्रिज नहीं बनाने के चलते काफी आक्रोश हैं।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि चैनपुर, गझन्डी और गुरपा में तुरंत ओवरब्रिज बनवाने की व्यवस्था की जाये।

(आठ) मध्य प्रदेश के रीवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर स्थित देयूर गांव में ऐतिहासिक स्थल को बौद्ध केन्द्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता।

श्री भीम सिंह पटेल (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के जिला रीवा अन्तर्गत ग्राम देयूर के समीप में कई वर्षों पूर्व अत्यंत प्राचीन और महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप एवं शिलालेख पाये गये थे। यह स्थान रीवा और इलाहाबाद (प्रयागराज) के बीच दोनों शहरों से बराबर की दूरी पर अत्यंत मनोरम पहाड़ी पर राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 27 से लगभग 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस स्थान से इसी जिले के दो प्रसिद्ध केउटी और चचाई नामक जल प्रपात लगभग 20 और 35 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं जहां पर पर्यटक आते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 27 पर एक बोर्ड लगाने के अलावा विकास के नाम पर इस स्थान के लिये अभी तक कुछ भी नहीं हुआ हैं। यदि इस स्थान का समुचित विकास किया जाये तो यह स्थान देश-विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन सकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस ऐतिहासिक स्थान को पर्यटन स्थान के रूप में स्थापित करने के लिए शीघ्र कदम उठाये जायें। इस स्थान को देश के अन्य तमाम बौद्ध पर्यटन स्थनों की तरह महत्व देकर संरक्षण और विकास किया जाये ताकि पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले व इस पिछड़े जिले व क्षेत्र का विकास हो सके तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके।

12.50 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

(तीन) खाड़ी के देशों में नियोजित भारतीयों की मृत्यु

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) :

महोदय,

21 अप्रैल, 1994 को राज्य सभा में विशेष उल्लेख में व्यक्त माननीय सदस्यों की भावनाओं पर मैंने गौर किया है तथा मैं खाड़ी के देशों में नियोजित भारतीयों की मृत्यु से संबंधित विषय पर स्थिति से सदन को अवगत कराना चाहता हूं।

महोदय, खाड़ी के देशों के साथ भारत के संबंधों में सौहार्द, मैत्री तथा सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंधों की एक लम्बी परम्परा हैं। खाड़ी में अनुमानतः 20 लाख भारतीय राष्ट्रिक रहते हैं जिन्होंने अपनी सेवाओं के जरिए अपने-अपने मेजबान देशों में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान किया है तथा वे 7800 करोड़ रुपयं से भी अधिक की रकम हर वर्ष भारत में भेजते हैं। खाड़ी के देश हमारे निर्यातों के लिए पर्याप्त तथा विविध मण्डी उपलब्ध कराते हैं और हमारे तेल आयातों का लगभग दो-तिहाई भाग इन देशों से आता है। इस प्रकार खाड़ी के देश हमारी वैदेशिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

बड़ी संख्या में भारतीय इन देशों में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्वयं वहां जाते हैं। खाड़ी में श्रम-मण्डी एक प्रतियोगी मण्डी है और बहुत से अन्य देशों के लोग भी वहां कार्य कर रहे हैं। वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोग देश के विभिन्न भागों से तो हैं लेकिन दक्षिण के राज्यों के लोगों की पर्याप्त संख्या है।

1992 की तुलना में 1993 में खाड़ी की भारतीयों की संख्या में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि सभी भारतीयों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे देश में स्थित भारतीय मिशन में अपने नाम दर्ज करवा लें लेकिन सच्चाई यह है कि उन लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो ऐसा नहीं करते। हमारे मिशनों द्वारा एकत्र सूचना के आधार पर इस अवधि के दौरान खाड़ी में भारतीयों की मृत्यु की संख्या में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 1992 में 1826 लोगों की मृत्यु हुई थी जबकि 1993 में यह संख्या बढ़कर 2100 हो गई।

महोदय, इस संदर्भ में उठने वाले मसलों का संबंध खाड़ी के देशों में भारतीय कामगारों को उपलब्ध सुरक्षा तथा उन क्रिया-विधियों से है जिनका पालन किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में किया जाता है। माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमें मेजबान देशों के कानून और क्रियाविधियों का उसी ढंग से सम्मान करना होता है जिस ढंग से हम दूसरों से आशा करते हैं कि वे भारत में रहते हुए हमारे कानून और प्रक्रियाओं का सम्मान करें। तथापि, विदेश स्थित हमारे मिशन संबंधित विदेशी सरकारों से नियमित सम्पर्क बनाये रखते हैं ताकि संबंधित देशों में भारतीय कामगार के हित कल्याण का सुनिश्चय और उनकी स्थितियों को बेहतर बनाया जा सके। ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं जिनमें मिशन ने अपने सद्भाव का प्रयोग किया तथा प्रायः स्थानीय सरकार और अन्य प्राधिकारियों की सहायता से समस्याओं के समाधान में सहायता की।

हमारे सभी मिशनों तथा केन्द्रों को विस्तृत हिदायतें दी गई हैं कि उन्हें किसी भारतीय राष्ट्रिक की मृत्यु

के मामले में क्या - क्या कदम उठाने चाहिए। खाड़ी के देशों में भारतीयों की संख्या को देखते हुए हमारे मिशनों को अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होती है। हमारे मिशनों को किसी भारतीय की मृत्यु से संबंधित सूचना विभिन्न स्रोतों में से किसी एक से प्राप्त होती है अर्थात् स्थानीय नियोजक/प्रायोजक मेजबान देश अथवा भारत में मृतक के रिश्तेदारों, मित्रों अथवा सहयोगियों से तथा कुछ मामलों में स्वयं माननीय सदस्यों से भी, कभी-कभी यह सूचना अत्यधिक विलम्ब से प्राप्त होती है। मिशन को जैसे ही मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त होती है वह तत्काल मृतक के निकट संबंधियों को सूचित करके पार्थिव शरीर की अन्त्येष्टि के बारे में उनसे हिदायतें मांगता है।

विदेश के कानून के अनुसार जहां कहीं श्रम-संविदा में भारतीय कामगार के शव को नियोजक के खर्च से लाने की व्यवस्था होती है वहां मिशन शव को शीघ्र लाने के लिए नियोजक तथा स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाता है। उड़ान के विवरण सभी संबंधित को फैक्स/टेलेक्स द्वारा सूचित कर दिये जाते हैं।

स्थानीय कानून और नियोजक तथा भारतीय कामगार के बीच श्रम-संविदा के अनुसार मृतक के व्यक्तिगत सामान को लाने के लिए भी सहायता दी जाती है।

यदि मृतक भारतीय राष्ट्रिक का परिवार उसके शव को भारत लाना चाहता है तथा यदि इसके संबंध में कोई संविदा न भी हो तो भी मिशन इसका खर्चा वहन के लिए प्रायोजक को राजी करने का प्रयास करता है अथवा स्थानीय भारतीय एसोशियेशनों से सहायता देने की अपील करता है। यदि ये प्रयास सफल नहीं होते तो मृतक के निकटतम संबंधियों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम पासपोर्ट कार्यालय अथवा विदेश मंत्रालय के पास अनुमानित खर्च जमा कर दें और मृतक के शव को लाने के प्रबन्ध को मिशन द्वारा सुविधाजनक बनाया जाता है। कुछ मामलों में मृतक के निकटतम संबंधी मेजबान देश में ही मृतक की अन्त्येष्टि करने का अनुरोध करते हैं तथा मिशन मृतक की अन्त्येष्टि का प्रबन्ध करने में सहायता करते हैं।

शवों को भारत भेजने से सम्बद्ध औपचारिकतायें पूरी करने और विधिक देनदारियों तथा जहां कही अनुमत्य हो, मृत्यु-मुआवजे का निपटरा करने का भरसक प्रयास किया जाता है। तथापि, बहुत से कारण हैं जिनसे कुछ मामलों में विलम्ब होता है। अस्वाभाविक मृत्यु अथवा गड़बड़ी के सन्देह के मामले में स्थानीय कार्यविधियां जटिल हैं तथा उनमें पर्याप्त समय लगता है। इसलिए मृत्यु के कारण को साबित करने और मुआवजा यदि कोई हो, की रकम को नियत करने के लिए जिम्मेदारी निश्चित करने में विलम्ब होता हैं।

ऐसे मामलों में हमारा मिशन छानबीन और पुनः छानबीन के अनुरोध के साथ मामला विदेशी सरकार के संबंधित प्राधिकारियों को भी भेजता है। तथापि, हमें यह बात माननी होगी कि संबंधित विदेशी सरकार की ऐजिन्सियों द्वारा जारी दस्तावेज उनकी अपनी विधिक व्यवस्था तथा क्रियाविधियों के अनुसार होने चाहिए।

1993 तथा अप्रैल, 1994 तक की अवधि के दौरान 1593 शव अथवा पार्थिव अवशेष खाड़ी के देशों से भारत भेजे गए थे। इनमें से 982 व्यक्तियों की मृत्यु स्वभाविक कारणों से हुई थी, 556 व्यक्तियों की मृत्यु दुर्घटना से, 9 की मृत्यु कत्ल के कारण, 3 को फांसी दी गई थी तथा 83 व्यक्तियों की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई थी। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि खाड़ी के देशों में भारतीय समुदाय की कुल संख्या के संदर्भ में कुल मृत व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है अर्थात् 1993 में प्रति हजार 1.5 हैं। भारत भेजे गए शवों में अधिकांश

व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी : सिद्ध दुर्घटनाओं को छोड़कर; अन्य अप्राकृतिक मृत्यु इस श्रेणी का 6 प्रतिशत ही हैं।

हमारे मिशन जहां कहीं सम्भव होता है, मुआवजे तथा विधिक देनदारियों का भुगतान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयास भी करते हैं। 1993 में मुआवजें के रूप में 8.47 करोड़ रुपये की रकम स्वदेश लायी गई थी, यह राशि ड्राफ्ट के रूप में भेजी जाती है और इनका भुगतान संबंधित जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से मृतक के कानूनी वारिसों को किया जाता है।

प्रायोजक/नियोजक द्वारा सहयोग न करना, श्रम-संविदाओं का न होना अथवा उनका त्रुटिपूर्ण होना अथवा इस तथ्य से भी कि प्रवासी कामगारों की कतिपय श्रेणियां संबंधित देश के श्रम-कानूनों के अधीन नहीं आती है, मृतक के शव को भेजने अथवा अन्य संबंधित मसलों को हल करने में विलम्ब होता हैं। बहुत से मामलों में भारत में मृतक के रिश्तेदारों की अनभिज्ञता से भी विलम्ब होता है क्योंकि वे मृतक के प्रायोजक/नियोजक का पूर्ण सम्पर्क पता, टेलीफोन नम्बर नहीं देते हैं विशेषत: सऊदी अरब में लम्बी दूरियां, दूर-दराज पर स्थित स्थान तथा बहुत से स्थानों में पहुंच न पाने के कारण भी मामला और पेचीदा बन जाता है। ऐसे मामले भी हैं जहां भारतीय कामगार अपने मूल नियोजक को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे के साथ गैर-कानूनी ढंग से कार्य करने लगते हैं और इसके परिणामत: प्रायोजक/नियोजक को इस बात के लिए राजी करना और भी मुश्किल हो जाता है कि वह मृतक के शव को भेजने का खर्च उठाये अथवा बिना किसी विलम्ब के देनदारियों का निपटारा करे।

कांसली तथा श्रम-स्कन्धों में कर्मचारियों की संख्या की कमी के बावजूद खाड़ी के देशों में हमारे मिशन संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों से बराबर सम्पर्क रखने का भरसक प्रयास करते हैं ताकि औपचारिकताओं को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके। हम इन मिशनों के लिए अतिरिक्त कर्मचारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और नि:सन्देह वित्त मंत्री हमारे अनुरोध पर गौर करेंगे।

परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के कारण व्यक्तिगत व्यथा के समय यह स्वाभाविक ही है कि मृत्यु के कारण की जांच करने तथा उचित मुआवजा दिलवाने का भरसक प्रयास किया जाता है। तथापि, मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात को स्वीकार करें कि खाड़ी में ऐसे भारतीयों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपने मेजवान देशों को अवसर सम्पन्न क्षेत्रों के रूप में देखते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें भारत में उसी परिमाण में यह अवसर उपलब्ध नहीं है। जब तक यह स्थिति जारी रहेगी, सरकार का यह प्रयास होगा कि संबंधित विदेशी सरकारों के साथ निकट से मशविरा तथा सहयोग करके खाड़ी में भारतीय राष्ट्रिकों को अधिक से अधिक सहायता दी जाय।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। हम सरकार के समक्ष बहुत बातों को लाना चाहते हैं। कृपया चर्चा की अनुमति दीजिए। हम उचित सूचना देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप उचित सूचना दीजिए। यदि समय हुआ तो हम विचार करेंगे।

12.59 म.प.

प्रतिलिप्याधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : हम मद सं. 14 पर अर्थात प्रतिलिप्याधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक को पारित करने के लिए विचार करेंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री कुमारी शैलजा : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित विधयेक पर विचार किया जाए।"

यह विधेयक 16 जुलाई 1992 को पुरःस्थापित किया गया था और 19 अगस्त, 1992 को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में इसे भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया था। संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और विधेयक 24 अगस्त 1992 को दी गई सिफारिशों के साथ सभा में प्रस्तुत किया गया।

समिति ने प्रशंसनीय कार्य किया है। इसने विधेयक के सभा खण्डों का गहन अध्ययन किया है। सरकार समिति के प्रति कृतज्ञ है कि इस तरह के जटिल विधेयक पर समिति ने अपना विचार अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर लिया है। संयुक्त समिति को विधेयक के विभिन्न खण्डों पर जनता के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों जो प्रतिलिप्याधिकार मुद्दों से जुड़े हैं और विशेषज्ञों के विचार बड़ी संख्या में प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त था। समिति ने 2 प्रस्तुत किए गए ज्ञापनों की जाँच की, जिनमें टिप्पणियां/सुझाव दिए गए थे। और समिति ने प्रतिलिप्याधिकार क्षेत्र के संगठनों के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लिए।

1.00 म.प.

एक या दो अपवादों को छोड़कर समिति की सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। 27 अपवादों पर मैं बाद में बोलूंगी। फिर भी इस चरण में, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि संयुक्त समिति की समग्र सिफारिशों पर सरकार का विशेष मतभेद नहीं है। समिति ने विधेयक पुरःस्थापित करने के पीछे सरकार के लक्ष्य का समर्थन किया है। यह सरकार लेखकों, कलाकारों के प्रतिलिप्याधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करना चाहती है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उनके आर्थिक हितों की रक्षा की जाए। अब मैं संयुक्ति समिति की सिफारिश के अनुसार सभा से अनुरोध करूँगी की विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मध्यांतर के बाद हम विधेयक पर आगे चर्चा शुरू करेंगे।

1.00 म.प.

तत्पश्चात्, लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

2.07 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 02.07 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रतिलिप्याधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक-(जारी)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसलिये विधेयक पेश किया है कि इसमें कॉपीराइट की अवधि यो तो 50 वर्ष हैं पर इसमें 50 वर्ष से 60 वर्ष की व्यवस्था करने का प्रावधान है। इसके बाद मेरा निवेदन यह है कि रवीन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों की कॉपीराइट की अवधि 10 वर्ष और बढ़ जाए इस कारण से इस विधेयक को यहां पर लाया गया है। रवीन्द्र साहित्य के प्रकाशन का अधिकार केवल विश्व भारती को है। यहां पर मेरा निवेदन यह है कि कॉपीराइट की अवधि 50 वर्ष से 60 वर्ष कर दी गई हैं, चाहे वह रचना, फिल्म, फोटो, रिकार्ड और सरकारी, अर्धसरकारी और अंतरराष्ट्रीय संस्था के दस्तावेज हो लेकिन ये विदेशों में अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार टैगोर की कृतियों का उपयोग खुले रूप से किया जा सकता है, मतलब वहां पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। विदेशो में इस प्रकार की जो टैगोर की कृतियां छपेंगी उन पर कॉपीराइट का असर नहीं होगा लेकिन भारतवर्ष में अगर कोई आयात करके इसको बेचना चाहे तो फिर इस पर कॉपीराइट का उल्लंघन होगा, मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार की विसंगति है।

महोदय, अगर विदेशों में कोई व्यक्ति उनकी पुस्तकों की नकल करता है, उसे छापता है और भारतवर्ष में अगर उन पुस्तकों को लाता है तो मैं समझता हूं कि उन पर कॉपीराइट का उल्लंघन होगा, इस प्रकार से मंत्री जी यह एक विसंगति है। भारतवर्ष में 10 वर्ष की जब आप छूट देने की व्यवस्था कर रहे हैं तो फिर वहां पर जो लोग अगर उस पुस्तक की नकल करें तो उनको 10 वर्ष की छूट नहीं देना और वहां से यदि कोई पुस्तक यहां पर लाता है तो कॉपीराइट का उल्लंघन होगा इस विसंगति की ओर भी आपका ध्यान जाना जरूरी है।

महोदय, अब अध्यादेश निकाला, यहां पर मुझे यह निवेदन करना है कि क्या विश्व भारती का कुलाधिपति प्रधानमंत्री होते हैं, मैं समझता हूं कि अध्यादेश निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी ऐसे रवीन्द्र नाथ टैगोर जी की कृतियों के बारे में सरकार को पहले से ही आभास होना चाहिये था कि उनकी कृतियों की निश्चित रूप से बिक्री होनी चाहिए। मेरा मतलब यह है कि कॉपीराइट की अवधि लेखक की मृत्यु या रचना प्रकाशन के 50 साल बाद तक की अन्य देशों में तय की गई है।

यहां पर केवल 10 वर्ष, की अवधि बढ़ा रहे हैं, इस विसंगति की ओर मंत्री महोदय ध्यान दें। सरकार ने 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष, अर्थात् 10 वर्ष कॉपीराइट की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव किया है, ताकि विशेषकर रवीन्द्रनाथ टैगोर की कृतियां जो हैं, वे 10 वर्ष तक प्रकाशित हो सके। इस प्रयोजन से जो यह बिल प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। और तो कोई विशेष बात इस बिल के अंदर नहीं हैं, लेकिन जो विदेशों में कॉपीराइट का अधिकार है और विदेशों से कापियां यहां पर लाई जाएगी, इस विसंगति को दूर करने का कष्ट करें, यही मेरी प्रार्थना है। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

डा. सुधीर राय (बर्दवान) **:** उपाध्यक्ष महोदय, प्रभावकारी प्रतिलिप्याधिकार सुरक्षा से बौद्धिक गतिविधि प्रशस्त होती है। कलाकारों, चित्रकारों, लेखकों आदि को राज्य और समाज द्वारा सुरक्षा दिय जाना चाहिए। इन लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि राज्य द्वारा उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा रही है। लेकिन, दुर्भाग्यवश, भारत में साहित्यिक चोरी व्याप्त है। और अपराधियों की कानून द्वारा गिरफ्तारी नहीं हो पाती क्योंकि कानूनों का कड़ाई से अनुपालन नहीं होता। मुझे आंशका है कि सिर्फ कानून को पारित कर देने भर से साहित्यिक चोरी पर रोक नहीं लग पाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दरअसल श्रीमती तसलीमा नसरीन ने एक किताब प्रकाशित की है; उनकी किताब भारत में उनका पूर्वानुमति के बगैर प्रकाशित हो रही है। यह प्रतिलिप्याधिकार कानून का खुलमखुल्ला उल्लंघन है।

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम वर्ष 1957 में सर्वप्रथम पारित हुआ था। उत्तरोतर कुछ संशोधन किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप कुछ सुधार हुए थे। अब, यह विधेयक कलाकारों, संगीतज्ञों आदि को सुरक्षा प्रदान करना चाहता है। हम यह भी पाते हैं कि यह प्रतिलिप्याधिकार विधेयक संगीतत्वों, लेखकों कलाकारों, चित्रकारों आदि को सुरक्षा प्रदान करता है। परिणामस्वरूप एक प्रतिलिप्याधिकार समिति का गठन किया जाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह प्रतिलिप्याधिकार समिति अपना कर्तव्य सक्षमतापूर्वक पूरा करेगी। वह सभी अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लेता हैं क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर या शरत चन्द्र चटर्जी एक रात में जन्म नहीं लेते हैं, इस तरह के साहित्यिक सृजन या रचना के लिए समर्पण और प्रर्याप्त समय की अपरिहार्य आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि समाज व सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। वे वित्तीय रूप से घाटे में रहेंगे। उनके हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा होनी चाहिए।

अब, यह विधेयक भारतीय संगीत के रचयिताओं को पर्याप्त रक्षा प्रदान करता है। क्योंकि पहले उन्हें यह सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। क्योंकि वे घूर्णन (रोटेशन) की पद्धति को अमल में नहीं लाते थे जिसे पाश्चात्य संगीत में अमल में लाया जाता है। यह विधेयक कार्यक्रम देने वाले कलाकारों की रक्षा करना चाहती है।

उनके प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की दृश्य और श्रव्य रेकार्डिंग के प्रतिलिप्याधिकार सुरक्षा की सुविधा प्राप्त होगी। यह विधेयक लेखक अधिन्यासकों अथवा अनुज्ञप्तिप्रदाताओं (लाइसेंसरों) को प्रतिलिप्याधिकार और लाइसेंस जारी करने की सुरक्षा प्रदान करती है। विधेयक का आशय प्रतिलिप्याधिकारियों के हितों की रक्षा करना और पुर्नमुद्रण को प्रभावित करने वाले तकनीकी विकास के संदर्भ में, उनके संगत अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ प्रतिलिप्याधिकार के क्षेत्र के अन्तर्गत फिल्मों की प्रतियों कम्प्यूटर कार्यक्रमों आदि को किराये पर देना अथवा बिक्री आदि को लाना है।

प्रतिलिप्याधिकार समितियां कानून को लागू करेंगी और यदि प्रतिलिप्याधिकार कानूनों का उल्लंघन होता है, तो वे रचनात्मक कार्रवाई करेंगी। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इससे सामाजिक नियंत्रण भी बढ़ेगा। मुझे हर्ष है कि सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। प्रस्तावित विधेयक अधिनियम

का विशुद्धता को बरकरार रखेंगी। प्रतिलिप्याधिकार विधेयक किसी भी प्रकार की विध्वंसक अथवा विकृति की कार्यवाही के विरुद्ध सुरक्षा का कार्य करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं इसमें कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा चूंकि यह ज्वाईट सिलेक्ट कमेटी से आया हुआ है इसलिए इसमें विवाद की जरूरत नहीं है। हमारी कुछ परेशानियां है जिनके बारे में मैं सफाई चाहूंगा। परेशानी यह है कि कापी राईट के पीछे जो मकसद है वह हम सब लोग जानते हैं। जो लेखक है, कलाकार है, गायक है या कोई भी कोई क्रियेटिव अपनी तरफ से बनाने वाला है तो दूसरा कोई उसका गैर-इस्तेमाल न करे और इजाजत के बिना उसका उपयोग न करे। मैं दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं। हम सरकार के एक मंत्री है। सरकार के एक मंत्री के तौर पर हम 25 भाषण देते हैं। एक-आध अपवाद को छोड़कर बाकी भाषण लिखने वाले अधिकारी होते हैं। वह भाषण, सरकार का एक मंत्री के नाते हमे देते हैं जो सरकार की नीति या किसी भी विषय पर होता है। मैं गृह मंत्री हूं तो देश की कानून-व्यवस्था के बारे में बोलूंगा। उसको बोलते समय कुछ अपनी परंपरागत बातों को भी रखूंगा और देश के भविष्य के सपनों को भी रखूंगा। अगर शिक्षा मंत्री हूं तो देश की शिक्षा और हमारी क्या कल्पना है, इन सारी चीजों को रखूंगा। यह सब लिखकर देने वाले, जिसको हम फेसलैस बोलते हैं, वे ब्युरोक्रेट होते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब मैं उद्योग मंत्रालय से हट गया तो सरकार के मंत्री के नाते दिए गए हुए भाषणों का कापी राईट क्या मेरा होगा ? हम इस पर सफाई चाहते हैं। मैं, उद्योग मंत्री के नाते देश के सारे उद्योग मंत्रियों को हर महीने पत्र भेजता हूं जिसमें औद्योगिक विकास की बातों को लिखता हूं तो क्या उस पद से हट जाने के बाद क्या मेरे सारे पत्र छप जाएंगे ?

[अनुवाद]

"जार्ज फर्नांडीज द्वारा देश के उद्योगमंत्री को प्रेषित पत्र "

[हिन्दी]

पबलिकेशन डिविजन उसको छापे तो कापी राईट मेरे हाथ में रहेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस देश में हम लोगों ने एक प्रकार लाईसेंससिएट राज चला रखा है, वह चल रहा है और पबलिकेशन डिविजन की किताबें छप रही हैं। कापी राईट किसी परिवार या किसी आदमी के हाथ में हैं जो सत्ता में नहीं है या मर चुका है। उस पर भारत सरकार के मंत्री के नाते होते हुए आपके भाषण और आपके लिखे हुए पत्र या आपके दस्तावेज वोल्युम आफटर वोल्युम निकलकर आ जाएंगे और कापी राईट आपके घर का बनेगा या पब्लिकेशन डिविजन का बनेगा। घर का कापी राईट है तो उसकी सारी आमदनी आपकी है और पबलिकेशन डिविजन का है तो रायल्टी आपकी है। हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि कहां तक इस देश को इस तरह से लूटने का कोई काम कर सकता है।

आज यह हो रहा है। हमारे पास यहां पर सूची है।

(एक) इन्दिरा गांधी के चुनिंदा भाषण - प्रतिलिप्याधिकार, प्रकाशन विभाग, रायल्टी-परिवार

(दो) इंदिरा गांधी चुनिंदा भाषण और लेखन-प्रतिलिप्याधिकार, राहुल गाँधी

(तीन) चुनिंदा भाषण और इंदिरा गांधी के लेखन

जनवरी, 1980 से 1981, प्रतिलिप्याधिकार, राहुल गांधी

जनवरी, 1982-94, प्रतिलिप्याधिकार, (राहुल गांधी)

(चार) इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के रूप में चुनिंदा भाषण और लेखन, खण्ड-3 1972 से मार्च 1977 प्रतिलिप्याधिकार, इंदिरा गांधी।

मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे यह काम हो सकता है। मैंने तो एक व्यक्ति का नाम लिया, मैं सबके नाम ले सकता हूं, राजीव गांधी का नाम ले सकता हूं। राजीव गांधी प्रधान मंत्री के नाते 1986 में अपने भाषण देने शुरू करते हैं। कॉपीराइट राजीव के नाम से उनके भाषणों के पांच वाल्यूम निकलते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह कैसे हो सकता है। कापी राइट होता है आथर के राइट को सुरक्षित रखना। वह आथर होता है। जिसमें आप संशोधन करने जा रही है उसको मैंने रात को पढ़ा है। -

[अनुवाद]

प्रतिलिप्याधिकार का स्वामित्व और स्वामी का अधिकार, अधिनियम की धारा 17

[हिन्दी]

''इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, किसी रचना का प्रतिलिप्याधिकार उस लेखक को सर्वप्रथम प्राप्त होगा।''

[अनुवाद]

नहीं, वह लेखक नहीं हैं। वह कहेंगे कि यह उनका विचार हैं। उन्होंने विचार को स्वीकार कर लिया है। वह उनके छद्म लेखक हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि वह सरकारी कर्मचारी है जो उनके छद्म लेखक हैं उन्हें सरकार वेतन देती है। उसका पैसा उनके घर में जाता है, जबकि वे भाषण किसी और ने लिखे होते हैं, लेकिन तीन पीढ़ियों से एक परिवार उन किताबों का पैसा कमा रहा है, किसी अधिकारी के पास नहीं गया। हम चाहते हैं कि यह चीज खत्म हो। सत्ता में रहते हुए जो कुछ हम भोग सकते हैं, भोगे, लेकिन साठ साल तक आपके घर में अधिकारियों द्वारा की गई मेहनत का पैसा आता रहे, यह नहीं होना चाहिए, आप राष्ट्र के साथ बेइमानी न करें।

आज हमें इस बात को कहने का मौका मिला है, इसलिए हमने इस बहस को छेड़ा है। लेकिन हम इसको छोड़ेगे नहीं, हमें इस पर फैसला चाहिए। यह मामला कानूनन कहां तक सही था और कहां तक गलत था, इस पर निर्णय चाहिए और सदन की राय हम जानना चाहेंगे। अगर यह गलत काम हुआ है तो जितना पैसा उनकी तिजौरियों में गया है वह पैसा वापस आना चाहिए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : यह बिल पहले संयुक्त संसदीय समिति के सामने आ चुका है इसलिए मुझे इस पर कुछ टीका नहीं करनी है। लेकिन जो किताबें बिना अनुमति के छप जाती हैं, जिसमें ऊल-जलूल बातें होती हैं जिससे भारत की युवा पीढ़ी और समाज को नुकसान पहुंचता है, वह बन्द होना

चाहिए। कई कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और उसकी नकल बनाकर दूसरे लोग पेश कर देते हैं, उससे उनको नुकसान पहुंचता है। एक माफिया गिरोह इस प्रकार का बन गया है कि वह कापीराइट की नकल करके यह काम करता है। इसलिए ऐसी व्यस्था होनी चाहिए कि किसी लेखक-कलाकार के द्वारा तैयार किए गए कला, लेखनी इत्यादि चीज की नकल न हो सके, केवल असल (मूल) को ही मान्यता मिलनी चाहिए। जबकि यह देखा गया है कि दूसरे आदमी यह नकली काम कर लेते हैं और उससे अधिक धन कमाते हैं। इस बिल को कैसे सही दिशा में लागू करेंगे और कौन लोग करेंगे, यह ठीक से लागू होगा या नहीं, यह कहना कठिन है।

डा. एस.पी. यादव (सम्भल) : इस अध्यादेश के द्वारा कापीराइट की अवधि 31 दिसम्बर, 1990 से पूर्व जो रचनायें हैं उसका लाभ उनके लेखकों को नहीं मिलेगा। जय शंकर प्रसाद की रचनायें, प्रेमचंद, शरतचन्द्र, गुलेरीजी और देवकी नंदन खत्रीजी की जो रचनायें हैं वे किसी से कम नहीं हैं। लेकिन इस अध्यादेश का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। उस समय सरकार कहां सो रही थी, उस समय क्यों नहीं इसे लाया गया। उनको साठ वर्ष नहीं हुए, लेकिन उनका लाभ नहीं मिलेगा। भारत कापीराइट सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का भी सदस्य है। इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों ओर परम्पराओं का अनुसरण करे। भारत अलग से इस विधेयक को पास कर लेता है तो दूसरे देशों को भी अवसर मिलेगा कि वे भी इसका दायरा विस्तृत करें। मैं समझता हूं इससे भारत को कम लाभ मिलेगा और जो पश्चिमी देश हैं वे अधिक सप्लाई करके ज्यादा मुनाफा कमायेंगे। इसका लाभ लेखकों और प्रकाशकों के लिए होगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति या संस्था को ध्यान में रखते हुए केवल उसको लाभ देने के लिए कोई कार्य किया जाता है तो वह पक्षपातपूर्ण होगा।

[अनुवाद]

मानव संसाधन मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री कुमारी शैलजा : इस प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम में संशोधन हेतु इस प्रतिलिप्याधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक को लाने की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही थी। इस समय हम प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 से शासित हैं। समय-समय पर अर्थात् 1983, 1984 तथा 1992 में इसमें संशोधन लाए गए। क्योंकि हमने बर्न कनवेंशन पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, यह महसूस किया गया कि तकनीकी विशेषकर रेडियो, उपग्रह, कम्प्यूटर और डिजिटल तकनीकियों के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास को ध्यान में रखते हुए एक नया व्यापक प्रतिलिप्याधिकार विधेयक लाने की आवश्यकता है।

जैसाकि सभी सदस्य जानते हैं, भारत एक बड़ा साफ्टवेयर उत्पादक देश है तथा हमें उन व्यक्तियों के हितों की रक्षा करनी है जो भारत में साफ्टवेयर का उत्पादन न करने में लगे हुए हैं जहां तक वीडियो का संबंध हैं ; हमें अपने कलाकारों तथा रंगमंच कलाकारों के हितों की भी रक्षा करनी है। इसलिए, इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने नया विधेयक लाने हेतु वर्ष 1987 में कार्य प्रारम्भ किया। मंत्रालय ने एक कार्यकारी दल की स्थापना की तथा 1900-91 में इस अधिनियम के लिए कार्य-प्रारम्भ किया एवं इस प्रकार 1992 में यह विधेयक लाया गया और अब यह एक नया विधेयक आया है।

इसे प्रकट समिति को सौंपा गया था। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, प्रवर समिति द्वारा अपेक्षित अधिकतर संशोधन हमने स्वीकार कर लिए हैं। और इस प्रकार यह नया विधेयक आ पाया है। मैं सदस्यों का,

इस विधेयक में रूचि लेने हेतु, धन्यवाद करती हूँ। सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। श्री गिरधारी लाल भार्गव जानना चाहते थे कि अवधि को 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष क्यों किया गया ? इसकी मांग 1992 में विश्व भारती ने की थी। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों के कारण, यह महसूस किया गया कि हम ऐसा केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते। इसलिए सभी कृतियों के लिए एक विस्तृत संशोधन की अपेक्षा थी। इसे 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया। एक अन्य प्रश्न, जिसे संयुक्त प्रवर समिति और अन्य अनेक लोगों ने भी उठाया था, कि इसे 60 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष क्यों नहीं किया जाता, के संबंध में मेरा विचार है कि स्वयं सदस्य ने इसका उत्तर दे दिया है कि इसकी अवधि बढ़ा कर पहले ही 60 वर्ष कर दी गई है और यह पहले ही अधिनियम का हिस्सा बन चुकी है। यदि हम इसे और बढ़ाकर 80 वर्ष करते हैं तो वही समस्या फिर उठेगी तथा कृतियों का प्रकाशन देश से बाहर किया जाएगा। हम भारतीय जनता इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे तथा इनका प्रकाशन विदेशों में होगा, देश में नहीं। इसमें यह स्वभाविक समस्या है।

श्री सुधीर राय ने श्रीमती सलीमा की कृतियों के बारे में एक प्रश्न उठाया था। यह एक बड़ा मुद्दा है। यह केवल कलाकार या लेखक के लिए ही नहीं अपितु एक व्यापक समस्या है और वह है प्रवर्तन। इसका संबंध राज्य सरकारों से है। हमारी इच्छा है कि गोष्ठियों और अन्य प्रकार की कार्यशालाएं देश के विभिन्न भागों और राज्यों में आयोजित की जाएंगी ताकि जनता इस अधिनियम व इसके प्रवर्तन से अवगत हो सके, जैसा कि आवश्यक है। इस अधिनियम में भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि इन कलाकारों तथा अन्य लोगों के हितों की रक्षा की जाए।

माननीय सदस्य श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सरकारी प्रकाशनों के बारे में एक मुद्दा उठाया है। मुख्य अधिनियम की धारा 28 के अधीन सरकारी कृतियों के लिए सरकार के पास प्रतिलिप्याधिकार होता है। व्यक्तिगत भाषणों के संबंध में स्वामित्व व्यक्तिगत वक्ताओं का होता है, सरकार का नहीं।

मेरे विचार में ये ही कुछ मुद्दे थे। प्रतिलिप्याधिकार विधेयक का स्वागत करने के लिए मैं सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले, संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे।

खंड 2 - धारा 2 में संशोधन किए गए संशोधन

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, -

''या'' के स्थान पर

''अंतर्विष्ट करते हुए या'' प्रतिस्थापित किया जाये। (3)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5-6 के स्थान पर ''माध्यम से अनुदेशों का समूह, जो कंप्यूटर से कोई विशिष्ट कार्य करा सकने या कोई विशिष्ट परिणाम प्राप्त कर सकने में समर्थ हो'' प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

(कुमारी शैलजा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : -

''कि खंड-2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : -

''कि खंड 3 से 5 विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 6 - धारा 12 में संशोधन किया गया संशोधन

पृष्ठ 5, पंक्ति 7 और 8 के स्थान पर ''(क) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया (5) जाएगा, अर्थात्-'' प्रतिस्थापित किया जाये ।-

पृष्ठ 5, पंक्ति 13 से 27 तक का लोप किया जाये। (6)

(कुमारी शैलजा)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भार्गव, क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : -

''कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : -

''कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 - धारा 19 में संशोधन किए गए संशोधन :

पृष्ठ 7, पंक्ति 36 -

''स्वामित्व की रकम'' के पश्चात् ''यदि कोई हो'', अंतःस्थापित किया जाये। (7)

पृष्ठ 7, पंक्ति 29 से 41 तक को लोप किया जाये। (8)

पृष्ठ 7, पंक्ति 42, -

''(6)'' के स्थान पर ''(4)'' प्रतिस्थापित किया जाये। (9)

पृष्ठ 8, पंक्ति 3, -

के पश्चात्'' के स्थान पर ''के पश्चात्' जब तक कि समनुदेशन में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।'' प्रतिस्थापित किया जाये। (10)

पृष्ठ 8, पंक्ति 4 : -

''(7)'' के स्थान पर ''(5)'' प्रतिस्थापित किया जाये। (11)

पृष्ठ 8, पंक्ति 6 : -

''(8)'' के स्थान पर ''(6)'' प्रतिस्थापित किया जाये। (12)

पृष्ठ 8, पंक्ति 9 : -

''(9)'' के स्थान पर ''(7)'' प्रतिस्थापित किया जाये। (13)

पृष्ठ 8, पंक्ति 10 -

''या उपधारा (7) या उपधारा (8)'' का लोप किया जाये। (14)

पृष्ठ 8, पंक्ति 11 -

''1993'' के स्थान पर ''1994'' प्रतिस्थापित किया जाये। (15)

(कुमारी शैलजा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : -

'' कि धारा 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 9 और 10 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंण्ड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 11 - अध्याय सात के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन

किए गए संशोधन :

पृष्ठ 9, पंक्ति 6, -

"1993" के स्थान पर "1994" प्रतिस्थापित किया जाये। (16)

पृष्ठ 9, पंक्ति 13,

"अधिकार रखे रहेगा" के पश्चात् "जो रजिस्ट्रीकृत प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी के सदस्य के रूप में उसकी बाध्यताओं से संगत हो" प्रतिस्थापित किया जाये। (17)

पृष्ठ 9, पंक्ति 14, -

"1993" के स्थान पर "1994" प्रतिस्थापित किया जाये। (18)

पृष्ठ 9, पंक्ति 19, -

"1993" के स्थान पर "1994" प्रतिस्थापित किया जाये। (19)

पृष्ठ 10, पंक्ति 34 से 37 तक का लोप किया जाये। (20)

पृष्ठ 10, पंक्ति 39, -

'(3)" के स्थान पर "(2)" प्रतिस्थापित किया जाये। (21)

पृष्ठ 11, पंक्ति 33, -

"1993" के स्थान पर "1994" प्रतिस्थापित किया जाये। (22)

(कुमारी शैलजा)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 9, पंक्ति 33, -

"साधारणतया" का लोप किया जाए। (42)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 42 को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन संख्या 42 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 से 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12 से 16 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 17 – धारा 52 में संशोधन किए गए संशोधन :

पृष्ठ 14, पंक्ति 11 से 13 तक का लोप किया जाये (23)

पृष्ठ 14, पंक्ति 14, –

"(2)" के स्थान पर "(1)" प्रतिस्थापित किया जाये। (24)

पृष्ठ 14, पंक्ति 21, –

"(3)" के स्थान पर "(2)" प्रतिस्थापित किया जाये। (25)

पृष्ठ 14, पंक्ति 33, –

"(4)" के स्थान पर "(3)" प्रतिस्थापित किया जाये। (26)

पृष्ठ 14, पंक्ति 21, –

"(5)" के स्थान पर "(4)" प्रतिस्थापित किया जाये। (27)

पृष्ठ 15, पंक्ति 45, –

"(6)" के स्थान पर "(5)" प्रतिस्थापित किया जाये। (28)

पृष्ठ 16, पंक्ति 1, –

"(7)" के स्थान पर "(6)" प्रतिस्थापित किया जाये। (29)

पृष्ठ 16, पंक्ति 2, –

"(8)" के स्थान पर "(7)" प्रतिस्थापित किया जाये। (30)

(कुमारी शैलजा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 , संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18 – नई धाराओं 52 ख और 52 ग का अंतः स्थापन

किया गया संशोधन

पृष्ठ 16, पंक्ति 16 –

"धाराएं" के स्थान पर 'धारा' प्रतिस्थापित किया जाये। (31)

पृष्ठ 16, –

पंक्ति 18 से 27 का लोप किया जाये। (32)

पृष्ठ 16 पंक्ति 28 ,

''52 ग'' के स्थान पर ''52 ख'' प्रतिस्थापित किया जाये। (33)

पृष्ठ 16, पंक्ति 30 से 32 -

''जिसके अंतर्गत आय और व्यय तथा प्रतिलिप्याधिकार उपकर अधिनियम, 1993 के अधीन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सदस्यों में से अधिकारों के व्यष्टिक स्वामियों को संदत्त पारिश्रमिक की मात्रा भी है'' का लोप किया जाये। (34)

(कुमारी शैलजा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खण्ड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने'',

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : -

खण्ड 19 से 22 विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 19 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 23 नई धाराओं 63 ख और 63 ग का अंतः स्थापन

किए गये संशोधन :

पृष्ठ 18, पंक्ति 11, -

''धाराएं'' के स्थान पर 'धारा' प्रतिस्थापित किया जाये। (35)

पृष्ठ 18 -

पंक्ति 13 से 20 तक का लोप किया जाये। (36)

पृष्ठ 18, पंक्ति 21, -

''63 ग'' के स्थान पर ''63 ख'' प्रतिस्थापित किया जाये। (37)

38 पृष्ठ 18, पंक्ति 23 . . . .

''एक मास'' के स्थान पर ''सात दिन'' प्रतिस्थापित किया जाये। (38)

(कुमारी शैलजा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : -

''कि खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 24 - धारा 78 में संशोधन

किया गया संशोधन -

पृष्ठ 19, पंक्ति 20 -

''52 ग'' के स्थान पर ''52 ख'' प्रतिस्थापित किया जाये। (39)

(कुमारी शैलजा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : -

''कि खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, -

'' 1993'' के स्थान पर ''1994'' प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

(कुमारी शैलजा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : -

''खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 -

''चवालीसवें'' के स्थान पर ''पैंतालिसवें'' प्रतिस्थापित किया जाये। (1)

(कुमारी शैलजा)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : -

'' कि अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।

कुमारी शैलजा : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ :

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।''

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : -

''कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः अब हम दूसरे विषय पर श्री एस. बी. चव्हाण द्वारा चर्चा करेंगे। सांविधिक संकल्प

2.45 म.प.

मणिपुर के मामलों में राष्ट्रपति द्वारा पख्यापित अध्यादेश का प्रर्वतन जारी रखने का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प।

गृहमंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) महोदय, मैं निम्न लिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर के संबंध में 31 दिसम्बर 1993 को जारी की गई उद्घोषणा को 30 जून, 1994 से और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करता हूँ। ''

जैसा कि सदन को विदित है, राष्ट्रपति जी ने संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है। राज्य की विधानसभा अभी वर्तमान में निलम्बित रखी गई है। संसद की दोनों सभाओं ने 22.2.1994 को इस घोषणा का अनुमोदन किया। यह घोषणा दिवस 29.6.1994 से छह महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी।

मणिपुर के राज्यपाल ने हाल के प्रतिवेदन में बताया है कि सम्पूर्ण कानून और व्यवस्था की स्थिति में पिछले चार महीने में थोड़ा सुधार हुआ है। नागा-कुकी तनाव अब नियंत्रण में है, यद्यपि यह संवेदनशील क्षेत्रों में संतुलित है। अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति में और भी ढील दी गई तो जाहीर सी बात है कि यह तनाव पुनः उभर जाएगी। मितै उग्रवादियों तथा नागा-कुकी उग्रवादियों की हिंसक गतिविधियां आज भी तेजी से चल रही हैं और आगे भी जारी रहेगी।

राज्यपाल ने जानकारी दी है कि आवश्यक योजनाओं जैसे सड़क, जल आपूर्ति सिंचाई और चिकित्सा और जनस्वास्थ्य और शिक्षा की प्राथमिकताएं पुनः तय की गई हैं और इसके लिए विकास विभाग ने पर्याप्त धन आबंटित किया गया है। जनवितरण प्रणाली को और बेहतर बनाया गया है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में चावल गेहूं ओर मिट्टी के तेल की उपलब्धता में वृद्धि हो गई है।

एक ओर उग्रवादियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी ओर विकास गतिविधियां तेजी से आरंभ हो रही है। राज्यपाल का विचार है कि समग्र सुरक्षा व्यवस्था में सुधार और निहित स्वार्थों और संकुचित ताकतों को निष्प्रभावी करने में सफलता मिली है जिससे विकास के क्षेत्र में सुधार के लिए तथा प्रशासन के सुधार और पुलिस की चूस्ती दुरस्ती के लिए कम से कम छः महीने मजबूत करने के प्रयासों की जरूरत हैं।

इन परिस्थितियों में, राज्यपाल ने सिफारिश किया है कि 31-12-1993 को संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन की पोषण को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया।

केन्द्रीय सरकार राज्य प्रशासन को उग्रवाद से लिपटने में और विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देने में सहयोग करती रहेगी। केन्द्रीय सरकार मणिपुर की स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखे हुए हैं।

राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए और सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करते हुए, यह प्रस्ताव किया जाता है कि मणिपूर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को और छह महीने के लिए बढ़ा दिया जाए। इसे 30-जून 1994 तक के लिए कर दिया जाए। राज्य सभा ने इस संकल्प को पहले ही 10 मई 1994 को पारित कर दिया है।

मैंने स्थितियों को स्पष्ट किया है। और इसको अनुरूप मैं इस सदन का इस संकल्प को लिए अनुमोदन चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : -

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपूर के संबंध में 31 दिसम्बर 1993 को जारी की गई उद्घोषणा को, 30 जून 1994 से और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।''

श्री सुशील चन्द्र वर्मा (भोपाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं न केवल दस्तावेजों के आधार पर अपना प्रस्तुतीकरण करूंगा, बल्कि मुझे मणिपुर जाने का भी अवसर मिला है। और पिछले दिनों मैंने वहां के बहुत सारे क्षेत्रों को भी देखा है और जो अनुभव हुआ है। उसके आधार पर अपना निवेदन करूंगा।

सबसे पहली बात तो यह है कि जब पहले राष्ट्रपति शासन घोषित किया गया था और उसकी अवधि इतनी बीत चुकी है, तो इस दौरान हमने क्या किया और क्यों हमें बार-बार राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। मुझे मध्य प्रदेश का तजुर्बा है। मैं खुद उस स्टेट का चीफ सैकेट्री रह चुका हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी सैकेट्री रह चुका हूं। मेरा यह निश्चित मत है कि जो प्रजातंत्रीय प्रणाली है और जिससे कि हम शासन जनता के हाथ में सौंपते हैं उसका विकल्प अब राष्ट्रपति शासन नहीं है। जब हम लोग 1950 में आईएएस में आए थे और उस समय जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता था वहां वाकई में प्रशासन में सुधार आता था। लेकिन पिछले 10 - 15 वर्षों से देखा गया है कि राष्ट्रपति शासन किसी राज्य को चलाने के लिये कोई अच्छा विकल्प नहीं हैं । जब राष्ट्रपति शासन लगता है, तो जो स्वतंत्रता पहले वहां ब्यूरोकेसी या प्रशासन तंत्र को मिलती थी वह भी कम हो जाती है। दिल्ली से फरमान, हुक्म जाते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो। गवर्नर को प्रभावित किया जाता है। जनता एक उम्मीद करती है कि वे निडर हो करके एक न्याय देंगे। ठीक तरह से काम करेंगे। लेकिन इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। बल्कि पहले जो मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होता था सैकेट्री उनकी राय लेकर काम करते हैं। राष्ट्रपति शासन में प्रशासन तंत्र जिस तरह पहिले काम करता रहता था उसमें रूकावटें आती है। शासकीय तंत्र कशमकश में पड़ जाता हैं। कि वह खुल कर काम नहीं कर सकता है। जिस तरह वह चाहता है। दुविधा में पड़ता है। कि वह किस तरह काम करे। हम अच्छी तरह से काम करके दिखाएं वह बात संभव नहीं है। जहां कहीं अभी राष्ट्रपति शासन हुआ है वहां यही हमारा तजुर्बा है। एक तरह से प्रदेश और पूरा इलाका खड़ा हो जाता है और कोई प्रगति नहीं हो पाती है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिये जा सकते। हमेशा अधिकारियों के मन में यह डर बना रहता है कि जब चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे, जब मिनिस्टर बनेंगे, तो पता नहीं उनका क्या रवैया रहेगा। क्या हम ठीक काम कर रहे हैं, क्या बाद में चल कर यह तो नहीं कहा जाएगा कि हम किसी पार्टी के प्रभाव से यह काम कर रहे थे। ऐसी सब बातें सरकारी नौकरों के मन में आती हैं और वे बड़े दबे तरीके से काम करते हैं। वे सोचते हैं कि हमें किसी न किसी तरह इस अवधि को निकालना है। हमें कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना है जिसके बारे में यह कहा जाए कि हम किसी दल या किसी व्यक्ति से

प्रभावित हुए। इसलिये राष्ट्रपति का शासन कोई नहीं है।

. मैं दोनों तरफ की बात कह रहा हूं। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते मुझे प्रशासन का तजुर्बा है। हमने उधर भी काम किया है और अब मुझे एमपी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोनों तरफ देखने के आधार पर मेरा नम्र निवेदन है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी दृष्टिकोण से अच्छा प्रशासन को लाने का एक जरिया नहीं हो सकता।

महोदय, जहां तक मणिपुर का सवाल हैं वहां बहुत सी समस्याएं हैं। मैंने वहां जाकर देखा कि इतने दिनों मे हमारा शासन चला आ रहा है लेकिन हम जनता को अपनी तरफ नहीं कर पाए मुझे बड़ा आश्चर्य होता हैं। अभी भी वहां की जनता समझती है कि दिल्ली कोई अलग राज्य है और जब वहां हम लोग जाते हैं, तो वे यह कहते हैं कि यह इंडिया से आया है यह इंडियन है। अभी वे मानने के लिये तैयार नहीं है। कि यह मणिपुर भारत का अंग हैं और हम भी उसी भारत के है और हम भाई-भाई हैं । पता नहीं ऐसा क्यों होता है। चाहे आप नागालैंड या मणिपुर जाइये, चाहे उस क्षेत्र के अन्य प्रदेशों में जाइये वहां वह आत्मीयता नहीं है जो होनी चाहिये।

आम आदमी महसूस नहीं करता है कि वह पूरी तरह से भारतीय हैं जैसे हम सब भारतीय हैं। इतने वर्षों के याद भी हम उनके मन में यह बात क्यों नहीं पैदा कर सके, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसका परिणाम है कि जनता का जो सहयोग ला एंड आर्डर को कायम करने में मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता। 5-6 साल तक जिला मेजिस्ट्रेट रहने से मुझे इस बात का अनुभव है और मैं कह सकता हूं कि जब तक प्रशासन को जनता का सहयोग हासिल नहीं होगा, तब तक ला एंड आर्डर कायम नहीं किया जा सकता। अकेले पुलिस या सेना के बल पर हम शांति कायम नहीं कर सकते। आज सभी जगह यही हो रहा है। बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलाइट्स हैं, बिहार में भी यही स्थिति है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक प्रशासन को जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक हम ला एंड आर्डर को कायम नहीं कर सकते। पुलिस या सेना के बल पर शांति-व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति शासन को 6 महीने का समय दिया गया था, इस अवधि में हम यह सुधार क्यों नहीं कर पाए। कोई परिवर्तन नहीं ला पाए इसीलिए और बार-बार सदन के सामने इस तरह का प्रस्ताव लाना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ा दी जाए। संविधान के तहत दो बार से ज्यादा इस अवधि को नहीं बढ़ाया जा सकता, अन्यथा हम इस अवधि को बढ़ाते चले जाते। मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इससे समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। मनीपुर का बड़ा हिस्सा वर्मा से लगा हुआ है। राज्य का वह हिस्सा है जहां बड़े पैमाने पर मादक पदार्थ और हथियार लाए जाते हें। और इधर से मैन्यूफेक्चर्ड आर्टीकल्स वर्मा जाते हैं। जैसा कि हमेशा एक तरह का नेक्संस रहता कायम हुआ है। कश्मीर में भी है और मणिपुर में भी वहीं नेक्सेस देखने को मिल रहा है। मादक पदार्थ आते हैं, हथियार आते हैं, बगावत होती है, अशांति फैलती है, इन सब समस्याओं के कारण हमको ढूंढने होंगे। सबसे बड़ा खतरा आज वहां पर एड्स बीमारी से है। जिसकी जानकारी यहां के लोगों को नहीं हैं। बड़े पैमाने पर वहां के लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। हमें डर है कि कहीं वहां की पूरी जनसंख्या इस बीमारी की शिकार न बन जाए। हमें इसके बारे में लोगों को जागृत करना होगा और इस बीमारी का शिकार न बन जाए। हमें इसके बारे में लोगों को जागृत करना होगा और इस बीमारी

की रोकथाम के उपाय करने होंगे। हमें देखना होगा कि किस तरह से वर्मा से मादक पदार्थों और हथियारों को इधर आने से रोका जा सकता है। पुलिस और कांटेदार तार लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें समस्या के बुनियादी कारणों तक जाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मणिपुर में यह भी देखा है कि वहां पर जितनी प्राथमिकता कृषि को दी जानी चाहिए थी, उतनी नहीं दी गई। वहां पर अच्छी भूमि है। भूमिगत जल का भंडार है। बिजली उपलब्ध है; लेकिन उसका दोहन नहीं किया गया। वहां पर सिचाई का प्रबंध करके फल और सब्जियों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जा सकता है। लेकिन इस ओर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। मणिपुर से लौटने के बाद मैंने केन्द्रीय सिंचाई मंत्री श्री शुक्ला जी को इस बारे में एक पत्र भी लिखा था, जिसमें इन सारी बातों का उल्लेख किया था और कहा था कि इस क्षेत्र का विकास आप क्यों नहीं करते। किसी भी क्षेत्र के विकास का आधार कृषि होता है। आज पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है। यदि पंजाब में कृषि क्रांति नहीं होती, तो आज वहां पर जो खुशहाली है वह हमको देखने को नहीं मिलती। प्रकृति ने मणिपुर को अच्छी जमीन दी है, साधन दिए हैं। लेकिन इन चीजों की तरफ ध्यान न देने से हम इस क्षेत्र की प्रगति नहीं कर पाए। और जहां प्रगति नहीं होती है, वहां गरीबी होती है और वहां की जनता के मन में यह भावना आती है कि विकास के मामले में उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है।

15.00 म.प.

अगर पंजाब में 70-80 प्रतिशत सिंचाई है तो मणिपुर में उतनी सिंचाई क्यों नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है ? जनता सोचती है कि यह भेदभाव क्यों होता है ? इस वजह से अशांति फैलती है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से वहां की जनजातियों के बीच में कुछ न कुछ वैमनस्य बना रहता है। हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हैं ? उनके बीच में प्रेम भाव क्यों नही पैदा कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको लड़ने दे। और वहां अशांति रहें और राष्ट्रपति शासन बढ़ता जाये। राजनीति से प्रेरित होकर या उस दृष्टिकोण से वहां की ट्राईब्स की समस्या को हल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हल नहीं निकलेगा। बल्कि उसका असर खराब पड़ेगा। वहां की भाषा की समस्या का हल हो गयी है इसलिए उस मामले में तो वहां पर शाति है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम राष्ट्रपति शासन को समाप्त करें। और वहां का जो शासन है उसे जनता के प्रतिनिधित्व को सौंप दे जिससे कि वे प्रदेश की खुशहाली के लिये काम कर सके। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री लाइटा उम्ब्रे (अरूणाचल पूर्वी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं ऐसे कुछ कारणों का उल्लेख करना चाहता हूं। जिसके कारण हमें मणिपुर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों में विद्रोही गतिविधियों का सामना करना पड रहा है।

महोदय, सर्वप्रथम, मणिपुर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी लोग जातीय अल्प संख्यक होने के साथ-साथ धार्मिक रूप से भी अल्पसंख्यक हैं वे विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं और भाषाई दृष्टि से भी अल्पसंख्यक हैं। ये लोग सदैव यह महसूस करते हैं। और उन्हें आशंकाएं हैं कि उनके बहुसंख्यक समुदाय के भाई और बहन उन्हें समान अधिकार और समान दर्जा नहीं दे सकते, जिनके वे हकदार हैं और जिनके अधिकार भारत के संविधान में

उल्लिखित हैं।

महोदय, जब पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमारे सामने समस्याएं आती हैं, तो जाहिर हैं कि हम इन समस्याओं से बहुत ही चिंतित हो जाते हैं क्योंकि हम उसी क्षेत्र के हैं हालांकि मैं एक ऐसे राज्य का व्यक्ति हूं जो आज देश का सर्वाधिक शांतिप्रिय राज्य है, फिर भी जब समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में समस्याएं उभरती हैं तो इससे हम भी प्रभावित होते हैं इससे हमारा समाजिक आर्थिक जीवन भी प्रभावित होता है। मणिपुर के लोग, ये जातीय, भाषाई धार्मिक अल्प संख्यक लोग, महसूस कर रहे हैं कि शायद वे अपने राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे जोकि सर्वोच्च पद तक पहुंचने का अधिकार है।

वे महसूस करते हैं कि उन्हें उनका अधिकार इसलिए प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। इन सभी भावनाओं के बावजूद, इनसे परामर्श करने और समस्याओं को सुलझाने के बजाए ताकि ये लोग राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हो सकें, हमारी केन्द्रीय सरकार आजादी के बाद से ही कतिपय कठोर कानूनों को लागू करती रही है। इन कठोर कानूनों के लागू होने पर, स्थिति और भी खराब हुई हैं और अनेक निर्दोष लोग मारे गए हैं और उन्हें परेशान किया गया है।

इस तरह के कानून यहां की स्थिति को और भी जटिल कर दिया है। मणिपुर में, और पूरे पूर्वोतर क्षेत्र में स्थिति और भी बदतर हुई हैं क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था और शिक्षा के विकास की उपेक्षा हुई है। जब वे लोग अपने राज्य से दूर होते हैं तो उन्हें निरन्तर परेशान और अपमानित किया जाता है। विशेषतः तकनीकी संस्थान पर्याप्त संख्याओं उपलब्ध न होने के कारण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर जाना होता है और वहां उनके साथ अन्याय होता है और उन्हें अपमानित किया जाता है। हमें जानकारी मिली है कि इसमें सिर्फ छात्र ही शामिल नहीं हैं बल्कि कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षक और प्रोफेसर भी शामिल हैं इसलिए, आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं कि जब पूरे देश में इतनी बेरोजगारी हैं और हमारे शिक्षित नवयुवक बेरोजगार हैं जिन्हें भूमिगत और विद्रोही लोग गुमराह करने में सहज ही सफल हो जाते हैं। इसलिए वे हथियार उठा लेते हैं और प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर देते हैं। जब वे वापस जाते हैं और शस्त्र उठा लेते हैं तो वे स्वयं को अलग समझने लगते हैं।

मैं दो सुझाव देना चाहूँगा। इन समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं भी हो सकता है लेकिन, फिर भी हमें कोशिश तो अवश्य करनी चाहिए कि इनका स्थायी समाधान ढूंढा जाए। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में गंभीर प्रयत्न नहीं किया गया है ताकि इन समस्याओं का समाधान ढूंढा जा सके और इस क्षेत्र के आदिवासियों के दिमागों से इस भावनाओं को दूर किया जा सके कि वे अलग हैं। मैं महसूस करता हूँ कि इस समस्या का समाधान सभी विद्रोही ग्रुपों के साथ भारतीय संविधान को दायरे में राजनीतिक वार्ता शुरू करके किया जा सकता है।

दूसरा, भारत के मामलों के प्रबन्धन में जातीय अल्पसंख्यक लोगों की पर्याप्त भागीदारी होनी चाहिए थी।

तीसरा, इस क्षेत्र के लिए नई राजनैतिक और आर्थिक नीतियां बनाई जानी चाहिए जिन्हें युद्ध स्तर पर अविलम्ब कार्यान्वित किया जाए।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रत्येक बजट में दिया गया यह आश्वासन कि पूर्वोत्तर, क्षेत्रों को पाँच वर्षों के

लिए कर में छूट दी जाएगी, से समस्या का समाधान संभव नहीं है।

आप जानते हैं कि वित्त मंत्री जी द्वारा कर में छूट देने के बाद भी, पूरे क्षेत्र के उद्योग का विकास शून्य पर टिका हुआ है। या शून्य से भी एक अंक कम है, क्योंकि राजसहायता और अन्य सुविधाएं जो पहले से ही इस क्षेत्र में उपलब्ध है कम हुई हैं। राजसहायता कई वर्षों से संचित होती रही हैं। लेकिन इसे दिया नहीं जा रहा है। इन परिस्थितियों में आप कैसे उम्मीद करेंगे कि लोग यहां निवेश करें ? अतः मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र के भीतर नई आर्थिक नीति घोषित की जाए और सरकार को चाहिए कि वह इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं के विकास के महत्व दे और इसके लिए प्राकृतिक और मानव संसाधन भी जुटाए। मैं जानता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी गतिशील व्यक्ति हैं और उनके कनिष्ठ सहयोगी भी गतिशील हैं और वे अपनी और से पूरा प्रयत्न करते रहे हैं। लेकिन हमारा देश एक महान देश है, और हमारी कई समस्याएँ हैं। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और शुरु से ही समस्या रही है। यह एक ऐसी समस्या हैं जिसे हमने आजादी के समय ही पाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश, गृह मंत्रालय ने इसे ओर समुचित व अपेक्षित ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से एक मंत्री नियुक्त किया जाए और जहां तक हो यह व्यक्ति सत्यनिष्ठ होना चाहिए। और यह व्यक्ति उस क्षेत्र से ही होना चाहिए जो लोगों, और सरकार और सांसदों के और अन्य निर्वाचित लोगों के बीच समन्वय स्थापित कर सके, जो इस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को समझ सके। यदि इन उपायों पर जिनका मैंने सुझाव दिया है, गौर फरमाया जाता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनके घाव भर जाएँगे और उपेक्षित रहने का उनका अहसास खत्म हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषरूप ग शान्ति और सम्पन्नता के मार्ग पर वापस आ जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मणिपुर यह एक सांविधिक संकल्प है जो मणिपुर गज्य में राष्ट्रपति शासन को और अधिक समय तक बढ़ाने के लिए 31 दिसम्बर को प्रस्तुत किया गया। एक सांविधिक वह राष्ट्रपति शासन की समयावधि आगे बढ़ाना चाहते हैं।

जब कभी भी इस प्रकार का राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, माननीय गृहमंत्री प्रायः संसद में आकर इस प्रकार के राष्ट्रपति शासन की समयावधि में वृद्धि हेतु प्रस्ताव लाते हैं। परन्तु यह कोई समाधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 356 में कोई सारहीन आधारभूमि है।

जिसके अर्न्तगत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। मेरा विचार है कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में खड़ी हुई इस जटिल समस्या का समाधान ऐसी कार्यवाही नहीं है।

यह कोई पहला मामला नहीं है। जब गृहमंत्री ने संवैधानिक व्यवस्था की असफलता के आधार पर अथवा दूसरे तकनीकी, राजनैतिक तुच्छ आधारों को कांग्रेस पार्टी की सीमित आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन बनाया है। यही कारण है कि हमें राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर गहरा अपवाद और एतराज हैं। इस प्रकार का राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लागू नहीं किय जाना चाहिए। क्योंकि इससे देश के किसी भी भाग में स्थिति में सुधार नहीं होता। हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आपको घाटी में पैदा हुई स्थिति की ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जम्मू और कश्मीर देश का सबसे अधिक संवेदनशील हिस्सा माना जाता है।

पहले श्री कांग्रेस पार्टी द्वारा ऐसी कार्यवाही की गई थी जब पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अतीत में भी हमारा यही अनुभव रहा है कि केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के कदम इसलिए उठाती हैं क्योंकि वह देश के समस्त राज्यों में सत्ता में नहीं है और वह अप्रत्यक्ष तरीकों का इस्तेमाल करके अपने तुच्छ तथा राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीति का इस्तेमाल करती है। इसी कारण ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। **(व्यवधान)** उड़ीसा में स्थिति बहुत अच्छी है। हम पुनः सत्ता में आ रहे हैं और आप वहां हार जाएंगे हमें वहां बहुमत का समर्थन मिलेगा।

श्री चार्लस, आप केरल के बारे में सोचें क्योंकि आप वहां पर भी हारेंगे और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का कोई प्रश्न नहीं है।

मेरा कहना है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए ऐसे कदमों की न तो प्रशंसा की जा सकती है, न प्रोत्साहन किया जा सकता है और न ही किसी आधार में उनका स्वागत किया जा सकता है। यदि एक बार संवैधानिक व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो केन्द्रीय सरकार का यह पुनीत और उत्तरदायित्व कर्तव्य बन जाता है। कि वह जनतान्त्रिक प्रक्रिया प्रारम्भ करें। यह मान्यता प्राप्त तथ्य और हमारा पुराना अनुभव है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के बिना कुछ भी सम्भव नहीं है।

माननीय गृहमंत्री जी ने मणिपुर में विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए बहुत से उपायों का बखान किया है। उन्होंने उन कदमों के बारे में भी बताया है जो जन-वितरण प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई तथा अन्य क्षेत्रों में उठाए गए हैं। व्यापक विकास हुआ है तथा अनेक प्रकार की तब्दीली आई है। मुझे उनके बारे में अनेक संदेह एवं गहन . . . . हैं। क्योंकि लोकतान्त्रिक प्रणाली के बिना यह सब सम्भव नहीं है। यह हमारा अन्य राज्यों का अनुभव है जहाँ पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। कुकी एवं नागों के बीच की लड़ाई, और कई अवरोध हैं और इन पर कोई प्रतिबन्ध कोई रोक लागू नहीं की गई और समन्वय का अभाव इस प्रकार मई 1993 में वहां जातीय दंगे भी हुए। क्या उपाय किए गए और माननीय गृह-मंत्री ने उनका क्या समाधान किया? इन दंगों में लगभग 105 लोग मारे गए और उनके नज़दीकी सम्बन्धियों को कोई मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है। जहाँ तक मुझे पता है केवल 20,000 रुपए दिए गए जबकि प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि दंगों में मरने वाले प्रत्येक मृतक के नज़दीकी सम्बन्धी को एक लाख रुपए दिए जाएँगें। परन्तु इन सबके सम्बन्ध में क्या हुआ ? मणिपुर में 105 व्यक्ति मारे गए। जहां भी मुआवजा दिया गया केवल 20,000 रुपये दिए गए। यह बहुत ही कम है और इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

और उससे भी अधिक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इन जातीय दंगों में हज़ारों परिवार बेघर हो गए परन्तु केन्द्रीय सरकार ने उनकी राहत और पुनर्वास हेतु कोई उपाय नहीं किये।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसी प्रकार अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कई अधिनियम हैं। उदाहरणार्थ आतंकावादी एवं विध्वसंकारी क्रियाकलाप अधिनियम और भी कई ऐसे अधिनियम हैं। आपके अपने राज्य कर्नाटक, में कई राजनीतिकों और संसद सदस्यों को भी इस अधिनियम के अन्तर्गत सजा दी गई।

तो यह भी एक आपत्तिजनक कानून है (व्यवधान) लालू जी स्वस्थ और प्रंसन्नचित्त हैं और उनकी सरकार मजबूत है। इसलिए आप उनको चुनौती नहीं दे सकते ; वह सारे देश को चुनौती दे सकते हैं। एक दिन वह केन्द्र में भी सत्ता हासिल कर लेंगे। परन्तु आपको उनकी कोई चिन्ता नहीं हैं लालू जी स्वस्थ और खुश है और उनका राज्य भी खुशहाल है कृपया बिहार और केरल की परस्पर तुलना करने का प्रयत्न न करें। बिहार वह आखिरी किला होगा जहाँ से क्रान्ति की ऐसी लहर दौड़ेगी जो अन्ततः दिल्ली तक पहुँचेगी।

तो महोदय मैं आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रिया कलाप अधिनियम उन आपत्तिजनक तथा उसके जैसे अत्यधिक एवं घिनौने कानूनों के विषय में बात कर रहा हूँ। यह सब सरकार के पास है। और सरकार इन आपत्तिजनक कानूनों एवम् घिनौने अधिनियमों का प्रयोग कर रही है ; वह भिन्न-भिन्न जातियों और सम्प्रदायों के राजनीतिज्ञों को परेशान कर रही है। वे विपक्ष को परेशान कर रही है; कभी-कभी वह विधायकों एवं संसद सदस्यों को भी परेशान करती है। अतैव सबसे पहले गृहमंत्री सब प्रकार के घिनौने कानूनों को वापिस लें जिनके द्वारा निर्दोष लोगों को अत्यधिक परेशान किया जाता है।

जहां तक मणिपुर का संबन्ध है, आप जितनी जल्दी लोकतांत्रिक प्रणाली को बहाल करेंगे उतना ही अच्छा है परन्तु यही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आखिरकार लोगों की आकांक्षाएँ, इच्छाएँ और महत्वाकाक्षाएं पूर्ण होंगी। आप देश के अत्यन्त दूरस्थ पहाड़ी प्रदेश को यहाँ केन्द्र में बैठ कर नहीं चला सकते। आप इतनी दूर बैठे वहां के लोगों के हृदयों में तरंगित होने वाली आंकाक्षाओं, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को नहीं जान सकते ? आप इन छोटे से राज्य को यहाँ बैठे-बैठे चला रहे हैं ; आप यहाँ बैठे उनके लिए बजट संबंधी प्रावधान बना रहें हैं ; और आप उनके वास्तविक दुःख तकलीफ, उनकी असली इच्छा उनकी वास्तविकता को नहीं जानते।

मेरा माननीय गृहमंत्री से अनुरोध है कि यह राष्ट्रपति शासन की आखिरी समयावधि वृद्धि होनी चाहिए। मैं कुछ और भी कहना चाहूँगा। संविधान के अनुच्छेद 356 में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिए। आप अपनी इच्छा और महत्वाकांक्षाओं और निरकुंशता के अनुसार जब मर्जी आए तब राष्ट्रपति शासन की समयावधि को नहीं बढ़ा सकते। कोई उपबन्ध होना चाहिए कि ऐसा केवल दो या तीन बार ही किया जा सकता है। यह मेरा इस सम्मानीय सदन से विनम्र निवेदन है कि संविधान के अनुच्छेद 356 में किसी प्रकार का संशोधन अवश्य किया जाना चाहिए। इस पर कोई नियन्त्रण कोई सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन में अनन्त और नियमित वृद्धि रूकनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी सदन में प्रस्तुत सांविधिक संकल्प पर बोलते हुये मैं कहना चाहता हूं कि आज भी वहां उसी प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण माननीय गृह मंत्री जी को 6 मास की अवधि और बढ़ाने का संकल्प लाना पड़ा। हम माननीय गृह मंत्री जी की कठिनाईयों को समझते हैं परन्तु यह बात भी उतनी ही सही है कि जिस तेजी से वहां राजनैतिक प्रक्रिया प्रारम्भ होना चाहिये थी और जिस प्रकार की वहां की जनता की कठिनाईयां हैं, उन कठिनाईयों को दूर करने के लिये सरकार को जो कदम उठाने चाहिये थे, सरकार वे कदम नहीं उठा पायी। पिछले दिनों जो वहां एक असंतोष की स्थिति पैदा हुई जिसने बाद में वहां एक जातीय विद्वेष या जातीय संघर्ष का रूप

ले लिया, वह हम सबके लिये एक अत्यन्त विचारणीय प्रश्न हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी भारत में जिस प्रकार से अलगाववाद की स्थिति पैदा हो रही है, उस पर हमें गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है चाहे वह मणिपुर की स्थिति हो, मिजोरम की समस्या हो या मेघालय की समस्या हो या अन्य किसी पूर्वोत्तर राज्य की समस्या हो। सभी पूर्वोत्तर राज्यों में पृथकता की भावना, अधिकाधिक स्वायत्तता की भावना और भारत से अपने आपको अलग परिस्थितियों में ले जाने की भावना जिस प्रकार बढ़ती जा रही है, बलवती होती जा रही है, उसके बारे में हमें निश्चित रूप से गंभीरता से विचार करना पड़ेगा अन्यथा उसके गम्भीरतम परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। पिछले दिनों हमने वहां जो कुछ देखा, वह उसका उदाहरण है। जिस तरह वहां जातीय और जनजातीय संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में नागा विद्रोहियों का जिस प्रकार हाथ रहा, जिसके कारण उस संघर्ष में और तीव्रता आयी सैंकड़ों मारे गये और तीव्रता की वजह से वहां के लोग अपने आपको अलग-थलग महसूस करने लगे।

मैं मानता हूं जैसा अभी माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि उनको सुविधाएं दी जा रही है फिर वे सुविधाएं चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये हो या अन्य प्रकार की सुविधाएं हों उन सुविधाओं में निश्चित रूप से विस्तार किया गया है। लेकिन विस्तार करने के बाद भी वहां जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को बराबर मद्दे नजर रखना चाहिये। जैसे अभी माननीय सदस्य ने कहा कि यह कोई 356 केलव मात्र ऐसा शस्त्र नहीं कि जिससे हम सामान्य परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं या राष्ट्रपति शासन लगाने से सब समस्याओं का समाधान हो जायेगा, ऐसा नहीं हैं उनके अंदर जो मूल रूप से भावनाएं हैं, जो गरीबी हैं, अशिक्षा है और आज जनजातियों में जिस प्रकार से एक अंधविश्वास की भावना वहां पर पैदा हो रही है इस कारण से वहां धर्मान्तरण भी जोर पकड़ रहा है। उस मामले में भी हमको निश्चित रूप से विचार करने की आवश्यकता है और कहीं-कहीं वहां पर बलपूर्वक धर्मान्तरण की घटनाएं भी आई है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा पिछले दिनों मुझे मेघालय जाने का अवसर मिला था और मिजोरम तथा मणिपुर जाने का भी अवसर मिला था। जिस प्रकार वर्मा से जो हमारा सीमावर्ती इलाका है वहां से खुलेआम सामान आता है और खुलेआम जो बाजारों में बिकता है, किसी प्रकार की कोई रोक-टोक नहीं है जितना चाहे ले आओ, जितना चाहे वे ले जाये चाहे शास्त्राशस्त्र ही क्यों न हो उस पर कहीं पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं समझता हूं कि उसके अंदर वहां पर कोई स्थानीय प्रशासन या स्थानीय पुलिस वगैरह भी अपने आपको असमर्थ पाती है। मैं इस बारे में अधिक न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अभी जो सिक्किम की घटना हुई तो सीधे-सीधे सरकार पर आरोप लगाया गया मैं समझता हूं कि यह आरोप कहां तक ठीक है या नहीं हैं, मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह से वहां दूसरा पंजाब बन जाएगा। ऐसा आरोप क्यों लगा ? सरकार की क्या गलती है? अगर सरकार ने ठीक से कदम नहीं उठाया तो पंजाब की पुर्नावृत्ति होगी। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए।

15.27 म.प.

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

महोदय, अगर इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिये चिंता की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस आरोप का भी खंडन करना चाहिए। इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है और न सरकार इस प्रकार का कोई कार्य करना चाहती है लेकिन जो आशंकाएं हैं उनको भी

निर्मूल करना आवश्यक है। इसलिये वहां जल्दी से जल्दी राजनीतिक प्रक्रिया प्रारम्भ करें। ऐसी सामान्य परिस्थितियां पैदा करें कि जिससे वहां पर जनप्रतिनिधित्व के आधार पर एक चुनी हुई सरकार काम करे और वह चुनी हुई सरकार वहां की जो जनभावनाएं हैं उनको लेकर के जो कमियां और कठिनाइयां हैं उन पर पार कर सके। मैं समझता हूं कि हम एक सामान्य परिस्थितियों को पैदा करने की दृष्टि से आम लोगों के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा करने की दृष्टि से और आम लोगों के अंदर यह भावना पैदा करने की दृष्टि से हम एकरूप हैं, राष्ट्रीय एकात्मकता की भावना के अंदर हम एक राष्ट्रीय धारा के अंदर रह रहे हैं यह भावना वहां निश्चित रूप से पैदा की जानी आवश्यक है। जैसा कि प्रारंभ में मैंने कहा कि हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है कि हम उस अवधि को ओर बढ़ाएं और उस समय में जो बढ़ाई हुई अवधि है उसमें वह राजनीतिक प्रक्रिया प्रारंभ होगी और पुनः फिर से गृह मंत्री जी को इस प्रकार का संकल्प ले करके यहां आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : हम आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की समयावधि छः महीने और बढ़ाने सम्बन्धी गृहमंत्री द्वारा लाए गए सांविधिक संकल्प पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। मेरा विचार है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की समयावधि बढ़ाना ही वहां की समस्या का समाधान नहीं है। यह बताया गया है कि जब तक वहां राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा तब तक विधान सभा स्थगित रहेगी।

पिछली बार, मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन की समयावधि की घोषणा को पारित करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल ने राज्य की स्थिति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कुकी एवम् नागा लोंगों के बीच संघर्ष की मुख्य समस्या है जो राज्य में साम्प्रदायिक तनाव पैदा कर रही हैं। आतंकवादियों की गतिविधियाँ इस समस्या को बढ़ा रही हैं।

रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख कियी गया था कि कुछ विधायक एवम् संसद सदस्य आतंकवादियों को ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि उप-मुख्यमंत्री श्री चीसिंग आतंकवादियों को कुकी लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

कुछ विधायक भी कुकी लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अतः कुछ शक्तिशाली लोग वहाँ आतंकवादियों को अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए सहायता कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्थिति का लाभ उठाते हुए आतंकवादी भी वहां के प्रशासन को प्रभावित कर रहे हैं और इस प्रकार राज्य की स्थिति को दुष्कर बना रहे हैं। लोगों को अलग अलग प्रकार के नारों से गुमराह किया जा रहा हैं। उस क्षेत्र में फैली अलगाववाद की भावना के कारण लोगों को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मणिपुर एक छोटा सा राज्य है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है। यहाँ पर भिन्न-भिन्न जाति समूह हैं। परन्तु वहां पर विकास की गति बहुत ही धीमी है। वहाँ पर बेरोजगारी बहुत अधिक है वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। जहाँ तक कृषि सिंचाई, सड़कों तथा शिक्षा का सम्बन्ध है, वहाँ कोई प्रगतिन नहीं हो रही। उच्च शिक्षा के लिए लोग राज्य से बाहर जा रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों के कारण ही मणिपुर के वे लोग, जो वैष्णव संस्कृति के साथ हुए समझे जाते हैं, यह समझने के लिए मजबूर हो गए हैं कि वे भारतीय नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार को उचित निर्णय लेने चाहिए ताकि राज्य में आर्थिक एवम् अन्य विकास कार्यों को तीव्र किया जा सके।

वहाँ पर नशीली दवाओं और विद्रोहियों की समस्या भी है। बहुत से माननीय सदस्य जिन्होंने आज भाषण दिया है, इस समस्या का उल्लेख किया है। नशीली दवाओं के प्रचलन की समस्या विद्रोहियों की समस्या से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त बहुत से एडस् के मामले भी देखे गए हैं। वहां पर बहुत से जातीय समूह भी है। इन जातीय समूहों में से प्रत्येक समूह के पीछे आतंकवादियों का एक वर्ग काम कर रहा है। आजकल बहुत से आतंकवादी समूह उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के भिन्न-भिन्न राज्यों से आ रहे हैं। वह आतंकवादी वर्ग इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं। केन्द्र सरकार ने सम्पूर्ण उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। मेरा विचार है कि यह सही समय है कि हम मणिपुर एवं अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों की भावनाओं का पूरा ध्यान रखें। अत: मणिपुर के लोगों के दिलों में घर कर रही अलगाववाद ओर अभाव की भावनाओं को दूर करने हेतु उचित कदम उठाए जाने चाहिए। परन्तु इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू करना ही इन समस्याओं का एकमात्र हल नहीं है। दूसरे उपाय भी किए जा सकते हैं।

राज्यपाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य में लोकतांत्रिक प्रणाली को पुन:स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। परन्तु देखा यह गया है कि व्यवहारिक रूप से कोई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई। विधान-सभा निलम्बित रहती है।

ऐसा सदस्यों की खरीद फरोख्त के लिए किया जाता है निसन्देह इससे और समस्याएँ पैदा होंगी। मैं यह कहता हूँ कि विधान सभा को तुरन्त भंग किया जाना चाहिए और ऐसा वातावरण बनाया जाना चाहिए कि राज्य में लोकतान्त्रिक सरकार का गठन हो। यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए कि चुने गए प्रतिनिधि राज्य की समस्याओं को सुलझा सकें। इतना ही नहीं, वह राज्य में सड़कों के विकास, कृषि तथा सिंचाई के विकास हेतु भी कदम उठा सकते हैं।

इसके साथ ही, मेरा अनुरोध है कि सैनिक शासन अथवा पुलिस अत्याचारों से शासन नहीं किया जा सकता। आतंकवादियों को अलग-थलग हेतु कोई कार्यवाही की जानी चाहिए; उसके लिए राजनीतिक पहल की जानी चाहिए; राजनीतिक पहल के बिना न केवल मणिपुर समस्या ही अपितु उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किसी भी राज्य की समस्या का समाधान नहीं हो सकता; उसके लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री थाईमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं इस संकल्प का विरोध नहीं करता। परनतु इसके साथ ही साथ मैं इसका स्वागत भी नहीं कर सकता। मैं इसलिए इसका विरोध नहीं करता क्योंकि राज्य में वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। यद्यपि इसे आवश्यक बुराई माना जाता है। मणिपुर के लोगों की प्रवृत्ति ऐसी यह है कि उन्हें लोकतान्त्रिक प्रणाली द्वारा चुनी गई अपनी सरकार से पीड़ित होना अधिक पसन्द प्रतिनिधि शासन है बजाये इसके कि वह किसी तुच्छ नौकरशाही अथवा तानाशाही शासन को अपनाएं। यह वहां के लोगों की इच्छा है। वहां के लोग खुलेआम यह कहते हैं कि नौकरशाही के रवैये के कारण वह राष्ट्रपति शासन को पसन्द नहीं करते, और राज्यपाल सहित केन्द्रीय सरकार के अफसरों के रवैयों लोगों के विरुद्ध है। अभी फिर भी वहां विद्रोहियों द्वारा चलती हैं लोग मारे जाते हैं। इस स्थिति का मुकाबला करना आवश्यक है। लोग मारे जाते हैं। इसलिए हम राष्ट्रपति शासन को आवश्यक बुराई समझते हैं।

सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को शीघ्र ही पता चल जाएगा कि वे क्यों शासन को पसन्द नहीं करते। हम इसे तानाशाही या नौकरशाही शासन व्यवस्था कहते हैं। इसलिए लोग इसका विरोध करते हैं। इसलिए मैं इसका स्वागत नहीं कर सकता।

मणिपुर की स्थिति प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही है और सेना अथवा सुरक्षा बलों की तैनाती ही इस समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि यह अलगाववादी शक्तियां हैं जो बनी रहेगी यदि हम इस समस्या का समाधान नहीं करते।

यह बहुत सामरिक महत्व का सीमावर्ती राज्य है जिसकी सीमा वर्मा चीन तथा वनीय इलाकों वाले बंगलादेश से मिलती है इसलिए इस राज्य को सामरिक महत्व वाला सीमावर्ती राज्य माना जाना चाहिए और इस सदन के द्वारा इस राज्य के मामलों को अत्यधिक गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। अन्यथा एक दिन यह इतनी जटिल हो जाएगी कि इन पर नियन्त्रण कर पाना कठिन हो जाएगा।

उदाहरणार्थ विशेषकर इन नवयुवकों तथा विद्रोहियों द्वारा 15 अक्टूबर विलय-विरोधी तथा काले दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन इस राज्य का भारतीय गणराज्य के साथ विलय हुआ था। यदि कोई माननीय सदस्य उस दिन वहां हो तो वह इस बात से आश्चर्यचकित रह जाएगा कि उस दिन वहां पूरा बन्द मनाया जाता है। प्रदर्शनों का अयोजन किया जाता है और इसके विरुद्ध कोई एतराज नहीं उठाया जाता।

इन सबको देखते हुए आप स्वयं समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गम्भीर है।

एक अन्य प्रकार की समस्या जो वहाँ उत्पन्न हो रही है। वो मेरी उग्रवादियों की है। मैं इनका विश्लेषण करूंगा। एक कुकी एवं नागा लोगों का जातिगत संघर्ष हैं। मैं मेहती उग्रवादियों द्वारा पैदा की गई समस्या का उल्लेख कर रहा हूँ। अब जबकि वे पीछे हट गए हैं। अब इसमें कोई सन्देह नहीं है। यद्यपि यहाँ-वहां बम फेंक कर वह कुछ समस्याएँ पैदा कर रहे हैं परन्तु इस समय वह राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा तैनात किए गए सुरक्षा बलों का मुकाबला करना पसन्द नहीं करते। इसलिए वह दूरस्थ गांवों में पहुंच गए हैं। परन्तु फिर भी उन्होंने फिरौती एकत्रित करना नहीं छोड़ा है। वह सभी नौकरीपेशा लोगों जैसे प्राथमिक अध्यापक से लेकर कॉलिज के शिक्षक तक से धन लेते हैं इन सब लोगों को इन आतंकवादियों अथवा आतंकवादी संगठनों जैसे पीएलए अथवा अन्य संगठनों द्वारा निश्चित धन देना पड़ता है। उन्होंने यह रकम निर्धारित की है।

एक प्राइमरी शिक्षक को 100 रुपए तथा एक कॉलिज शिक्षक को 200 रुपए देने पड़ते हैं। यदि कोई अध्यापक किसी पुलिस अफसर के परिवार का सदस्य है। अर्थात् किसी पुलिस अफसर की पत्नी है तो उसे भी वह रकम देनी पड़ती है। वह इससे इन्कार नहीं कर सकती क्योंकि वह निश्चित है। हर महीने की रकम एकत्रित करने हेतु एक खंजाची निश्चित किया जाता है। यदि वह इसे एकत्रित नहीं करता तो उसकी जिन्दगी खतरे में होती है। यदि कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता तो यह खंजाची का कर्तव्य होता है कि वह उस व्यक्त का नाम बताए। यह वहाँ की स्थिति है।

अब उन्होंने एक और काम करना आरम्भ कर दिया है। उन्होंने लड़कियों सहित नवयुवकों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने हजारों नवयुवकों को भर्ती कर लिया है। यह

भर्ती करने का मौसम है। उनका बलात मत प्रवर्तन कर दिया गया हैं। उन्हें समझाया गया है कि वह भारतीय नहीं अपितु मेहंती हैं और भारत के साथ विलय करके उनके बुजुर्गों ने उनको फंसा दिया हैं। इसलिए उनको दोषी ठहराया जाता हैं आजकल वहाँ ऐसी स्थिति है। मैं और अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। मेरा कहना है कि सम्मानीय सदन इस पर विश्वास कर सकता है यह हैं वहाँ की समस्याएँ।

इन समस्याओं का सामना करने हेतु वहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियाँ आरंभ की जानी चाहिए, अन्यथा मात्र राष्ट्रपति शासन लागू करने अथवा सुरक्षा बलों को तैनात करने से वहां की समस्या का समाधान नहीं होगा। आईए इस समस्या के हेतु स्थाई उपाय अथवा स्थाई समाधान सोंचे।

इसीलिए मैं सम्मान्य सदन को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए कह रहा हूं।

कुकी एवम् नागा लोगों के बीच की संघर्ष कथा वर्तमान में किसी सीमा तक नियंत्रण में है। उनकी समस्या लोगों द्वारा खड़ी की गई है। वह कुछ रूचिकर नेताओं द्वारा पैदा की गई है। मैं इस समय लगभग 72 वर्ष का हूँ। पिछले कई वर्षों से कुकी एवं नागा लोगों के बीच संघर्ष का कोई मौका नहीं आया। वह भाई-बहन के समान शान्तिपूर्वक रह रहे हैं। कोई बड़ा भाई हो सकता है। किंतु, हम तुरंत रूप से शान्तिपूर्वक परन्तु अचानक क्या हो जाता है। इसकी केवल कल्पना की जा सकती है। कुछ रूचि रखने वाले नेता एवम् व्यक्ति इसे पैदा करते हैं। इसे समझा जा सकता है। यह व्यक्तिपरक समस्या है ; यह पैदा की गई स्थिति है।

मेरा मुद्दा यह है कि यदि सभी संगठन नागा विद्रोही भी कुकी सशस्त्र सेनाओं को शस्त्र रहित कर दिया जाए वैसे तो कभी भी इनसे शस्त्र लिए जा सकते हैं। तो यह लोग इकट्ठे रह सकते हैं। यह हमारा मत है। ऐसी कोई समस्या फिर नहीं होगी। केवल मेइती जो कुल जनसंख्या का दो-तिहाई भाग है, बड़े भाई की भूमिका अदा कर सकते हैं। वह सगे भाईयों की तरह प्रेमपूर्वक भी रह सकते हैं जैसा कि अनन्त काल से रहते आए हैं। केवल सशस्त्र आतंकवादी यह समस्या पैदा कर रहे हैं। इनको राजनीतिज्ञों अथवा अन्य किसी का समर्थन प्राप्त होता है अन्यथा कोई समस्या नहीं। इसलिए मुझे इसमें कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती। यदि इसका समाधान करने की इच्छा शक्ति विद्यमान हो तो यह समस्या शांत हो सकती है। सर्वप्रथम हमारे सुरक्षाबलों अथवा सशस्त्र सेनाओं के द्वारा उन शस्त्रधारियों का शस्त्रहीन किया जाना चाहिए। यदि हम इसमें सफल होते हैं तो मणिपुर में कोई जातीय संघर्ष नहीं होगा। मैं यह भी कह सकता हूँ कि मणिपुर में कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए, चाहे मेइती हों अथवा मुस्लिम। वह सगे भाईयों की भान्ति रह रहे हैं मानों एक ही धर्मानुयायी हों।

दुर्भाग्यवश कुछ राजनीतिज्ञ अथवा आतंकवादी जो राजनीतिज्ञ बन गए हैं, उन्होंने यह समस्या पैदा की है। अन्यथा यह कोई समस्या नहीं है। अतः हम किसी मुसीबत की आशंका नहीं करते। मणिपुर में कभी कोई दंगे नहीं हुए और भविष्य में भी कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं होंगे। एकमात्र समस्या अलगाववादियों का जोर है जो भारत से पृथक् होना चाहते हैं। एकमात्र समस्या यही है जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है।

संकल्पः प्रस्तुत करते हुए मन्त्री महोदय ने उल्लेख किया है कि राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। उन्होंने कुछ मदों का उल्लेख भी किया। परन्तु इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ सड़कों की मरम्मत करने से अथवा मिट्टी के तेल का आबंटन करने से समस्या सुलझ नहीं जाती। वे नवयुवक

जिन्होंने हमें त्याग दिया है वह दूरस्थ स्थानों को चले गए हैं। यदि सरकार रेलवे लाईन के विस्तार के लिए तैयार है तो यह एक विचारणीय विषय होगा।

जब मैं एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मांग करता हूं तो माननीय मंत्री जी चुप हो जाते हैं। जब मैं अपने राज्य में किसी उद्योग की मांग करता हूँ तो कोई इसका उत्तर नहीं देता। मैं समझता हूँ कि वह रातोंरात नहीं किया जा सकता। पर सरकार कम से कम एक आश्वासन तो दे सकती है। यदि सरकार श्रीनगर को रेलवे लाईन द्वारा जोड़ने पर विचार कर सकती है, तो आखिर क्यों सरकार मणिपुर में इम्फाल तक रेलवे लाईन के विस्तार करने की अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर सकती ? मेरा मत है कि वर्तमान सरकार द्वारा मिट्टी के तेल के आबंटन तथा कुछ खाद्य सामग्री के आबंटन से समस्या का समाधान नहीं होता। लोग इन चीजों को महत्वपूर्ण नहीं मानते। मैं ऐसी नीति का समर्थन नहीं करता।

मैं इस बात की ओर सम्मान्य सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राष्ट्रपति शासन के अधीन कुछ पुलिस अधिकारियों के तबादले मणिपुर से बाहर कर दिए गए हैं। इससे हमारे नवयुवक नाराज हो गए। उनका तबादला क्यों किया जाता है ? अच्छे निर्देश देकर उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इसके बदले उनके तबादले मणिपुर से बाहर कहीं और कर दिया गया है। हमारे पास आई.पी.एस. अफसरों की संख्या बहुत कम है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल अथवा उसके सलाहकारों द्वारा उनमें से तीन का तबादला किया जा चुका है। उनकी सेवाएं बहुत आवश्यक हैं। यदि नए अफसर वहां पर लाए जाते हैं तो वे अपना दिमाग वहीं लगा पाऐंगें। इसलिए यह एक गल्ती है। और सरकार इस कदम के लिए एक दिन पछताएगी। यह कदम अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक उठाया जाएगा और यह उग्रवादी संस्थाओं के फायदे में होगा।

महोदय, मुझे बहुत अधिक कुछ नहीं कहना है। आखिर में मैं राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के विषय में बात करूंगा। परन्तु मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि राज्यपाल की रिपोर्ट में अध्यक्ष के नाम का उल्लेख किया गया हैं मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया है ? अध्यक्ष का नाम ऐसी रिपोर्टों में नहीं लाया जाना चाहिए। यदि माननीय मंत्री जी इन रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रपतिशासन की समयावधि में विस्तार की मांग करते हैं तो सभा को निलम्बित रखने का कोई कारण नहीं हैं, इसे भंग कर दिया जाना चाहिए। परन्तु मैं इसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं उठा रहा हूँ मैं केवल अपनी बात कह रहा हूँ।

महोदय, यह संकल्प पारित किया जा सकता है और राष्ट्रपति शासन की समयावधि को बढ़ाया जा सकता है। परन्तु इसी बीच लोकतान्त्रिक प्रक्रिया की बहाली का कार्य शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि इस विषय का सम्बन्ध केवल मणिपुर राज्य से नहीं परन्तु सम्पूर्ण देश से है।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : सभापति महोदय, वर्तमान वैधानिक संकल्प मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 30 जून 1994 से आगे छः महीने बढ़ाने हेतु लाया गया है।

आज इसका समर्थन करने के इलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वह लोग जो लोकतन्त्र की आकांक्षा करते हैं और इसके लिए कार्य करते हैं और कभी भी उन पहलों का स्वागत नहीं करेंगे जहां पर चुनी हुई सरकार को उन लोगों के लिए कार्य करने से इन्कार किया जाता है। जिन्होंने उसे चुना है और समस्त शक्तियां

एक राज्यपाल अथवा उसके हाथ में कठपुतली बनने वाली अन्य शक्तियों के हाथों में दे दी जाती है। राज्यपाल जो उन राज्यों से नहीं आते, उस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को न हीं समझ सकते और वह इस तरह से काम करते हैं जिससे लोग तरफदारी करते हैं जिससे जनता और भी अलग हो जाती है।

जहाँ तक आर्थिक कारणों का सम्बन्ध है मैं अरूणाचल प्रदेश के अपने साथी के साथ सहमत हूं और वह सुझाव बहुत अच्छे और रचनात्मक हैं। मैं केवल यह आशा कर सकती हूं कि केन्द्रीय सरकार कुछ उपयोगी रवैया अपनाएगी और इन समस्याओं का समाधान करने हेतु गम्भीरतापूर्वक रवैया अपनाएगी और हर बार मात्र संविधान के प्रावधानों अर्थात् का अनुच्छेद 356 अपनी पक्षपातपूर्ण स्वार्थों की पूर्ति हेतु आश्रय नहीं लेगी।

महोदय, बहुत कुछ कहा जा चुका है। और बहुत कुछ किया जा चुका है परन्तु सरकार को मणिपुर की समस्या सुलझाने हेतु गम्भीरतापूर्ण विचार करना चाहिए। जब हम मणिपुर की बात करते हैं तो हमारे सामने सम्पूर्ण पूर्वोत्तर राज्य बोडो क्षेत्रों कर्बियांगलौंग तथा नागा-कुकी फसाद आते हैं। और जब हम पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात करते हैं तो हम सिक्किम के बारे में भी विचार करते हैं जहाँ हाल ही में एक नया राजनीतिक बवण्डर शुरू हुआ है चाहे वह उत्तर पूर्वी राज्यों में शामिल नहीं है। परन्तु किसने इनको प्रारम्भ किया यह एक राजनीतिक पहली है। उत्तर-पूर्व में विद्यमान राजनीतिक उथल-पुथल एवं अस्थिरता वज्राधान कर रही है।

आज मैंने अपने माननीय गृह-मंत्री श्री एस.बी. चव्हाण द्वारा पूर्वोत्तर में आईएसआई की उपस्थिति से सम्बन्धित एक वक्तव्य समाचार पत्रों में पढ़ा। यह एक अत्यन्त दुष्कर स्थिति है जहाँ भारत सरकार को गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए।

3.58 म.प.

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)

राष्ट्रपति शासन की समयावधि में वृद्धि करना इसका कोई समाधान नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों, जिन्होंने अभी अपने विचार प्रकट किए, स्वीकार किया है कि यह समाधान नहीं है। लोगों का योगदान परमावश्यक है। जब हम लोगों में आवश्यक आधारभूत ढांचा बनाने और स्वावलम्बी बनने की सहायता करके उनका विश्वास नहीं जीत लेते और उन्हें आत्म-सम्मान के साथ जीने देते परन्तु इसके बजाय सरकार हमेशा या तो राजनीति का खेल खेलती है अथवा प्रलोभनों को और बढ़ाते रहते हैं।

महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि छियालीस वर्ष की स्वतन्त्रता के पश्चात् भी हमारी केन्द्रीय सरकार इस क्षेत्र के लोगों की आशाओं और आंकाक्षाओं को समझने में नाकाम रही हैं अच्छे कार्यो के शुरू करने में अभी कोई देर नहीं हुई हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उत्तर-पूर्व की समस्या का सामना करने हेतु फिर से सोच-विचार करे।

4.00 म.प.

मैं माननीय गृह-मंत्री जी से अनुरोध करूँगी कि वह मणिपुर में उस लोकप्रिय सरकार की स्थापना हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करें जो लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके।

इन शब्दों के साथ, मैं बोलने का समय प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करती हूँ।

श्री पीटर जी. मरबनीआंग (शिलांग) : सभापति महोदय, चूंकि मुझे संसद की दूसरी बैठकों में भाग लेना था अतः मैं इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि जब आपने मेरा नाम पुकारा तब मैं यहां उपस्थित नहीं था।

महोदय, दल का सदस्य होने के नाते मैं मणिपुर में राष्ट्रपति-शासन की समयावधि बढ़ाने सम्बन्धी घोषणा का स्वागत करता हूँ क्योंकि दलगत अनुशासन का पालन आवश्यक है। परन्तु मैं सम्मानीय सदन से कहना चाहूँगा कि मणिपुर इस बहुत बड़े देश का पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी सीमाएं बर्मा के साथ हैं और यह बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र हैं।

यह ठीक है कि हाल ही में वहाँ पर जातीय दंगे हुए जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी। परन्तु अभी-अभी हमें पता चला है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति संभली है इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है अपितु इसलिए कि क्योंकि जातीय गुटों का ध्यान किए बिना आम लोग इस बात को समझ गए हैं कि मणिपुर में लोकप्रिय सरकार की पुर्नस्थापना का समय आ गया है। यही वह मुख्य तत्व है जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधर गई है। अब जन-साधारण भी लोकप्रिय सरकार की परिस्थापना हेतु तत्पर है और वह अधिकारियों को पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था की स्थिति की बहाली का श्रेय मैं राष्ट्रपति शासन को नहीं दूंगा क्योंकि आर्थिक स्तर पर भी राज्य की खुशहाली और प्रगति हेतु बहुत कुछ नहीं किया गया है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व योजना आयोग ने राज्य को बस 25-30 करोड़ रुपये अनुदान दिए थे। उस समय में मणिपुर की लोकप्रिय सरकार ने इसी राशि से राज्य की प्रगति हेतु भिन्न-भिन्न कार्यक्रम आरंभ किए थे। राज्य के मुखिया ने अब केवल उन्हीं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की आज्ञा दी है। मणिपुर में नया कुछ नहीं हुआ है। परन्तु इस अप्रिय राष्ट्रपति शासन के विरुद्ध गुप्त धारा अभी बन्द नहीं हुई है। हम, उत्तर-पूर्व के नागरिक लोकतन्त्र के सिद्धान्तों को चाहते हैं और चाहते हैं कि मणिपुर में बिल्कुल नीचे के स्तर अर्थात् ग्रामीण स्तर से लेकर राज्य-स्तर तक बरकरार की जाए और अब मणिपुर के लोग यह मांग कर रहे हैं कि वहाँ की लोकप्रिय सरकार को बहाल किया जाए।

हम जानते हैं कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने वहाँ नियुक्त किए जाने योग्य लोगों का अधिकतर चयन कर लिया है। मेरा विचार है कि लोकप्रिय सरकार की बहाली अनुमान से अधिक वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करने में सहायता करेगी और लोग लोकप्रिय सरकार की बहाली से खुश होंगे। अतः मैं सरकार से अपील करूँगा कि मणिपुर में इस नए विचार को कार्यरूप दिया जाए।

यद्यपि अब हमने मणिपुर में राष्ट्रपति-शासन की समयावधि और छः महीने बढ़ाने हेतु प्रस्ताव पारित कर दिया है तथापि मुझे आशा है भारत सरकार वहाँ पर लोकप्रिय सरकार की बहाली हेतु उपयुक्त कदम उठाएगी।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति महोदय, कश्मीर से लेकर मणिपुर तक एक ही कहानी है और हमें इस बहस के दरम्यान बड़ी परेशानी हो गई, विशेषकर जब हम उन साथियों की बात सुनते हैं जो पूर्वान्चल से आते हैं और अभी जब मेघालय के सदस्य यहां यह बात तक बोलने गए कि केवल दल का अनुशासन है इसलिये मैं इसका समर्थन कर रहा हूं तो उनके मन की पीड़ा को इस सदन को समझना चाहिये।

जब सिक्किम की माननीया सदस्य ने यहां पर सिक्किम का जिक्र किया तो इसी चीज का द्योतक है कि अब समूचा पूर्वान्चल एक ऐसी उलझन में डालने में यह दल और सरकार कामयाब हो गई है कि जहां शांति और सुव्यवस्था थी, कमजोरियां हर जगह पर होती हैं लेकिन वह सिक्किम को भी आज पूर्वान्चल के उस उलझन में डालने में सरकार ने कामयाबी पाई है। इसलिये हमने कहा कि कश्मीर से लेकर पूर्वान्चल तक एक ही कहानी है लेकिन मणिपुर इसमें सबसे बुरी अवस्था में है चूंकि यहां कोई बहाना भी नहीं है। वहां जम्मू-कश्मीर में मुसलमान का नाम लिया जा सकता है, पंजाब में सिक्खों की बात की जा सकती है। पूर्वान्चल के कुछ प्रदेशों में ईसाइयों का भी नाम लिया जा सकता है लेकिन मणिपुर एक ऐसा प्रदेश है जहां के लोग वैष्णवी धर्म की तरफ आज से लगभग तीन सौ साल पहले शामिल हुए और आज एक तरफ वे अपने धर्म को भी छोड़ रहे हैं और दूसरी ओर देश से भी हटने की बात कर रहे हैं आपने कहां मणिपुर और देश को लाकर पहुंचाया है इस पर अंतरमुखी होना जरूरी है।

महोदय, गृह मंत्री जी ने अभी यह बात कही थी कि कैसे पूर्वान्चल में पाकिस्तान और उनका जो आईएसआई है वह सक्रिय है लेकिन अगर हम मौका बना कर दे तो पाकिस्तान और आईएसआई तक यह मामला सीमित नहीं रहेगा यह मामला किसी दिन चीन तक भी जाएगा, चूंकि जो पूर्वान्चल का इलाका है वहां चीन ने आज से नहीं एक जमाने से हरकते की हैं। सिक्किम अभी भी भारत का हिस्सा करके चीन नहीं मानता। अरूणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा करके चीन अभी भी नहीं मानता, हम लोग चाहे जो भी कहें। चीन के साथ चाहे जो मैत्री का संबंध बनाने की बात हम लोग करें लेकिन यह तथ्यों को तो नजरअंदाज नहीं करना चाहिये और यह मान लेना, चूंकि इस वक्त चाहे जिन कारणों को ले करके चीन भारत के साथ कुछ दोस्ताना रिश्तों की बात करता हो लेकिन कोई दोस्ती बन गई हमें इसके कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहे हैं। वर्मा के जरिये जो सड़क बनाने में चीन लगा हुआ है रंगून बंदरगाह तक और हमारे समुद्र के इलाके में अपनी नौसेना को पहुंचा देने के काम में उनके जो प्रयत्न इस वक्त चल रहे हैं और सफल प्रयत्न चल तो वह कोई चीन की सुरक्षा को लेकर नहीं है।

सभापति महोदय, आज हमारा पूर्वांचल का इलाका इतनी भारी उथल-पुथल में हैं, उसको तनाव में धकेलने का काम दिल्ली की तरफ से हो रहा है, तो फिर इससे बचाने का काम कौन करेगा। आईएसआई या पाकिस्तान का नाम लेंगे, कल को चीन का नाम लेंगे कि ये हमको हैरान-परेशान कर रहे हैं, तो इन बातों को कहने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। जब पूर्वांचल प्रदेशों में गैर-कांग्रेसी सरकारें अनेक राज्यों में बनीं, तो उनको अपने टिकने नहीं दिया। जिनको तोड़ा जा सकता था, उनको तोड़ने का काम किया। मिजोरम में भी आपने जनता दल की सरकार को तोड़ा। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक दलों को तोड़ते हुए केन्द्र के नेतृत्व ने सोचा होगा कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मिजोरम में भी फिर तनाव पैदा हो रहा है, इसको मत भूलिए। क्योंकि जिन दलों को आप वहां पर तोड़ रहे हैं, उनके अंदर वही लोग हैं जो कभी भूमिगत थे, जिनको आप मिलीटेंट्स कहते हैं, वही आज ऊपर आकर राजनीतिक और प्रजातांत्रिक कामों में लगे हुए हैं, लेकिन आपको तो संपूर्ण गुलामी चाहिए, इसके बिना आप किसी को रहने नहीं देना चाहते हैं, यही आपका धर्म है। नागालैंड में भी यही हुआ, आरोप-प्रत्यारोप बहुत हो सकते हैं, कौन क्या हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन नागालैंड में भी आप कोई विपक्ष बनने नहीं देना चाहते। जहां बनेगा, उसको किसी न किसी रूप में तोड़ों या खरीदों इसी तरह से वहां पर हुआ।

मणिपुर के माननीय सदस्य यहां पर बोले, लेकिन उन्होंने इस बात को यहां पर नहीं छेड़ा, मैं उनका यह बड़प्पन मानता हूं, मणिपुर में मणिपुर पीपुल्स पार्टी और जनता दल की संयुक्त सरकार थी, लेकिन उसको उखाड़ फेंकने का काम हो गया। जब इस तरह की स्थिति बनती है तो हम खोजते हैं कि कौनसा पड़ौसी देश हम लोगों को तंग करने के लिए आता है। विकास के काम की बात आप छोड़िए, पूर्वांचल में कहां विकास हुआ है, किसी क्षेत्र में नहीं हुआ है। एक लोकटा विद्युत प्रोजेक्ट का काम 20 वर्ष में भी पूरा नहीं हो पाया है, रोजगार नाम की चीज वहां पर नहीं है। राजनीति यही तक सीमित हो जाती तब भी ठीक था, लेकिन वहां तो जो नेता बन जाता है, उसको जितना पैसा चाहिए, उतना दे दो। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार आप उधर पूर्वांचल के राज्यों में जाकर देख लीजिए। बहुत छोटे, 10-15 हजार की आबादी पर वहां विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन चुनाव में किसी अन्य प्रदेश से अधिक पैसा पूर्वांचल के प्रदेशों में खर्च किया जाता है। चुनाव आज वहां एक उद्योग बन गया है, 3 साल का 5 साल का, अगले चुनाव तक का इंतजाम लोग वहां उस चुनाव में कर लेते हैं। इस तरह की वहां पर स्थिति है, जिसके बारे में बोलते हुए मुझे परेशानी होती है।

सभापति महोदय, मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि 6 महीने के अंदर गृह मंत्री जी कहेंगे कि वहां पर परिस्थितियां ठीक हो गई हैं, क्योंकि उस दिशा में हम कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। गवर्नर हम वहां पर भेज देते हैं मिल्ट्री के रिटायर्ड या रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कश्मीर से लेकर वहां तक यही खेल हो रहा है और इसके बाद मिल्ट्री, पेरा-मिल्ट्री और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, ये सब वहां पर कानून-व्यवस्था का काम देखते हैं।

वहां लोगों को मन टूटे हैं इसलिए कुकी और नागा लोगों के बीच लड़ाई है। क्या इस लड़ाई के बारे में पूरे तथ्य सदन के सामने आए हैं ? क्या इस लड़ाई को मिटाने या बढ़ाने का प्रयास हो रहा है ? वहां पर लोगों के हाथों में हथियार कहां से आ रहे हैं ? इसके बारे में क्या कोई जानकारी है ? मेरे पास कुछ दिन पहले रिशांग किशींग का एक पत्र आया था जो आपके दल के हैं। एक जमाने में हमारे दल में थे। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीतकर आए थे। वे, डा. लोहिया के बहुत नजदीक आदमियों में से थे और हमारे दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। अभी रिशांग किशींग ने हमें पत्र लिखकर कहा है कि राज्यपाल ने जो रिपोर्ट दी है, वह गलत है वह रिपोर्ट गृह मंत्री के पास है और कभी जांच होगी। क्य रिशांग किशींग ने सही मायनों में वहां पर आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने और देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बगावत करने की उनको प्रेरणा दी ? जो मुख्य मंत्री रहे हैं और आपके दल के वहां पर नेता हैं। अगर यह बात सही है तो इस बारे में आप कुछ कर रहे हैं चूंकि आपके दल में हैं इसलिए कोई भी चीज माफ है। अगर गलत है तो एक राजनीतिक नेता को इस तरह से राज्यपाल वहां पर क्या टोकने का काम करेगा ? इसको आप बर्दाश्त कर रहे हैं। यह चीज इस तरह से नहीं छोड़नी चाहिए। पूर्वांचल की समस्याओं का इलाज आपको करना है तो वहां पर सड़कों को बांधने से कुछ नहीं होगा। वहां पर मामला सीमित नहीं हैं। हमारे मन में डर हैं, इस बारे में बोल चुके हैं और फिर बोलेंगे। मेरे मन में डर हैं चूंकि पूर्वांचल की जो आबादी हैं उसका कुछ भी हो उसकी गंगा-यमुना के इलाके में बसे हुए लोगों को यानि हमें चिंता नहीं हैं। वहां पर एड्स के बारे में वर्मा जी ने कहा और ड्रग्स के बारे में आपने कहा। इसकी चर्चा केवल हिन्दुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। ड्रग्स

और एड्स के बारे में पूर्वांचल आज विश्व के बड़े टापुओं में से एक हैं चूंकि वहां पर ड्रग्स और एड्स एक साथ चल रहे हैं। आप कभी आईजोल, कोहिमा या इम्फाल की सड़कों पर जाईए। वहां पर 18-20 साल के लड़के सड़कों पर मिलेंगे। उनकी शक्ल आप देखिए। आखिर अपने देश के बच्चे हैं और वह जगह देश का हिस्सा है। उन बच्चों की जिंदगी का भविष्य ड्रग्स और एड्स का शिकार बनी हुई है। वहां के बारे में हम लोगों के मन में कहां सोच हैं ? उस इलाके के बारे में हमारा दिमाग कहां हैं ? सिर्फ यह उम्मीद करना कि मिलिट्री और पैरा-मिलिट्री और सैन्ट्रल पुलिस एक तरफ और नौकरशाही दूसरी तरफ, इससे समूचे इलाके के भविष्य को बनाने का काम होगा, इससे बढ़कर कोई गलत काम संसद और नहीं कर सकती है।

मेरा निवेदन है कि आप पूर्वांचल को दलीय प्रश्न के आधार पर मत देखिए कि वहां पर कौन राज करेगा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अफसोस हैं कि किसी भी दल को पूर्वांचल के बारे में विशेष चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि कुल मिलाकर नौ या दस लोक सभा के सदस्य हैं। चूंकि पचास लाख या एक करोड़ की बात सदन के भीतर कभी-कभी चलती है। वे किस दल के आए हैं तो इसकी चिता नहीं है। पूर्वांचल देश की सीमा है। यह सीमा परेशानी में पड़ जाती है तो सारा देश परेशानी में पड़ जाता है यह सोच नहीं है। मेरी मान्यता है कि सिक्किम में जो किया वैसा नहीं होता। जो चीज भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। वह चीज होने नहीं देते। आपके हाथ में अधिकार थे और आज भी अधिकार है। उन अधिकारों का इस्तेमाल यह चीज दुरूस्त करने के लिए करते हैं। आसानी के रास्तों की खोज होती है। डिबेटिंग प्वाईट होता हैं कि आपने हम पर और हमने आप पर विचार प्रकट किए तो यह बात यही पर बात सीमित हो जाती है।

और वहां पर जो बुनियादी परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मैं फिर गृह मंत्री महोदय से कहूंगा कि आई.एस.आई. और पाकिस्तान, कल चीन और परसों अमरीका, उनको क्यों छोड़, उनको भी हम नहीं छोड़ेगे, वे जहां मौका मिलेगा हरकत करने के लिए खड़े हो जायेंगे। भारत के बारे में अमरीका की जो सोच हैं उसके बारे में हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इन ताकतों को यहां पर ऐसा मौका नहीं मिले, इसके लिए कदम बढ़ाना चाहिए।

गृह मंत्री जी आपकी बड़ी उम्र है, बहुत अनुभवी है, हम आपसे प्राथना करेंगे कि पूर्वांचल के बारें में सभी दलों से बात करें और वहां के सभी लोगों को बुलाकर बात करें। उस इलाके में हामरा राज रहना चाहिए, हमारे लोग रहने चाहिए, इन बातों की ओर नहीं जाये। आपने अपने लोगों को ही मणिपुर में बनाया और फिर उनको हटाकर यहां से राज चलाने की बात की। इसलिए उसको उचित न मानते हुए आपको सब लोगों से सलाह-मशविरा करके पूर्वांचल को बनाना चाहिए। बनाने का मतलब केवल जमीन से नहीं, बल्कि वहां के लोग और उनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए आप इस प्रस्ताव के तत्काल बाद पहले करें। हम समझते हैं सभी लोगों की बुद्धि को एक जगह लाकर आप कोई उपाय निकाल पायेंगे। इतना ही मुझे कहना हैं।

|अनुवाद|

प्रो. राम. कामसन (बाह्य मणिपुर) : महोदय, हमने हाल ही में अर्थात् 22 फरवरी को मणिपुर के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और अनेक सदस्यों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं के बारे में काफी कुछ कहा था।

मणिपुर की स्थिति के संबंध में माननीय गृह मंत्री ने कुछ समय पूर्व मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए संकल्प पेश करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि कुछ सीमा तक स्थिति में सुधार हुआ है, विशेषकर कुकियों और नागाओं के बीच जातीय संघर्ष के संबंध में, जोकि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का मुख्य कारण था। जहाँ तक अन्य पहलुओं अथवा अन्य कारणों या आधारों जो उस समय इससे संबद्ध थे और कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति जो पहले थी ; ये सभी अब भी ऐसी ही है। परन्तु राष्ट्रपति शासन लागू करने का वर्तमान कारण कुकी-नागा जातीय संघर्ष था। मैं उससे सहमत हूँ।

वास्तव में अन्य पहलू अथवा अन्य बात जो इससे संबद्ध है वह ग्रुपों में पार्टी में और सरकार में आपसी लड़ाई है, जो उस राज्य में संवैधानिक पहलू अथवा संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है। इसलिए, यदि गृह मंत्री संवैधानिक तंत्र की विफलता पर अधिक जोर देते हैं और राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके ऐसा करने के पीछे कोई कारण है। परन्तु यदि वे नागा-कुकी संघर्ष पर जोर देते हैं और इसे राष्ट्रपति शासन की अवधि में वृद्धि का कारण मानते हैं तो मैं समझता हूँ कि अवधि बढ़ाना इतना आवश्यक नहीं हैं। इसलिए, इस वृद्धि के लिए एक विस्तृत स्पष्टीकरण, मूल्यांकन और विश्लेषण की आवश्यकता है। मेरा ऐसा कहने का यह तात्पर्य नहीं है। कि इसे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सदन को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि इसे क्यों बढ़ाया जा रहा है। अतः, यदि हम दूसरे पहलू अर्थात् कानून और व्यवस्था की स्थिति पर आते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह आधार राष्ट्रपति शासन की अवधि में वृद्धि करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति तो वहाँ काफी समय से है जिसके बारे में मैंने उल्लेख किया है। वहाँ अनेक वर्षों से यह आन्दोलन चल रहा है ; गत 40, 50 वर्षों से वहाँ नागा आन्दोलन चल रहा है और कुकी ग्रुप वहाँ पिछले एक वर्ष से पैदा हुआ है। इसलिए, इस प्रकार से वहाँ अनेक चीजें हैं। अब भी यह जारी है और हमारा ध्यान उस ओर आकर्षित किया गया है। अतः मैं कहना चाहता हूँ कि गृह मंत्री को संवैधानिक पहलू को देखना चाहिए कि क्या पार्टी स्थिति और अन्तरकलह की वर्तमान स्थिति में एक लोकप्रिय सरकार लाना संभव है। यह गृह मंत्री की बुद्धिमता होगी यदि वे यह सोचते हैं कि पूर्व मिली जुली सरकार के बदले एक लोक प्रिय सरकार लाना अच्छा होगा, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ और कहता हूँ कि ऐसा करने का यह उचित समय है। परन्तु यदि वे सोचते हैं कि इसमें कुछ समस्याएँ आयेंगी तो यह उनकी विवेक हैं; मैं उस बात को अधिक छेड़ना नहीं चाहता। इस संबंध में मेरा यह विचार है; इस मामले का विश्लेषण करने के बाद यह मिली जुली धारणा है और यह स्पष्ट रूप से सदन के रिकार्ड में आये।

यहाँ दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह उपेक्षा से विदेशीकरण की भावना के बारे में हैं जिसके बारे में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग हमेशा अनुभव करते हैं और शिकायत करते हैं। अनेक सदस्यों ने हाल ही में इस उपेक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का इस संदर्भ में विश्लेषण किया है और यह यहाँ कैसे उत्पन्न हुई और घुसपैठ को कैसे प्रोत्साहन मिला। नागा आन्दोलन जैसे कुछ आन्दोलन भारत की स्वतन्त्रता से पूर्व भी थे, हम उस समस्या के लिए उपेक्षा को दोषी नहीं मान सकते। परन्तु इसे उनके विचार के तरीके की दृष्टि से एक भिन्न दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि वे राष्ट्रपिता के बारे में किस प्रकार सोचते हैं, वे अपने बारे में कैसे सोचते हैं। हमे इस समस्या का समाधान आपकी समझौतों और राजनैतिक समझौते से करना होगा।

मैताई समस्या के संबंध में यह बिल्कुल ठीक है ; मैं सभी सदस्यों के साथ सहमत हूँ कि यह उपेक्षा और कुंठा के कारण पैदा हुई है। इसलिए, मैं इस बारे में दो विचार व्यक्त करता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, कि इसे दो तरीकों से देखा जाना चाहिए। एक यह है कि घुसपैठ, उग्रवाद और संघर्ष जो कश्मीर, पंजाब और असम घाटी तथा मणिपुर की इम्फाल घाटी में विद्यमान है, ये सभी समाप्त हो जायेंगे वे मानते हैं कि वे राष्ट्रीय मुख्यधारा की अभि अंग हैं। जब उन्होंने अलगाव की इस प्रक्रिया को आरम्भ किया, मैं इसे अभारतियता कहना चाहूँगा जैसा कि मैंने चार या पाँच वर्ष पूर्व भी इस सदन में कहा था। मैं जम्मू-कश्मीर, पंजाब, मणिपुर के हालात मैत्री आन्दोलन, असम में, 'उल्फा' आन्दोलन को अभारतीयता कहता हूँ। पहले वे भारतीय थे। परन्तु अब वे भारत मे बाहर जाने का प्रयास कर रहे हैं। यह अभारतीयता की प्रक्रिया है। मैं माननीय गृह मंत्री को बताना चाहता हूँ कि इस प्रक्रिया को रोकना होगा। नागा और अन्य आदिवासियों ने अपने आप को भारत का अंग नहीं माना हुआ है। हम उन्हें पुनः भारत में लाने का प्रयास कर रहे हैं जोकि भारतीयकरण की प्रक्रिया है। हमें इसे प्रोत्साहन देना चाहिए ; हमें उन्हें मुख्यधारा में वापस लाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। उग्रवाद के बारे में हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न होना चाहिए। इस मामले में मेरा यही सामान्य विश्लेषण है जिसे मैं माननीय गृह मंत्री की जानकारी में लाना चाहता हूँ। इसलिए केवल यह कहना कि यह उपेक्षा है और यह विदेशीकरण है, यह नहीं होगा। कभी कभी सदस्य कहते हैं कि यह भौगोलिक अन्तर, वायु सेवा की कमी, रेल सेवा की कमी ; के कारण हैं वास्तव में यह ठीक है ; मैं इस सदन में 1985 से यह मांग कर रहा हूँ, जब मैं पहली बार जीतकर आया था, जब श्री बंसीलाल रेल मंत्री थे, कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय को पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलों का विस्तार करना चाहिए। मैं यह माँग प्रत्येक सत्र और प्रत्येक बजट सत्र में कर रहा हूँ। मैं यह माँग केवल मणिपुर के लिए ही नहीं कर रहा हूँ वास्तव में मैं मणिपुर का हूँ और मैं केवल मणिपुर के लिए ही माँग कर सकता हूँ, अपितु असम को छोड़कर अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए भी माँग कर रहा हूँ। इन सभी राज्यों में कोई रेल लाइन नहीं हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान, 1947 तक उन्होंने रेल लाइन का विस्तार मणिपुर की सीमा सिल्चर तक किया था ; उन्होंने नागालैंड की सीमा दिमापुर तक इसका विस्तार किया था। उन्होंने रेल लाइनों का विस्तार नागालैंड की सीमा दिमापुर तक किया। परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इसे रोक दिया गया। इसलिए, मैं मज़ाक में कहता हूँ कि भारत को स्वतन्त्रता कुछ बाद में प्राप्त हुई अन्यथा रेल का विस्तार और भी आगे बढ़ गया होता। कभी-कभी हम यह सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि केन्द्र द्वारा हमारी उपेक्षा की जा रही है क्योंकि जब कभी हम केन्द्र से सहायता के लिए कहते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि वित्तीय संकट के कारण केन्द्र सहायता करने में समर्थ नहीं है। मैं सहमत हूँ कि वित्तीय संकट है और हमेशा रहेगा। देश में धन पानी की तरह नहीं बह सकता। परन्तु घर पर एक रोगी बच्चे की ओर अधिक ध्यान देने की अपेक्षा हमे राज्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए जिसे विकसित किये जाने की आवश्यकता है। यदि रेलवे हमारे राज्य तक रेल लाइनों का विस्तार करता है तो उसे कुछ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मुम्बई जैसे शहर में मुम्बई से दिल्ली तक वातानुकूलित रेल चलती हैं जबकि कोहिमा अथवा इम्फाल तक साधारण यात्री रेल भी नहीं है। आप उस राज्य के लोगों से कैसे कह सकते हैं कि वित्तीय संकट के कारण वहाँ यह सुविधा नहीं दी जा सकती ? अतः यह स्वभाविक है कि उस क्षेत्र के लोग अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं।

मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उसे पूरा नहीं किया गया है क्योंकि इससे शान्ति की पुनः स्थापना करने में सहायता नहीं मिली है। इससे उस राज्य में घुसपैथ का सामना करने में मदद नहीं मिली है। दूसरी ओर शहर का सौन्दर्यकरण जैसे अनावश्यक कार्य केन्द्र द्वारा किये गये हैं।

महोदय, सरकार ने पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ''न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रमों'' के लिए आबंटित धन को दूसरी ओर खर्च कर दिया है। और इसे ऐसे शहर के सौन्दर्य के लिए प्रयोग किया है जोकि पहले से ही सुन्दर है। उदाहरण के रूप में शहर के पास से गुजरने वाली नुम्बुल नदी के किनारे पर एक उपमार्ग का निर्माण किया जाना था। इसके लिए उन्होंने 200 वर्ष पुराने आदिवासी बस्तियों को उजाड़ दिया है। ये आदिवासी, जो 200 वर्ष से वहाँ बसे हुए हैं, उन्हें अब अनाधिकार कब्जा करने वाला बताया जा रहा है। मणिपुर को ब्रिटिश शासन में 1891 में मिलाया गया था। उसके पश्चात् शहर विकसित हुए। तब भारत सरकार अस्तित्व में आई। ये आदिवासी लोग तब से ही वहाँ बसे हैं। और उन्हें कब्जा करने वाले कहा जा रहा है। यह बांध बनाने के लिए सरकार ने उनके घरों को तोड़ दिया है जिन्हें उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई से बनाया था। सरकार ने उन्हें भूमि अधिग्रहण की सामान्य प्रक्रिया अपनाये बिना और मुआवजा दिये बिना वहाँ से हटा दिया है। अतः केन्द्र शान्ति बहाल करने के लिए रखे गये सारे धन को ऐसे अनावश्कय कार्यों के लिए लगा रहा है। मणिपुर सरकार को ऐसे कार्यों को रोकने तथा ऐसे कदम उठाने के लिए कहा जा सकता है, जिससे वहाँ के लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न हो।

नुम्बुल नदी परियोजना काफी अर्से से सरकार के विचाराधीन है। यह मणिपुर फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट 1978 के तहत लम्बित हैं मेरे विचार से सरकार इस संबंध में मिले धन का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मैं गृह मंत्री से इस संबंध में कुछ करने का अनुरोध करता हूँ।

अब, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र जिसमें पांच जिलों सहित कुल क्षेत्र का 90 प्रतिशत है। में कुछ आवश्यक वस्तुओं के वितरण के बारे में कुछ कहना चाहूँगा।

वे लोग विशेषतया चंदेल जिले के तेन्गनोपाल सब-डिवीजन के मेरिंग नागा क्षेत्र में हैं। मुझे कुछ दिन पहले रिपोर्ट मिली है कि वहाँ एक परिवार हैं जिसमें सात सदस्य हैं जो एक किलो चावल से तीन दिन तक गुजारा करते हैं। वे लोग भुखमरी के कगार पर है। इसलिए कुछ किया जाना चाहिए।

मैं गृह मंत्री द्वारा एक पत्र लिखी गई इस बात की सराहना करता हूँ कि जब कुकी और नागाओं के बीच विवाद था। गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री को मेरे पत्र के उत्तर के रूप में उनके पुर्नःस्थापन के लिए कुछ धन देना चाहिए। रेड क्रास सोसाइटी ने 100 लाख रुपये की सहायता दी थी आज हमें इस बात की आवश्यकता है। कि सरकोर को उस राज्य की सुन्दरता बढ़ाने के बजाय उस धन का भली प्रकार उपयोग करना चाहिए। एक बार चुनी गई सरकार द्वारा की सत्ता में आने पर यह सुन्दरता की जा सकती है। चाहें वह इसे पाऊडर से या सौन्दर्य-प्रसाधन या किसी अन्य वस्तु से जिससे वे चाहते है इसे धो सकते हैं। लेकिन मेरे विचार से केन्द्रीय शासन ही इसका एकमात्र समाधान नहीं हैं। इससे वहाँ रह रहे आदिवासी लोगों के विचार पर प्रभाव पड़ेगा मेरा यह कहने का अभिप्राय नहीं है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि नहीं बढ़ायी जानी चाहिए लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया

जाना चाहिए। इसे जैसी पिछले वर्ष की स्थिति थी वैसी ही सामान्य स्थिति लायी जानी होगी। हमें इस बात को भी देखना होगा कि वहाँ एक लोकप्रिय सरकार हो। मैं जानता हूँ कि मणिपुर में कोई एक दल अपनी सरकार नहीं बना पायेगी। उनकी 60 सदस्यों की विधानसभा है। एक भी दल में 30 से अधिक सदस्य नहीं है। फिर भी, यदि कुछ दल इक्ट्ठे हो जाते हैं तथा सरकार बनाती है तो यह वहां की जनता के हित में होगा। यह अजब व्यापार का प्रश्न नहीं है।

एक माननीय सदस्य यदि मैं गलती पर नहीं हूँ, श्री बर्मन, कह रहे थे कि राष्ट्रपति शासन बढ़ाने से केवल हार्स ट्रेडिंग को बढ़ावा होगा अर्थात् जो पार्टी वहाँ सरकार बनायेगी ; वह विधायकों को खरीदने का प्रयास करेंगे। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब अलग-अलग पार्टियाँ इकट्ठी हो सरकार बनाती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है।

राज्यपाल की रिपोर्टों में श्री रिशाँग केशिंग तथा अन्य नेताओं के विरुद्ध काफी आरोप लगाये जा रहे हैं। मेरे विचार से, मैंने 22 फरवरी को ऐसी रिपोर्टों का असंगत बताया था। जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने उल्लेख किया है, श्री रिशांग केशिंग 'यहां पर 1952 से है अर्थात् जब स्वतन्त्र भारत की प्रथम लोक सभा बनी थी। वह इस सदन के दो बार सदस्य रह चुके थे। कई वर्षों बाद, वह 1980 से 1988 तक मणिपुर के मुख्य मंत्री बने। उस अवधि के दौरान मणिपुर में काफी शान्ति थी। उस समय वह नागा आन्दोलन पर नियंत्रण रखने में सक्षम थे।

अत: यदि आप पिछला इतिहास देखें; तो आप पाओंगे कि उनका कार्य निष्पादन शुरू से अच्छा रहा है। यदि आप इतिहास देखे तो मेरे विचार से जो कुछ रिपोर्ट में कहा गया था वह ठीक नहीं था। मैं पहले भी कई बार यही बात कह चुका हूं लेकिन अब बार बार यही मुद्दा उठाया जा रहा है अत: मैंने सोचा कि मैं स्थिति स्पष्ट करूं। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जिनका नाम रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है। आप राज्यपाल की रिपोर्ट को आगे तक नहीं ले जाना चाहिए। यह रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित नहीं है। यही मेरा मुद्दा है। आज की स्थिति में यह संगत नहीं हैं क्योंकि हम राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने पर चर्चा कर रहे हैं।

अत: गृह मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे पूर्वोत्तर की समस्या को गम्भीरता से लें, जैसा कि मेरे पूर्व के के सदस्य कई बार कह चुके हैं, इस समस्या को व्यापक ढंग से नियंत्रित किया जाना चाहिए; थोड़ा थोड़ा करके नहीं ; अर्थात् एक समूची आर्थिक दृष्टि से तथा एक व्यापक राजनीतिक दृष्टिकोण को अलग से लिया जाना चाहिए। विकास जरूरी है।

जैसा कि मैंने हाल ही में उल्लेख किया था; विकास की कमी के कारण कुंठा होती है तथा कुंठा से विद्रोही ताकतों को बढ़ावा मिलता है। यह केवल एक अनैतिक चक्र है। आपको उस बिन्दू को ढूंढना है जहाँ पर आप इस चक्र का भेदन सके। अत: विकास जरूरी है। हमें शान्ति का इन्तजार नहीं करना चाहिए। यदि हम 50 वर्ष और शान्ति का इन्तजार करते रहे तो वहां शान्ति नहीं हो सकती; वहाँ और 50 वर्षों तक विकास नहीं होगा ; वहाँ कुंठा तथा कुंठा से, गुस्ता, विद्रोह और फिर अंशाति हो जायेगी। ऐसा होता रहेगा अत: यह एक अनैतिक चक्र है। आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते ; आपको इसे किसी बिन्दू पर काटना होगा। इसलिए सैनिक कार्रवाई से इस समस्या का अंतिम हल नहीं हो सकता। यह एक विशेष स्थिति पर केवल एक अस्थायी उपाय है। अत: विरोधी ताकतों से संधिवार्ता की जानी चाहिए।

पूर्वोत्तर में ऐसे बहुत से विद्रोही तत्वों में, नागा समस्या मूल समस्या है, इसी से अन्य समस्याएँ उत्पन्न हुई है; इससे 1966 में मिजो समस्या को जन्म दिया; इसने त्रिपुरा में टीएनयू को जन्म दिया है; इसने असम में 'उल्फा' को जन्म दिया ; इसने मणिपुर में विरोधी ताकतों को जन्म दिया यद्यपि मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में नागा भी है ; इसकी तुलना में मणिपुर घाटी में शान्ति है। मणिपुर के मेरे सहयोगी ने 200 या 300 वर्षो के धर्म के बारे में भी बताया था। 'वे' राष्ट्रीय मुख्य धारा में भी थे ; वे स्वयं का प्रथम भारतीय बताते हैं ; वे भारत की स्वतन्त्रता को बहुत आशाओं में मनाते तथा अपना सिर गर्व से उठते है उन्होंने इन बातों को कैसे बदल दिया है ? मैंने अभी उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय मुख्यधारा से पीछे हटने की प्रक्रिया है। मैं इसे अभारतीयकरण कहता हूँ। अब हम नागाओं तथा अन्य लोगों को खींच रहे हैं। जो स्वयं को भारतीय नहीं मानते। यह एक अभारतीयकरण की प्रक्रिया हैं अतः प्रक्रिया एक अलग बात है। यद्यपि बाह्यतः यह सब विद्रोहत्मक है, प्रक्रिया अलग है;

मैं गृह मंत्री जी से पूर्वोत्तर में विद्रोही दलों के विभिन्न वर्गों से राजनीतिक संधिवार्ताएँ करने का अनुरोध करता हूँ। केवल तभी वहाँ शान्ति होगी।

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : सरकार ने मणिपुर में दुसरी बार राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया है। मैं जानता हूं कि इस अवधि को बढ़ाना सरकार के लिए अनिवार्य बन गया है।

मणिपुर में पहली बार राष्ट्रपति शासन घोषित करने से कुछ दिन पूर्व, मैं वहीं था वहाँ कानून तभी व्यवस्था की समस्या थी। मैं अनेक लोगों से वहाँ मिला था जैसे विधार्थियों, अध्यापकों, आम् आदमी, आम नागा लोगों तथा कुकियों से तथा प्रशासन से भी मैंने बात की थी। फिर मैं राज्यपाल से मिला। मैं मणिपुर के लोगों के प्रशासन के बारे में उनके विचारों को यहाँ स्पष्ट करता हूँ। जो कुछ मैं महसूस करता है वह यह है कि मणिपुर के आम लोगों का प्रशासन से विश्वास उठ गया है।

सरकार ने विधानसभा को इस आशा से निलंबित किया कि इसे पुर्नजीवित किया जा सकता है। लेकिन मेरी विभिन्न वर्गो के लोगों से बातचीत से मुझे लगा कि एक वर्ग के लोगों ; पहुँच वाले लोंगों में विश्वास है जो प्रशासन में हैं, जो उनके प्रतिनिधि है, उनमें से एक वर्ग राज्य के मामलों के लिए जिम्मेदार है जो मणिपुर में हावी था। अतः महोदय विधानसभा को पुर्नजीवित करने का प्रश्न इस स्तर पर नहीं उठता। गृह मंत्री को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

दूसरी बात, मैं विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के विधार्थियों से मिला उनका आरोप मणिपुर की अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में है। मणिपुर की अर्थव्यवस्था का बहुत पिछड़ा स्तर है। उन्होंने सुझाव दिया है कि एक बार कागज उद्योग के विकास के लिए कुछ प्रयास किये गये थे। अभी भी इसके और विकास की सम्भावना है। लेकिन सरकार इस बारे में गम्भीरता से नहीं सोच रही है। जिससे युवा और विद्यार्थी कुंठित हो गये हैं तथा उनमें से कुछ कुंठित लोग आतंकवादियों से इस आशा से संबंध स्थापित कर रहे हैं कि इससे उन्हें कुछ धन अर्जित करने में सहायता मिलेगी। इसलिए इन युवाओं और उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, सरकार को उनको आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए तथा उद्योग के विकास की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए।

तीसरी बात, पूर्वोत्तर राज्यों की आम समस्या के बारे में है। मणिपुर की समस्या केवल मणिपुर तक

सीमित नहीं है। यह आम समस्या से जुड़ी है जो पूर्वोत्तर में हावी है। जहाँ तक पाकिस्तान और वर्मा का सवाल है इसने अन्तर्राष्ट्रीय रूप भी धारण कर लिया है। हम जानते हैं कि यह एक सुनहरे त्रिकोण का एक हिस्सा है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब तक हम सुनहरे त्रिकोण की समस्या को नियंत्रित नहीं करते तब तक मणिपुर में स्थिति सामान्य नहीं हो सकती है। महोदय, मैं कुछ अनुभव है जिन्हें मैं आपके माध्यम से नम्रता से बताना चाहूंगा।

सैद्धान्तिक रूप में, मैं देश में राष्ट्रपति शासन का विरोध करता हूँ जब पहली बार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई गई थी सरकार ने सोचा कि स्थिति सामान्य हो जायेगी। अब छः माह की अवधि खत्म होने जा रही है, वहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं हुई है। निःसंदेह जैसा कि सरकार ने दावा किया है, वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। लेकिन वहां केवल कानून और व्यवस्था का ही प्रश्न नहीं है।

मैंने राज्यपाल से आधा घंटा बातचीत की थी। प्रशासन में सब, जिसमें उच्च पदाधिकारी भी शामिल है, सोचते है कि समस्या का सेना द्वारा हल किया जा सकता है। इस समस्या को वहाँ पर प्रशासन की मजबूत बनाकर सुलझाया जा सकता है। लेकिन राजनीति प्रक्रिया के प्रश्न, जनता को शामिल करके के प्रश्न नागाओं और कुकियों से उग्रवादियों को दूर करने के प्रश्न को उनके मन में नहीं है। अतः प्रसार माध्यम समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यम के लोगों के विचारों में बैठाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

मैं यह देखकर हैरान था। महोदय, जब लम्डिंग में अशन्ति थी और लोगों के साथ पशुओं की तरह हाँका जा रहा था। कुछ सैनिक वहाँ उपस्थित लेकिन उन्होंने मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने प्रशासन से पूछा उन्होंने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली और उन्हें को निर्देशन नहीं किया गया। इसीलिए मणिपुर प्रशासन चलाया जा रहा है। गृहमंत्री जी, उस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि वहाँ आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए।

कुछ माननीय मित्रों ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और उद्योग के विषय में कहा। चौथा मुद्दा लोगों की भागीदारी की प्रक्रिया से संबंधित है। वहां विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं को जनता के सभी वर्गों के साथ मिलना चाहिए ताकि एक आम राय बनाई जा सके। सिर्फ तभी मणिपुर में शांति स्थापित हो सकती हैं इसमें पाकिस्तान वर्मा और अन्य शक्तियां जिनके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ का हाथ होने की समस्या को कूटनीति पूर्वक निपटाना होगा।

इन सुझावों के साथ, यह आशा करते हुए कि अगली बार कोई मंत्री राष्ट्रपति शासन की अवधि के और बढ़ाने का निवेदन लेकर नहीं आएँगे, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी) : मैं मणिपुर पर प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उन परिस्थितियों में, जिनके अंतर्गत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, के विषय में हम सभी जानते हैं। इस बात से कि उस वक्त वहाँ कौंग्रेस (आई) के मुख्यमंत्री थे, मिजी जुली सरकार में कौंग्रेस (आई) मुख्य सहयोगी थी और इसके बावजूद वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, यह साबित हो जाता है कि ऐसा करने के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके कोई राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हमारे विपक्ष के मित्र सदन में पूर्वोत्तर के प्रति उपेक्षा की इतिहास, उनकी जातीय विभिन्नतर और समस्या के विभिन्न जटिलताओं का उल्लेख कर रहे थे। वे हर प्रकार का आरोप कांग्रेस पर लगाने की हमेशा कोशिश करते हैं। परंतु दुर्भाग्य कि वे वहाँ कि वास्तविक परिस्थिति को नहीं देखते हैं।

मुख्य बात यह है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के विषय में सभी को एकमत होना चाहिए, क्योंकि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी, और जनजातियों के बीच झगड़े होने लगे थे, जो अन्य प्रांतों में फैलने की स्थिति में थे। परंतु प्रशासन परिस्थिति का सामना करने में असमर्थ था, जिसके फलस्वरूप बाध्य होकर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और काँग्रेस (आई) की सरकार को भंग करना पड़ा। अतः कम से कम इस संदर्भ में राजनीतिक लाभ की बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। **(व्यवधान)**

निश्चित रूप से, प्रशासन नागाओं और कुकियों के बीच हुए संघर्ष को नियंत्रण में लाने के लिए उचित कार्यवाही करने में असफल रहा।

जब सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और उत्तर -पूर्व के लोगों को हमारी असुरक्षा और संस्कृति के संबंध में झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, हमें पूर्वोत्तर की समस्याओं को बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। दुर्भाग्यवश, अधिकतर विपक्षी दलों की पूर्वोत्तर में कोई उपस्थिति नहीं है। जिस तरह से हम भोजन में थोड़ा सा अचार लेते हैं, उसी तरह से वहाँ ज्यादातर काँग्रेस या क्षेत्रीय दलों के तथा एक या दो सी पी आई या जनता दल के सदस्य हैं। उनका कोई महत्व नहीं है। वे एक दिन उस क्षेत्र का दौरा करते हैं। और यहाँ वापस आकर विशेषज्ञों की तरह उत्तर-पूर्व की स्थिति के बारे में उपदेश देने लगते हैं। कांग्रेस सरकार ने पूर्वोत्तर में सब कुछ किया हैं इस बारे में भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि काँग्रेस के सिवा कोई अन्य दल वहां सरकार नहीं बना सकेगा। इस देश के अन्य चीजों की तरह, उत्तर-पूर्व को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए कांग्रेस दल ने अकेले ही पूरी कोशिश की है और देश की बाकी जनता के साथ भी वह मजबूती से काम करता है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी (गढ़वाल) : मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक ओर तो आप कहते हैं कि काँग्रेस ही केवल ऐसा दल है जिसने वहाँ कुछ किया है। फिर वहाँ की समस्याओं के लिए किसे दोषी ठहराया जाएगा ?

श्री किरिप चलिहा : ऐसा है क्योंकि स्थिति बहुत जटिल है। उस समस्या की जटिलताओं को एक दिन में ही सुलझाया नहीं जा सकता और जैसा कि श्री जॉर्ज फर्नान्डीज ने अभी कहा कि केवल वाद-विवाद करके उनको सुलझाया नहीं जा सकता। हम सभी जानते हैं कि वहाँ की स्थिति में काफी जटिलताएँ हैं। कम से कम काँग्रेस दल राष्ट्रीय शक्तियों को पूर्वोत्तर में लाने की कोशिश कर रहा है। इस विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहर लाल नेहरू और महात्मा गांधी पूर्वोत्तर में सबसे लोकप्रिय नेता रहे हैं। हमें और किसी राष्ट्रीय नेता का नाम तक नहीं पता है। कई प्रधान मंत्री बने, पर किसी ने भी अपने शासन के दौरान एक बार भी पूर्वोत्तर का दौरान नहीं किया। मैं इसको अन्य अवसरों के लिए छोड़ता हूँ। परंतु, मैं यह मानता हूँ कि हमारी भी विवशताएं हैं, कमियां हैं। हमें पूर्वोत्तर चल रही अलगाववादी प्रक्रिया और वहां के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति दिखाई गई उपेक्षा से गहरा दुःख है। इस बारे में कोई दो राय नहीं हैं। इसमें राजनीति को नहीं लाना चाहिए। उदाहरण के लिए, सिक्किम में क्या हो रहा है ? सिक्किम में कोई राजनीति नहीं लाई गई। जिन मंत्री

ने बार-बार इसको स्पष्ट किया है। महोदय, जब आंतरिक राजनीति आ जाती है और जनजातियों में आपस में संघर्ष होने लगते हैं, तो सबसे खतरनाक बात यह होती है कि विभिन्न छोटी जनजातियों की आपसी कटुता बढ़ती जाती है, जैसा कि आज उत्तर पूर्व में हो रहा है और सिक्किम में भी जनजातीय संघर्ष में वृद्धि हो रही है। श्रीमती भंडारी भी इस बात को स्वीकार करेंगी। नागालैंड और मणिपुर में भी, इससे काफी समस्याएँ पैदा हो रही हैं जोकि एक जटिल स्थिति को उत्पन्न करेंगी और जिसको काफी दूरदर्शिता, बुद्धिमानी और संयम से सुलझाना होगा। इतना कुछ कहने के बाद भी, मैं सरकार की तरफ से दिए गए संक्षिप्त विवरण को नहीं मान रहा हूँ और आने वाले हर समय के लिए राष्ट्रपति शासन को न्याय संगत नहीं मानूँगा। परंतु यह सत्य है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले, मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ चुकी थी। यह सत्य है। यह भी सत्य है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद से, वहाँ संघर्षों में कमी आ गई है। जहाँ तक प्रशासन और शांति लाने के प्रयासों का प्रश्न है, उन्हें बहुत हद तक मजबूत कर लिया गया है। यह प्रक्रिया कुछ और समय तक जारी रहनी चाहिए। मैं इसे रिकार्ड में लाना चाहता हूँ। उत्तर-पूर्व में बहुत जटिल और खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो रही है। कई सदस्यों ने नशीले पदार्थों और गोल्डेन ट्राएंगल का जिक्र किया। मैं आभारी हूँ कि आप में से कुछ गोल्डेन टाएंगेल के विषय में जानने के इच्छुक हैं। परंतु, क्या आप जानते हैं, आज के समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट छपी है कि उत्तर-पूर्व भी खालिस्तानी उग्रवादियों को अवैध हथियार की तस्करी करने का एक केंद्र बन गया है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं ? क्या आप यह भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने पश्चिमी क्षेत्र से पंजाब में अपनी गतिविधियों में असफल होने के पश्चात् पूर्वी क्षेत्र से अपनी गतिविधियाँ प्रारम्भ कर दी हैं ? क्या आप इस तथ्य को अनदेखा कर सकते हैं ?

मेरा सेना के अधिकारियों के विरुद्ध कोई पूर्वग्रह नहीं है। सेना के कई अधिकारियों ने अन्य क्षेत्रों में नाम कमाया है, जैसे मेजर जनरल खंडूरी, जो एक अच्छे संसद सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चंद्र खंडूरी : आपने अभी वहाँ के राज्यपाल की प्रशंसा की है।

श्री किरिप चलिहा : सैनिक अधिकारी अनुशासन पालन करने में दृढ़ रहते हैं और उनका व्यवहार हठीला होता है। हम उत्तर पूर्व में संवेदनशील स्थितियों से निबटपाने के लिए एक अनुभवी राजनेता की तलाश में हैं। दरअसल हमने गृह मंत्रालय और प्रधान मंत्री जी से निवेदन किया था, जिसे बार-बार दुहराया गया। जब किसी सैनिक को वहां भेजा जाता है तो अलगाववादियों को एक शस्त्र मिल जाता है और वे कहते हैं कि देखिए, एक सैनिक यहाँ भेजा गया है। हम पर सैनिक शासन थोपा जा रहा है। हम देश के हिस्से नहीं हैं। इसलिए, एक अनुभवी राजनेता की जरूरत है ताकि इस संवेदनशील स्थितियों से निबट सकें।

जब आप संवैधानिक अधिकारियों को भेजते हैं, जब आप एक राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, तो आपको देखना चाहिए कि हम उग्रवादियों को अलग-अलग कर डालें और सिर्फ उग्रवादियों को ही न कि वहां की जनता को। अभी दो दिन पहले ही कुछ वरिष्ठ राजनेता मणीपुर से यहाँ आए हैं और मुझसे शिकायतें की हैं, चलिहा जी, आप एक चीज नहीं समझते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। अगर वे स्वयं जाते हैं तो उन्हें अच्छी सीटें नहीं मिलती हैं और उन्हें बैठने की अनुमती नहीं मिलती है। ये सभी बहुत ही छोटी बाते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि भावनात्मक

माहौल में, ये छोटी चीजें उत्तरपूर्व में बड़ी चीजों का रूप धारण कर लेती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि जाँच करें कि क्या इस तरह के आरोप सही हैं। और क्या ये विसंगतियां आज राज्य में पनप रही हैं।

5.00 म.प.

महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन में माननीय सदस्यों के भाषण से अवश्य ही देखा होगा कि राष्ट्रपति शासन राज्य में कांग्रेस की दृष्टि से या सामान्य जनता की दृष्टि से स्वागतयोग्य प्रस्ताव नहीं है। कांग्रेसी भी थोड़ा सा अलग-थलग महसूस कर रहे हैं क्योंकि विवादास्पद राज्यपालों के प्रतिवेदन के माध्यम से वे संदिग्ध दृष्टि से देखे जा रहे हैं। मैं ठीक अभी इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता। इस प्रतिवेदन का व्यापक स्वागत नहीं हुआ है। मैं आश्वस्त हूँ कि माननीय मंत्री जी भलीभांति जानते हैं कि उत्तरपूर्व में क्या समस्याएँ हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, कई बार वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं और सही निर्णय ले पाने में उन्हें कठिनाईयों का सामना करना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री एक दिन इस कठिनाई को उखाड़ फैंकेगें और निर्णयक निर्णय लेना शुरू कर देगें।

जहाँ तक उग्रवाद की समस्या का संबंध है तो इसे अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। एक समन्वित प्रयास होना चाहिए। दरअसल, मैं इस सदन में बार-बार कहता रहा हूँ कि उत्तर पूर्व के उग्रवाद से किसी एक राज्य की समस्या के रूप में नहीं निबटा जा सकता। उग्रवादी स्वयं एकजुट हैं और इसलिए हमारी जवाबी कोशिश भी समन्वित कार्रवाई होनी चाहिए। किसी ने भी यह नहीं कहा है कि उत्तर पूर्व में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन ही उग्रवाद का निदान हो सकता है। राष्ट्रपति शासन कठिन परिस्थितियों की ही उपज है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इसका तीसरे बार विस्तार नहीं किया जाए और इसके पहले, एक प्रजातांत्रिक प्रणाली मणिपुर में प्रतिष्ठापित हो सके।

जहाँ तक राजनैतिक स्थितियों का मामला है तो विधान सभा को निलम्बित रखा गया है क्योंकि इसमें राजनैतिक दृष्टि का आरोप नहीं होना चाहिए। विधान सभा को निलम्बित रखा गया है और इससे पुनः वे सभी शक्तियां एकजुट हो जाएँगी और एक स्थायी सरकार उभर जाएगी। विपक्षी पार्टियों को कठिनाई की घड़ी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि, देश के प्राकृतिक विकास के लिए, उस राज्य में कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए।

मैं केवल एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करना चाहूँगा। हमारे पहले के सभी वक्ताओं ने नशीली दवाईयों और मणिपुर में एड्स जैसी खतरनाक बीमारी के प्रकोप की बात सभी सदस्यों ने की है। यह रूचिकर है कि कई युवकों और युवा संगठनों ने स्वयंसेवी संगठन और गैर सरकारी संगठन इससे लड़ने के लिए कमरकस रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, सरकार इन युवकों को इस बुराई से निबटने में उचित प्रोत्साहन नहीं दे पा रही है। यह लोग इससे लड़ सकते हैं और उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यही लोग गलियों तक बेहतर ढंग से इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। अतः उनका प्रोत्साहन किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही एक लोकप्रिय सरकार जो निःसंदेह कांग्रेस की सरकार होगी - मणिपूर में सत्ता में आ सकती है।

5.04 म.प.

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(चार) चीनी के मूल्य

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : कल शून्य काल के दौरान माननीय सदस्यों ने देश में चीनी के मूल्यों में की गई वृद्धि का मामला उठाया था। इस संबंध में स्थिति इस प्रकार है : -

1991-92 मौसम में चीनी का उत्पादन 134.11 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया था और 1992-93 मौसम में इसके उत्पादन को धक्का पहुंचा और इस मौसम के दौरान कुल 106.09 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ। 1992-93 मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण गन्ने की खेती के अधीन क्षेत्र में कमी होना था जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश चीनी उत्पादक राज्यों में गन्ने के उत्पादन में गिरावट आई । 15.3.1994 को इस सदन में स्वयं वक्तव्य देते समय मैंने बताया था कि वर्तमान मौसम, 1993-94 के दौरान लगभग 104 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है। तथापि, वर्तमान चीनी मौसम, 1993-94 के दौरान 15.4.1994 तक कुल 90.51 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ जबकि पिछले मौसम की इसी तारीख तक 99.01 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार चीनी के उत्पादन में लगभग 8.50 लाख मीटरी टन की गिरावट आई। अब यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान मौसम, 1993-94 के दौरान चीनी का उत्पादन 100 लाख मीटरी टन से भी कम हो सकता है। वर्तमान मौसम में चीनी के उत्पादन में गिरावट आने का मुख्य कारण यह था कि गुड़ और खण्डसारी क्षेत्रों ने अत्यधिक मात्रा में गन्ना खरीद लिया था और चीनी के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में गन्ने की कम पैदावार हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, देश में चीनी की कुल उपलब्धता में काफी कमी हुई है।

भारत सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में किए गए प्रावधानों के अधीन प्रत्येक मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है। गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य, जो 1992-93 मौसम के दौरान 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर 31/- रुपये प्रति क्विंटल था, बढ़ाकर 1993-94 मौसम के लिए 34.50 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था। तदुपरान्त देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों में भी वृद्धि कर दी गई थी। कुछेक प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में राज्य द्वारा सुझाये गये मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश में भी 1992-93 मौसम के दौरान बढ़ा दिए गए राज्य द्वारा सुझाए गए 46 - 49 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य को बढ़ाकर 1993-94 मौसम के दौरान 58 - 61 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। इस प्रकार इसमें लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई थी। इसी प्रकार, अन्य राज्यों में भी इन मूल्यों में वृद्धि कर दी गई थी। गन्ना उत्पादकों को प्रदान किए जाने वाले गन्ने के मूल्य में कर दी गई इस वृद्धि के परिणामस्वरूप चीनी के मूल्यों में कुछ वृद्धि होना अनिवार्य हो गया था क्योंकि गन्ने के मूल्यों में वृद्धि कर देने से चीनी की उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो गई थी।

चीनी का थोक मूल्य सूचकांक अक्तूबर, 1993 के 203.4 से बढ़कर जनवरी, 1994 में 214.9 हो गया

और फरवीर, 1994 में यह और बढ़कर 226.3 के स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद 23 अप्रैल, 1994 को स्थिति के अनुसार सूचकांक बढ़कर 230.3 हो गया। चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य, जो अक्तूबर, 1993 में 10.70-12.50 रुपये प्रति किलोग्रमा की रेंज में था अब 9.5.1994 को स्थिति के अनुसार यह मूल्य 14-15.50 रुपये प्रति किलोग्राम की रेंज में चल रहा है।

देश में चीनी की समूची उपलब्धता और चीनी के मूल्यों में कमी लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अधीन चीनी का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया था और इस संबंध में मैंने 15.3.1994 को सदन में घोषणा भी की थी। इस प्रकार के निर्यात करने पर कोई उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इस आयातित चीनी की उपभोक्ता गन्तव्य स्थानों पर सुचारू रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आयातित चीनी के मामले में स्टाक रखने की सीमा और चीनी को निकासी अवधि से संबंधित विनियामक उपायों से छूट दे दी गई है। आयातित चीनी का संचलन करने के लिए भी खाद्य मंत्रालय जल भूतल परिवहन मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातित चीनी ला रहे जहाजों को अग्रता के आधार पर लंगरगाह मिल सके और बन्दरगाहों से उपभोक्ता गन्तव्य स्थानों को तत्काल रेल द्वारा संचलन किया जा सके। उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस मास के मध्य तक देश में लगभग 1.12 लाख मीटरी टन आयातित चीनी पहुंच जाएगी। यह भी विदित हुआ है कि विभिन्न पार्टियों द्वारा 5 लाख मीटरी टन से भी अधिक चीनी का आयात करने के लिए पक्के ठेके कर लिए गए हैं। इसमें खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किया गया लगभग 78,000 मीटरी टन का ठेका भी शामिल है।

मई, 1994 मास के दौरान आयातित चीनी की सम्भावित उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, 4.75 लाख मीटरी टन चीनी का मुक्त बिक्री का कोटा रिलीज कर दिया गया था। तथापि, चीनी के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने की दृष्टि में, मई, 1994 मास के लिए 15,000 मीटरी टन और अतिरिक्त स्वदेशी चीनी निर्मुक्त कर दी गई है।

चीनी के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने के उद्देश्य से, सचिव (खाद्य) ने चीनी की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए 10.5.1994 को चीनी उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से सहमति हुई कि चीनी के मूल्य उचित स्तर पर बनाए रखे जाने चाहिएं। इस कार्य के लिए उद्योग और व्यापारियों, दोनों ने सरकार को अपना सहयोग और समर्थन देने की पेशकश की। यह सुनिश्चित करने के लिए उद्योग द्वारा स्वदेशी चीनी की जमाखोरी नहीं की जाती है, सरकार ने अब चीनी मिलों को प्रत्येक मास निर्मुक्त की जा रही खुली बिक्री की चीनी की बिक्री और प्रेषण के संबंध में साप्ताहिक आधार पर प्रतिबन्ध लगा देने का निर्णय किया है। सरकार द्वारा पहले से किए गए उपायों और आयातित चीनी की आमद हो जाने से आगामी महीनों में देश में खुली बिक्री की चीनी के मूल्यों को नियंत्रित करना संभव होगा।

जैसाकि माननीय सदस्यों को विदित ही है कि चीनी की कमी होने के बावजूद, सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लेवी चीनी राशन की दुकानों के जरिये 9.05 रुपये प्रति किलोग्राम के निर्धारित मूल्य पर निरन्तर उपलब्ध करवा रही है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति जी, सरकार चाहे कितनी ही शुगर बाहर से आयात

कर ले लेकिन वर्तमान नीति के चलते शुगर के भाव को बढ़ने से सरकार नहीं रोक सकती। शुगर के बढ़ते भावों को रोकना सरकार के लिए संभव नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : इनको तो पता ही नहीं है कि चीनी की देश में कमी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : चीनी का अकाल पड़ गया है। लेकिन मंत्री जी ने उसके लिये अब तक क्या किया। चीनी के भाव आज कहां तक पहुंचे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश की जनता को चीनी सस्ते रेट पर उपलब्ध कराने के लिये सरकार और मंत्री जी क्या करेंगे ? यदि आप चीनी का आयात भी करेंगे तो 3 महीने बाद वह चीनी यहां आयेगी, उस समय तक वे क्या करेंगे ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : सभापति जी, आप इस विषय पर चर्चा करा दीजिये। मंत्री जी के स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलने वाला है। स्टेटमेंट दे देने से चीनी के भाव नहीं घटने वाले हैं। **(व्यवधान)**

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : आज जैसी हालत है, उसमें किसान गन्ना नहीं बीजेंगे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह वक्तव्य सदन में किए गए प्रश्न से उभरा था। उस वक्तव्य पर किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, आप स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न की अनुमति दीजिए। यह वक्तव्य बहुत ही भ्रामक है। इससे स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इसे कल शून्य काल के दौरान उठाया गया था लेकिन पीठासीन अधिकारी के निर्देश के अनुसार मंत्री जी ने ब्यान दे दिया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह एक महत्वपूर्ण विषय पर एक लम्बा वक्तव्य है और सभी आंकड़े भी शामिल हैं। कृपया वक्तव्य पढ़िये।

अब श्री रंगय्या नायडू - वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री भोगेन्द्र झा :-महोदय, इस वक्तव्य में कुछ भी नहीं कहा गया है। सरकार की पहले से जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों को मदद मिल रही है। इससे गन्ने का उद्योग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। चीनी

उद्योग प्रभावित हो रहा है और उपभोक्ताओं की हालत की तो बात ही और है।

सभपति : मंत्री जी अभी बोल रहे हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए।

(व्यवधान)

श्री पीटर जी. मरबनिआंग (शिलांग) : नियम में प्रावधान है। आप इनका अध्ययन कर सकते हैं।

सभापति महोदय : हम इस विषय पर निरन्तर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकते हैं। कई माननीय सदस्य इस पर प्रश्न करने को आतुर हैं। हम इसे पूर्ण चर्चा का विषय नहीं बना सकते। यह वक्तव्य कल हुई चर्चा का ही प्रतिफल है। यदि कोई माननीय सदस्य एक प्रश्न करना चाहता है, तो मैं एक या दो सदस्यों को अनुमति दे सकता हूँ। लेकिन यह बहुत ही हैं। कृपया समझिए।

श्री पीटर जी. मरबनिआंग :- कोई भी नियम इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री भोगेन्द्र झा :-यह व्यवहारिक रूप में गन्ने की कटाई का समय है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या वह बाहर से आयात की गई चीनी का वितरण नियंत्रित करने जा रहे हैं। और क्या वह चीनी की जमाखोरी को रोकने जा रहे हैं।

सभापति महोदय : आप कृपया वक्तव्य पढ़िए। कोई उत्तर आवश्यक नहीं है।

5.16 म.प.

|अनुवाद|

(पाँच) टिहरी बाँध में दरारों के संबंध में उपग्रह से मिले संकेत

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : भारत सरकार ने सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखने के पश्चात् पम्पड स्टोरेज संयंत्र और कोटेश्वर बांध तथा निम्नलिखित लागत पर विद्युत की निकासी के लिए संबद्ध पारेषण प्रणाली के न्यूनतम अपेक्षित कार्यों समेत टिहरी जल विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) के चरण-1 के क्रियान्वयन का 15.3.94 को अनुमोदन कर दिया है : -

(1)	टिहरी बांध और एच पी पी	2815.00 करोड़ रुपये
(2)	कोटेश्वर बांध और एच पी पी के लिए वर्तमान वचनबद्धता	34.66 करोड़ रुपये
(3)	टिहरी पी एस पी के लिए आवश्यक कार्य	114.30 करोड़ रुपये
(4)	संबद्ध पारेषण प्रणाली	371.00 करोड़ रुपये
	जोड़ :	3334.96 करोड़ रुपये

माननीय सदस्य श्री नितीश कुमार द्वारा कल जो विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि नेशनल रिमोट सैंसिंग एजेंसी, हैदराबाद के उपग्रह से प्राप्त चित्र में जलाशय क्षेत्र में दरारें पाए जाने के बारे में अंतरिक्ष विभाग, जोकि नेशनल रिमोट सैंसिंग एजेंसी के लिए उत्तरदायी है, ने हमें निम्नवत् सूचित किया है : -

"उपग्रह से प्राप्त भूकम्प से पूर्व और भूकम्प के पश्चात् की अवधियों (1989, 1990, 1991 और 1992) से संबंधित चित्रों से आनुसंगिक संयोजन संबंधी अध्ययन कार्य, टिहरी बांध जलाशय क्षेत्र में किसी प्रकार के परिवर्तन होने का पता लगाने और क्षेत्र के बारे में * टिहरी टाऊन के उत्तर पश्चिम में, धारासु से लेकर टिहरी टाऊन के पूर्व में धनास्याली तक 284 स्केयर किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। अक्तूबर, 1991 में आए भूकम्प से पूर्व 71 पुराने भूस्खलन (न कि दरारें) का पता लगाना संभव हो सका। भूकम्प आने के पश्चात् उपग्रह से प्राप्त चित्रों में इस क्षेत्र में किसी प्रकार के नए भूस्खलन या दरारों के संकेत प्राप्त नहीं हुए।"

इसलिए यह कहना उचित नहीं है। कि भूकम्प के कारण किसी प्रकार की दरारें आयी हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : कल जो बात हमने जीरो आवर में रेज की थी, उसमें एक प्वाइंट नहीं था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप जानते हैं कि इस सम्बन्ध में नियम क्या हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आपको अगर लगे कि हम रूल्स के बाहर जा रहे हैं तो उसको डिसएलाऊ कर दें। आप चाहें तो प्रोसिडिंग्स से हटा सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बात यह नहीं है। पहले आप यह समझें कि वक्तव्य क्यों दिया गया था।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हमने जो सवाल रेज़ किया था वह सिर्फ एक बिन्दु पर नहीं था। 71 क्रैक्स और लैंडस्लाइड्स की बात थी। इन्होंने यह तो मान लिया कि 71 लैंडस्लाइड्स हैं। मैंने इसके अलावा साफ-साफ एनवायरनमैंट मिनिस्ट्री की ऐनवॉयरनमैंट अप्रेजल कमेटी की साफ रिकमंडेशन्स का भी हवाला दिया था। जो प्राइम मिनिस्टर के लिये ऐनवायरमैंट मिनिस्ट्री की तरफ से नोट तैयार किया गया था, उसका भी हवाला दिया था। अर्थ क्वेक के हिसाब से जिस पैमाने पर पीक ग्राउंड एंस्कलियरेशन के फीगर्स दिये थे। कि. 22जी पर डिजाइन है, जबकि 1जी पर डिजाइन होना चाहिये था और रिक्टर स्केल पर उसके मैग्नीट्यूड का था, मीनिमम 6 पर डिजाइन हैं, 8 प्लस होना चाहिये। इन बिन्दुओं पर माननीय मंत्री जी ने कोई खुलासा नहीं किया है। इसलिये जिन लोगों के मन में भ्रम है, वह बरकारार रहेगा। हम आग्रह करेंगे कि पूरी स्थिति पर स्टेटमैंट आना चाहिए था। ताकि लोगों में संशय दूर हो सके। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इस पर नायडू जी या सल्वे जी बैठे हुए हैं, दोनों में से कोई इस संबंध में कहने का कष्ट करें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

---

*जानकारी प्राप्त करने के लिए किये गए थे। जिस क्षेत्र के अध्ययन कार्य किए गए इस क्षेत्र में

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : यह मेरा क्षेत्र है और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह मुद्दा कल श्री नीतीश कुमार द्वारा उठाया गया था। इसी कारण मैंने उन्हें अनुमति दी थी। परन्तु नियमानुसार इसकी भी अनुमति नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : हर समय हम लोगों से नियमों की बात कही जाती है। मैंने नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति मांगी है। जब हम यह मुद्दा यहाँ उठाना चाहते हैं तो हमें इसे नियम 184 के अन्तर्गत उठाने के लिए कहा जाता है। जब मैंने नियम 184 के अन्तर्गत इसे उठाने की अनुमति चाही तो मुझसे कहा गया था कि मैं इसे नहीं उठा सकता हूँ। किस प्रकार हम इसे उठा सकते हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी भी आप इस पर चर्चा हेतु सूचना दे सकते हैं।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : मैंने नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा हेतु एक सूचना दी है। आप कृपया मुझे बतायें कि किस प्रकार मैं इस मुद्दे को उठा सकता हूँ ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यदि आप इसे उठाना चाहते हैं तो आप अभी भी चर्चा के लिए सूचना दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : अब समय कहाँ हैं ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हमें सभा के नियमों के अनुसार चलना है।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : आपको एक या दो व्यक्तियों को अनुमति देने का अधिकार है। मैं ही वह दूसरा व्यक्ति हूँ जो बोलना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : बात यह नहीं है। कृपया यह बात समझिये कि यह मुद्दा उठाया जा चुका है।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : वर्ष 1991 में इस मुद्दे पर मैंने आधे घंटे की चर्चा की थी। उस समय पर्यावरण मंत्री जी द्वारा कुछ आश्वासन दिये गये थे। मैं उन मुद्दों को उठाना चाहता हूँ। श्री नीतीश कुमार जी ने जो मुद्दा उठाया था वह इन मुद्दों के महत्व का प्रश्न था। मैं उसे दुहराना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि मुझे इस सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि सेवन प्लस के 'एच' मूल्य के लिए तथा एक पी.जी.ए. (चरम भू त्वरण) के लिए इसकी गणना की जायेगी। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि वह अभिकल्प मानदंड क्या है जिसके लिए सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करने का वचन दिया है ? क्या यह एक

पी जी ए और 8 'एम' है अथवा .24 पी.जी.ए. पर 6 'एम' है ? यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरी बात यह है कि पर्यावरण मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया है कि जब तक कि विपत्ति प्रबन्ध योजना प्रस्तुत और अनुमोदित नहीं कर दी जाती है स्वीकृति नहीं दी जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या योजना प्रस्तुत कर दी गयी है और क्या इसे अनुमोदित कर दिया गया है ?

तीसरी बात यह है कि पुनर्वास के सम्बन्ध में क्या हो रहा है ? इससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं। आपने उनके लिए क्या किया है ? उनके साथ क्या हो रहा है ? मैं इन प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ।

सभापति महोदय : मंत्री जी, क्या आप इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मैं माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार जी तथा श्री खन्डूरी जी को भी विस्तार से पत्र लिखूँगा। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : खन्डूरी जी यह क्या है ? मैं इसे नहीं समझता हूँ। आप कुछ और जानकारी चाहते हैं। और मंत्री जी लिखित रूप में कोई भी जानकारी देने के लिए तैयार हैं।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटार्यड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : ये बातें मुद्दे ही उठाये गए थे। मंत्री जी ने उन्हें उत्तर क्यों नहीं दिया ? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : सभा के नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं।

(व्यवधान)

|हिन्दी|

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : मंत्री जी सदन को पूरी जानकारी क्यों नहीं देना चाहते हैं . . . **(व्यवधान)**

|अनुवाद|

सभापति महोदय : यह बड़ ही दुर्भाग्य की बात है। आप निश्चित रूप से सभा के नियमों का लाभ उठा सकते हैं। यह मुद्दा कल शून्य काल के दौरान श्री नीतीश कुमार जी द्वारा उठाया गया था। मंत्री जी ने सभा में एक लम्बा उत्तर दिया था। मंत्री जी ने वायदा किया है कि यदि उत्तर पर्याप्त नहीं है तो वह सभी प्रश्नों का उत्तर भेजेंगे। आपको उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। अब सभा के समक्ष अन्य कार्य भी हैं।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : यह उचित नहीं है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अब दो और मुद्दे उठाये गये हैं और मंत्री जी इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को जानकारी दे सकते हैं।

5.24½ म.प.

राष्ट्रपति द्वारा मणिपुर के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा को जारी रखने अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प - जारी

सभापति महोदय : हमने गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प के लिए दिये गये समय से लगभग दुगना समय ले लिया है। मैं अब वक्ताओं की अतिरिक्त सूची नहीं ले रहा हूँ जिसके लिए अभी अनुरोध किये जा रहे हैं। इस संकल्प पर अन्तिम वक्ता श्रीमती गीता मुखर्जी हैं।

5.25 म.प.

(श्री पीटर जी. मरबनिआंग पीठासीन हुए)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, वास्तव में यह बड़े ही दुःख की बात है कि इस बार भी मणिपुर में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली नहीं की जा रही है। मुझे एक बात कहनी है। पहले ही अनेक बातें कही जा चुकी हैं। सामान्यतः मैं उन बातों को कभी नहीं दुहराती हूँ। अब भी मैं उन बातों को नहीं दुहरा रही हूँ। परन्तु मैं मणिपुर के सम्बन्ध में एक विशेष बात कहना चाहती हूँ।

मैं अनेकों बार मणिपुर गई हूँ। मैंने देखा है कि मणिपुरी स्त्री बहुत ही वीरांगना नारी होती हैं। एक बार बहुत ही बड़ा संघर्ष हुआ था जब एक विपणन स्थल से उन्हें हटाने का प्रयास किया गया था। वे स्त्रियां वास्तव में छः महीने तक उस विपणन स्थल में रात दिन रहीं और उन्होंने वह संघर्ष जीत लिया था। परन्तु अब ये मणिपुरी स्त्रियां जो इतनी बहादुर थी और जो वास्तव में मणिपुर की आत्मा थी, शाम में बाहर निकलने से भी डरती हैं। अब मणिपुर में ऐसी गंभीर स्थिति है।

चूँकि इसके पड़ोस में कोई शक्तिशाली राज्य नहीं है और यह देश के सुदूर भाग में स्थित है, मणिपुर की अत्यधिक उपेक्षा की जा रही है और उस राज्य में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही है। मैं यह जानना चाहूँगी कि मणिपुर के लिए कोई विशेष योजना क्यों नहीं बनाई गयी है। जबकि अन्य अनेक राज्यों जैसे पंजाब, कश्मीर के लिए विशेष योजना बनाई जा रही है ? मणिपुर हमारे सीमावर्ती राज्यों में से है और उनकी एक महान परम्परा रही है।

अतः मैं यह आशा करती हूँ कि अगली बार इसकी समयावधि नहीं बढ़ायी जायेगी और इस बीच मणिपुर के लिए एक विशेष योजना बनायी जानी चाहिए ताकि इन उग्रवादियों का सफाया किया जा सके। मणिपुर की स्त्रियों को, युवाओं को और वहाँ की जनता को अपनी एक लोकतांत्रिक सरकार की बहाली हेतु समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि किसी न किसी कारणवश उनके मन में कोई न कोई विरोध रहा होगा फिर भी उन्होंने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिये अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। वस्तुतः सरकार को सभा से राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिये आग्रह करने पर प्रसन्नता नहीं होती है। यह कार्य बहुत मजबूर होकर

दुःखी मन से करना पड़ता है। यह ऐसी परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर किया जाता है जिनका और कोई विकल्प नहीं होता है। यदि अन्य समाधान संभव हो तो सरकार को किसी ऐसे विकल्प को ढंढने में प्रसन्नता हो, जिसमें यथा निर्वाचित सरकार ठीक से कार्य कर सके। राज्यपाल को दी गई रिपोर्ट के बारे में माननीय सदस्यों का जो भी उद्देश्य हो मैं यह कहूंगा कि मेरे पास और भी कुछ जानकारी है। मैं अपनी टिप्पणी केवल राज्यपाल को दी गई रिपोर्ट के आधार पर ही नहीं कर रहा हूं।

वस्तुतः इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके बारे में अधिकांश लोग यह महसूस करते हैं कि इसकी उपेक्षा की गई है और मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार इस बात को भी आवश्यक समझती है कि इस क्षेत्र के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। परन्तु जब यह कहता हूं तो मैं उस क्षेत्र में विधमान स्थिति को बताये बिना भी नहीं रह सकता हूं और विशेषकर वे लोग जो उस क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दिये जाने की बात करते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है, सभी सदस्यों को उस क्षेत्र में व्याप्त वित्तीय अनुशासनहीनता के बारे में पता है। मुझे यह कहते हुये खेद है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए काफी धनराशि दी जा रही है, यह विशेष श्रेणी वाले राज्यों का क्षेत्र है, जहां विकासीय व्यय के अलावा गैर योजना व्यय भी भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। श्री जार्ज फर्नान्डीज जिन्होंने यह बात उठायी थी, मुझे खेद है कि वे इस समय यहाँ उपस्थित नहीं हैं। अन्तिम दिन अर्थात् 31 मार्च को बिना किसी उचित अनुमति के एक चैक जारी किया गया और इसे भुनाया जा रहा है। मुझे अभी यह पता लगाना है कि उस क्षेत्र में सारी व्यवस्था किस प्रकार कार्य कर रही है। **(व्यवधान)** यह बात है। फिर सभी अपनी पसन्द के नौकरशाह चाहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। वस्तुतः हम अधिकारियों का आदान-प्रदान करना चाहते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक और कुछ अन्य क्षेत्रों से अधिकारियों को पूर्वोत्तर में जाने देना चाहिये। पूर्वोत्तर के अधिकारियों को भी अन्य क्षेत्रों में जाने देना चाहिये। विचारों का आदान-प्रदान किया जाना चाहिये। उन्हें देश के अन्य भागों में विकासीय पहलुओं के बारे में जानने देना चाहिये। ऐसा क्यों हैं कि वे अपने किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रखना चाहते हैं। अकसर कुछ अधिकारी किसी अधिक विकसित राज्य में जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री को विशेष रूप से देखना चाहिये कि उस अधिकारी को उसके मूल राज्य में वापस भेजा जाय कभी-कभी मुझे गलती माननी पड़ती है। कभी-कभी मुझे मुख्य मंत्रियों का दबाव मानना पड़ता है। और उनमें से कुछ अधिकारियों को भेजना पड़ता है। परन्तु अब मैंने यह महसूस किया है कि हमने उनके क्षेत्रों में उनके पसन्द के अधिकारियों को भेजकर गलती की थी। और इसी कारण कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। हम चाहे जितनी धनराशि देने को तैयार हैं बशर्ते कि जिस उद्देश्य के लिये धनराशि दी जाये, उसी उद्देश्य के लिये उपयोग की जाये सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिये, जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिये, सभी बुनियादी सुविधायें, जो क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक हो के निर्माण के लिये। माननीय सदस्य जब यह कहते हैं कि यह सड़क संपर्क और रेल संपर्क से जुड़ी नहीं हैं और हवाई संपर्क से जुड़ी है परन्तु सेवायें भी उपलब्ध नहीं है, तो सही कहते हैं। अतः माननीय सदस्य यह भी सही कहते हैं कि वह भारत का एक भाग है और आप ऐसी स्थिति क्यों आने देते हैं जहां उस क्षेत्र में लोग यह सोचते हैं कि वे बिल्कुल अलग-थलग पड़े हैं। मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना और रेल संपर्क एक अच्छा मामला है। हमारे यह विशेष प्रयास करने होंगे

कि सभी राज्यों की राजधानियों को हवाई सेवा से जोड़ा जाये। तीनों कार्यों को एक साथ शुरू करना होगा ताकि वहां के लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें। उन्हें मुख्य धारा में लाना है। परन्तु साथ ही साथ मुझे वहां रह रहे सभी नवयुवकों से यह अपील भी करनी है। मेरे युवा मित्र श्री चालिहा युवाओं के पक्ष में बात कर रहे थे, मैं उनसे विशेष रूप से यह अपील करूंगा कि इन सभी युवाओं की शक्तियों को सही दिशा में संचारित किया जाये और ऐसे सभी लोगों का पता लगाया जाये जो वास्तव में भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त हैं। मुझे यह कहते हुये खेद होता है, परन्तु इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि यह अपने उच्चतम स्तर पर है। लोगों का यह विचार बन रहा है कि राष्ट्रपति शासन, लोकप्रिय शासन से कहीं अधिक अच्छा है। यह कुछ लोगों की भावनायें हैं। जहां तक भारत सरकार का सवाल है कया यह सही है क्या लोकतांत्रिक देश में हम ऐसी भावना का स्वागत कर पायेंगे कि राष्ट्रीय शासन बेहतर है ?

एक विशेष बाजार में अनाज बेचा जाता था। वितरण प्रणाली का कोई सवाल नहीं है। क्योंकि यह पूरी तरह भंग हो चुकी है। अतः उन्हें कोई भी अनाज नहीं मिल रहा है। उन्हें चीनी और मिट्टी का तेल भी नहीं मिल रहा है। अतः पहली बार उन्होंने अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल उपलब्ध होते हुये देखा है - तब तक उनकी जल आपूर्ति योजना भी ठीक प्रकार से काम करने लगी थी। जिन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही थी वहाँ विद्युत आपूर्ति भी होने लगी थी, सड़कों का निर्माण होने लगा था और जनजीवन की आवश्यकतायें उपलब्ध होने लगी थी और वहाँ तैनात कुछ सलाहकारों के माध्यम से उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, लोग बहुत प्रसन्न हैं। परन्तु जहाँ तक देश के भविष्य का सवाल है यह समस्या का समाधान नहीं है।

श्री फर्नान्डीज में परिवर्तन देखकर अत्यन्त हर्ष होता है। सामान्यतः मैं उनके विचार जान सकता हूँ। मुझे सारे मामले में कुल इरादे के बारे में संदेह हो रहा है। परन्तु वह दूसरा मामला है। इसी समय उन्होंने कहा कि चूंकि उस क्षेत्र से केवल 10 सदस्य निर्वाचित होते हैं लगभग सभी राजनीतिक दलों को उस क्षेत्र के बारे में सबसे कम चिन्ता रहती है। अतः पहली बार सभा के सभी वर्गों ने यह महसूस किया है कि किसी न किसी रूप में हमने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है। इस दिशा में सक्रिय प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। मुझे श्री फर्नान्डीज द्वारा दिये गये सुझावों पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा, ''इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों से परामर्श किया जाना चाहिये।'' हम सभी के साथ चर्चा करने को तैयार हैं क्योंकि हम सभी के सभी वर्गों से सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि जिस प्रकार का अनुशासन हम उस क्षेत्र में चाहते हैं उसे लागू कर सकें।

मुझे वित्त मंत्री महोदय की ओर से कुछ कहने का अधिकार नहीं है परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ विकासीय कार्यों के लिये धनराशि मांगी जाये तो वित्त मंत्री महोदय इंकार नहीं करेंगे। वे इन लोगों की निश्चित ही सहायता करने की कोशिश करेंगे, परन्तु हमें लोगों के मन में ऐसी भावना पैदा करनी है कि तीन-चार अधिकारियों अर्थात् वित्त सचिव, विकास आयुक्त और लेखाधिकारी के चरित्र पर शंका नहीं करनी चाहिये। यह तीन अधिकारी सभी निन्दाओं से परे हैं। यदि यह अधिकारी वहाँ तैनात होते हैं और वार्षिक आधार पर लेखा परीक्षा होती है तो इस क्षेत्र का विकास न करने का कोई कारण नहीं है। हम उन्हें देश के अन्य भागों के बराबर लाने के लिये और आर्थिक संसाधन दे सकते हैं। हमें यह देखना है कि उनके दिमाग में उपेक्षित होने की भावना नहीं है।

मैं सभी माननीय सदस्यों जो कि अपनी बात कह रहे हैं से यह अनुरोध करूंगा कि वे यह देखें कि किसी तरह उस राज्य में निर्वाचित सरकार स्थापित हो जाये। केवल निर्वाचित सरकार ही नहीं बल्कि लोगों का विश्वास प्राप्त करना होता है। यदि हम लोगों का विश्वास खोकर निर्वाचित सरकार स्थापित करते हैं तो इससे हमें कोई लाभ नहीं है। मैं सभा के सभी वर्गों से यह अपील करता हूँ कि हम उनकी सहायता के लिये थोड़ा समझौता भी करने को तैयार हैं, परन्तु ऐसी परिस्थितियां मत पैदा करिये जिससे आगे कोई और गलत फायदा उठाये। ऐसी परिस्थिति पैदा करने में जहाँ लोगों को निराशा है और हम इसके लिये जिम्मेदार हैं तो दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिये। ऐसी स्थिति का सीमा पार से लोग फायदा उठा सकते हैं। हमें अपना कार्य ठीक से करना चाहिये और फिर भी कोई स्थिति को खराब करना चाहता है तो हमें उनके विरुद्ध स्थानीय लोगों के पूर्ण समर्थन से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे और कुछ कहना है।

मेरे विचार में यदि माननीय सदस्य इस पद्धति का अनुमोदन करें तो मुझे इस संबंध में कोई संदेह नहीं है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र में लोगों के मन में पाई जाने वाली यह भावना निश्चय ही मिट जाएगी। हमें इसे मिटाने की शीघ्रातिशीघ्र कोशिश करनी चाहिए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : -

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर के संबंध में 31 दिसम्बर, 1993 को जारी की गई उद्घोषणा को 30 जून, 1994 से और छह माह की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.41 म.प.

प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक

(राज्य सभा द्वारा यथापारित)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।" महोदय, मैं माननीय सदस्यों को इस संशोधन विधेयक लाने के प्रयोजनों से अवगत करना चाहता हूँ। परिषद के गठन से संबंधित अधिनियम की धारा 5 के अनुसार इसमें अन्य सदस्यों के साथ-साथ, छह सदस्य ऐसे होंगे जो समाचार पत्रों के मालिक हैं अथवा उनके प्रबंधन का कार्य करते हों अर्थात् बड़े समाचार पत्र, मध्यम समाचार पत्र तथा छोटे समाचार पत्रों की प्रत्येक श्रेणी से दो प्रतिनिधि धारा 5 की उप-धारा (3) के स्पष्टीकरण में समाचारपत्र को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है : -

(एक) 'बड़े' कहे जाएंगे यदि उसके प्रत्येक अंक के सभी संस्करणों का कुल परिचालन 50,000 प्रतियों से अधिक है।

(दो) 'मध्यम' कहे जायेंगे यदि उसके प्रत्येक अंक के सभी संस्करणों का कुल परिचालन 15000 प्रतियों से अधिक है परन्तु 50,000 प्रतियों से अधिक नहीं है।

(तीन) 'छोटे' कहे जायेंगे यदि उसके प्रत्येक अंक के सभी संस्करणों का कुल परिचालन 15,000 प्रतियों से अधिक नहीं है।

समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के परिचालन में वृद्धि के कारण समय-समय पर उनके ऐसे वर्गीकरण की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं उक्त स्पष्टीकरण में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि सरकार कुल परिचालन की समीक्षा के आधार पर संशोधित वर्गीकरण अधिसूचित कर सके।

यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक सूचना के माध्यम से 1 अप्रैल, 1989 से छोटे, मध्यम और बड़े समाचार पत्रों/सावधिक पत्रिकाओं की श्रेणियों के वर्गीकरण की पुनरीक्षा की है ताकि सभी छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को लाभ/छूट दी जा सके, तथापि इस वर्गीकरण से प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3) के अधीन स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है। इस पुनरीक्षित वर्गीकरण के अनुसार समाचार पत्र/सावधिक पत्रिकाएं निम्न रूप से परिभाषित किए जाएंगे।

(एक) यदि उनका परिचालन प्रत्येक प्रकाशन दिवस 25,000 प्रतियों तक है। तो वे लघु श्रेणी में जाएंगे।

(दो) यदि उनका परिचालन प्रत्येक प्रकाशन दिवस 25,000 प्रतियों से अधिक तथा 75,000 प्रतियों तक है तो उन्हें मध्यम श्रेणी में रखा जायेगा।

(तीन) यदि उनका परिचालन प्रत्येक प्रकाशन दिवस 75,000 प्रतियों से अधिक है तो वे 'बड़े' समाचार पत्र की श्रेणी में रखे जाएंगे।

यह भी हमारी जानकारी में आया है कि कुछ राज्य सरकारें, जैसे महाराष्ट्र, प्रेस परिषद अधिनियम के उपरोक्त स्पष्टीकरण में वर्णित बड़े, मध्यम, व छोटे समाचार पत्रों हेतु मानदण्ड के आधार पर लाभ/छूट दे रही हैं।

इसलिए समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के परिचालन को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर वर्गीकरण की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 5(3) में दिए गए वर्तमान स्पष्टीकरण को निम्नलिखित स्पष्टीकरण द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है :

''खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, कोई 'समाचार पत्र' उसके प्रति अंक के परिचालन के आधार पर, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर अधिसूचित करे, बड़े, मध्यम या छोटे समाचार पत्र के रूप में प्रवर्गीकृत किया गया समझा जाएगा।''

सभापति महोदय : प्रस्ताव किया गया :

''कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।''

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जिस ढंग से प्रैस कौंसिल एक्ट के अंतर्गत यह संशोधन विधेयक लाये हैं और इन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया है मानो यह कोई सामान्य संशोधन हो लेकिन यह सामान्य नहीं है। अगर मैं हिन्दी के कवि बिहारी के शब्दों में कहूं "सतसैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर" तो ऐसा माननीय मंत्री जी ने संशोधन पेश किया है। जैसाकि हम जानते हैं कि 1978 में प्रैस कौंसिल एक्ट के अंतर्गत प्रैस कौंसिल का गठन किया गया था और उसी के आधार पर प्रैस लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है जोकि महत्वपूर्ण है। इसकी आजादी ही लोकतंत्र की नींव है। और इसलिये प्रैस मजबूत होना चाहिये यह सभी मानते हैं। प्रैस कौंसिल को जो अधिकार, शक्तियां होनी चाहिये, मैं समझता हूं कि वे नहीं हैं जो बार कौंसिल और मैडिकल कौंसिल को मिली हुई हैं, इसको प्राप्त नहीं हैं। उनको कानूनी अधिकार प्राप्त है और वे दबाव डाल सकते हैं।

सभापति महोदय, प्रैस कौंसिल के गठन में 28 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है लेकिन इन सदस्यों में से 13 सदस्य श्रमजीवी पत्रकारों से जिनमें 6 समाचारपत्र सम्पादक और 7 सम्पादक होते हैं। इनमें 6 सदस्य समाचार पत्रों के प्रबंध व्यवस्था में से हैं। यह कहा गया है कि 6 सदस्यों का चयन समाचार पत्रों में प्रबन्ध व्यवस्था का अथवा समाचार पत्र निकालने वाले लोग, काम करने वाले लोग होंगे और उनमें भी बड़े समाचार पत्रों, मध्यम समाचार पत्रों और लघु समाचार पत्रों की तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है जोकि पहले भी थी। यह अधिकार अब भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिए हैं। इसकी भी समीक्षा करनी पड़ती है। उनकी प्रसार संख्या में वृद्धि होती है, इसलिये इस बात का वर्गीकरण सरकार करेगी। इसके लिये अधिसूचित भी करेगी और इस आधार पर कैटेगराइजेशन होगा कि ये बड़े या छोटे अथवा मध्यम समाचार पत्र होंगे तो मैं समझता हूं कि सरकार इसके माध्यम से समाचार पत्रों पर नियंत्रण लाने की मंशा रखती हैं, उसकी नीयत में फर्क आ रहा है। मैं इस बिल के बारे में यह कहूंगा कि "न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा वही है जिसकी नीयत बुरी है" इसलिये आपकी नीयत बुरी है। यदि सरकार इसका मामला प्रैस कौंसिल को सौंप देती है और वह प्रसार संख्या के आधार पर अपने सदस्यों को, समाचार पत्रों के बारे में कि ये बड़े हैं या छोटे हैं या मध्यम हैं, तो ठीक रहता और उनमे से प्रत्येक वर्ग से 2-2 प्रतिनिधि आते तो प्रतिनिधियों का चयन सही रूप में रहता। मुझे डर है कि कामर्शियल पेपर्स इसका लाभ उठायेंगे लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से निकलने वाले अखबार जो जनता से जुड़े हुये हैं उनको सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पायेगा। सरकार इस विधेयक में संशोधन लाकर उसका दुरुपयोग कर सकती है और इसका उदाहरण हमारे सामने है कि जब इन्दिरा जी प्रधानमंत्री थी तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिये इस देश में आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी और इससे प्रैस पर ऐसा नियंत्रण कर लिया कि हम सब आप जानते हैं कि आपात स्थिति में किसके साथ क्या हुआ ? अखबारों में सरकार के कहे मुताबिक ही खबरें छपती थीं और कालम के कालम खाली पड़े रहते थे। समाचार पत्रों की यह दुर्दशा हो गयी। जब एमरजेंसी हटी तो समाचार पत्रों में आजादी की ललक जागी और जिस समाचार पत्र की प्रसार संख्या 30 हजार थी, वह एक लाख पर पहुंच गयी और जिन समाचार पत्रों को कोई पढ़ता नहीं था, उसकी प्रसार संख्या तेज़ी से बढ़ गयी। यह थी आजादी की ललक। मान्यवर, आज देश में एक तरफ हम साक्षरता का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जी-जान

से जुटे हुए है और दूसरी तरफ जनता में चेतना आयी हैं और जनता में लगातार भावना जागृत हुई हैं और हमारा देश दुनिया के अंदर आबादी की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां पर समाचार पत्रों को पूर्ण स्वाधीनता होनी चाहिए। समाचार पत्र निर्भीकता के साथ समाज की बुराइयों पर जहां प्रहार करते हैं वहां समाज को दिशा-निर्देश भी देते हैं, समाचार भी देते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, स्वस्थ विचार भी देते हैं और वैचारिक खुराक भी प्रदान करते हैं। इसलिए चाहे वह प्रेस मीडिया हो या इलेक्ट्रानिक मीडिया हो, इस सरकार के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

मान्यवर सभापति जी, अगर सरकार अपनी विश्वसनीयता स्थापित करती है तो प्रसार भारती बिल कभी का सदन के सामने आ जाता। प्रसार भारती बिल आज तक सदन के सामने नहीं आया है। अगर सरकार कुछ सोचती तो पत्रकारों के बारे में जो वेतन बोर्ड का गठन होना चाहिए था, बार-बार उसकी मांग की जाती थी चाहे वह पालेकर अवॉर्ड हो या बछावत आयोग को लागू करने की बात हो या नया वेतन आयोग गठित करने की बात हो, उन मामलों को बार-बार लंबित किया गया और पत्रकारों के हित और कल्याण की बात पर सरकार की नीति पर शंका लगती हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह कैटागराइजेशन करने का अधिकार सरकार अपने हाथों में रैव्यू करने के नाम पर और आर्टिकुलेटेड पॉवर्स अपने हाथ में रख लिए हैं वह ठीक नहीं हैं। केवलमात्र वर्गीकरण के आधार पर ही बड़े, मध्यम और लघु समाचार पत्रों का वर्गीकरण करना ठीक नहीं हैं। इसके आधार पर ही सरकार निर्धारिण करती हैं। वेतन बोर्ड का निर्धारण भी इसी के आधार पर करती हैं और कभी ए.बी.सी. की रिपोर्ट के आधार पर करती हैं। एक तरफ सर्कुलेशन तय हो जाएगा और सरकार दूसरी बात तय करेगी तो वह अपने में विरोधाभास होगा, क्योंकि एबीसी कुछ अलग रिपोर्ट देगी, विज्ञापन नीति कुछ अलग कहेगी और सरकार जब रैव्यू के नाम पर वर्गीकरण करेगी कि कौन से बड़े समाचार पत्र हैं और कौन से मध्यम हैं, हालांकि 1989 से सरकार ने इसको लागू किया जब वी.पी.सिंह की सरकार थी। उन्होंने प्रेस की आजादी को बहुत बढ़ावा दिया और उसके बाद वही परंपरा चल रही हैं लेकिन जब 75 हजार से ऊपर वालों को बड़ा माना जाएगा और आज समाचार पत्रों की संख्या लगातार बढ़ रही हैं, उनकी सर्कुलेशन बढ़ रही हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि यह मामला प्रेस काउंसिल को सौंप दिया जाए और सौंपा जा सकता हैं। आप कहेंगे कैसे ? सरकार अपने हाथ में इसे नहीं ले अपितु प्रेस काउंसिल की राय को माने। प्रेस काउंसिल को यह अधिकार दिया जा सकता है। इसके प्रावधान को मैं क्वोट करूंगा।

|अनुवाद|

''कोई अन्य मामला जिसके लिए इस अधिनियम में विधान के द्वारा उपबन्ध किया जा सकता है तथापि यह विधान खंड (ख) के अधीन केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से बनाया जाए।''

|हिन्दी|

मान्यवर, इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रेस काउंसिल को यह मामला सौंप दिया जाए। अगर सरकार ऐसा करेगी तो जनता में भावना बनेगी कि सरकार वास्तव में अखबारों की आज़ादी की समर्थक है, सरकार समाचार-पत्रों का गला नहीं दबाना चाहती है, अन्यथा अगर सरकार ने यह अधिकार अपने हाथों में रखे और आगे न मालूम

कब कौन से व्यक्ति के हाथ में इसका दुरुपयोग करने की शक्ति आ जाए और वह इसका दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए सरकार इस दुरुपयोग की संभावना को दूर करे और जनता की आशंका भी दूर हो। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह मामला प्रेस काउंसिल को सौंप दिया जाए।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक संकट की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी सर्कुलेशन के आधार पर जो तय करेंगे लेकिन सरकार विदेशी अखबारों को हिन्दुस्तान में आने की इजाजत दे रही है। उदारीकरण के नाम पर विदेशी पूंजी और विदेशी कंपनियां यहां आ रही हैं जो यहां सब कुछ चौपट कर देंगी। यहां की स्वदेशी की भावना को, कुटीर उद्योगों की भावना को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खत्म किया जा रहा है। सीएनएन और स्टार टीवी तथा एमटीवी ने हमारे समाज में विकार और विकृतियां पैदा करना शुरू कर दिया है। जब विदेशी अखबार हिन्दुस्तान में आएंगे और यहां से चलने लगें तो उनकी सर्कुलेशन संख्या आप कैसे तय करेंगे ? उसमें कैसे तय किया जाएगा कि यह मध्यम कैटागिरी का है या बड़ी कैटागरी का है अथवा छोटी कैटागरी का है ? उनकी प्रसार संख्या का निर्धारण और उन पर नियंत्रण सरकार कैसे रखेगी, इसके बारे में हमें शंका है। इसलिये मैं चाहूंगा कि विदेशी पत्रों को हिन्दुस्तान की धरती पर आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि "फाईनैन्शियल टाईम्स" जो लंदन से निकलता है, कलकत्ता की "आनन्द बाजार पत्रिका" के साथ उसका सैटलमेंट हो गया है और वह पत्र अब यहां उसकी गाइडेंस में निकलेगा। इसी प्रकार और भी बहुत से अखबार होंगे। मैं यहां जवाहर लाल नेहरू के विचारों को कोट करना चाहता हूं जो उन्होंने 1950 में व्यक्त किये थे जब "रीडर्स डाईजेस्ट" नामक अखबार जो दुनिया की कई भाषाओं में छपता है, हिन्दुस्तान में आने लगा और यहां की भाषाओं में उसे छापने की बात हुई तो उस समय नेहरू जी ने कहा था कि समाचार पत्र और पत्रिकायें व्यापार की चीज नहीं हैं बल्कि एक ऐसा मीडिया है जो देश के विचारों को भी प्रभावित करता है इसलिये हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, मेरा निवेदन है कि विदेशी समाचार पत्रों को हिन्दुस्तान की धरती पर आने की इजाजत नहीं देनी चाहिये। विदेशी समाचार पत्रों को एन्ट्री हिन्दुस्तान में हो चुकी है। परन्तु उनका हमारे देश में आधिपत्य नहीं होने देना चाहिये।

मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा। प्रेस कौंसिल अमैंडमेंट बिल पर बोलते समय उसे कहना आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण विचारबिन्दु हैं।

[अनुवाद]

श्री के.पी.सिंह देव : सभापति महोदय, 6 म.प. पर "फिल्मों के सेक्स, हिंसा तथा अश्लीलता" के विषय पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। महिला सांसद, फिल्म फेडरेशन के सदस्य तथा सेंसर बोर्ड के सदस्य प्रतीक्षा में होंगे। मैं अनुरोध करता हूँ कि हम कल चर्चा जारी रखें।

सभापति महोदय : उन्हें अपना भाषण समाप्त करने लेने दो।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे अनेक भाषाई समाचार पत्रों पर कुछ बड़े पूंजीपति और बड़े घराने कब्जा जमाये बैठे हैं और कई भाषाई समाचार पत्र हमारे देश में बंद हो रहे हैं, जिनमें

दैनिक हिन्दुस्तान, साप्ताहिक हिन्दुस्तान नवभारत टाइम्स लखनऊ एडीशन, टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ एडीशन, इल्लस्ट्रेटिड वीकली नामक अखबार, सारिका, बच्चों की प्यारी पत्रिका पराग प्रमुख हैं। जितने समाचार पत्र हैं वे जनता की सेवा के लिये, उनको सही सूचना देने के लिये, विचारों का प्रसार प्रचार करने के लिये छापे जाते हैं। मैं समझता हूं कि पत्रकारों को जहां सुरक्षा प्रदान करना अत्यन्त आवश्यक है वहीं हमारी पत्रिकायें निर्भीकता से अपनी लेखनी का उपयोग कर सकें, उनका कल्याण हो, पत्रकारों की पेंशन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था तथा पत्रकारों को दूसरी वैसी ही सुविधायें देना भी आवश्यक हैं। जो सुविधायें एक पत्रकार को अमरीका या इंग्लैंड में मिलती हैं, हमारे देश में भी पत्रकारों को वे सुविधायें मिलनी चाहिये। ऐसा न हो कि हमारे समाचार पत्र केवल कुछ बड़े बड़े सेठों के नाम छापें और जन-साधारण को एकपक्षीय खबरें मिलें। इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है।

इन बातों के साथ मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि प्रेस कौंसिल को मजबूत करे, पत्रकारों की सुविधाओं पर ध्यान दे और आचार संहिता बनाकर ऐसी व्यवस्था करे ताकि जनता को सही जानकारी मिले और सभी के हितों की रक्षा हो सके।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति महोदय, सदन में हम इस समय प्रेस परिषद् (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस विषय में हमें विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है क्योंकि इस संशोधन विधेयक में जो व्यवस्था की गयी है, जो प्रावधान किये गये हैं उसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि आज समाचार पत्र जगत की जितनी भी समस्याएं हैं वे इसी से संबंधित हैं। इसमें कैटेगरी को बढ़ाने के लिये जो प्रस्ताव किया गया है, उसमें महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सर्कुलेशन का निर्धारण कौन करेगा ? अभी डी.ए.वी.पी कमेटी जाकर चैक करती रही है लेकिन मंत्री जी को अच्छी तरह मालूम होगा कि डी.ए.वी.पी के लोग देखने के लिये, मौनिटरिंग के लिए जाते अवश्य हैं लेकिन इस बात को सभी अच्छी प्रकार जानते हैं कि पत्रकारिता जगत में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के सर्कुलेशन से संबंधित जो आंकड़े दिये जाते हैं, उनका आधार बिल्कुल गलत होता है। पहली बात यह है कि इसमें जो सबसे बुनियादी चीज रखी गयी है. . .. **(व्यवधान)**

6.00 म.प.

सभापति महोदय : अब 6 म.प. बजे हैं।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि चर्चा 7 बजे (म.प.) तक जारी रखी जाए ताकि कई सदस्य चर्चा में भाग ले सकेंगे। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने यहां उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की है। यदि सभापति महोदय अनुमति दें तो हम नोट कर लेंगे तथा उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री को दे देंगे। **(व्यवधान)**

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मैं कहूंगा कि निश्चय ही सूचना और प्रसारण मंत्री के पास बहुत काम है। सूचना और प्रसारण मंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री तथा अन्य जो भी नोट करेंगे तथा सूचना और प्रसारण मंत्री को देंगे वह अप्रत्यक्ष सूचना होगी। अतः यह ठीक नहीं होगा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सूचना और प्रसारण मंत्री की अनुपस्थिति में चर्चा की जाए। **(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, आपने अभी मंत्री महोदय को कहते सुना होगा कि 6 बजे (म.प.) महिला सांसदों की बैठक है। श्रीमती गीता मुखर्जी और मैं इस प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक पर

बोलना चाहती हैं तथा हम भी बैठक में भाग लेना चाहती हैं। इसलिए यदि विधेयक पर कल तक चर्चा जारी रहेगी तो हमें भी कल अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। **(व्यवधान)**

|हिन्दी|

डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, सरकार प्रतिदिन इस प्रकार की बातें करती है। कल भी यह प्रश्न उठा था . . . . **(व्यवधान)**

|अनुवाद|

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, महिला सदस्याएं इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेना चाहती हैं। मेरे विचार में यदि आप चाहें तो इस चर्चा को कल तक के लिए स्थगित कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रहि (देवगढ़) : सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने आज 6.30 (म.प.) पर सदस्यों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : ठीक है। श्री चन्दूलाल चन्द्राकर, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

अब, सभा कल 11 म.पू. तक के लिए स्थगित होती है।

6.01 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा, गुरुवार, 12 मई, 1994/22 वैशाख 1916 (शाक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।